दशम माला, खंड 41, अंक 32

सोमवार, 22 मई, 1995
1 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 14-10-96

तेरहवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 41 में अंक 31 और 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद नही माना जाएगा)

लोक सभा के दिनांक 22 मई, 1995 के वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
आवरण पृष्ठ में खंड 41 में अंक 31 और 40 तक हैं की जगह खंड 51 में अंक 31 से 40 तक हैं पढ़िए			
(i)	8	सिहोर कस्बे	सिहोरा कस्बे
(i)	नीचे से 4	आदममतिल्ला	आदमतिल्ला
(ii)	4	श्री रीता वर्मा	प्रो० रीता वर्मा
(iii)	11	श्री भैरन लाल मीणा	श्री भैरू लाल मीणा
(viii)	20	श्री कुमारी फ्रिडा तोपनो	कुमारी फ्रिडा तोपनो
1	3	लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई	लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।
58	2	श्री सुरेन्द्र पाल पाठक	श्री सुरेन्द्रपाल पाठक
62	नीचे से 9	चंडीगढ़	चंडीगढ़
63	16	श्री एन.के.राठवा	श्री एन.जे.राठवा
76	16	(क) और (ख)	(क) से (ख)
83	6	श्री सुल्तान सलाउद्दीनल ओवेसी	श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी
85	8	श्री सुल्तान सलउद्दीन ओवेसी	श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी
87	12	6502 श्री एम.वी.एस.मूर्ति	6602 श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति
90	1	श्री तरुण गोगाई	श्री तरुण गगोई
91	2	श्री कादम्बूर एम.आर.जनार्दन	श्री एम.आर.कादम्बूर जनार्दनन
98	नीचे से 12	श्रीमती वसुआरा राजे	श्रीमती वसुंधरा राजे
98	नीचे से 13	श्री प्रमेश मुखर्जी	श्री प्रमथेश मुखर्जी
109	19	श्री सतन कुमार मंडल	श्री सनत कुमार मंडल
110	7	श्री एम.जे.रेड्डी	श्री एम.जी.रेड्डी
123	6	(ख) और (घ)	(ख) से (ग)
127	16	(क) और (ग)	(क) से (ग)
156	14	अंतर-राज्यीय सड़के/पुल	अंतर-राज्यीय सड़कें/पुल
158	2	श्री जे.चोक्का राव	श्री जे.चोक्का राव
202	नीचे से 20	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रुही	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही।
209	नीचे से 6	श्री तरुण गगाई	श्री तरुण गगोई
231	अंतिम पंक्ति	सभापति महोदया	सभापति महोदय
235	18		
237	17		
238	9, 29		
282	नीचे से 10	श्री योगन्द झा	श्री भोगेन्द्र झा

विषय सूची

दशम माला, खंड 41, तेरहवां सत्र, 1995/1 7 (शक)
अंक 32, सोमवार, 22 मई, 1995/1 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
⁺तारांकित प्रश्न संख्या :	641-642	1-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
...श्न संख्या :	643 से 660	31-56
... प्रश्न संख्या :	6558 से 6715	56-198
...ये पत्र		209-210
...र्गत मामले		210-213
...ध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सिहोर कस्बे में एक रसोई गैस वितरण केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता		
श्री श्रवण कुमार पटेल		210
...न्या कुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किये जाने की आवश्यकता		
श्री एन. डेनिस		211
उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में रसोई गैस की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता		
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी		211
मद्रास के आस–पास के उपनगरों को सीधी डायल सेवा से जोड़े जाने की आश्यकता		
(श्री एस. एस. आर. राजेन्द्र कुमार)		212
(पांच) अरुणाचल प्रदेश में बेहतर वायु सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता		
(श्री लाईता उम्ब्रे)		212
(छह) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किये जाने की आवश्यकता		
(श्री के. टी. वान्डायार)		213
(सात) असम के बांसकन्डी और आदममतिल्ला में गैस टरबाइन के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता		
(श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ)		213

⁺किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में प्रश्न को उसी सदस्य ने ही पूछा है।

वित्त विधेयक, 1995-जारी 213-308

विचार करने का प्रस्ताव

श्री विजय कृष्ण हान्डिक 214-219

श्री रीता वर्मा 219-225

श्री बी. राज रविवर्मा 225-227

श्री अनादि चरण दास 227-232

श्री याइमा सिंह युमनाम 232-234

श्री कालका दास 234-241

श्री आर. जीवरत्नम 241-247

श्री अमल दत्त 247-257

श्री भेरन लाल मीणा 257-261

श्री रामेश्वर पाटीदार 261-264

श्री मुमताज अंसारी 264-268

श्री एम. कृष्ण स्वामी 268-271

श्री सैयद शहाबुद्दीन 271-276

श्री बी. अकबर पाशा 276-279

श्री भोगेन्द्र झा 280-288

श्री चित्त बसु 288-292

श्री राम टहल चौधरी 292-294

श्री कुमारी फ्रिडा तोपनो 294-297

डा० रामकृष्ण कुसमरिया 297-299

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये 299-304

श्री पी. सी. थामस 304-305

प्रो० रासा सिंह रावत 305-308

गृह कार्य सम्बन्धी स्थायी समिति

अट्ठारहवां प्रतिवेदन – सभा पटल पर रखा गया 276

कार्य मंत्रणा समिति

पचासवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत किया गया 276

लोक सभा

सोमवार, 22 मई, 1995/1 ज्येष्ठ, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.प्र. पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

गांवों का विद्युतीकरण

*641. *श्री मनोरंजन भक्त :

श्री फूलचन्द वर्मा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण अब तक नहीं हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु हाल ही में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ, प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ङ) देश में सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी0 पटेल) : (क) से (च). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 31-3-95 की स्थितिनुसार 84750 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है। ऐसे गांवों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) और (ग). ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक पृथक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 14वें विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा, मार्च, 1991 में प्रकाशित की गई राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्षेपित विद्युत की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है, में वर्ष 1994-95 तक प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए पम्पसेटों, नलकूपों तथा लिफ्ट सिंचाई स्कीम हेतु ऊर्जा खपत का एक अनुमान तैयार किया गया है। इस संबंध में राज्यवार अनुमान अनुबंध-2 में दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1994-95 में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-3 में दिया गया है।

(ङ) बाकी बचे हुए गांव, जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वे सुदूर, दुर्गम और दुसाध्य क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनके विद्युतीकरण के वास्ते भारी मात्रा में पूंजी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। बाकी बचे हुए गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा किए जाने हेतु राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करें और इसके लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार करें।

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 50,000 गांवों (जिनमें गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण किए जाने वाले सुदूर स्थित 10,000 गांव भी शामिल है) को विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अनुबन्ध-1

31-3-95 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकरण किए जाने वाले गाँवों की राज्य-वार संख्या

	राज्य	1.4.95 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गाँवो की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	1108
3.	असम	494
4.	बिहार	19764
5.	गोवा	*
6.	गुजरात	*
7.	हरियाणा	*
8.	हिमाचल प्रदेश	*
9.	जम्मू एवं काश्मीर	246
10.	कर्नाटक	*
11.	केरल	*
12.	मध्य प्रदेश	4114
13.	महाराष्ट्र	*
14.	मणिपुर	182
15.	मेघालय	2495

1	2	3
16.	मिजोरम	59
17.	नागालैण्ड	13
18.	उड़ीसा	13605 (ख)
19.	पंजाब	*
20.	राजस्थान	5047
21.	सिक्किम	*
22.	तमिलनाडु	*
23.	त्रिपुरा	1149
24.	उत्तर प्रदेश	27546 (क)
25.	पं. बंगाल	8908
	जोड़ राज्य	84750
	जोड़ संघ राज्य क्षेत्र	*
	जोड़ अखिल भारत	84750

* शत प्रतिशत विद्युतीकरण गाँव

(क) 1.4.95 की स्थिति के अनुसार

(ख) 1.3.95 की स्थिति के अनुसार

अनुबन्ध-2

वर्ष 1994-95 के लिए सिंचाई पम्पसेटों/राज्य नलकूपों तथा लिफ्ट सिंचाई हेतु ऊर्जा की आवश्यकता जैसाकि 14वें विद्युत सर्वेक्षण में प्रक्षेपित किया गया है।

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवश्यकता	
		पम्पसैटों/नलकूपों के लिए	लिफ्ट सिंचाई के लिए
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	7514.82	100.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3.	असम	62.20	0.00
4.	बिहार	2503.00	548.00
5.	गुजरात	7443.11	0.00
6.	हरियाणा	3765.00	297.00
7.	हिमाचल प्रदेश	45.00	0.00
8.	जम्मू एवं कश्मीर	168.00	148.00
9.	कर्नाटक	4792.68	84.20
10.	केरल	263.67	0.00
11.	मध्य प्रदेश	2555.81	0.00

1	2	3	4
12.	महाराष्ट्र	8688.09	190.47
13.	मणिपुर	6.20	0.00
14.	मेघालय	1.50	0.00
15.	मिजोरम	0.09	0.00
16.	नागालैण्ड	0.00	0.00
17.	उड़ीसा	400.00	0.00
18.	पंजाब	6583.00	0.00
19.	राजस्थान	4397.00	67.00
20.	सिक्किम	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	4384.45	0.00
22.	त्रिपुरा	24.22	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	9184.00	640.00
24.	पं. बंगाल	571.25	0.00
25.	दिल्ली	36.00	0.00
26.	गोवा	16.00	0.00
	संघ राज्य क्षेत्र		
27.	अण्डेमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.57	0.00
29.	दमन एवं दीव	1.27	0.00
30.	चण्डीगढ़	2.20	0.00
31.	पाण्डिचेरी	75.84	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
	जोड़	63485.00	2075.00

अनुबन्ध -3

वर्ष 1994-95 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण के लिए राज्यवार योजना आवंटन

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आरईसी	राज्य योजना	कुल जोड़
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	73.73	20.00	93.73
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.50	9.00	14.50
3.	असम	7.25	6.00	13.25
4.	बिहार	4.75	1.50	6.25
5.	दिल्ली	1.00	0.00	1.00
6.	गोवा	0.25	0.20	0.45
7.	गुजरात	43.82	17.00	60.82
8.	हरियाणा	14.16	19.00	33.16
9.	हिमाचल प्रदेश	6.00	3.00	9.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4.00	4.00	8.00
11.	कर्नाटक	15.00	51.46	66.46
12.	केरल	8.00	7.00	15.00
13.	मध्य प्रदेश	53.00	5.00	58.00
14.	महाराष्ट्र	62.54	100.00	162.54
15.	मणिपुर	10.40	0.45	10.85
16.	मेघालय	6.25	0.00	6.25
17.	मिजोरम	[illegible].70	0.00	7.70
18.	नागालैण्ड	1.50	0.00	1.50
19.	उड़ीसा	25.00	2.00	27.00
20.	पंजाब	14.00	20.00	34.00
21.	राजस्थान	64.93	41.00	105.93

1	2	3	4	5
22.	सिक्किम	1.00	2.00	3.00
23.	तमिलनाडु	52.82	4.50	57.32
24.	त्रिपुरा	11.25	2.00	13.25
25.	उत्तर प्रदेश	108.00	23.00	131.00
26.	प० बंगाल	21.00	4.00	25.00
27.	को-आपरेटिव/एमएमएच	32.00	0.00	32.00
	उप-जोड़:	654.85	342.11	996.96
	कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए अनुदान	5.00		5.00
	कुल जोड़ :	659.85		1001.96

श्री मनोरंजन भक्त : उपलब्ध जानकारी के अनुसार समूहवार लगभग पांच लाख गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। इनमें से 2,62,000 हरिजनों के गांवों का भी विद्युतीकरण किया गया है और 1,11,886 आदिवासी गांवों में से 77,000 आदिवासी गांवो का भी विद्युतीकरण किया गया है।

मेरा इस जानकारी के बारे से सम्बन्धित प्रश्न यह है कि यद्यपि सरकार ने यह घोषणा की है कि इतने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है, लेकिन एक बार यदि आप गांवों का दौरा करें तो पायेंगे कि अधिकांश गांवों का विद्युतीकरण उचित रूप से नहीं किया गया है।

अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्यों जब पूरे गांव का विद्युतीकरण हो जाता है तब उसे विद्युतीकृत घोषित किया जाता है अथवा एक विशेष गांव में केवल एक घर का विद्युतीकरण होने पर समस्त गांव के विद्युतीकरण की घोषणा कर दी जाती है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या भूमिका होती है क्योंकि राज्य बिजली बोर्ड विशेष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए जिम्मेवार होते हैं। अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण में केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका है। क्या वह वहां केवल राज्य बिजली बोर्डों को केवल धनराशि उपलब्ध कराती है अथवा वह उन पर निगरानी भी रखती है? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वास्तव में कोई कार्य किया जाता है अथवा नहीं?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेल : विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य सरकार का कार्यक्रम है और यह केवल राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ग्रामीण वित्त निगम कुछ सीमा तक तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता देता है।

जहाँ तक गांवों के विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, यदि वहां एक विद्युत लाइन होती है और यदि एक गांवों में किसी मकान को बिजली का पाइंट दिया जाता है तो उसको विद्युतीकरण हुआ माना जाता है।

श्री मनोरंजन भक्त : क्या पूरे गांव का विद्युतीकरण हुआ माना जाता है।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : जी, नहीं पूरे गांव का नहीं। परिभाषा यह है कि एक गांव को विद्युतीकरण की श्रेणी में जब रखना चाहिए जब बिजली का उपयोग उसके राजस्व क्षेत्र में चाहे किसी प्रयोजन के लिए हो, किया जाना आरम्भ हो जाये।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं।

माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि जिन गांवों में अभी बिजली नहीं लगी है वे दूर-दराज के क्षेत्र हैं, उनमें पहुंचना बहुत कठिन है और उनमें विद्युतीकरण करने पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता है। अपने उत्तर के अन्तिम पैरा में उन्होंने गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से 50,000 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है, जिनमें 10,000 गांव ऐसे हैं जो सुदूर स्थित हैं।

जहाँ तक गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रश्न है, केवल विकसित क्षेत्रों में वे कार्य कर सकते हैं। मेरा अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में निजी अनुभव यह रहा है कि जहां कहीं भी सौर ऊर्जा प्रणाली का प्रयोग किया गया है, पावर बैटरियों में रखी जाती है। एक बार बैटरी खराब होने पर इसे मरम्मत के लिए वहां से बंगलौर भेजा जाता है और फिर वह ठीक होकर बंगलौर से आती है। इस प्रक्रिया में तीन

महीने लग जाते हैं। इस अवधि में गांवों में बिजली उपलब्ध नहीं होती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस बारे में सामने आने वाले परिणामों-दुष्परिणामों का अध्ययन किया है। क्या इन दुर्गम क्षेत्रों में जहां कुछ भी उपलब्ध नहीं है और पूंजी निवेश भी भारी मात्रा में करना पड़ेगा, ऐसे स्थानों पर नियमित बिजली सप्लाई करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में एक और मुद्दा है। मैंने अनुबन्ध-तीन में देखा है कि केन्द्र शासित राज्यों के लिए इस वर्ष किसी धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने ऐसा कहा है। केवल राज्यों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। इसका क्या कारण है? केन्द्र शासित राज्यों के लिए अनुदान की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? मेरा पहला प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इतने अधिक प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिल पायेगा।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं एक वाक्य में अपना प्रश्न पूरा करता हूं। अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है। 10 और 12 वर्ष के श्रमिक कार्य कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें 'घ' वर्ग में 1200 पदों के सृजन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उन्होंने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

अध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि वह उत्तर कैसे देंगे।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : सौर 'फोटोवालटिक' कार्यक्रम एक नया कार्यक्रम है। हमने इस कार्यक्रम को प्रयोग के तौर पर अपनाया है। जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया कि जब यंत्र खराब हो जाता है तो अनेक समस्याएं और कठिनाइयां सामने आती हैं, उसकी मरम्मत आदि करानी पड़ती है। मेरे विचार से उचित प्रशिक्षण और समय के साथ तकनीक में विकास से, हमें इसके अच्छे परिणाम मिलने आरम्भ हो जायेंगे।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में आवंटन को अन्तिम रूप योजना आयोग द्वारा दिया जाता है। अतः मैं इस बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : क्या इन सब बातों को भी अन्तिम रूप योजना आयोग द्वारा दिया जाता है।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आजादी के 47 साल के बाद भी 85750 गांवों में बिजली नहीं पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, भारत की अगर कहीं पहचान है तो गांवों से है, भारत गांवों में निवास करता है। ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में सरकार की न तो नीति ठीक है, न नीयत ठीक है। जब भी यह मामला आता है तो राज्यों पर जिम्मेवारी डाल दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : संविधान में प्रावीजन है कि यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन किसको करना है, यह संविधान में लिखा हुआ है।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज जिन गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, उनकी क्या स्थिति है। हफ्ते-हफ्ते बिजली नहीं पहुंचती है, किसान परेशान रहता है, लोगों का जीवन दूभर हो गया है। अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। उसे घटाकर 20 हजार मेगावाट कर दिया है, इसका क्या कारण है? क्या इसका असर ग्रामीण विद्युतीकरण पर नहीं पड़ेगा, कृपया इसको स्पष्ट करें?

[अनुवाद]

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : बिजली समवर्ती सूची में है। अतः बिजली पैदा करने तथा इसका अन्तरण करने का दायित्व राज्यों का है।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं इस बारे में माननीय सदस्य का पक्ष लूंगा। जहां तक गांवों के विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, यह दायित्व राज्य सरकार का है। लेकिन जहां तक देश के लिए बिजली का उत्पादन किये जाने की बात है, केन्द्र की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात स्वीकार करती हूं। लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण 30,000 मेगावाट के लक्ष्य को घटाकर अब 20,000 मेगावाट करना पड़ा है। हम इससे काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का सम्बन्ध है, मेरे पास इस समय आंकड़े हैं। अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में 491 गांव हैं और उन सब का विद्युतीकरण कर दिया गया है। अतः इस वर्ष उनके लिए कोई धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : 20 हजार मेगावाट कर दिया है, ग्रामीण विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है, वह पूरा नहीं हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि उत्पादन कम करने वाले हैं, क्या इसका असर पड़ेगा?

श्री फूलचन्द वर्मा : वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? विश्व के अनेक देशों में कूड़ा-करकट से बिजली बनाई जाती है जो सस्ती और सुलभ होती है, क्या भारत सरकार भी इस पर विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : यह नान-कवेंशनल सोर्स है।

[अनुवाद]

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : यह भी एक नई तकनीक है और हम इसे देश में आरम्भ करने जा रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन करने में कूड़ा-कड़कट से बिजली उत्पादन करने की तुलना में कम लागत आती है। इसीलिए, कुछ समस्याएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम गैस पर आधारित बिजली उत्पादन करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : एक सदस्य ने यह कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। तब मंत्री महोदय ने यह कहा था कि उक्त विषय समवर्ती सूची में है। केन्द्र सरकार का एक निगम है जिसके माध्यम से वह राज्यों की सहायता कर सकती है। कुछ राज्यों, जैसे महाराष्ट्र ने पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है। उन्होंने 70 से 80 प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त किया है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक राज्य में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन मेरे राज्य में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जो कलकत्ता से जुड़ा है, मैने वहां गांवों का विद्युतीकरण होते नहीं देखा है। अत: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि ऐसे कौन से गांव है जिनमें विद्युतीकरण बिल्कुल नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय, इस मामले पर राज्य सरकार से चर्चा करेंगी और वह राज्य सरकार को उन क्षेत्रों का शीघ्र विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने को कहेंगे।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : जी, हां। अभी 82 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है। वे गांव उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। इन राज्यों को भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे गांवों का विद्युतीकरण करने सम्बन्धी अपने लाभकारी कार्यक्रम को बढ़ाने की इच्छुक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : आप इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं। आपकी और प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी बिजली पैदा होगी, उसमें से कितने प्रतिशत बिजली आप गांवों को देंगे? कई राज्यों ने घोषित किया है, गुजरात ने भी कहा है कि नई बिजली पैदा होगी तो हम 50 प्रतिशत गांवों को देंगे। इसके साथ-साथ नान-कवेंशनल बिजली में जितना खर्च आता है, चाहे फोटो-वालेटिक का हो या अन्य हो, प्राइवेट पार्टीज को गांवों में स्पेशल सब्सिडी देकर विशेषकर अंडमान और नार्थ-ईस्ट में देकर क्या उन लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे स्पेशल सब्सिडी के हिसाब से गांवों में इसकी सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध हो?

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : आपका सुझाव बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर हम जरूर अपना विचार लगायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री को सतर्क करना चाहता हूं कि यह आश्वासन है।

...(व्यवधान)...

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : लेकिन वित्तीय साधनों की कमी के कारण हमें अपना कार्यक्रम सीमित रखना होगा।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : देश में 25 राज्यों में से लगभग 14 राज्यों में गांवों में अभी तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है। अनुबन्ध- एक में, जो उत्तर, मंत्री महोदय ने दिया है उसमें अनुबन्ध -तीन से तुलना की गई है जिसमें राज्यवार आबंटन भी दिखाया गया है। इसमें यह बताया गया है कि इन राज्यों में आर.ई.सी. कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से क्या यह गांवों से आरम्भ होता है। यदि सब गांवों से नहीं। लेकिन राज्य ने आर.ई.सी कार्यक्रम पूरा कर लिया है और ऐसी सूची में दिखाया गया है लेकिन धनराशि का आबंटन उन राज्यों के बारे में दिखाया गया है जिनमें यह कार्यक्रम पहले ही पूरा कर लिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अनेक राज्यों में आर.ई.सी. योजना के लिए धनराशि के आबंटन के क्या मान-दण्ड निर्धारित किए गए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन अनेक गांवों के लिए धनराशि आबंटन के बारे में प्राथमिकता के आधार पर विचार कर रही है जिन गांवों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है- चाहे वह ऋण के माध्यम से हो अथवा केन्द्रीय बजट से।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि यदि एक पाइंट दे दिया जाता है, तो यह समझा जाता है कि गांव का विद्युतीकरण हो गया है। यह योजना आयोग का निर्णय है और गांवों का चयन आयोग द्वारा किया जाता है, विभाग द्वारा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को धनराशि के आबंटन के मापदण्ड क्या है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : धन्यवाद, महोदय।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : यह निर्णय योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : इसका उत्तर उचित रूप से नहीं दिया गया है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि कुल गांव जिनमें बिजली नहीं लगी है उनमें से 80 प्रतिशत गांव बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। बिजली न लगाये गए कुल गांवों में से 25 प्रतिशत बिहार में, 15 प्रतिशत उड़ीसा में, लगभग 35 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में और 10 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में हैं। मैंने आबंटन के मामले में स्पष्टतया असमानता नोट की है।

बिहार को 25 प्रतिशत गांवों में बिजली न लगने के लिए आबंटन का 0.6 प्रतिशत दिया गया है; उड़ीसा को देश के 15 प्रतिशत गांवों में बिजली न लगने के लिए आबंटन का केवल 2.7 प्रतिशत दिया गया है; इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को 35 प्रतिशत गांवों में बिजली न होने के लिए कुल आबंटन का 13 प्रतिशत दिया गया है और पश्चिम बंगाल को 10 प्रतिशत गांवों में बिजली न होने के लिए कुल आबंटन का 10 प्रतिशत दिया गया है। मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि योजना का मुख्य उद्देश्य एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र और यहां तक कि एक ही राज्य में एक जिले और दूसरे जिले में असमानता के स्तर को कम करना है। यह राष्ट्रीय योजना और विकासशील योजना का स्वीकृत उद्देश्य है।

अतः संसाधन, जो स्पष्टतया सीमित है, के आबंटन के मामले में एक समान नीति का अनुसरण करना चाहिए और वह यह कि जिन राज्यों में ऐसे गांवों की संख्या अधिक है जिनमें बिजली नहीं लगी है, उन्हें केन्द्र द्वारा आबंटित राशि का अधिक भाग मिलना चाहिए ताकि कुछ समय बाद समस्त देश में गांवों में विद्युतीकरण के मामले में व्याप्त असमानता के स्तर में कमी आये।

यह सच है कि राज्य अपनी भूमिका अदा करते हैं लेकिन जैसा कि आप के दिए गए आंकड़ों से देख सकते हैं कि दो तिहाई से अधिक संसाधनों का आबंटन केन्द्रीय सरकार के माध्यम से किया जाता है। केवल एक तिहाई ही राज्य अपने साधनों से करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में संकेत दें कि क्या वह आबंटन नीति का मूल्यांकन करने को तैयार है ताकि जिन राज्यों में विद्युतीकरण का कार्य कम हुआ है उन राज्यों को केन्द्र द्वारा प्राप्त धनराशि में कुछ अधिक धनराशि आबंटित की जा सके।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : धनराशि का आबंटन राज्यों की मांग के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारें अपनी योजना को अन्तिम रूप देती हैं और योजना आयोग से इस बारे में चर्चा करती हैं और धनराशि का आबंटन इस आधार पर किया जाता है। कुछ असमानताएं हो सकती हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जो इस कार्यक्रम को आरम्भ करने और इसे जारी करने में अधिक रुचि नहीं लेते। अतः आप आंकड़ों से देखेंगे कि प्रत्येक साल उनकी मांग घटती जाती है। यह भी हमारे साथ एक समस्या है। हम उनको सन्तुष्ट करने, उनके साथ बातचीत करने और समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान का प्रयास कर रहे हैं।

श्री ए. चार्ल्स : प्रश्न के उत्तर से ग्रामीणों अथवा राज्य के लोगों को हो रही बिजली की वास्तविक कठिनाई का बोध नहीं होता है। केरल में बिजली की भारी कमी है। कई महीनों तक वहां 'लोड शैडिंग' होती रही है। छोटे उद्योगों को बिजली नहीं मिल रही है। वाल्टेज भी बहुत कम है.....

अध्यक्ष महोदय : हम बिजली पैदा करने के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम गांवों के विद्युतीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री ए. चार्ल्स : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या बिजली की आवश्यकता के मूल्यांकन के बारे में अलग से कोई अध्ययन किया गया है और उत्तर है कोई अध्ययन नहीं किया गया है। यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण बात है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बिजली की आवश्यकताओं के मूल्यांकन के बारे में वास्तविक अध्ययन किया जायेगा। तकनीकी दृष्टि से एक गांव का विद्युतीकरण करने से अभिप्राय यह है कि उसके लिए एक पाइंट उपलब्ध करा दिया गया है। यह काफी नहीं है। वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और बिजली बोर्डों को समन्वित किया जाना चाहिए और बिजली की कमी को दूर करने के लिए एक सीमाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिजली की आवश्यकता का मूल्यांकन न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता का सम्बन्ध है हमने इस बारे में योजना आयोग से स्थिति की जांच की है......

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, हम यह बात स्वीकार नहीं करते।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदया। विद्युत मंत्रालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात का पता करे कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता है। हां, मंत्री महोदय उत्तर को पूर्ण करना चाहते हैं।

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : मैं वही कहना चाहता हूं जो मेरे सहयोगी ने कहा है। यह सच है कि सम्पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम संतोषजनक नहीं है। लेकिन यह बात समझनी चाहिए कि जहां तक हमारी भूमिका का सम्बन्ध है, यह बहुत मामूली है। हमें कुछ धनराशि का आबंटन किया गया है जिसे हम रियायती ब्याज दर पर ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्रीमान मंत्री जी।

श्री एन.के.पी. साल्वे : यदि आप अध्ययन के बारे में उत्तर चाहते हैं, तो हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सच है कि उपर्युक्त किसी भी ऊर्जा निकाय ने ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है, जिसमें विद्युत मंत्रालय भी शामिल हैं। यह मेरा निवेदन है .....(व्यवधान)

श्री ए. चार्ल्स : हम अध्ययन चाहते हैं ।

श्री एन. के. पी. साल्वे : यदि केरल में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली नहीं है तो यह स्पष्टता बिजली की कमी है। दक्षिण राज्यों को भी बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और सदन यह जानना चाहते हैं कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कितनी बिजली की आवश्यकता है।

श्री एन.के.पी. साल्वे : इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्यों?

श्री एन.के.पी. साल्वे : लेकिन ऐसा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, फॉरेस्ट कंजरवेशन ऐक्ट 1980 में संशोधन के बाद वन ग्रामों में राज्य सरकारें इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकती। आप जानते हैं कि वन ग्रामों में आदिवासी लोग रहते हैं और उन ग्रामों में वन विभाग ने जगह-जगह नदी-नालों पर स्टॉप डैम बना रखे है। पर बिजली न होने की वजह से सिंचाई नहीं हो पाती है और न उनके गांवों में उजाला हो पाता है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार फॉरेस्ट विलेजेज को इलेक्ट्रीफाइड करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में संशोधन करेंगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसमें कठिनाई है। यदि आप उत्तर देना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : मेरे विचार से सुझाव की क्रियान्विति में कोई कठिनाई नहीं है। हम इस बारे में कार्यवाही करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सरकार का बिजली पैदा करने और ग्रामीण विद्युतीकरण करने सम्बन्धी दृष्टिकोण चिन्ता का विषय है। जैसा कि आपने उचित ही कहा है कि यह देखने की राष्ट्रीय जिम्मेवारी योजना आयोग, भारत सरकार और राज्यों की मिलकर है कि ग्रामीण भारत को आवश्यकतानुसार बिजली उपलब्ध हो।

दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 48 वर्ष बाद भी अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बिजली-पम्प, ट्यूब वैल और लिफ्ट सिंचाई के लिए आवश्यक बिजली के बारे में केवल एक बार किए सर्वेक्षण के बारे में ऊर्जा विभाग ने केवल सरसरी तौर पर उल्लेख किया है। लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिजली की आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अब मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों में 50 से अधिक गांवों में विद्युतीकरण नहीं किया गया है - प्रश्न दूर-दराज अथवा दुर्गम क्षेत्रों का नहीं है - प्रश्न यह कि बड़े पैमाने पर सामान्य विद्युतीकरण नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय इस मामले को उच्चतम प्राथमिकता देंगे और राज्यों के मुख्य मंत्रियों और योजना आयोग के साथ बैठकर ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में एक समय-सीमा कार्यक्रम तैयार करेंगे?

श्री एन. के. पी. साल्वे : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है कि इस प्रकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। हम भरसक प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का अध्ययन किया जाये। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मेरे सहयोगी ने इस बारे में धनराशि की कमी होने का उल्लेख किया है। हमें जो भी धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होती है और जो हम ऋण लेते है उसे राज्यों को वितरित कर देते हैं। यदि राज्य हमें धनराशि वापिस नहीं करते हैं, तो धनराशि हमारे पास उपलब्ध नहीं होती। मैं राज्यों पर दोष डालने का प्रयास नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं सामने आने वाली मूल संस्थागत कठिनाइयों की ओर इशारा कर रहा हूं। योजना आयोग योजनाएं बनाते हैं और राज्य संघ समवर्ती सूची में शामिल मामलों में इसकी क्रियान्विति करते हैं। हमें निचले स्तर पर केवल निगरानी करने के अतिरिक्त और कुछ अधिक नहीं करना पड़ता। हम केवल वित्त पोषण कर रहे हैं। यह वास्तविकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : योजना आयोग विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर योजना तैयार करेगा।

श्री एन. के .पी. साल्वे : मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है कि यह पर्याप्त नहीं है। जब हम किसी विषय पर चर्चा कर रहे है, तो हमें उस विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

श्री एन. के. पी. साल्वे : यह जिस प्रणाली के अन्तर्गत हम कार्य कर रहे हैं, उसकी परिसीमाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। व्यक्ति विशेष की सीमाएं हो सकती हैं लेकिन प्रणाली की नहीं।

श्री एन. के. पी. साल्वे : मैं अब ऐसा उत्तर देना चाहता हूं जिससे आप संतुष्ट हों। हो सकता है प्रणाली संतोषजनक न हो। यदि पूर्ण प्रणाली में हमारी भूमिका स्पष्टतया वित्तीय उपलब्ध कराने की है ....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सही, यदि ऐसा था तो, ऐसा वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा सकता था।

श्री एन. के. पी. साल्वे : लेकिन हम इस प्रकार कार्य कर रहे हैं । मैं इस प्रकार की कार्य प्रणाली के अन्तर्गत कार्य कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानता हूं कि आप बहुत दबाव में है और धन के अभाव में काम कर रहे हैं। लेकिन यह प्रणाली नहीं है।

श्री डी. वेंकटेश्वर राव : उत्तर से यह पता लगता है कि अभी भी 80,000 से अधिक गांवों में बिजली नहीं लगाई गई है। यह सच है कि बिजली का उत्पादन कम है और बिजली उत्पादन के लिए धन का भी अभाव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बिजली का निजीकरण करना आरम्भ किया है। सरकार को विभिन्न राज्यों से 50,000 मेगावाट की मांग प्राप्त हुई है। सरकार को निजी कम्पनियों से इस बारे में ज्ञापन पत्र प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश से 30,000

मेगावाट, 50 से अधिक मेगावाट की मांग कर्नाटक से और शेष अन्य राज्यों से मांगें प्राप्त हुई हैं। सरकार ने यह शर्त रखी है कि इन ज्ञापन-समझौतों पर 18 फरवरी, 1995 से पहले हस्ताक्षर हो जाने चाहिए और इन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेज दिया जाने चाहिए। इन ज्ञापन-समझौते का क्या हुआ? इन परियोजनाओं को आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए निजी कम्पनियों के साथ ज्ञापन-समझौतों की अनुमति राज्य बिजली बोर्ड कब दे रहा है? क्या सरकार केवल इसी प्रक्रिया को अपना रही है? अथवा क्या ज्ञापन-समझौते पर 18 फरवरी, 1995 के बाद भी हस्ताक्षर करने की अनुमति देगी? .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। यदि माननीय मंत्री उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष जी, जितने हमारे देश में छोटे प्रोजेक्ट बनते हैं, वे या तो पहाड़ी क्षेत्रों में बनते हैं या ट्राइबल क्षेत्रों में बनते हैं क्योंकि वहां छोटे-छोटे स्ट्रीम होते हैं । दूसरे देशों में देखा गया है कि छोटे-छोटे मिनी पावर प्रोजैक्ट्स काफी बनाये जाते हैं, उसी तरह क्या हमारे देश में भी मिनी पावर प्रोजैक्ट्स बनाने के बारे में विचार किया गया है और क्या इस संबंध में कोई सर्वे कराया गया है। इन प्रोजैक्ट्स को बनाने के लिए यदि कोई प्राईवेट सैक्टर की पार्टी आगे आना चाहे, यदि छोटे प्रोजैक्ट्स 60-70 हजार रूपये या एक लाख रूपये में बन सकें और उसके लिए कोई प्राईवेट लोग आपको आवेदन दे, क्योंकि देश में विद्युत की जरूरत है, क्या ऐसे आवेदनों पर सरकार कोई निर्णय लेकर उन्हें ऐसे प्रोजैक्ट्स बनाने की अनुमति देगी? सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है?

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : छोटे-छोटे पावर प्रोजैक्ट बनाने के लिए, यदि वे 100 करोड़ रूपये से कम राशि के है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप ही करा सकती है।

[अनुवाद]

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : भारत में 50 लाख गांव हैं और 25 राज्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में गांव है। उन में रहने वाले आदिवासी और हरिजन हैं। मुझे पता लगा है कि पहले कुछ वर्षों में उन्हें कुछ राज सहायता मिलती थी। लेकिन अब बन्द कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है? बार बार नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं? आदिवासियों को अपने गांवों में सुविधाएं न देने के क्या कारण हैं? सरकार उनकी अभी भी मदद नहीं कर रही है। उनको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि इन आदिवासी गांवों को शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शामिल किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि समस्त भारत में, और विशेषरूप से उड़ीसा में कितने आदिवासी गांवों का विद्युतीकरण किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास जानकारी उपलब्ध है तो दे सकती हैं अथवा आप बाद में भेज भी सकती है।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : मेरे पास इस समय आदिवासी गांवों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में आपको जानकारी उपलब्ध कराऊंगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानबूझकर इस प्रश्न को अधिक समय दे रहा हूं क्योंकि हम विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं करेंगे। आप विश्वास रखें कि आपको समय मिलेगा यदि आपका प्रश्न तर्कसंगत होगा।

[अनुवाद]

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष जी, गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में मंत्री जी ने रिपोर्ट दी है कि लगभग चार लाख गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। बिहार एक बहुत पिछड़ा राज्य है जहां 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और कृषि के विकास के लिए विद्युत बहुत जरूरी है। वर्ष 1984-85 में हमारे राज्य में कांग्रेस पार्टी की हकूमत थी और केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उस समय से लेकर आज तक हमारे यहां गांवों में विद्युतीकरण का जितना काम हुआ परन्तु वायरिंग कहीं नहीं हो सकी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को जिस तरह हमारे गलत रिपोर्ट भेजी गई, बगैर विद्युतीकरण किए हुए, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह काम स्टेट गवर्नमेंट को देखना होता है, यहां से नहीं।

श्री लाल बाबू राय : आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न सीधा पूछें ।

[हिन्दी]

श्री लाल बाबू राय : स्टेट गवर्नमेंट से ठेका किया जाता है लेकिन जिस तरह काम होता, क्या माननीय मंत्री जी उन गांवों में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जांच कराते हुए, क्योंकि गरीब लोग अधिकतर गांवों में रहते हैं, गांवों के ठीक तरह से विद्युतीकरण की व्यवस्था करेंगे और इसके लिए क्या बिहार सरकार को एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है जितनी मांग है, उसके विरुद्ध वे पैसा दे रहे हैं। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

हमें समय नहीं बरबाद करना चाहिए।

श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : महाराष्ट्र में अधिकांश गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। लेकिन जब सरकार किसी गांव को विद्युतीकृत करती है तो 'वाडिसो' को इसमें शामिल नहीं किया जाता है । आधी से अधिक जनसंख्या 'वाडिसो' में रहती है और मैं ऐसे अनेक 'वाडिसो' का उदाहरण दे सकता हूं। एक गांव में दस से पन्द्रह 'वाडिसो' भी होते है। जब वह किसी गांव को विद्युतकृत घोषित करते हैं तो इसमें 'वाडिसो' को शामिल नहीं किया जाता है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह 'वाडिसो' को प्राथमिकता देगें और राज्य, सरकारों को यह मार्ग-दर्शन देगी कि इन 'वाडिसों' में भी बिजली कार्य पूरा करें।

दूसरे, उन्होंने 50,000 गांवों में से 10,000 दूर-दराज के गांवों को शामिल किया है जिनका आठवीं पंचवर्षीय योजना में विद्युतीकरण किया गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने गांवों में विद्युतीकरण नहीं किया जायेगा और क्या सरकार इन दूर-दराज के गांवों को कोई प्राथमिकता देगी और उनके लिए और धनराशि आबंटित करेगी?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके प्रश्न समझ में आ गया है?

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : यदि सदस्य अपना प्रश्न फिर से दोहराये तो मुझे समझने में मदद मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं?

श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : आपको पता है मैं क्या पूछ रहा हूं। फिर भी मैं अपना प्रश्न बहुत संक्षिप्त में दोहरा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं; मुझे समझ में नहीं आया। शायद ध्वनि प्रणाली में कुछ खराबी है।

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : वाडी ऐसी जगह है जहां गांवों से आने वाली अधिकांश जनसंख्या ठहरती है।

अध्यक्ष महोदय : आप इन 'वाडिसो' अर्थात 'हैमलेटो' में बिजली लगाने के लिए क्या कर रहे हैं?

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : उन्होंने यह घोषणा की है कि गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया है लेकिन 'वाडिसों' का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस क्षेत्र को प्राथमिकता दे रहे हैं और इसके लिए और अधिक धनराशि देंगे?

अध्यक्ष महोदय : गांव हैं और छोटे गांव (हैमलैट) हैं। छोटे गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। क्या आप छोटे गांव का विद्युतीकरण करने के लिए कुछ कर रहे हैं?

श्री उर्मिला सी. पटेल : अध्यक्ष महोदय लगभग 2,62,960 हरिजन बस्तियों-'हैलमेटों' का विद्युतीकरण किया गया है। यह निर्णय करना राज्य सरकार का काम है कि किस बस्ती का विद्युतीकरण करना है और किस बस्ती का नहीं।

श्री वी. धनंजय कुमार : उत्तर के भाग (अ) में मंत्री महोदय ने यह उल्लेख किया है :

"कि बाकी बचे हुए गांव, जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वे सदूर, दुर्गम और दुसाध्य क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनके विद्युतीकरण के वास्ते भारी मात्रा में पूंजी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। बाकी बचे हुए गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जाने हेतु राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करें और इसके लिए आवश्यक कार्य-योजना तैयार करें"।

एक बार जब राज्य सरकार कार्यवाही योजना तैयार करती है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सदन को यह आश्वासन देगी कि ......

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। यह योजना पर निर्भर करता है। आपको मैं उचित प्रश्न पूछने के लिए समय देता हूं।

श्री वी. धनंजय कुमार : मेरा प्रश्न यह है कि एक बार जब कार्यवाही योजना तैयार कर लेगी, तो क्या भारत सरकार राज्य सरकारों के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दे सकती।

श्री वी. धनंजय कुमार : यदि सरकार धनराशि का आबंटन नहीं कर सकती तो योजना तैयार करने का क्या औचित्य है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमें तर्क में नहीं पड़ना है।

[हिन्दी]

श्री मंजय लाल : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान गांवों का देश है और देश की उन्नति तभी हो सकती है जब गांवों में बिजली पहुंचे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में हजारों गांव ऐसे हैं जिनके मैं उदाहरण दे सकता हूं कि जहां से विद्युत की लाइन तो गुजरी है, लेकिन जहां का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, तो क्या मंत्री महोदया इसकी जांच करवाएंगी और ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बैठ जाइए। यह काम स्टेट गवर्नमेंट का है।

श्री भेरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि गांवों में बिजली पहुंचाना महंगा पड़ता है। इसीलिए वहां बिजली नहीं आती है, तो क्या जो अब बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो क्या निजी क्षेत्र में बिजली बनाने वालों पर इस प्रकार का दबाव डाला जाएगा कि वे गांवों में बिजली पहुंचाएं और . . .

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि प्राइवेट सैक्टर के लोगों पर गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए क्या दबाव डाला जाएगा। अब आप उसको लम्बा मत कीजिए।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से बिलकुल सहमत हूं। बिजली महंगी हो, मगर फिर भी गांव के लिए देनी चाहिए, लेकिन इसकी प्लानिंग स्टेट गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि अगर प्राइवेट प्रोजैक्ट्स आएंगे, तो इसके बारे में क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे।

श्री भेरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं ......

अध्यक्ष महोदय : नहीं। देखिए, आपको चांस दिया। उसका मिसयूज मत कीजिए। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव : आरईसी. राज्य सरकारों को उनके गांवों के मानकीकरण के अनुसार विद्युतीकरण के लिए धनराशि देती है। क्या विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गांवों के विद्युतीकरण के लिए निर्धारित धनराशि का विविधिकरण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप घटिया किस्म का विद्युतीकरण किया जा रहा है और किसानों को मानकीकृत कार्य न किए जाने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : हमें इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के जवाब में कहा गया है कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पैसा लगता है, इसलिए विद्युतीकरण के हिसाब से वे क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह जानते हैं कि पॉलिसी के तहत, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में गांव के बाहर सिर्फ एक खम्भा लगा दिया जाये तो उस गांव में विद्युतीकरण घोषित कर दिया जाता है। आप कहते हैं कि चार लाख गांव या उससे अधिक गांव होने के कारण अधिकतर लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं होती क्योंकि बिजली उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होती जबकि सिर्फ एक गांव के बाहर खम्भा लगने से गांव में विद्युतीकरण घोषित कर दिया जाता है। क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी है या नहीं? अगर है तो आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कह दिया है कि वह रेवन्यु एरिया में आता है।

[अनुवाद]

श्री एन. के. पी. साल्वे : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से श्री चन्द्रजीत यादव का प्रश्न ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता के बारे में मूल्यांकन करने के लिए किए गए पृथक सर्वेक्षण के संदर्भ में है। यह कार्य हमने आरम्भ नहीं किया है। लेकिन उत्तर के भाग (ख) और (ग) में हमने स्पष्टतया बताया है कि केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित राज्यों के पम्प सैटों, ट्यूबवैलों और उठाऊ सिंचाई योजना में खपत की जाने वाली बिजली के बारे में अनुमान लगाया है।

मैंने यह आश्वासन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता के बारे में सम्पूर्ण रूप से कोई पृथक सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है। अतः मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अन्य अनुमान उपलब्ध हैं .....(व्यवधान) मैंने जो सदन को आश्वासन दिया था उसे स्पष्ट कर रहा हूं। उत्तर यहां उपलब्ध है। जहां तक पम्प सैटों, ट्यूबवैलों और लिफ्ट सिंचाई स्कीम हेतु वर्ष 1994-95 तक खपत की जाने वाली बिजली की आवश्यकता है, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने इस बारे में एक अनुमान तैयार किया है। लेकिन सरकार ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली की सम्पूर्ण आवश्यकता के बारे में कोई पृथक सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है। इसी संदर्भ में मैंने कहा है कि हम इस कार्य को आरम्भ करने का प्रयास करेंगे। ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हम यह नहीं जान सकते हैं कि उनकी आवश्यकता क्या है?

श्री ए. चार्ल्स : जी, हां यही प्रश्न है .....(व्यवधान)

श्रीमती उर्मिला सी. पटेल : हम यह जोड़ सकते हैं कि चौदहवां बिजली ऊर्जा सर्वेक्षण का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और पन्द्रहवें बिजली ऊर्जा सर्वेक्षण का कार्य पर काम चल रहा है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड को फिर से चालू करना

*642 **श्री राम विलास पासवान** :

श्री वी. श्री निवास प्रसाद :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन को फिर से चालू करने की योजना तैयार करते समय पुरोहित समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विदेशी और स्वदेशी वित्तपोषी एजेन्सियों से वाणिज्यिक सहायता मांगने का है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन एककों को फिर से चालू होने के बाद इनसे छंटनी किए गए मजदूरों को पुनः काम पर रखा जायेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (च). एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च). विचारार्थ विषय के मुताबिक पुरोहित समिति को एफ.सी.आई. के संबंध में कोई सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं थी। उनसे मात्र यह अपेक्षा की गई थी कि क्या एच. एफ. सी. के दुर्गापुर, बरौनी, और नामरूप-। और नामरूप-।। एककों का समस्याग्रस्त उपस्करों के नवीकरण/प्रतिस्थापन पर कुछ निवेश करके प्रचालन किया जा सकता है। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त एककों के समस्याग्रस्त उपस्करों और दुर्बल क्षेत्रों की शिनाख्त किया था ताकि 263.18 करोड़ रू. के अनुमानित व्यय पर उपरोक्त एककों के प्रचालनों को जारी रखने के लिए आवश्यक अन्य उपचारी उपायों के साथ प्रतिस्थापन/मरम्मत/संशोधन किया जा सके।

पुरोहित समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा अन्य संबंधित कारणों को भी ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल में एच एफ सी के लिए पुनरूद्धार योजना बनाई है जिसमें इसके बरौनी, दुर्गापुर, नामरूप एककों को पुनरूद्धार के जरिए पुनर्वास तथा हल्दिया उर्वरक परियोजना को इस तथ्य के मद्दे नजर रखते हुए कि इस परियोजना का पुनरूद्धार व्यवहार्य नहीं है किसी और को देना सिद्धान्त रूप से परिकल्पित है। पुनरूद्धार योजना में पूंजीगत पुनर्संरचना और अन्य वित्तीय राहत के अलावा लगभग 464.93 करोड़ रू. का नया निवेश परिकल्पित है। इन एककों के पुनरूद्धार के लिए निधियों जिसमें, वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता के माध्यम से निधिकरण किया जाना शामिल है की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। चूंकि एच एफ सी और एफ सी आई; बी आई एफ आर द्वारा रूग्ण कम्पनियां घोषित कर दी गई थी, इसलिए उनके दीर्घावधिक भविष्य अथवा उनकी जनशक्तियों को युक्ति-युक्त बनाने के संबंध में कोई निर्णय बी आई एफ आर जो न्यायिक कल्प है के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कबूल किया है कि BIFR ने HFC और FCI को सिक यूनिट घोषित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हल्दिया का पुनर्द्धार नहीं हो सकता तथा बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप सिक यूनिट्स है उनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन दोनों कारखानों को बनाने में कितना पैसा लगा था, कितने उत्पादन का लक्ष्य था, कितना उत्पादन हो रहा है, कितने का घाटा हो रहा है तथा इस घाटे का क्या कारण है? पहले तो BIFR ने आपको कह दिया कि ये तीनों यूनिट्स सिक है और आपने अपने जवाब में कहा कि बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप खाद परियोजना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है तथा इसके लिए हमें 464.93 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी उसी जवाब में आपने यह भी कहा कि हल्दिया का पुनर्द्धार करने में कोई व्यावहारिकता नहीं है: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपके जो ये सारे के सारे यूनिट्स हैं, इनमें कितना पैसा लगा था, कितने का लक्ष्य था उसमें आपको कितने का घाटा हुआ तथा भविष्य में आप उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं? इसके साथ ही इम्पोर्ट के माध्यम से किसानों की जो उर्वरक की समस्या है, उसको क्या आप हल करना चाहते हैं या उसके लिए कोई नई यूनिट बनाना चाहते हैं तो इस नयी यूनिट के ऊपर कितना खर्चा लगेगा? एक तरफ सरकार की अपनी यूनिट बंद हो रही है और दूसरी तरफ आप बाहर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि लोगों को इसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए।

श्री राम लखन सिंह यादव : जहां तक घाटे का प्रश्न है, 1990-91 से 1994-95 तक एफ. सी. आई. में 2451.50 करोड़ और एच. एफ. सी. में 2635.91 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। हल्दिया पर अब तक कुल खर्च लगभग 750 करोड़ रुपये हुआ है। इन्होंने बहुत से प्रश्न पूछे हैं, क्या सबका जवाब देना है?

अध्यक्ष महोदय : यदि रैलेवैन्ट है तो देना पड़ेगा।

श्री राम लखन सिंह यादव : जहां तक उनके फिर से रिवाइवल का सवाल है, हमने देखा है कि पुरानी टैक्नोलौजी से बनी फैक्ट्रीज के कारण काफी घाटा होने लग गया है और अब उसकी लाइफ समाप्त हो गई है। इस संबंध में हमने विभाग के टैक्नीकल एडवाईज़र श्री भोमिक से एच. एफ. सी. के बारे में जांच करवाई थी। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्रीज डिटरिंग के बिना नहीं चलेगी। हम यह मानते हैं कि यदि पुराने कारखाने चल सके तो उनको चलाना चाहिए। यदि उनसे काम न चले और फाईनेंस मिल जाए तो हम अपने देश में ही नए कारखाने लगा सकेंगे। इसके अलावा और भी उपाय है। देश में खाद की जितनी डिमांड होगी, उसे हम पूरा करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होने देंगे, अब तक नहीं हुई है; आगे भी नहीं होगी। इसे देखते हुए हमने एच.एफ.सी. की दुर्गापुर, बरौनी, नामरूप-। और नामरूप-।। फैक्ट्रीज की पुनः श्री पुरोहित तथा अन्य अधिकारियों से जांच करवाई। जांच के बाद जो रिपोर्ट मिली, उसके अनुसार कुल मिलाकर 464 करोड़ रुपये पड़ेगा। इसकी छानबीन हो रही है। लेकिन इस बीच में हमने सोचा कि हमें कोई और उपाय करना चाहिए। उसके आधार पर हमने 109 करोड़ रुपये की स्कीम दोनों कम्पनीज़ के लिए बनाई। पहले हमें 69 करोड़ रुपये तो वैसे ही देने पड़ते थे, इसलिए केवल 40 करोड़ रुपये ही अतिरिक्त लगे। हमने देखा कि इतना रुपया खर्च करने से 90 हजार टन प्रति माह यूरिया का ही उत्पादन बढ़ जाएगा। इस आधार पर हमने उसे चालू किया। पांच महीने में हमने देखा कि जितनी उम्मीद थी, उससे ज्यादा का उत्पादन हुआ है। हमने इन यूनिटों से 5 लाख टन का उत्पादन कर लिया। हमने दूसरी स्कीम भी दी है जिसके आधार पर 2200 करोड़ रुपये लगाकर उसे चलाएंगे और उससे साल में लगभग 23 लाख टन यूरिया प्रति वर्ष मिलेगा। वह अभी ऐग्जामिनेशन में है और उसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सिद्धान्ततः मान भी लिया है। उसके लिए खर्चा कहा से आएगा, यह हम देख रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात यह है, मैंने पूछा था कि घाटे के कारण क्या है, जब तक आप कारणों

में नहीं जायेंगे, तब तक आपने कह दिया कि पुरानी मशीन है, यही यदि घाटे का कारण है तो आपको हमेशा घाटा लगता रहेगा और सवाल का जो जवाब आपने दिया है, पहले के मंत्री भी यही जवाब देते रहे हैं और भविष्य में भी देते रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने हल्दिया के सम्बन्ध में कहा है कि वह व्यावहारिक नहीं है, दूसरा आपने कहा है कि पुनरूद्धार के लिए 464.93 करोड़ रुपया लगेगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बीमार उद्योग है, इनको बचाने के लिए सरकार ने कब-कब, क्या-क्या प्रयास किए और BIFR के पास आपने केस कब भेजा? जो हल्दिया के मजदूर हैं, जिनके बारे में आपने कहा कि कोई व्यवहार नहीं है, वह कारखाना तो खत्म हो जायेगा तो उसके जो मजदूर हैं, जो रिट्रेंच होंगे या जो बेरोजगार होंगे, उनको रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है?

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है, उसको दोहरा दूं। आप दोनों को एक साथ मत मानिए, क्योंकि हल्दिया और गोरखपुर, दोनों हमारे कारखाने बिल्कुल बन्द है। हम दोनों के हिसाब जोड़ेंगे, तो कोई मजदूर निकाला नहीं गया है, हम हल्दिया में डेढ़ करोड़ से अधिक रुपया प्रतिमाह और गोरखपुर में सवा करोड़ से अधिक रुपया प्रतिमाह बिठाकर लोगों को दे रहे हैं। लेकिन आप यह कहते हैं कि हमने उसको गिव आप कर दिया है तो ऐसी बात नहीं है।

हमने छह फैक्टरियां चलाने की जो स्कीम बनाई है, उसमें मात्र हमारा 2200 करोड़ रुपया लगाने से काम चल जाता है, इसका मैंने हिसाब आपको दिया कि 23 लाख टन प्रतिवर्ष इससे हम पैदा कर लेंगे। अगर हम उसको नहीं चलायेंगे तो लगभग 1100 करोड़ रुपया एस्टैब्लिशमेंट पर हमको लोगों को बिठाकर देना पड़ेगा। तो मात्र 1100 करोड़ रुपये लगाने से अब भी हमारा काम चल जाएगा।

जहां तक हल्दिया का सवाल है, उसको भी मैंने अलग करके इसलिए दिया, चूंकि दोनों कारखाने बन्द पड़े हुए हैं, उनमें हमारा लगभग 2000 करोड़ रुपये से अधिक लगेगा। ऐसी हालत में उनको अन्य यूनिटों के साथ मिला देने से एक साथ इतना रुपया अभी जुटाना सम्भव नहीं था तो मैंने यह तय किया कि कम से कम हम 23 लाख टन प्रतिवर्ष पैदा करें और 10 साल तक हम एफोर्ड हो जाये। जो फैक्टरी बन्द पड़ी हुई थी, जिसमें 18 परसेण्ट उपलब्धि हुई थी, उसको हम 65 परसेण्ट उपलब्धि पर ले जा रहे हैं, इसमें हमको अच्छा मुनाफा हुआ, देश के हित में मालूम हुआ और सबसे अधिक किसानों के हित में मालूम हुआ, इसलिए हमने इसको अलग किया, जिसको ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने मान लिया है, आफिसर्स ग्रुप ने मान लिया है। अब उस पर हम कार्य कर रहे हैं। हल्दिया और इसको हमने छोड़ा नहीं है।

हल्दिया का एक विलग प्रश्न है, उसके लिए हम उपाय कर रहे हैं कि कौन से हम उपाय करें, क्योंकि टैक्नोलोजी बराबर बदलती है। मैं मानता हूं कि इस पर एक नहीं 13 देशों की टैक्नोलोजी लगी थी, क्योंकि उन दिनों हमारे पास इतना फोरन एक्सचेंज नहीं था तो जहां-जहां से मशीनरी लोगों ने दी, उस हालत में इसको लगाया गया। वह 13 तरह की टैक्नोलोजी एक फैक्टरी में लगी है; सब का सही ढंग से मिला जुलाकर जो काम होना चाहिए, वह नहीं हो सका और इसीलिए आज हम पुनः इस काम में लगे हुए हैं कि कौन से उपाय करें। फैक्टरी बन्द नहीं हो, यह हम चाहते हैं।

जहां तक वहां के मजदूरों का सवाल है, हमने आपसे कहा कि वह निकाले नहीं गये हैं, निकाले नहीं जायेंगे, उनको रुपया मिल रहा है।

गोरखपुर का जहां तक सवाल है, वह उससे आसान है। गोरखपुर में कारखाने को हमने बन्द नहीं किया था, इसमें एक माइनर एक्सीडेंट हो गया था, उसके चलते उस वक्त से फैक्टरी बन्द हुई। प्रदूषण के कारण भी इसको बन्द किया गया। इन दोनों पहलुओं को भी हम देख रहे हैं, देखकर यह चलने लायक है, इसलिए भी हम उपाय कर रहे हैं। हमने रिवाइवल की जो स्कीम दी है, उससे इन दोनों को अलग करके देखा जाय।

कुमारी ममता बनर्जी : हल्दिया में इलैक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों का कनेक्शन काट दिया गया है। ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अध्यक्ष महोदय मैंने तीन मुद्दों पर समझौते के बारे में प्रश्न पूछा है। बी.आई.एफ.आर. के बारे में गोस्वामी समिति नियुक्त की गई थी जिसने बताया था कि एक एकक को बन्द करने से पूर्व हमें विदेशी कम्पनियों और एकक में उपलब्ध मूलभूत ढांचे के बारे में पता लगाना पड़ता है। इन एककों में अनेक बातें पहले ही उपलब्ध हैं। विदेशी कम्पनियां नये एकक लगाने के स्थान पर बन्द एककों को आरम्भ करने को प्राथमिकता देंगी। अतः समिति ने सिफारिश की कि विदेशी कम्पनियों के बन्द एककों को आरम्भ करने में रुचि लेनी चाहिए।

दूसरे, अक्सर हम उद्योग स्थापित करने के लिए पुरानी मशीनें आयात करते हैं। यह वर्तमान ढांचा है। हल्दिया में यह मेल नहीं खाता है। क्या आप इन दो बातों के आधार पर बता सकते हैं - देश में ही अधिक उर्वरक का उत्पादन करने की कोशिश करते हुए - क्या यह समझदारी नहीं होगी कि वर्तमान ढांचे का पहले की भांति उपयोग करें, यहां तक कि यदि यह मेल भी नहीं खाता है। कम निवेश द्वारा एकक को पुनः चालू करने की कोशिश करें।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग बी.आई.एफ.आर. से सम्बन्धित है। इन सब एककों को बी.आइ.एफ.आर. को सौंपा गया है, जो एक अर्द्ध न्यायिक प्राधिकरण है जब बी.आई.एफ.आर. पंचाट देती है जिसमें सरकार से कुछ करने को कहा जाता है, सरकार उसके अर्द्ध-न्यायिक स्वरूप को भूल जाती है और इसकी समीक्षा का अनुरोध करती है। बी. आई.एफ.आर. द्वारा दिये गये पंचाट सरकार द्वारा अपनाये गए रुख पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि हल्दिया में प्रति यूनिट उत्पादित उर्वरक का मूल्य नये एकक में प्रति यूनिट उत्पादित मूल्य से कम होगा अथवा अधिक। दूसरे, अनुकूल उत्तर प्राप्त करने के बारे में सरकार की बी.आई.एफ.आर. में क्या स्थिति होगी?

श्री राम लखन सिंह यादव : मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा प्रश्न बहुत सरल है। यदि आप एक नया कारखाना आरम्भ करते हैं तो उर्वरक की प्रति यूनिट क्या लागत आती है। यदि आप हल्दिया को पुन: चालू करने का प्रयास करते हैं, तो, प्रति यूनिट उत्पादन लागत कम होगी अथवा अधिक?

श्री राम लखन सिंह यादव : प्रति यूनिट उत्पादन लागत नये कारखाने से पुराने कारखाने की तुलना में अधिक होगी। लेकिन सर्वप्रथम हमें यह निर्णय लेना है कि क्या हल्दिया लाभप्रद है अथवा नहीं अथवा क्या इसे चालू किया जायेगा अथवा नहीं ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, क्या उत्तर संतोषजनक है? वह कहते हैं हल्दिया में प्रतियूनिट उत्पादन लागत कम होगी।

श्री राम लखन सिंह यादव : न केवल हल्दिया में बल्कि किसी भी पुराने कारखाने में उर्वरक की प्रतियूनिट उत्पादन लागत नये कारखानों की तुलना में कम होगी। ...(**व्यवधान**) बशर्ते एकक चलने की स्थिति में हों।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपको इस बारे में जांच करनी चाहिए। यदि नये कारखानों में उत्पादन लागत पुराने कारखानों की तुलना में अधिक है तो नये कारखाने स्थापित करने का क्या औचित्य है?

श्री राम लखन सिंह यादव : क्योंकि पुराने कारखाने और अधिक पुराने होते जा रहे हैं और वे लाभप्रद नहीं रहे हैं ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में जांच करवाये। ....(**व्यवधान**) वास्तव में कारखाना स्थापित करने से उत्पादन लागत एक अलग बात है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, हल्दिया में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन है और ईस्टन रीजन में बरौनी दुर्गापुर में भी हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन है। दुर्गापुर और बरौनी के फर्टिलाइजर कारपोरेशन के रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया लेकिन हल्दिया के फर्टिलाइजर कारपोरेशन के बारे में डिसिजन नहीं लिया गया। वहां कर्मचारियों को वेतन तो मिलता है लेकिन वहां पीने के पानी और इलैक्ट्रिसिटी के कनैक्शन काट दिए गए। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि हल्दिया के हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के रिवाइवल के बारे में आपनें कुछ सोचा है या नहीं?

श्री राम लखन सिंह यादव : जहां तक वर्कर्स का सवाल है, उनको हमने नहीं हटाया है। अगर वहां पीने के पानी की कमी तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमें इस बारे में भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने माना है कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना कोर्ट के स्ट्रिक्चर के आदेश पर बंद हुआ था। इस बारे में कुछ लोग प्रधान मंत्री जी से भी मिले थे। इसकी जांच करने के लिए आपने एक कमेटी बिठायी थी। गोरखपुर के इस कारखाने की स्थिति ठीक है। क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गोरखपुर फर्टिलाइजर कारखाने पुन: खोला जाय? अगर यह खोलना सम्भव नहीं है तो क्या गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने को प्राइवेट सैक्टर के हाथों में सौंपिगे क्योंकि पुर्वांचल में यही एकमात्र बहुत बड़ा कारखाना है और कम लागत पर भी यह कारखाना चलाया जा सकता है।

श्री राम लखन सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला उद्देश्य यह है कि जो कारखाने अभी चल रहे हैं, उनमें इतनी चीजें उपलब्ध हों कि उनके द्वारा कारखानों को चला सकें।

अगर यह नहीं, तो हम चाहेंगे कि हमारे अपने देश में जो और कार्पोरेशन्स हैं, उनके पास यदि चला सकें ....

श्री राम नगीना मिश्र : गोरखपुर के बारे में बताइए।

श्री राम लखन सिंह यादव : गोरखपुर के बारे में मैंने बताया है कि मैंने अभी जांच नहीं करवाई है।जांच करवा रहा हूं। जांच करवाने के बाद मैंने पहले भी कहा कि सब उपाय होगा। अगर कोई आदमी हमसे पैसा नहीं मिले, तो आप हमारे मित्र हैं, आप

श्री राम नगीना मिश्र : हमारे से कहा मिलेंगे। आप हमसे वायदा किए थे कि गोरखपुर चलवायेंगे। हम आपसे मिले थे।

श्री राम लखन सिंह यादव : आप मिले थे और मेरी इच्छा है चलाने की। आपकी इच्छा है कि प्राइवेट चला सके, तो उनको भी लाइए, ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं । ....(**व्यवधान**)

श्री राम नगीना मिश्र : हम कैसे ला सकते हैं। इस बात को तो मंत्री जी वापिस ले। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा ...(व्यवधान)

श्री राम लखन सिंह यादव : महोदय, मैंने कहा कि हमारी इच्छा है इसको चलाने की। हमको पैसा मिले तो अभी चला दे और आज ही चला दें। नहीं मिलेगा तो कोई उपाय होना चाहिए और हम चलाना चाहते हैं । ...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, राष्ट्रीय कैमिकल्स फर्टिलाइजर मुम्बई के पिछले दो वर्षों से चेयरमैन एप्वाइन्ट क्यों नहीं किए गए हैं?

श्री राम लखन सिंह यादव : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है। यह पुरोहित कमेटी पर है और पुरोहित कमेटी की रिपोर्ट में राष्ट्रीय केमीकल्स के चेयरमैन का एप्वाइन्टमेंट नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को पुनः चालू करने संबंधी योजना

*643. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को फिर से चालू करने संबंधी योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इसके लिए वित्त पोषण की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड कब से सामान्य रूप से कार्य शुरू कर देगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ). जी, हां, बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के पुनर्स्थापन की योजना औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा इनकी 28 मार्च, 1995 को हुई सुनवाई में मंजूर की गई थी। बी आई एफ आर द्वारा योजना को औपचारिक मंजूरी 4 अप्रैल, 1995 को दी गई है। मंजूर की गई योजना के अनुसार पुनरुद्धार अवधि 1994-95 से प्रारम्भ होकर 10 वर्ष के लिए है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ अधिक उत्पादन, बिक्री, सरकार से नए सिरे से वित्तीय सहायता, आन्तरिक संसाधन का सृजन, फालतू जनशक्ति में कमी /मजदूरी और वेतन के संशोधन का आस्थगन/जनशक्ति की पुनः तैनाती के रूप में लागत में कमी के उपायों की परिकल्पना की गई है। 1995-96 के लिए उत्पादन के रूप में लागत में कमी के उपायों की परिकल्पना की गई हैं। 1995-96 के लिए उत्पादन तथा बिक्री के लक्ष्य क्रमशः 31.20 करोड़ रुपये 24.23 करोड़ रुपये के रखे गए हैं, जो पुनरुद्धार अवधि के अन्त तक अर्थात् 2003 से 2004 तक धीरे-धीरे 48 करोड़ रुपये का उत्पादन तथा 54 करोड़ रु० की बिक्री तक बढ़ा दिए जायेंगे। इस योजना में 1/4/94 से पूंजी पुनर्गठन की भी परिकल्पना की गई है जिसमें सरकार द्वारा दिए गए बकाया अवधिक ऋणों के एक भाग को कंपनी की इक्विटी में परिवर्तित करना, उक्त ऋणों के एक भाग को शून्य दर डिबेन्चर में परिवर्तन, 31/3/94 तक सरकार द्वारा दिए गए ऐसे आवधिक ऋणों पर बकाया ब्याज को बट्टे खाते डालना और समस्त दाण्डिक ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करना शामिल हैं कंपनी में 1995-96 से सुधार होने की उम्मीद है।

इस योजना की कुल लागत 28.49 करोड़ रुपये है। सरकार से दो वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात् 1994-95 और 1995-96 में जिस नई वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई उसकी राशि 8. 60 करोड़ रुपये है योजना की शेष लागत अधिशेष परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान करने, आन्तरिक संसाधन जुटा कर पूरा किए जाने का विचार है।

(ङ) बी सी पी एल चालू है। 1994-95 में कंपनी ने उत्पादन के रूप में 22.51 करोड़ रुपये तथा बिक्री के रूप में 20.37 करोड़ रु० का कारोबार किया। 1993-94 वर्ष की वास्तविक वृद्धि की तुलना में 1994-95 में उत्पादन में 25 प्रतिशत की तथा बिक्री में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण में इस्पात का उत्पादन

*644. श्री गुमान मल लोढा :

श्री नवल किशोर राय :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने विद्युत के प्रयोग में किफायत कर पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान इस्पात की उत्पादन लागत को कम करने का सफल प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोग के फलस्वरूप इस्पात की उत्पादन लागत को कितना कम किया जा सकता था;

(ग) ऐसे प्रयास करने पर कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) इसमें किए गए सुधारों को ब्यौरा क्या है तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के निर्माणाधीन ऐसे कितने उत्पादक एकक काम कर रहे हैं जिनमें दिसम्बर, 1994 तक ऐसे सुधार किए जा चुके हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग). जी, हां। 1993-94 के दौरान "सेल" 12 योजनाओं के माध्यम से बेहतर प्रचालनात्मक प्रक्रियाओं के साथ-साथ इलैट्रिकल ऊर्जा खपत में कमी करने में सफल रहा है। "सेल" के चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों में 1992-93 में प्राप्त स्थिति की तुलना में 1993-94 के दौरान विक्रेय इस्पात के संबंध में इलेक्ट्रिकल विशिष्ट ऊर्जा खपत में 1.7 प्रतिशत प्रति टन की कमी हुई। प्रति टन विक्रेय इस्पात के संबंध में विद्युत खपत 1993-94 के दौरान कम होकर 626 कि. वाट हो गई जबकि 1992-93 के दौरान यह 637 कि.वाट प्रति टन और 1991-92 के दौरान यह 647 कि. वाट प्रति टन थी। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा संरक्षण से विक्रेय के संबंध इस्पात में 15 रुपये प्रति टन की लागत में बचत हुई। इन योजनाओं पर कुल लगभग 292 लाख रुपये का व्यय हुआ।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1993–94 और 1994–95 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान इलेक्ट्रिकल विद्युत का संरक्षण करने के लिए कार्यान्वित योजना का ब्यौरा

क्रम संख्या	संयंत्र	योजना का नाम
I	1993–94	
1.	भिलाई इस्पात संयंत्र	पी.एम. को रोल टैबल के चार्जिंग साइड का स्व प्रचालन
2.	,,	ओ.एच.पी. क्षेत्र में इल्यूमिनेशन की मरम्मत
3.	,,	पी.पी.-II के ई. एस. पी. के लिए माइक्रो प्रोसेसर आधारित नियन्त्रक
4.	,,	एस. एम. एस.-II और पी.एम में एच.पी.एम. लैम्प का एच. पी. एस. वी. लैम्प में प्रतिस्थापन
5.	,,	बी.बी.एम.,आर.एस.पी., एम.एम. और एस.पी.-I में विद्यमान लैम्पों का एच.पी.एस. वी. लैम्पों में प्रतिस्थापन
6.	,,	पी.एम. फाउण्ड्री और पी.पी.-II में मौजूदा लैम्पों का एच.पी.एस.वी. लैम्पों में प्रतिस्थापन
7.	,,	इलैक्ट्रिकल ऊर्जा प्राचलनों की सही मानिटरिंग
8.	,,	पी.एम. की फील्ड मोटर का स्वतः प्रचालन
9.	बोकारो इस्पात संयंत्र	एस.एम.एस.-I के गैर स्टोरेज फैन के लिए स्टेटिक ए.सी. स्पीड रेगूलेशन
10.	,,	हाई बे.एच.पी.एम.वी. और 640 एच.पी.एस.वी लैम्पस सहित 300 जी. एल. एस. लैम्पस का संरक्षण
11.	,,	टयूबलाइट्स के लिए इलैक्ट्रानिक ब्लास्टर्स
12.	,,	स्ट्रीट लाइट्स का आटोमेटिक स्विच आफ
II	1994–95 (दिसम्बर, 1994–तक)	
1.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	कैपिसिटर बैंकस की स्थापना
2.	मिश्र इस्पात संयंत्र	ए.एस.पी. में डायनामिक रिएक्टिव पावर कम्पनसेशन।

[अनुवाद]

नेपाल द्वारा विद्युत आपूर्ति

*645. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार भारत को विद्युत आपूर्ति करने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विद्युत की मात्रा और आपूर्ति-दर सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पन-बिजली की दर उस दर से कम पड़ेगी जिस पर विदेशी कम्पनियों ने विद्युत देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) और (ख) जी, नहीं। नेपाल द्वारा भारत को विद्युत की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए कोई नया विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारत और नेपाल, सीमा पर स्थित कुछ केन्द्रों पर विद्युत का अदान-प्रदान कर रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

उर्वरक एकक

*646. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्री के. प्रधानी :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र बन्द पड़े अथवा आंशिक रूप से कार्यरत उर्वरक एककों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और ऐसे प्रत्येक संयंत्र में कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या देश में उर्वरकों की मांग और इसके उत्पादन के बीच के अन्तर को आयात से पाटा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों के आयात पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(घ) क्या उर्वरकों की उपलब्धता वर्ष की दोनों फसलों के लिए अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं; और

(छ) क्या रूग्ण उर्वरक एककों को फिर से चालू करने से देश उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखनसिंह यादव) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की दो रूग्ण कम्पनियां फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि0 (एच एफ सी) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) के विभिन्न एकक पुरानेपन, प्रौद्योगिक कमियों आदि के कारण अपनी पूरी क्षमता से प्रचालन नहीं कर रहे हैं। एच एफ सी की हल्दिया परियोजना के आरम्भण को आरम्भण के दौरान बारंबार उपस्कर खराबियों की वजह से 1986 में अस्थगित कर दिया गया। एफ सी आई को गोरखपुर एकक संयंत्र में एक दुर्घटना के कारण जून, 1990 से बन्द पड़ा है। 31-3-1995 के अनुसार एच एफ सी और एफ सी आई की एककवार स्थापित क्षमता और पूंजी निवेश (साम्य+योजना ऋण) नीचे दिए गए हैं :

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन

एकक	निवेश (रु0 करोड़)	स्थापित क्षमता (000 मी. टन)
नामरूप	412.34	350.00 (नाइट्रोजन)
दुर्गापुर	165.27	152.00 (नाइट्रोजन)
बरौनी	197.48	152.00 (नाइट्रोजन)
हल्दिया परियोजना	547.70	155.00 (नाइट्रोजन)
		79.00 (फास्फेट)

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया

एकक	निवेश (रु0 करोड़)	स्थापित क्षमता (000 मी. टन नाइट्रोजन)
सिन्दरी	361.81	152.00
गोरखपुर	66.44	131.00
रामागुण्डम	226.51	152.00
तालचर	245.04	152.00

(ख) और (ग). जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते में आयातित उवरकों के लागत भाड़ा मूल्य पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गयी है :

क्रमांक	वर्ष	सरकारी खाते में उर्वरकों के आयात पर व्यय विदेशी मुद्रा (रु0 करोड़ में)
1.	1992-93	2108.33
2.	1993-94	1163.75
3.	1994-95	1722.45

(घ) से (च). यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं कि नियंत्रित उर्वरक अर्थात् यूरिया की उपलब्धता की मांग के अनुरूप हो जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत किए गए आबंटनों में दर्शाया गया है। अनियंत्रित उर्वरकों की उपलब्धता बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है।

(छ) यूरिया की मांग और इसकी स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर के आकार को देखते हुए, ऐसा लगता है कि एच एफ सी और एफ सी आई के रूग्ण उर्वरक एककों के पुनरूद्धार से देश उर्वरक उत्पादन (नाइट्रोजन) में आत्मनिर्भर नहीं बन सकेगा। चूंकि स्वदेशी फास्फेटिक अयस्कों से मांग का केवल 5 प्रतिशत पूरा होता है अतः फास्फेटिक उर्वरकों की अधिकांश आवश्यकता को आयातों के जरिये चाहे तैयार उत्पाद के रूप में अथवा कच्चे माल के रूप में पूरा किया जाता है। चूंकि देश में पोटाश के ज्ञात और वाणिज्यिक भण्डार नहीं है अतः संपूर्ण आवश्यकता को मजबूरन आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना

*647 श्री श्रीकान्त जेना : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औषध नीति में किए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त प्राधिकरण की स्थापना के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग). सितंबर, 1994 में घोषित औषध नीति, 1986 में संशोधन में कीमत निर्धारण का कार्य करने के लिए राष्ट्रीय भेषज कीमत निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) नामक विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने का प्रावधान है। इस निकाय को कीमत नियंत्रण के अंतर्गत औषधों की सूची को अद्यतन बनाने का कार्य सौंपा जाएगा। यह निकाय नियंत्रण मुक्त औषधों और सूत्रयोगों की कीमतों को भी मानीटर करेगा और डी पी सी ओ के उपबंधों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगा। अतिशीघ्र एन पी पी ए स्थापित करने के लिए आवश्यक उपाय पहले ही शुरू कर दिए गए हैं ।

लम्बित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

*** 648 श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारी संख्या में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना में चालू तथा नए कार्यों के लिए 2460 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। सातवीं योजना की पद्धति पर विभिन्न वार्षिक योजनाओं में आबंटन की वृद्धि के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 4150 करोड़ रु० की परियोजनाओं की स्वीकृति का एक कार्यक्रम बनाया गया था। तथापि, संसाधनों के अभाव के कारण, योजना के प्रथम तीन वर्षों में 910 करोड़ रु० लागत की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा सकी।

(ग) इन परियोजनाओं की स्वीकृति निधियों के आबंटन पर निर्भर करती है। इस प्रकार, इन परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु समय-सीमा बता पाना कठिन है।

[हिन्दी]

भारत-मालदीव सहयोग

***649. श्री दत्ता मेघे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत और मालदीव किन-किन क्षेत्रों में परस्पर सहयोग कर रहे हैं;

(ख) भविष्य में ये दोनों देश और किन-किन क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करेंगे; और

(ग) भारत द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मालदीव को कितनी सहायता दी गई?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत और मालदीव स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, शिक्षा, व्यापार, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों के पुनरुद्धार, व्यावसायिक प्रशिक्षण और भाषायी अनुसंधान तथा तकनीकी सहायता के क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं।

(ख) सहयोग के और क्षेत्रों का पता भारत-मालदीव संयुक्त आयोग द्वारा लगाया जाएगा। सहयोग के क्षेत्र में एक विशिष्ट क्षेत्र जिसका पता लगाया गया है वह है गैर-परम्परागत ऊर्जा का क्षेत्र।

(ग)	1992-93	10.05 करोड़
	1993-94	18.46 करोड़
	1994-95	5.88 करोड़

नेहरू रोजगार योजना

***650. श्री राम टहल चौधरी :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या बैंकों ने नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिए सहयोग दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को बैंकों द्वारा इस योजना के लिए क्या योगदान दिया गया;

(ग) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा इस संबंध में वित्त मंत्रालय से की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख). नेहरू रोजगार योजना की लघु शहरी उद्यम स्कीम (समे) के तहत बैंकों की मार्फत सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या के गत तीन वर्ष के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। योजना कार्यान्वयन में बैंकों के बेहतर सहयोग से सुधार के लिए, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के समन्वयन में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) ऋण आवेदनों के काफी अरसे से लम्बित होने, अधिक संख्या में ऋण आवेदन रद्द किए जाने, ऋणों की मात्रा अत्यन्त कम होने, कुछेक बैंकों द्वारा ऋण आवेदन स्वीकार न किए जाने, लाभार्थियों की पहचान, ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी, शहरी लघु उद्यम योजना (एस यू एम ई) के तहत गरीबी रेखा के मापदण्ड में वृद्धि तथा "परिवार" शब्द की परिभाषा, निवास स्थान की शर्त से संबंधित मुद्दों जैसी व्यवहारिक

समस्याओं के हल के लिए नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम हेतु संस्थागत ऋण सहायता पर उच्चाधिकार समिति की बैठकों में चर्चाएं की जाती हैं, जिसमें वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। उच्चाधिकार समिति की पिछली बैठक 19 सितम्बर, 1994 को हुई थी।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी लघु उद्यम योजना के तहत ऋण आवेदनों के निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान बाबत सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को पुन: निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैंक प्रबन्धकों को शिक्षित करने तथा उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए सभी सम्बद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समुचित व्याख्यान सत्र शामिल करने के भी निर्देश जारी किए हैं ताकि उन्हें सभी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के समुचित परिदृश्य और असली जानकारी मिल सके। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति अथवा उसकी उप-समितियों की प्रत्येक बैठक में शहरी लघु उद्यम योजना के अन्तर्गत ऋण आवेदनों की बकाया स्थिति का जायजा लेने बाबत भी निर्देश जारी किए गये हैं। लाभार्थियों की समुचित पहचान हेतु कार्यदल गठित किए गए हैं जिनमें स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। शहरी लघु उद्यम योजना के कार्यान्वयन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलावा सहकारी बैंकों की भागीदारी के मामले पर भी वित्त मंत्रालय के साथ बात की गई है परन्तु वे इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। लाभार्थी के निवास स्थान सम्बन्धी प्रमाण के बारे में यह सहमति हुई कि समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा और पहचाने गए लाभार्थियों को राशन कार्ड बनवाने के लिए विवश नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पात्रता हेतु किसी स्थानीय शहरी निकाय में लगातार तीन वर्ष के निवास की शर्त को अनिवार्य न बनाने का प्रस्ताव था परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक इससे सहमत नहीं हुआ और वित्त मंत्रालय ने भी इसे रद्द कर दिया। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ऋण सीमाओं में बढ़ोत्तरी करने के लिए सहमत नहीं हैं।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) के तहत गत तीन वर्ष के दौरान बैंकों से सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	25523	18175	15510
2.	बिहार	3732	1987	एन आर
3.	गुजरात	4765	2630	1663
4.	हरियाणा	7435	800	2060
5.	कर्नाटक	14789	3345	14048
6.	केरल	4790	5202	3279
7.	मध्य प्रदेश	43787	32072	एन आर
8.	महाराष्ट्र	18839	11917	7435
9.	उड़ीसा	4946	1214	एन आर
10.	पंजाब	3985	3931	2670
11.	राजस्थान	5594	11749	9621
12.	तमिलनाडु	19182	24413	12665
13.	उत्तर प्रदेश	59101	24813	35852
14.	पश्चिम बंगाल	15169	4368	3042
15.	गोवा	-	440	-
16.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	40

1	2	3	4	5
17.	आसाम	1822	1299	13572
18.	हिमाचल प्रदेश	190	-	-
19.	जम्मू और कश्मीर	1695	31	-
20.	मणिपुर	395	2745	1651
21.	मेघालय	199	274	एन आर
22.	मिजोरम	-	-	700
23.	नागालैण्ड	-	-	-
24.	सिक्किम	182	16	एन आर
25.	त्रिपुरा	330	137	एन आर
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	177	1
27.	चंडीगढ़	178	-	21
28.	दादर और नगर हवेली	43	53	14
29.	दमन और द्वीप	-	-	-
30.	पांडिचेरी	226	160	705
31.	दिल्ली	1038	295	79
	योग	236855	152380	124628

नोट: एन आर - सूचना नहीं

[अनुवाद]

समुद्री खाद्य

*651. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उपलब्ध समुद्री खाद्य क्षमता की टनों में मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष अनुमानत: कितनी मात्रा में यह समुद्री खाद्य प्राप्त किया गया; और

(ग) इसकी प्राप्ति को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) अनुमान है कि देश में 3.9 मिलियन टन समुद्री मात्स्यिकी संसाधन उपलब्ध है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान समुद्री मछली का निम्नलिखित उत्पादन हुआ :

वर्ष	समुद्री मछली का उत्पादन (मिलियन टन में)
1991-92	2.46
1992-93	2.57
1993-94	2.68

(ग) उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदम

1. आयात, स्वदेशी निर्माण, संयुक्त उद्यम, लीजिंग तथा चार्टरिंग जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत जलयान आरम्भ करने के माध्यम से गहन समुद्री मत्स्यन बेड़े की वृद्धि।

2. भारतीय जल में मात्स्यिकी संसाधनों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण।

3. गहन समुद्री मत्स्यन प्रचालनों में कार्मिकों का प्रशिक्षण।

4. बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्यन हार्बरों का निर्माण।

5. गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की शुरुआत करने के लिए ब्याज की दर पर सब्सिडी।

6. मछली के प्रसंस्करण, परिरक्षण और विपणन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन।

7. गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा इस्तेमाल किए गए डीजल की लागत के एक अंश की प्रतिपूर्ति।

8. भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में विदेशी मत्स्यन जलयानों तथा तटवर्ती जल में भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों द्वारा मत्स्यन पर नियंत्रण।

9. पारम्परिक नौकाओं का आधुनिकीकरण।

10. प्लाईवुड क्राफ्ट की शुरुआत।

11. अपतट मध्यवर्ती आकार के प्लेजिक मत्स्यन नौकाओं की शुरुआत।

12. कृत्रिम रीफ तथा मेरी-कल्चर परियोजनाओं की स्थापना।

13. श्रिम्प के उत्पादन के लिए ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर का विकास।

[हिन्दी]

यूरिया का आयात

*652. डा. मुमताज अंसारी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश -वार किन-किन दरों पर यूरिया का आयात किया गया;

(ख) विभिन्न देशों से अलग-अलग दरों पर यूरिया खरीदने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन देशों से किन-किन शर्तों पर यूरिया का आयात किया गया?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया के आयातों को एम एम टी सी लि० के माध्यम से सारिणबद्ध कर दिया गया है संबंधित अवधि के दौरान आयातों के व्युत्पन्न/वास्तविक लागत भाड़ा मूल्य के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया के मूल्य समय-समय पर भिन्न-भिन्न होते हैं। एफ ओ बी संविदाओं में, आपूर्तिकर्त्ताओं के मूल्य की प्राप्ति भी भाड़ा तत्व के परिणामस्वरूप बदलती है।

(ग) यूरिया आयातों की प्रमुख शर्तें जैसा कि एम एम टी सी लि० द्वारा रिपोर्ट किया गया है निम्नानुसार है :-

I) एम एम टी सी को किए गए प्रत्येक प्रस्ताव के साथ अमेरिकी डालर प्रति टन की दर से बोली बांड लगाया जाना अपेक्षित है। तथापि, उत्पादकों/उत्पादकों के एकमात्र प्रतिनिधियों और मान्यता प्राप्त पारम्परिक आपूर्तिकर्ताओं को बोली बान्ड प्रस्तुत करने से छूट दी गई है

II) आपूर्तिकत्ताओं के वैध प्रस्ताव के लिए एम एम टी सी द्वारा आशय पत्र दिए जाने के 10 दिनों के भीतर संविदा मूल्य 2 प्रतिशत का निष्पादन गारंटी बांड प्रस्तुत करना आवश्यक है।

III) नये आपूर्तिकर्ताओं के मामले में प्रमुख बैंक अथवा मूल देश के चम्बर आफ कामर्स द्वारा विधिवत रूप से पृष्ठांकित भण्डार के प्रमाण को एम एम टी सी लि० द्वारा गैर-स्थानान्तरणीय और /अथवा विभाज्य साख पत्र के खोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

IV) कार्गो की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में अवतारण प्रचालन परिणामों को सामान्यतः अंतिम मान लिया जाता है।

विवरण

वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान आयातित यूरिया के व्युत्पन्न/वास्तविक लागत एवं भाड़ा मूल्य प्रति मीटरी टन अमरीकी डालर

क्रमांक	देश	1992-93		1993-94		1994-95	
		एफ ओ बी	लागत एवं भाड़ा	एफ ओ बी	लागत एवं भाड़ा	एफ ओ बी	लागत एवं भाड़ा
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सी आई एस	97.49	134.49	78.00	122.00	-	141.00
		127.50	164.50	91.00	135.00	-	143.50
		-	159.98	76.00	120.00	-	149.50

1	2	3	4	5	6	7	8
		-	164.99	81.00	125.00	-	158.00
		124.75	161.75	81.45	125.45	117.50	154.50
		118.60	155.60	82.00	126.00	-	165.75
		127.50	164.50	-	124.00	133.00	170.00
		128.77	165.77	-	128.00	116.50	153.50
		129.11	166.11	-	-	136.25	173.25
		-	-	-	-	122.75	160.75
		-	-	-	-	-	158.50
						130.75	158.75
						-	201.00
						-	201.50
						-	198.00
						-	202.50
2.	कतार	134.00	150.00	94.50	112.50	123.00	139.00
		148.00	164.00	114.50	132.50	228.50	244.50
3.	कुवैत	95.00	113.00	88.00	108.00	121.00	139.00
		138.75	156.75	92.50	112.50	-	205.00
		145.00	163.00	950.00	115.00	-	237.50
		148.00	166.00	97.00	117.00	199.50	217.50
				108.00	128.00	-	193.50
				109.00	129.00	-	200.50
				-	125.00	-	-
4.	स. अरब	134.00	151.00	93.50	112.50	123.00	140.00
		148.00	165.00	94.50	113.50	122.00	139.00
		-	-	104.00	123.00	121.00	138.00
		-	-	109.50	128.50	180.00	197.00
		-	-	107.00	125.00	199.50	216.50
		-	-	112.50	130.50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	लिबिया	82.50	116.50	74.95	117.95	119.25	160.25
		-	-	81.00	124.00	-	148.00
		-	-	-	-	-	149.00
		-	-	-	-	118.50	159.50
		-	-	-	-	120.75	161.75
		-	-	-	-	119.00	162.00
		-	-	-	-	205.00	248.00
6.	मैक्सिको	-	157.00	-	-	-	-
		-	157.5	-	-	-	-
7.	जर्मनी	128.00	170.00	-	-	-	-
8.	हालैण्ड	128.00	170.00	-	-	-	-
		130.11	172.11	-	-	-	-
9.	बंगलादेश	-	-	-	-	123.00	139.00
						-	139.00
						136.27	-
10.	इण्डोनेशिया	-	-	-	-	177.75	195.75
	-	-	-	-	-	191.50	
		-	-	-	-	-	207.50
11.	रोमानिया	-	-	-	-	180.00	219.00

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ के वाइस-प्रेजीडेन्ट की यात्रा

*653. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव:**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ (ई यू) के वाइस-प्रेजीडेंट ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के क्या उद्देश्य थे और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) भारत और यूरोपीय संघ के बीच किन-किन क्षेत्रों में परस्पर सहयोग किया जाएगा; और

(घ) इस यात्रा से भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों में और अधिक मजबूती लाने में कितनी सहायता मिली है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). यूरोपीय आयोग के वाइस-प्रेजीडेन्ट श्री मैनुअल मरशिन गोन्सालेज ने 27 से 29 मार्च 1995 के दौरान भारत की यात्रा की, उन्होंने विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्य राज्य मंत्री के साथ विचार विमर्श किया और उन्होंने राष्ट्रपति तथा लोक सभा के माननीय अध्यक्ष से भी भेंट की।

श्री गोन्सालेज की भारत यात्रा के दौरान विचार-विमर्श का मुख्य विषय भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने का था। श्री गोन्सालेज हमारे इस सुझाव पर विचार

करने के लिए सहमत हो गये कि भारतीय उत्पादों को यूरोपीय संघ की जी.एस.पी. स्कीम के अंतर्गत अधिक और प्राथमिकतापूर्ण पैठ का मौका दिया जाए और उन्होंने यह भी बताया कि यूरोपीय आयोग, यूरोपीय और भारतीय कम्पनियों के बीच संवर्धनात्मक गतिविधियों और सफल वार्ताओं का समर्थन करके भारत और यूरोपीय संघ के देशों के बीच व्यापारिक और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए कदम उठाएगा।

इस यात्रा के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के किसी नये क्षेत्र की पहचान नहीं की गई। सरकार दिसम्बर, 1993 में किए गए साझेदारी और विकास संबंधी भारत-यूरोपीय संघ सहयोग समझौते को क्रियान्वित करने के लिए यूरोपीय आयोग के साथ मिलकर कार्य करेगी।

यूरोपीय संघ, भारत का व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ा साझेदार है। श्री गोन्सालेज की यात्रा हमारे ज्ञान और रुचि को ज्यादा बेहतर ढंग से समझाने में और परस्पर लाभ के लिए वर्तमान संबंधों का भरपूर लाभ उठाते हुए भारत-यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक सबंधों को बढ़ाने में भी अधिक सहायक होगी।

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् का विस्तार

*654. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद के विस्तार संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे पर गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से जुड़े देशों के बीच विचारों के हुए आदान-प्रदान ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुटनिरपेक्ष आनदोलन की ओर से किसी शिष्टमंडल को इस मुद्दे को संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भेजने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) भारत ने "सुरक्षा परिषद् के सुधार के संबंध में गठित गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के कार्यदल" के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

(ख) गुट-निरपेक्ष आंदोलन के इस कार्यदल ने इस बात पर जोर देकर कहा है कि सुरक्षा परिषद् की सदस्यता में की जाने वाली किसी भी वृद्धि में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को शामिल नहीं किए जाने के प्रयास गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को स्वीकार्य नहीं होंगे। सुरक्षा परिषद् के सुधार और विस्तार दोनों ही की जिनमें निर्णय लेने की इसकी प्रक्रियाओं और क्रियाविधियों का लोकतन्त्रीकरण भी शामिल है, जांच समग्र कार्य के अभिन्न अंगों के रूप में की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के इस कार्यदल में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य राज्यों के वे प्रतिनिधि शामिल हैं जो न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में अपने-अपने मिशन में तैनात हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा द्वारा जनजातीय भूमि का अधिग्रहण

*655. श्री पीयूष तीरकी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या बिहार में बोकारो इस्पात लिमिटेड हेतु निर्माण तथा अन्य उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा हजारों एकड़ जन-जातीय भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिगृहीत भूमि का एक बड़ा भाग बोकारो इस्पात लिमिटेड द्वारा भारी संख्या में गैर-जनजातीय लोगों को उनके आवासीय/व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आबंटित किया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) जनजातीय लोगों को किन दरों पर भूमि के मूल्य का भुगतान किया गया तथा उन्हें दी गई कुल राशि का ब्यौरा क्या है तथा गैर-जनजातीय लोगो को दी गई जनजातीय भूमि के मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(च) जनजातीय लोगों को उनकी भूमि के बदले में दिए गए अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए बिहार सरकार ने 25974 एकड़ भूमि जिसमें जनजातीय लोगों की भूमि भी शामिल है, अधिग्रहित की थी।

(ग) और (घ). जी नहीं। अधिग्रहीत कुल भूमि में से केवल 130 एकड़ भूमि बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा आवासीय/वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए आबंटित की गई थी।

(ङ) भूमि अधिग्रहण की लागत के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा आज की स्थिति के अनुसार बिहार सरकार के पास 11.55 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई जा चुकी है। उन व्यक्तियों जिनकी भूमि अधिग्रहीन की गई थी, को भुगतान बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बिहार सरकार द्वारा किया गया था।

कारोबार और आवासीय उद्देश्यों के लिए आबंटित भूमि के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा दो लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम वसूल किया गया था। इसमें अधिग्रहण के बाद भूमि को विकसित करने की लागत भी शामिल है।

(च) जनजातीय लोगों को दिए गए अन्य लाभों का ब्यौरा निम्नानुसार है

(1) कुल 15282 विस्थापित व्यक्तियों जिन्हें रोजगार दिया गया था, में से 3026 जनजातीय व्यक्ति हैं ।

(2) सीनियर आपरेटिव ट्रेनीज (एस ओ टी) तथा जूनियर आपरेटिव ट्रेनिज (जे ओ टी) के पद के लिए आयु सीमा में 40 वर्ष तक तथा लिखित परीक्षा में 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

(3) 50 प्रतिशत वाणिज्यिक प्लाट/दुकान अनुसूचित जाति/जनजाति और विस्थापित व्यक्तियों, प्रत्येक के लिए 16.66 प्रतिशत की दर से, आबंटन के लिए आरक्षित है।

(4) जनजातीय व्यक्तियों को रियायती दरों पर सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भूमि का आबंटन।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं /विकास कार्य पूरे किए गए हैं :-

	योजनाएं	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए सुविधाएं
1.	स्कूल	21
2.	सड़कें	15
3.	हैण्ड पम्प	220
4.	खुले कुएं	16
5.	स्वास्थ्य केन्द्र	1
6.	पुस्तकालय	1
7.	धोबी घाट	3

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

***656. श्री विश्वेश्वर भगत :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की योजना है; और

(ख) पहले से स्थापित केन्द्रों की संख्या क्या है और वे किन-किन स्थानों पर स्थित है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख). 8वीं योजना के दौरान 250 खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता देने का प्रस्ताव है। योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान ऐसे 150 केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता दी गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से 47 केन्द्रों-बिहार में 8, उड़ीसा में 10, पश्चिम बंगाल में 8, उत्तर प्रदेश में 11, मिजोरम में 4, कर्नाटक में 2 तथा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में एक-एक केन्द्र ने काम करना शुरू कर दिया है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

***657. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस वर्ष गहरे समुद्र में मत्स्यन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों पर प्रतिबंध लगा देने से इस क्षेत्र में होने वाले विदेशी निवेश को गहरा धक्का लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या "डी सी फिशिंग" इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने यह सूचित किया कि इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप कोरिया, मैक्सिको इत्यादि देशों की कंपनियों के लगभग 58 मिलीयन डालर मूल्य के प्रस्ताव रोक लिए गए हैं; और

(ग) गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग के लिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा संयुक्त उद्यमों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए क्या ठोस उपाय करने का विचार किया गया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). 119.44 करोड़ रू0 मूल्य के कुल परियोजना लागत वाले 22 गहन समुद्री मत्स्यन प्रस्तावों को रोक लिया गया है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्त की गई आशंका कि गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रस्तावों से पारम्परिक मछुआरों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा, को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि नये आवेदनपत्रों पर कोई कार्रवाई न की जाए। सरकार ने गहन समुद्री मत्स्यन नीति की पुनरीक्षा करने का भी निर्णय लिया है तथा तदनुसार भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति गठित की गई है।

बंदरगाहों का विकास

***658. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी ने बंदरगाहों के विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों को, कम्पनीवार सौंपी जाने वाली इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) पत्तन विकास परियोजना में गैर सरकारी क्षेत्र की सहभागिता से पत्तन प्रयोक्ताओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संसाधनों और पत्तन क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

(ग) गैर सरकारी सहभागिता के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित महत्वपूर्ण पत्तन परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है और इनमें लगभग 2500 करोड़ रु0 का निवेश निहित है।

1. मै. चोकानी इन्टरनेशनल लि0 द्वारा मैं कैप्प शिपयार्ड, सिंगापुर के सहयोग से मद्रास पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।

2. मै. वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि. द्वारा मै. लिस्नेव, पूर्तगाल के सहयोग से मुरगांव पत्तन में एक स्कोरटिंग ड्राई डॉक और जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।

3. नव मंगलूर में मै. एम आर पी एल की रिफाइनरी के लिए क्रूड एवं पी ओ एल् का उत्पाद हैंडल करने के लिए पत्तन सुविधाओं का सृजन। इस परियोजना के वित्तपोषण की व्यवस्था एस सी आई सी आई के माध्यम से मैं. एम आर पी एल द्वारा की जा रही है।

4. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. एवं टिस्को द्वारा हल्दिया गोदी परिसर में पट्टे के आधार पर बर्थो का रख-रखाव और प्रचालन।

5. मै. जीपी कारपोरेशन लि., बैंकाक द्वारा बल्क एवं ब्रेक बल्क कार्गो हैंडल करने के लिए उपकरणों की आपूर्ति तथा कांडला पत्तन में पट्ट पर बर्थ सं. 6 का प्रचालन।

6. इन्दिरा गोदी परिसर, बम्बई पत्तन में अमेरिकन प्रैसीडेंट लाइंस द्वारा एक बर्थ का निजी प्रचालन।

7. मै. स्पीक द्वारा तूतीकोरिन पत्तन में एल पी जी के लिए भंडारण और प्रेषण सुविधाओं का सृजन।

8. मै. टीना आयल्स एण्ड कैमिकल्स लि., बम्बई द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन में यांत्रिक कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं आदि की स्थापना।

9. मै. इस्सार इन्वैस्टमैंट्स लि. द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन में एक लोह अयस्क पैलेटाइजेशन संयत्र की स्थापना।

10. मै. इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा कांडला पत्तन पर प्रशीतित एल पी जी हैंडल करने की सुविधाओं की स्थापना।

11. मै. रेल कैल्साइनिंग लि. द्वारा निस्तापित कोक के उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत निर्यातपरक इकाई की स्थापना।

12. मै. चोकोनी शिपयार्ड (बंगाल) लि. द्वारा कलकत्ता पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना ।

पेप्सी कम्पनी

*659. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सी कम्पनी देश में अपने आगमन से पूर्व किए गए अपने सभी वायदों को पूरा करने में विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पेप्सी कंपनी द्वारा किए गए वायदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पेप्सी द्वारा अभी तक पूरे नहीं किए गए वायदों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी नहीं। लेकिन आरोप लगाए गए थे कि मै. पेप्सी लिमि. ने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं किया है।

(ख) मै. पेप्सी फूड्स लिमि. को दी गई मंजूरी की मूल शर्तें संलग्न विवरण में दी गई हैं। इन शर्तों में जुलाई, 1993 में संशोधन किया गया था।

(ग) और (घ). आरोप लगाए गए थे कि मै. पेप्सी फूड्स लिमि. ने अपने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं किया है। निर्यात दायित्वों को पूरा करने के मामले पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है।

विवरण

अनुमोदन की मूल शर्तें –दिनांकः 28.9.89 का पत्र

(I) क) विदेशी इक्विटी : 39.88 प्रतिशत (उनतालीस दशमलव नवासी प्रतिशत) जो कि 3,59,00,00/-(तीन करोड़ उनसठ लाख मात्र) होगी।

ख) 3.25 करोड़ रु. (36.1 प्रतिशत) का निवेश आपके द्वारा किया जाएगा और शेष 2.16 करोड़ रु. (24 प्रतिशत) क निवेश मै. वोल्टास लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

(II) एकमुश्त भुगतान : 8,00,000/- अमरीकी डालर (आठ लाख अमरीकी डालर मात्र) जिसमें टैक्स का दायित्व भारतीय कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

(III) अनुबंध की अवधि : 10 (दस वर्ष)

(IV) अनुलग्नक की मद 2 लागू नहीं होगी।

(V) अनुलग्नक की मद 5 तो अपरिलिखित सीमा तक संशोधित कर दिया गया है।

(VI) किसी भी वर्ष साफ्ट ड्रिंक सांद्रण के निर्माण से होने वाला कारोबार उस वर्ष कंपनी के कुल कारोबार के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(VII) परियोजना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के दस वर्षों के दौरान अपने कुल कारोबार का 50 प्रतिशत निर्यात करेगी जिसमें 40 प्रतिशत का निर्यात कंपनी द्वारा स्वयं तैयार किए गए उत्पादों का और 10 प्रतिशत अन्यों द्वारा तैयार किए गए चयन सूची उत्पादों का होगा। उपर्युक्त 10 वर्षों की अवधि के दौरान देश में होने वाली विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाने वाली विदेशी मुद्रा से 5 गुना कम नहीं होनी चाहिए।

(VIII) कंपनी बेहतर किस्मों के विकास, अधिकतम उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास, बढ़िया किस्म के बीजों की मात्रा बढ़ाने, निगहन अनुसंधान आदि के लिए एक कृषि अनुसधान केन्द्र की स्थापना करेगी।

(IX) साफ्ट ड्रिंक सांद्रण का निर्माण करने के लिए संघटकों का आयात नहीं किया जाएगा और देश मे उपलब्ध बढ़ते माल का यथासंभव इस्तेमाल किया जाएगा। किसी ऐसे कच्चे माल और रसायन जो देश में उपलब्ध नहीं है का आयात समय-समय पर लागू आयात नीति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और कोई विशेष आयात रियायतें नहीं दी जायेंगी।

(X) घरेलू बिक्री मे विदेशी ब्रान्ड नाम का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(XI) निर्यात क्षमता और साफ्ट ड्रिंक में मिश्रण समेत परियोजना के वास्तविक निर्यात निष्पादन को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

नौवहन कंपनियों द्वारा आर्थिक कठिनाइयों का सामना

***660. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौवहन क्षेत्र को अपने कार्यों के विस्तार जहाजों की खरीद, आधारभूत सुविधाओं के आधुनिकीकरण तथा नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में नौवहन कंपनियों की कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय नौवहन कंपनियां अपनी विस्तार/विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि जुटाने में विफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय नौवहन कंपनियों के समक्ष आर्थिक कठिनाइयों तथा अन्य अवरोधों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ). नौवहन उद्योग को यह आशंका है कि निम्नलिखित कतिपय लाभों जो उन्हें अब तक प्राप्त हो रहे थे को वापस लेने/उनमें कटौती करने के कारण चालू वित्त वर्ष में उन्हें वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा ;

(I) आयकर अधिनियम की धारा 10(15)(IV) को संशोधित करके विदेशी व्यावसायिक ऋणों पर ब्याज भुगतान पर कर न देने की छूट को वापस लेना।

(II) आयकर अधिनियम की मौजूदा धारा 80 ए, 1.4.1991 से प्रारंभ हुए वर्ष से, अभी-अभी खरीदे गए जहाज और उसके प्रचालन पर कर योग्य आय के 30 प्रतिशत की छूट की कर नौवहन कम्पनियों को राहत प्रदान करती है। यह लाभ 1-4-95 से वापस ले लिया गया है।

(III) संशोधित ई सी बी के मार्ग निर्देशों के अनुसार 15 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक ऋण के लिए ऋण की औसत अवधि 7 वर्ष होगी। चूंकि 7 वर्ष की औसत अवधि प्राप्त करने के लिए ऋणों का परिशोधन किस्तों के आधार पर किया जाता है न कि एकमुश्त भुगतान (एक बारीय भुगतान) के आधार पर इसलिए ऋण अवधि 13 से 14 वर्ष के बीच होगी। ऐसे दीर्घकालीन ऋण आसानी से उपलब्ध नहीं हैं और ब्याज की दर एवं ऋण प्रतिज्ञापत्रों के संदर्भ में काफी महंगा हैं। इससे भारतीय नौवहन कम्पनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा तथा ऐसे ऋणों से खरीदे गए जहाज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आर्थिक रूप से अव्यावहारिक होंगे, क्योंकि भारतीय नौवहन कंपनियां अपना अतिरिक्त भार अपने ग्राहकों पर नहीं डाल सकती। इसके अतिरिक्त ऐसे ऋण का उपयोग पुराने जहाज खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि पुराने जहाज की शेष आयु ऋण की औसत अवधि से कम हो सकती है। इसलिए यह उद्योग चाहता है कि सरकार आर्थिक सहयोग संगठन और विकास ऋणों के लिए लागू ऐसे ऋण अवधि मानदण्ड अपनाए जहां ऋणो की अवधि अधिकतम 8 वर्ष हो।

(IV) आयकर अधिनियम की धारा 33 ए सी के लाभ जो अब तक नौवहन उद्योग को मिलते रहे थे, में कटौती करके 100 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ ने नौवहन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभावी रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए कुछेक प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु वित्त मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया है।

समुद्रीय अधिकारों की रक्षा

6558. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मार्च, 1995 के 'द हिन्दु' में "यू.एस. डिस्प्यूटस मेरिटाइम कमेम्स आफ इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर से आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) समुद्र में 12 नाटिकल मील तक फैले क्षेत्र में विदेशी युद्ध पोतों द्वारा प्रवेश से पूर्व अनुमति प्राप्त करने तथा मन्नार खाड़ी पर भारत के ऐतिहासिक दावे के संबंध में सरकार का भारत के समुद्रीय अधिकारों की रक्षा किए प्रकार करने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). जी हां। सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपी इस आशय की खबर की

और विलाया गया है जो भारत तथा चीन सहित कई देशों के समुद्री दावों को अमरीका की चुनौती है। भूभागीय समुद्र, महाद्वीपीय सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों के सम्बन्ध में 1976 में भारतीय अधिनियम में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भारत के भू-भागीय समुद्र और समुद्री कछार तथा अन्तर्निहित अवभूमि एवं ऐसे समुद्रों के आकाशी क्षेत्र पर भारत की सम्प्रभुता है और सदैव रही है, भूभागीय समुद्र की सीमा एक ऐसी रेखा है जिसका हर बिंदु समुचित आधार रेखा के निकटतम बिन्दु से बारह समुद्री मील की दूरी है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 4(2) में यह भी व्यवस्था मौजूद है कि विदेशी युद्ध पोत जिनमें पनडुब्बियां और पानी के अन्दर चलने वाले अन्य यान भी शामिल हैं, केन्द्र सरकार को पूर्ण नोटिस देने के बाद भूभागीय समुद्र में प्रवेश कर सकते हैं अथवा वहां से होकर जा सकते हैं ।

पेंशन संबंधी देयों का भुगतान

6559. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सेवानिवृत हो रहे अपने कर्मचारियों को पेंशन संबंधी देयों, सामान्य भविष्य निधि और अर्जित छुट्टी की नकद राशि आदि का समय पर भुगतान कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल होने वाले इस विलम्ब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उनके मंत्रालय में उक्त भुगतानों से संबंधित कितने मामले लम्बित हैं और ये मामले कब से लम्बित हैं तथा इन्हें और बिना किसी विलम्ब के निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुनंदन लाल भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) अधिकतर मामलों में सेवा-निवृत्ति देयताओं की अदायगी शीघ्रतापूर्वक कर दी जाती है। कुछ मामलों में कुछ सेवा-निवृत्ति देयताओं की अदायगी में थोड़ी-बहुत देरी होती है जिसका कारण अधिकारियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान किए गए भुगतानों से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्तियों का निपटारा न होना और उनकी सेवा पुस्तिकाओं में कमियों का होना है।

(ग) जिन मामलों में पेंशन भुगतान आदेश जारी किए जाने हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :-

(1)	छह महीने से अधिक	4
(2)	तीन महीने से अधिक	7
(3)	एक महीने से अधिक	12

मंत्रालय सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहता रहता है और कहता रहेगा कि सेवा-निवृत्ति-देयताओं के भुगतान में विलम्ब न हो।

[हिन्दी]

नेपाल के उपप्रधान मंत्री का दौरा

6560. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल के उपप्रधान मंत्री की हाल ही में हुई भारत यात्रा के दौरान किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ; और

(ख) नदी जल के बंटवारे तथा पनबिजली परियोजना से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). नेपाल के उप प्रधानमंत्री की 6-10 फरवरी, तक हाल की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों, भारतीय उप महाद्वीप में स्थिति तथा समान हित के अन्य मसलों पर व्यापक चर्चा हुई। ये चर्चा 10-14 अप्रैल, 1995 तक हुई नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारी स्वरूप की गई थी नेपाल के उप-प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जल संसाधन सहयोग पर हुई विचार-विमर्शों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जल संसाधनों के विषय पर भी बातचीत हुई। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष जल संसाधन सहयोग के संबंध में अपने-अपने प्रयास जारी करेंगे।

[अनुवाद]

परमाणु अप्रसार संधि

6561. **डा. वसंत पवार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु अप्रसार संधि में कोई संशोधन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सुझावों को विभिन्न देशों ने स्वीकार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ). सरकार बार-बार इस बात की मांग करती रही है कि एक ऐसी सार्वभौम अप्रसार व्यवस्था विकसित की जाए जो सार्वभौम, व्यापक तथा भेदभाव-रहित हो और संपूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य से जुड़ी हो। इस दृष्टिकोण को 1988 में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में नाभिकीय शस्त्र-मुक्त विश्व के लिए प्रस्तुत की गई कार्य योजना के रूप में रेखांकित किया गया था जिसमें यह मांग की गई थी कि अप्रसार संधि के स्थान पर एक ऐसी नई संधि के लिए बहुपक्षीय बातचीत शुरू की जाए जिसका उद्देश्य सभी नाभिकीय हथियारों को वर्ष 2010 तक समाप्त करना हो। तथापि सर्वसम्मति के अभाव में यह बातचीत सम्भव नहीं हो सकी।

मंत्रियों की यात्रा

6562. श्री सुशील चंद्र वर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दोनों विदेश राज्य मंत्रियों द्वारा किन-किन देशों की यात्राएं की गई; और

(ख) इनमें से किन-किन यात्राओं में इन मंत्रियों ने राष्ट्राध्यक्षों से भेंट की?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मंत्री का नाम	वित्तीय वर्ष	देश का नाम जहां की यात्रा की	क्या राज्याध्यक्ष से मुलाकात की
1	2	3	4
श्री एदुआर्दो फलेरो	1992-93	ब्राजील	नहीं
		सूरीनाम	हां
		ट्रिनिडाड एवं टोबागो	हां
		जमैका	नहीं
		बहरीन	हां
		ओमान	हां
		कतर	हां
		श्रीलंका	हां
		मालदीव	नहीं
		जोर्डन	हां
		सीरिया	हां
		इंडोनेशिया	नहीं
		जापान	नहीं
		ईरान	हां
		इथोपिया	हां
		कीनिया	नहीं
		सोमालिया	नहीं
		संयुक्त राज्य अमरीका	नहीं
		मलेशिया	नहीं
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	1992-93	कजाकिस्तान	हां
		किर्गिस्तान	हां
		उजबेकिस्तान	नहीं
		नेपाल	नहीं
		पोलैंड	नहीं
		स्लोवाक गणराज्य	नहीं
		चेक गणराज्य	हां
		हंगरी	नहीं
		इंडोनेशिया	नहीं
		बंगला देश	नहीं
	1992-94	तुर्की	हां
		संयुक्त अरब अमीरात	नहीं
		ओमान	हां
		चीन	हां
		बंगलादेश	नहीं
		अल्जीरिया	नहीं
		ट्यूनीसिया	नहीं
		मिस्र	हां
		इंडोनेशिया	नहीं
		उक्रेन	हां
		हंगरी	हां
		पाकिस्तान	नहीं
		ईरान	नहीं
		कुवैत	हां

1	2	3	4
		बहरीन	हां
		यमन	हां
		थाईलैंड	हां
	1994-95	कतर	हां
		बंगलादेश	नहीं
		मोरक्को	हां
		मिस्र	नहीं
		संयुक्त राज्य अमरीका	नहीं
		रूस	हां
		ईरान	हां
		सिंगापर	हां
		वियतनाम	हां
श्री सलमान खुर्शीद	1992-93	हांग कांग	नहीं
		फूर्नी	हां
		सिंगापुर	नहीं
		वियतनाम	नहीं
	1993-94	कज़ाकिस्तान	हां
		किर्गिस्तान	हां
		ताजिकिस्तान	हां
		ब्राजील	नहीं
		अर्जेन्टीना	नहीं
		चिली	नहीं
		वेनेजुएला	हां
		मेक्सिको	नहीं
		पेरू	हां
		क्यूबा	हां
		गयाना	हां
		मालद्वीप	हां
		स्विटजरलैंड	नहीं
		संयुक्त राज्य अमरीका	नहीं
		कोरिया गणराज्य	नहीं
		जाम्बिया	हां
		दक्षिण अफ्रीका	नहीं
		कीनिया	हां
		मोजाम्बिक	नहीं
		बोत्सवाना	नहीं
	1994-95	जोर्डन	हां
		मिस्र	नहीं
		यूनाइटेड किंगडम	नहीं
		स्पेन	हां
		आयरलैंड	नहीं
		यूनान	नहीं
		संयुक्त राज्य अमरीका	नहीं
		बल्गारिया	हां
		रूमानिया	हां

चण्डीगढ़ में भवन निर्माण

6563. श्री पवन कुमार बंसल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन/हाउसिंग बोर्ड द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रतिवर्ष कितने भवन/निम्न आय वर्ग के फ्लैट निर्मित किए गए; और

(ख) ऐसे भवनों/फ्लैटों का कुरसी क्षेत्र कितना है और वे कितनी कीमत पर दिए गए?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में उर्वरक संयंत्र

6564. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात में खनिजों का विकास

6565. **श्री एन.के. राठवा** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान अप्रैल, 1995 तक गुजरात में खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सड़क नीति

6566. **श्री एम जी रेड्डी** : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 फरवरी, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वर्ल्ड बैंक डिरेल्स नेशनल रोड पालिसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जीं हां।

(ख) और (ग). विश्व बैंक ने नीति दस्तावेज के मसौदे पर टिप्पणियां की हैं और यह सुझाव दिया है कि भारत जो प्रारंभ में स्पष्टरूप से उच्च प्राथमिकता वाले छोटे, पुलों, शहरी बाई पासों और एक्सप्रेसभागों से शुरूआत करनी चाहिए।

समुद्री सर्वेक्षण

6567. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) द्वारा अपने समुद्री भू-वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए विदेशी सहयोग की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन-किन देशों के साथ समुद्र के तल के (सीबेड) सर्वेक्षण के लिए समझौते किए हैं; और

(ग) विशिष्ट आर्थिक जोन (एक्सक्लूसिव इकानामिक जोन्स) के अंतर्गत उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जो खनिजों के दोहन के लिए विदेशी कम्पनियों के लिए खोले जा रहे हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) खनिजों के विदोहन के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ई. ई. जैड) के अन्दर कोई भी क्षेत्र किसी कम्पनी को नहीं दिया गया है।

सिक्किम के लिए इस्पात कोटा

6568. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम के लोगों के लिए इस्पात कोटा आबंटन में वृद्धि करने के संबंध में सिक्किम सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राज्य को इस्पात का कितना कोटा आवंटित किया गया है;

(घ) क्या यह कोटा केवल सरकार के प्रयोग के लिए है अथवा आम लोगों के प्रयोग हेतु है; और

(ङ) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य इस्पात का उत्पादन नहीं किया जाता और यह पिछड़ा क्षेत्र है, आम

लोगों के प्रयोग हेतु इस्पात के कोटा आबंटन में वृद्धि करने पर विचार करेंगे?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). लघु उद्योगों निगमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त लोहा और इस्पात राज्य के लघु उद्योग निगमों को इस्पात का आबंटन करता है। लघु उद्योग निगमों द्वारा दर्ज मांग और उनके द्वारा विगत समय में उठाए गए माल को ध्यान में रखते हुए 93-94 के दौरान विकास आयुक्त लोहा और इस्पात द्वारा सिक्किम लघु उद्योग निगम को इस्पात का आबंटन और सिक्किम लघु उद्योग निगम द्वारा उठाई गई मात्रा नीचे दी गई है :-

(टन)

	आबंटन	उठाई गई मात्रा
1993-94	1200	51

राज्य लघु उद्योग निगम ने 1994-95 के लिए विकास आयुक्त लोहा और इस्पात के कार्यालय के पास कोई मांग दर्ज नहीं कराई।

शीर्ष प्राधिकारियों के जरिए मांग एकत्र करके विकास आयुक्त लोहा और इस्पात उत्तर पूर्व क्षेत्र जिसमें सिक्किम भी शामिल है, के लिए सप्लाई योजना भी बनाता है। राज्य के सरकारी विभागों द्वारा उपयोग के लिए इस्पात सामग्रियों के आबंटन हेतु सिक्किम के शीर्ष प्राधिकारी से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई। तथापि विकास आयुक्त लोहा और इस्पात ने वर्ष 1993-94 के लिए सप्लाई योजना में सिक्किम के लिए 500 टन उल्लिखित की है। वर्ष 1994-95 के लिए सिक्किम के शीर्ष प्राधिकारी ने अपनी मांग शून्य समझी जाए का उल्लेख किया था।

(ङ) इस्पात की सामग्रियों की सप्लाई के लिए सिक्किम राज्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होने के कारण यदि राज्य सरकार से इस प्रकार की आवश्यकता प्राप्त होती है तो विकास आयुक्त आयुक्त लोहा और इस्पात जनता के उपयोग के लिए भी सिक्किम राज्य को इस्पात सामग्रियां आबंटित करने पर विचार कर सकता है।

तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग

6569. **श्री पी. कुमारासामी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई और 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) 1994-95 के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण/मरम्मत किए गए पुलों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस प्रयोजनार्थ 1995-96 में कितनी धनराशि आबंटित की गई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए तमिलनाडु राज्य को 1994-95 में 1702.86 लाख रु० की राशि आबंटित की गई है। 1994-95 में रा. रा.-7 पर 144/6 कि.मी. और 99/2 कि. मी. पर क्रमश: 21.05 लाख रु० और 23.13 लाख रु० की लागत से दो छोटे पुलों का निर्माण किया गया। 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के किए जाने वाले मूल कार्यों और मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए आबंटित की जाने वाली राशि के बारे में अभी से बता पाना संभव नहीं है।

पंजाब राष्ट्रीय उर्वरक तथा रसायन संयंत्र

6570. **प्रो. प्रेम धूमल :** क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया नांगल (पंजाब) स्थित सोडा एश तथा अमोनियक क्लोराइड उर्वरकों का निर्माण करने वाला पंजाब राष्ट्रीय उर्वरक तथा रसायन संयंत्र घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संयंत्र को आर्थिक रूप से अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लि० पंजाब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, पंजाब सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम, द्वारा संवर्धित कंपनी है।

इस्पात एककों में प्रदूषण नियंत्रण उपाय

6571. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों से प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात संयंत्र ने प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी 16-1-1991 को अधिसूचना सं० एस. ओ.-23(ई) और 12-2-1992 के जी एस आर -95(ई) के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों को प्रदूषण नियंत्रण उपाय करना अपेक्षित है।

(ख) जी, हां। स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अधीन सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 ने कार्यक्रम बनाए हैं और प्रदूषण नियंत्रण उपाय शुरू किए हैं।

(ग) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि0 अपने संयंत्रों और निजी खानों के लिए एक व्यापक प्रदूषण नियंत्रण कार्यवाई योजना के माध्यम से 1997 में समाप्त 8-10 वर्षों की समयावधि में केवल पर्यावरण प्रबंधन के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त जागरूकता लाने के लिए "सेल" ने काफी उपाय जैसे अपने कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वन दिवस, पर्यावरण माह मनाना, स्कूलों में पारिस्थितिकीय क्लब बनाना आदि किए हैं।

आर.आई.एन.एल. (वी.एस.पी.) ने कुल 460 करोड़ रुपये की लागत पर व्यापक प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए हैं।

सभी प्रदूषण संभावित क्षेत्रों जैसे वायु, जल, ध्वनि और ठोस अपशिष्ट प्रबोधन के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। विस्तृत वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आरम्भ किए गए हैं।

चीन द्वारा परमाणु परीक्षण

6572. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन ने इस वर्ष दूसरी परमाणु परीक्षण करने और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि न होने तक इस प्रकार के परीक्षण जारी रखने की अपनी इच्छा की घोषणा की पुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कराने की दिशा में सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन ने अभी हाल ही में 15.5.95 को नाभिकीय अस्त्र परीक्षण किया है।

(ख) से (घ). भारत ने निरन्तर एक सार्वभौम, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी) की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी नाभिकीय अस्त्र सम्पन्न राज्य तथा नाभिकीय अस्त्र रहित राज्य इस प्रकार की संधि सम्पन्न करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को नाभिकीय निरस्त्रीकरण तथा नाभिकीय अस्त्र मुक्त विश्व की स्थापना से संबंधित अपने प्रस्तावों का एक अभिन्न अंग मानता है। भारत ने दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐसी संधि का आहवान करते हुए एक सर्वसम्मति वाला संकल्प सहप्रायोजित किया। भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि से सम्बद्ध विचार-विमर्शों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है जो जनवरी, 1994 में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में शुरू की गई।

गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट जारी करना

6573. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मार्च, 1995 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "रूपीज 20,000 फॉर ए पासपोर्ट एण्ड ए डेड मेन्स् नेम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में अवैध रूप से बड़ी संख्या में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट प्रदान कर दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) देश में विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जाली पासपोर्ट जारी करने को रोकने और बांग्लादेश से ऐसे जाली पासपोर्ट के आधार पर आने वाले अवैध अप्रवासियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार धोखाधड़ी वाले प्रलेखों के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लगभग 700 मामलों की सरकार की विभिन्न जांच-एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं।

(घ) जांच-पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई है। तथापि प्रारम्भिक जांच से यह पता चला कि जाली सत्यापन प्रमाण-पत्र, जाली पुलिस रिपोर्टें, राशन कार्ड और स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्रों के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त किए गए हैं।

(ङ) सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों/पासपोर्ट कार्यालयों को इस बात का सुनिश्चय करने के अनुदेश दिए गए हैं कि अपेक्षित दस्तावेज पूरे हैं और जहां आवश्यक हो वहां पुलिस सत्यापन रिपोर्ट न मिलने पर पासपोर्ट जारी न किए जाएं। उन्हें आवेदन-पत्र प्राप्त करते समय जांच का सुनिश्चय करने के भी अनुदेश दिए गए हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय/पासपोर्ट कार्यालय समय-समय पर बैठकों के माध्यम सहित संबंधित केन्द्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ निकट सम्पर्क भी बनाए रखते हैं ताकि इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने का सुनिश्चय किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को इस्लामी देशों के संगठन का ज्ञापन

6574. श्री सुधीर सावंत :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्लामी देशों के संगठन (ओ.आई.सी.) ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को कश्मीर के संबंध में ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या प्रतिकारात्मक कदम उठाए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की ओ.आई.सी. तथा इसके प्रत्येक सदस्यों देशों के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर ओ.आई.सी. तथा इसके प्रत्येक सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) मोरक्को ने ओ.आई.सी. के अध्यक्ष की हैसियत से कश्मीर से संबंधित ओ.आई.सी. वक्तव्य की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 51वें अधिवेशन के अध्यक्ष को सम्प्रेषित किया था।

(ख) जेनेवा स्थित भारत के स्थायी प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार ने अपने उत्तर में इस बात पर खेद व्यक्त किया था कि ओ.आई.सी. ने जम्मू-कश्मीर का उल्लेख किया है जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है।

(ग) भारत के नजरिये को कारगर तरीके से रखने के परिणामतः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 51वें अधिवेशन में भारत के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्यवाही सफल नहीं हो सकी।

(घ) जी हां।

(ङ) ओ.आई.सी. के अधिकतर सदस्य राज्यों ने हमें यह सूचित किया है कि वे इस हक में हैं कि जम्मू-कश्मीर का मसला भारत तथा पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय आधार पर हल किया जाए।

जापान का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल

6575. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जापान के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का क्या उद्देश्य था और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या जापान विभिन्न क्षेत्रों में सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परमाणु हथियारों से संबंधित मामलों पर भी बातचीत हुई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। जापान का आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग से संबद्ध दूसरा उच्चस्तरीय सरकारी विकास सहायता (ओडीए) मिशन वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए 28.3.95 को भारत आया।

(ख) इस यात्रा का उद्देश्य भारत और जापान के बीच विशिष्ट रूप से सरकारी विकास सहायता के क्षेत्र में नीति संबंधी बातचीत आगे बढ़ाना है।

(ग) और (घ). जापान ने वर्ष 1994-95 के लिए भारत को 125.765 बिलियन की राशि विकास सहायता के रूप में देने का चयन दिया है। यह सहायता निम्नलिखित क्षेत्रों में परियोजनाओं में धन लगाने के लिए है :

विद्युत, उर्वरक, दूर-संचार, गैर-पाइपलाइन, पत्तन, सिंचाई, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शहरी विकास और कृषि।

(ङ) और (च). इस बातचीत के दौरान जापानी पक्ष ने 1992 के बाद से जापान की सरकारी विकास सहायता नीति के अनुसार कतिपय गैर-आर्थिक घटकों का जिक्र किया जैसे नाभिकीय अस्त्रों का अप्रसार और प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण प्रणालियां। जापान के प्रतिनिधिमंडल को अप्रसार और निरस्त्रीकरण के प्रति भारत की वचनबद्धता के बारे में जानकारी दी गई। यह बताया गया कि इन मसलों पर विदेश कार्यालय परामर्शों में नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है।

लिट्टे की गतिविधियां

6576. श्री सी.के.कुप्पुस्वामी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि लिट्टे (एल.टी.टी.ई.) ने द्वीप के जातीय संघर्ष का सेना की सहायता से समाधान करने पर श्रीलंका के राष्ट्रपति को दी गई अपनी चेतावनी में वस्तुतः राजीव गांधी की हत्या करने की बात स्वीकार की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में लिट्टे की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं /उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के बारे में लिट्टे के एक प्रवक्ता अंटोन बालासिंहम द्वारा दिए गए वक्तव्य के बारे में समाचार-पत्रों में छपी खबरें देखी हैं सरकार ने लिट्टे के नेताओं, जिनमें प्रभाकरन भी शामिल है, की गिरफ्तारी के संबंध में भारतीय कानून की अपेक्षाओं को पूरा करने के कार्यवाही की है। मद्रास स्थित नामित न्यायालय ने फरवरी, 1992 के दौरान प्रभाकरन के खिलाफ गिरफ्तारी वारन्ट और उद्घोषणाएं जारी की थीं। श्रीलंका सरकार के अनुमोदन से इन्हें श्रीलंका के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया था। विशेष जांच दल ने मई, 1992 में वी. प्रभाकरन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। भारत सरकार राजीव गांधी की हत्या से सम्बद्ध मामले के मुकदमे के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है जो इस समय मद्रास स्थित नामित न्यायालय में न्यायाधीन है। अप्रैल, 1994 में इन्टरपोल के माध्यम से "रेड कार्नर नोटिस" परिचालित किया गया था जिसमें प्रभाकरन की गिरफ्तारी का अनुरोध किया गया था।

(ग) केन्द्र सरकार ने मई, 1992 में लिट्टे को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था। मई, 1994 में एक और अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें लिट्टे पर लगे पूर्ववर्ती प्रतिबंध को और दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। केन्द्र और राज्य सरकारें, लिट्टे की किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि को रोकने के लिए समन्वित कार्यवाही कर रही हैं। राज्य सरकारों ने सशस्त्र चौकियों की स्थापना करके तथा गश्त की व्यवस्था करके समुद्र तट के साथ-साथ सुरक्षा प्रबन्धों को बढ़ा दिया है। इन उपायों के अलावा पाल्क खाड़ी में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर भारतीय क्षेत्र में नौसेना और तटरक्षकों द्वारा निरन्तर निगरानी नजर रखी जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की अंतिम तल का प्रयोग करने के लिए आवास समितियों को अनुमति

6577. श्री हरिन पाठक : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कतिपय सहकारी ग्रुप आवास समितियों के प्रथम और द्वितीय तल के आवंटियों को विभक्त अंतिम तल का उपयोग करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उन समितियों के क्या नाम हैं और इस तरह की अनुमति के पीछे क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य सहकारी ग्रुप आवास समितियों के आवंटियों को भी इसी प्रकार की सुविधाएं देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रथम और द्वितीय तल के आवंटियों को इसी तरह की सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). डी डी ए ने बताया है कि टैरेसों पर 3 फुट तक ऊंचाई के विभक्त स्थलों के प्रावधान वाले भवन नक्शों की अनुमति केवल गुजरावाला सहकारी आवास समिति के मामले में दी गई थी, जिसमें केवल तीन मंजिलें थीं। चूंकि उनका प्रस्ताव आपत्तिजनक नहीं था, इसलिए अनुमति दी गई थी।

(ग) और (घ). ऐसे टैरेस स्थलों (टैरेस स्पेसेज) के उपयोग बाबत, जिनसे व्यक्तिगत सदस्यों को असुविधा न हो और जो भवन उप-नियमों की दृष्टि से अन्यथा आपत्तिजनक न हो, समिति से प्राप्त प्रस्तावों की प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर जांच की जाती है।

(ङ) और (च). जी, नहीं। डी डी ए फ्लैटों में टैरेस केवल ऊपरी मंजिल के आवंटियों के लिए है। तथापि अन्य तलों के आवंटी अपनी पानी की टंकी तथा टी.वी. एन्टीना टैरेस पर रख सकते हैं।

बहरीन में भारतीय

6578. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहरीन में व्याप्त हिंसा तथा इसका वहां के भारतीयों पर पड़ने वाले संभावित परिणामों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले को बहरीन की सरकार के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर बहरीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रवासी समुदाय को धमकियां मिलने के कुछेक मामले हुए थे जिनमें अज्ञात स्रोतों से देश छोड़ देने की चेतावनी भी शामिल है। बहरीन में रह रहे अन्य प्रवासी समुदायों के सम्बन्ध में भी ऐसे मामलों की सूचना मिली थी।

(ग) और (घ). हमारे मिशन ने प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा और प्राधिकारियों ने पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया था तथा भारतीय समुदाय को उनकी हिफाजत के लिए उठाये गए कदमों से अवगत करा दिया गया है।

मकान मालिक कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन

6579. श्री राम निहोर राय : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा स्थल पर मकान मालिक कर्मचारी सरकारी क्वार्टर को आबंटन के अधिकारी होते हैं;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर; और

(ग) यदि नहीं, तो दिल्ली अथवा अन्य स्थानों पर ऐसे कर्मचारियों क्वार्टरों का आबंटन करने के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, जिन अधिकारियों के पास अपने मकान हैं, वे भी बारी आने पर सरकारी आवास के आबंटन हेतु पात्र हैं। तथापि, उनके मकानों की किराया आय के आधार पर इन्हें आबंटित सरकारी रिहायशी आवास के लिए भिन्न-भिन्न लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग). तैनाती स्थानों पर रहने वाले मकान मालिकों को इसलिए पात्र बनाया गया है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को ऐसी सुविधा से वंचित रखने से निजी मकानों के निर्माण को हतोत्साहन मिलेगा जो सरकार की आवास नीति के विरुद्ध है।

उर्वरक संयंत्र

6580. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नए गैस-आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरो) : (क) से (ग). जुलाई 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण को समाप्त कर दिया गया है। पर्यावरणात्मक मंजूरी के अध्यधीन, कोई भी उद्यमी भारत में कहीं भी उर्वरक संयंत्र स्थापित कर सकता है। तथापि, मेसर्स रिलायन्स असम पेट्रो के मिकल्स लि0 ने प्रति वर्ष 726,000 टन यूरिया के निर्माण के लिए 1100 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत पर असम में एक अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए गैस के आबंटन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से इस परियोजना के लिए भी आबंटित करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित दो संयंत्र, एक आंवला में और दूसरा शाहजहांपुर में, जिनमें से प्रत्येक हर वर्ष 7.26लाख मीटरी टन यूरिया का उत्पादन करेगा, पहले ही कार्यान्वयनाधीन है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में जासूसी की घटना

6581. **श्री शरद् यादव** :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में पता लगी जासूसी की घटना का मामला मालदीव सरकार के साथ उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) मालदीव की सरकार को यह बता दिया गया है कि इस मामले में आलिप्त मालदीव के दो राष्ट्रिकों ने कतिपय भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है और इस संबंध में मालदीव की सरकार से मांगी गई सूचना जांच-पड़ताल पूरी करने के लिए आवश्यक है। मालदीव की सरकार यह सूचना भेजने के लिए सहमत हो गई है ।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यदल :

6582. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यदल ऊर्जा के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों/निगमों के प्रवेश का विरोध कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). भारत सरकार की नई विद्युत नीति के सम्बन्ध में संसद सदस्यों को सम्बोधित अपने पत्र में विद्युत सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यदल ने विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश सहित निजी विद्युत नीति के सम्बन्ध में अनेक मुद्दे उठाए हैं । उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों के सम्बन्ध में उत्तर, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "निजी विद्युत विकास का विधिक एवं नीतिगत ढांचा - तथ्य और स्पष्टीकरण" प्रकाशन में दिए गए हैं, जोकि संसद सदस्यों सहित व्यापक तौर पर परिचालित किया गया है।

विदेशों में अस्पतालों का निर्माण

6583. **श्री पी.सी. थामस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मालदीव में इन्दिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल की स्थापना में कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) क्या सरकार ने अन्य देशों में भी ऐसे अस्पताल बनवाए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) सरकार ने मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल के निर्माण पर 38.69 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(ख) जी हां,

(ग) (I) नेपाल में वीर अस्पताल के नैदानिक तथा अन्य सुविधाओं से सम्पन्न ओ.पी.डी. ब्लाक का 9.61 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया गया। 64 करोड़ रुपये की लागत से बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान को भारत सरकार की सहायता के भाग के रूप में धरण, नेपाल में 350 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। भारत ने नेपाल को उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत करने, सुदृढ़ करने में भी मदद की है ।

(II) मारीशस में भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटैक) जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का निर्माण किया गया। 180 बिस्तर वाले इस अस्पताल को, जिसका निर्माण जून, 1987 में आरम्भ हुआ था और जनवरी, 1991 में पूरा हुआ, हमारे उप राष्ट्रपति को मारीशस की यात्रा के दौरान मार्च 1991 में मारीशस की सरकार को सौंप दिया गया। इसकी निर्माण लागत 35 मिलियन रुपये थी। 15 मिलियन रुपये की अतिरिक्त राशि अस्पताल के लिए साज-सामान पर खर्च की गई।

(III) सरकार ने अफगानिस्तान में 1972 में काबुल में इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान का निर्माण किया। 250 बिस्तर वाला यह अस्पताल अफगानिस्तान में सबसे बड़ा स्वास्थ्य केन्द्र है ।

(IV) 1986 में सहायता के दूसरे चरण के अन्तर्गत 100 बिस्तर वाले शल्य-चिकित्सा खण्ड का निर्माण किया गया तथा बाह्य रोगी विभाग ने कार्य करना आरम्भ किया। तथापि, फरवरी, 1993 में अफगानिस्तान के हालातों की वजह से यह कार्य रोकना पड़ा।

यूरिया का आयात

6584. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मेंगलूर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और पाइराइटीज, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड चालू खरीफ मौसम के दौरान किसानों के लिए अपेक्षित यूरिया का आयात नहीं कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार चालू खरीफ मौसम में देश की यूरिया की आवश्यकता पूरी करने को तैयार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). चालू खरीफ मौसम के दौरान आयातित यूरिया की आवत समय-सूची के अनुसार रही है। देश की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिए गए है जैसा कि खरीफ 1995 के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किए गए आबंटन दर्शाए गए हैं।

परमाणु अप्रसार संधि

6585. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा यह प्रचारित करने के लिए परमाणु अप्रसार संधि परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने में असफल रही है, कोई कदम उठाए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मंचवार किन-किन मंचों पर यह मुद्दा उठाया गया;

(ग) क्या परमाणु अप्रसार संधि का समर्थन करने वाले देशों के साथ इस मुद्दे को द्विपक्षीय स्तर पर विचार-विमर्श करने हेतु कोई कदम उठाए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (घ). भारत ने निरन्तर यह कहा है कि अप्रसार संधि अपने वर्तमान स्वरूप में बुनियादी तौर पर ही एक त्रुटिपूर्ण संधि है। यह भेदभावपूर्ण है तथा नाभिकीय हथियार वाले राज्यों के नाभिकीय शस्त्रागार को वैध मानकर नाभिकीय अस्त्र सम्पन्न तथा नाभिकीय अस्त्र रहित देशों के बीच स्थाई विभाजन करती है। यह क्षितिजीय-विस्तार को नियंत्रित करना चाहती है तथा उर्ध्वाधर विस्तार की समस्या को पूर्णतः अनदेखा करती है। यह सुज्ञात स्थिति अप्रसार संधि के न्यासी राज्यों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्शों में तथा निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित सम्मेलन एवं संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन जैसे संगत बहुपक्षीय मंचों में भी प्रस्तुत की गई है।

तमिलनाडु की उर्वरक आवश्यकता

6586. श्री वी. राज रवि वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार ने वर्तमान रबी मौसम के लिए कुल कितने उर्वरकों की मांग की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु की यूरिया आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इस समय मात्र यूरिया ही ऐसा उर्वरक है जो मूल्य, आबंटन और संचलन नियंत्रण के अन्तर्गत है।

रबी मौसम में अक्टूबर से मार्च की अवधि आती है। राज्य की मूल्यांकित मांग को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किया गया तमिलनाडु के लिए यूरिया का आबंटन 5.10 लाख टन था। मौसम के दौरान राज्य में यूरिया की संचित उपलब्धता 5.19 लाख टन थी। विनियंत्रित उर्वरकों की मांग और उपलब्धता बाजार शक्तियों द्वारा शासित होती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-नेपाल सीमा पर सड़क

6587. डा. परशुराम गंगवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर एक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर एक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तीन बीघा

6588. श्री राम कापसे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश की सरकार तीन बीघा के स्थानान्तरण से सम्बद्ध शर्तों को पूरा करने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तीन बीघा संबंधी समझौते को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गंगा बांध परियोजना

6589. श्री देवी बक्स सिंह :

डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गंगा बांध परियोजना में पानी छोड़ने के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के विकास के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा कितना-कितना है;

(ग) इसके निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस बांध का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना के अनुसार बांध की लागत 200 करोड़ रु0 है तथा भारत सरकार ने 100 करोड़ रु0 अर्थात् बांध की 50% लागत का ऋण देने की सहमति दी है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि प्रारम्भिक कार्य जैसे मॉडल की जांच मृदा जांच तथा नींव की विस्तृत जांच आदि कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। बांध के निर्माण के लिए टेंडर स्वीकृति की प्रक्रिया में है तथा मुख्य बांध के निर्माण का कार्य अभी शुरू किया जाना है।

(घ) राज्य सरकार ने बताया है कि परियोजना छः वर्षों में पूरी करने का कार्यक्रम है।

स्पंज लौह का उत्पादन

6590. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पंज लौह की उत्पादन लागत का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा स्पंज लौह के घरेलू उत्पादन की लागत में स्थिरता लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख). स्पंज लोहा निर्माण करने वाली इकाइयां प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र में हैं। स्पंज लोहे की उत्पादन लागत विभिन्न कारकों जैसे - स्थान स्थिति, प्रौद्योगिकी कच्चे माल की गुणवत्ता इत्यादि पर निर्भर करती है। उत्पादन लागत की सांख्यकी इकाइयों द्वारा सामान्यतः वाणिज्यिकी विचारधाराओं के कारण गुप्त रखी जाती है। तथापि, यह भी कहा जा सकता है कि औद्योगिक लागत और मूल्यन ब्यूरो ने यह संकेत दिया है कि भारतीय स्पंज लौह उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी है।

(ग) भारतीय स्पंज लौह उद्योग को रियायत प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार ने 1994-95 के बजट में लौह अयस्क पैलेटों पर

सीमा शुल्क 15% से घटाकर 10% और अकोककर कोयले पर 85% से घटाकर 35% करने की व्यवस्था की थी। 26-4-1994 से लौह अयस्क के पैलेटों पर सीमा शुल्क को पुनः घटाकर 5% कर दिया गया है।

अनुषंगी इस्पात एकक

6591. श्री गुमान मल लोढा :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में अनुषंगी इस्पात एकक रुग्ण हालत में है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान देश में चल रहे ऐसे एककों की संख्या कितनी थी और उनमें से कितने एकक रुग्ण हो चुके हैं तथा इस रुग्ण एककों की कुल कितनी वार्षिक उत्पादन क्षमता है;

(ग) क्या सरकार ने रुग्ण इन एककों को अर्थक्षम बनाने हेतु सुझाव देने के लिए लौह और इस्पात विकास बोर्ड के आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी, और

(घ) यदि हां, तो यह समिति कब गठित हो गई थी और इस समिति के सदस्यों के नाम क्या-क्या है और यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

इस्पात मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). गौण क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन करने वाली 182 विद्युत चाप भट्टी इकाइयों में से 95 इकाइयां 1994-95 के दौरान कार्यरत बनाई गयी थीं जबकि लगभग 36,000 टन क्षमता की एक इकाई को समय-समय पर यथा संशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस आई सी ए) की शर्तों के अनुसार 1994 और 1995 (अप्रैल तक) के दौरान औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई. एफ. आर.) द्वारा रुग्ण घोषित कर दिया गया।

(ग) और (घ). इन रुग्ण इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए सुझाव देने हेतु सरकार ने विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात की अध्यक्षता में कोई समिति गठित नहीं की है।

[अनुवाद]

एन्कलेवों का विनिमय

6592. श्री चित्त बसु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बंगला देश सरकार ने यह संकेत दिया है कि जब तक फरक्का जल विवाद का निपटारा नहीं होगा तब तक बंगलादेश एन्कलेवों के विनिमय के मुद्दे पर चर्चा नहीं करेगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) भारत और बंगलादेश के बीच एन्क्लेवों के विनियम हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के जलपाई गुडी और कूचबिहार जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों मे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) बंगलादेश की सरकार ने भारत सरकार को ऐसे किसी रुख का संकेत नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार एन्क्लेवों के आदान-प्रदान सहित 1974 के भारत-बंगलादेश भू-सीमा करार के प्रावधानों पूर्ण के कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्ध है। 1974 के करार से संबद्ध प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए केन्द्र तथा संबद्ध राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं।

(घ और (ङ). भारत-बंगलादेश सीमा पर स्थित जिलों की स्थिति की निरन्तर निगरानी की जाती है। सरकार किसी भी सम्भावित तनाव को दूर करने के लिए हमेशा सतर्क रहती है।

[हिन्दी]

वाहनों का पंजीकरण

6593. श्री पंकज चौधरी :

श्री जनार्दन मिश्र :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केवल परिवहन कैटेलिटिक युक्त वाहनों का ही पंजीकरण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी नहीं । सरकार की दिनांक 22.3.95 की अधिसूचना के अनुसार यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 1 अप्रैल, 1995 से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास शहरों में प्रथम बिक्री के समय पंजीकृत, पैट्रोल से चलने वाले चौपहिया वाहनों पर उत्कृष्ट धातु का बना कम से कम एक आक्सीकृत प्रकार का कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा हुआ होना चाहिए जो ओ ई एम प्रमाणन का होना चाहिए।

(ग) फिलहाल, कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाना पैट्रोल से चलने वाले केवल चौपहिया वाहनों के लिए अपेक्षित है।

विद्युत संयंत्र की खरीद

6594. डा. चिन्ता मोहन :

श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1995 के दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में "कम्पीटिटिवली बौट इक्विपमेंट्स केन रिड्यूस कोस्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) (क) जी, हां।

(ख) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से संबंधित नीति मूलत: विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए तैयार की गई है। अधिक पूंजी खपत वाले इस क्षेत्र में निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए महसूस किया गया था कि उपस्करों को प्राप्त करने के संबंध में निवेशकों को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिये, क्योंकि इससे वे उपस्करों के लिए आपूर्तिकर्ताओं के ऋण का पता लगाने मे सक्षम होंगे। बी.एच.ई.एल. नीजि क्षेत्र को विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं का ऋण प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बोली लगाने के लिए अथवा निजी निवेशकों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र है।

यूरिया का उत्पादन

6595. श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री शांताराम पोतदुखे :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष यूरिया का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान सरकारी क्षेत्र/गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में यूरिया के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया है;

(ग) क्या सरकार ने उनके साथ किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी उपक्रम वार ब्यौरा क्या है, और

(ङ) वर्ष 1995-96 के लिए यूरिया के उत्पादन और कुल मांग का अनुमानित ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	उत्पादन (लाख मी.टन)
1992-93	131.23
1993-94	131.48
1994-95	141.43

(ख) 1995-96 के दौरान यूरिया के लिए निर्धारित क्षेत्र-वार लक्ष्य नीचे दिया गया है :-

क्षेत्र	लक्ष्य (लाख मी. टन)
सार्वजनिक	54.23
सहकारी	32.98
निजी	66.58
योग :	153.79

(ग) और (घ). सरकार द्वारा केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन एफ एल), राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (आर. सी. एफ), मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० (एम एफ एल) और फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) यूरिया उत्पादित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जो सरकार के साथ 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।

(ङ) खरीफ 1995 मौसम के लिए यूरिया की अनुमानित मांग 87.67 लाख टन है। रबी 1995-96 के लिए यूरिया की मांग का अनुमान अभी कृषि मंत्रालय द्वारा लगाया जाना है। 1995-96 के लिए यूरिया का उत्पादन लक्ष्य 53.79 लाख टन निर्धारित किया गया है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

6596. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत पर आज तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं- 3, 8, 11, 12, 14, और 15

(ख) 650,90 लाख रु०

[अनुवाद]

कोलम्बिया के विदेश मंत्री की यात्रा

6597. **श्री रवि राय :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीनल ओवेसी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलबिया के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस यात्रा का उद्देश्य क्या था;

(ग) भारतीय नेताओं के साथ उनकी किन-किन विषयों पर बातचीत हुई और इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(घ) इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध कहां तक सुदृढ़ होंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) विदेश मंत्री के आमंत्रण पर कोलम्बिया के विदेश मंत्री ने 20 से 23 अप्रैल, 1995 तक भारत की यात्रा की ।

(ग) कोलम्बिया के विदेश मंत्री की यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्श करना था। कोलम्बिया में होने वाले भावी गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की तैयारी पर भी बातचीत हुई।

(घ) कोलम्बिया के विदेश मंत्री की इस यात्रा के परिणामस्वरूप भारत और कोलम्बिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धन हुआ। दोनों देशों ने सभी सम्भव क्षेत्रों में एक दूसरे के बीच पर्याप्त कार्यकलापों की संभावनाओं का पता लगाया है।

अमेरिका के हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव्ज में प्रस्ताव

6598. **श्री सी.पी. मुडला गिरियप्पा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी केरोलिना से डमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर चुने हुए एक प्रतिनिधि ने अमेरिका के हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव्ज में औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें अनेक धर्मों के अस्तित्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा सहिष्णुता के लिए उसकी प्रशंसा की गई है;

(ख) क्या प्रस्ताव में भारत को पूरे विश्व में धार्मिक सौहार्द के लिए अपनी प्रतिबद्धता के कारण पहचाने जाने की अभिलाषा व्यक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। अमरीका कांग्रेस सदस्य श्री चार्ली रोज ने 6 अप्रैल, 1995 को हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्ज में एक समवर्ती प्रस्ताव पेश किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) अमरीकी कांग्रेस के सदस्य श्री रोज के इस प्रस्ताव में हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्ज से मांग की गई थी कि वह संकल्प पारित करे कि भारत सरकार की इस बात के लिए सराहना की जानी चाहिए कि वह धार्मिक बहुवाद तथा सहिष्णुता के प्रति प्रतिबद्ध है; भारत सरकार के बारे में यह बात स्वीकार की जानी चाहिए कि वह धार्मिक उत्पीड़न के शिकार विस्थापित व्यक्तियों को आश्रय देने के लिए तैयार है; तथा अमरीका के लोग यह बात मानते हैं और उसकी सराहना करते हैं कि भारत ने विश्वभर में धार्मिक समरसता की स्थापना के संबंध में पर्याप्त योगदान किया है।

ढलवां लोहा संयंत्र

6599. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ बड़े ढलवां लोहा संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्षमता और उनमें रोजगार पैदा करने की संभावना का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). कच्चा लोहा संयंत्र स्थापित करने में विगत समय में काफी उद्यमियों ने रुचि ली है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इनमें से लगभग 11 लाख टन वार्षिक क्षमता 1994 के अन्त तक चालू की जा चुकी है और लगभग 17 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। ये इकाइयां मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में हैं। रोजगार सृजन सम्भावना विभिन्न इकाइयों के आकार, अपनाई गई प्रौद्योगिकी और स्वचलन के स्तर पर निर्भर करेगी ।

पश्चिम बंगाल में ''हाइडल पम्पड स्टोरेज '' विद्युत परियोजना

6600. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुरूलिया जिले में अयध्या पहाड़ी में किसतो बाजार नाला उपरि ''हाइडल पम्पड स्टोरेज'' विद्युत परियोजना को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). पुरुलिया पम्पड स्टोरेज स्कीम (4x225=900 में वा) के लिए 1456.56 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर योजना आयोग का अनुमोदन फरवरी, 1994 में प्राप्त हो गया था।

[हिन्दी]

लौह अयस्क भण्डार

6601. **श्री मंजय लाल :**

श्री सुल्तान सलउद्दीन ओवेसी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौक अयस्क भण्डार का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर इस्पात मिले स्थापित करके इसका उत्पादन शुरू किया गया है; और

(घ) देश में लौह अयस्क उद्योग की संभावनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु क्या-क्या कार्यक्रम तैयार कए गए है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज मालसूची भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्य सरकारों के खनन और भू-वैज्ञानिक विभागों और अन्य संबंधित अभिकरणों द्वारा किए गए अनुसंधान और सर्वेक्षणों के आधार पर भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) नागपुर द्वारा अद्यतन की जाती है। भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा तैयार की गई नवीनतम खनिज माल सूची के अनुसार देश में हेमाटाइट और मेग्नाटाइट लौह अयस्कों का दिनांक 1-4-90 की स्थिति के अनुसार प्राप्य भंडार क्रमश: 96020 लाख टन और 31430 लाख टन रहा।

दिनांक 1-4-90 की स्थिति के अनुसार हेमाटाइट और मेग्नाटाइट अयस्कों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान लौह अयस्क को आधारभूत कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले किसी नए इस्पात संयंत्र में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।

(घ) घरेलू और निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लोहे और इस्पात के बढ़े हुए घरेलू उत्पादन के परिणामस्वरूप लौह अयस्क की मांग बढ़ जाएगी।

देश में लौह अयस्क के उत्पादन को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) सिर्फ सरकार क्षेत्र द्वारा खनन हेतु आरक्षित खनिजों की सूची में से लौह अयस्क के खनन को निकाल दिया गया है।

(2) लौह अयस्क सहित खनिज क्षेत्र में विदेश निवेश सहित, निवेश को बढ़ावा देने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए खनन कानून में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं।

विवरण

1-4-90 की स्थिति के अनुसार राज्य वार प्राप्य लौह अयस्क (हेमाटाइट और मैग्नेटाइट) के भण्डार ।

(दस लाख टन)

राज्य	प्रमाणित	सम्भाव्य	सम्भवित	कुल
1	2	3	4	5
हेमाटाइट				
आन्ध्र प्रदेश	3	6	38	47
बिहार	1,387	1,229	351	2,967
गोवा	363	200	199	762
कर्नाटक	511	253	165	929
मध्य प्रदेश	901	463	681	2045
महाराष्ट्र	84	36	56	176
उड़ीसा	1,441	632	594	2,667
राजस्थान	--	6	3	9
कुल	4,689	2,824	2,088	9,602*

1	2	3	4	5
मैग्नाटाइट				
आन्ध्र प्रदेश	38	380	--	418
बिहार	1	2	2	5
गोवा	65	4	96	165
कर्नाटक	1,663	371	484	2,518
केरल	--	24	11	35
राजस्थान	--	--	1	1
तमिलनाडु	--	--	1	1
कुल	1,766	782	595	3,143

* संख्या को पूर्णांक बनाने के कारण योग का मिलान नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी भागीदार

6502. **श्री एम.वी.एस. मूर्ति :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी राज्य सरकारों को विद्युत परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी भागीदारों के चयन हेतु अपने "बेंच मार्क" निर्धारित करने के अधिकार होंगे;

(ख) यदि हां, तो इस नीति को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) क्या उनका मंत्रालय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के लिए कोई अंतिम माडल प्रस्तुत करेगा;

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य दिशा-निर्देश क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). निजी प्रवर्तकों को निजी विद्युत परियोजनाएं सौंपें जाने का कार्य राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। दिनांक 18.2.1995 से पहले, राज्य सरकारों को समझौता ज्ञापन (एम. ओ. यू.) या प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से निजी प्रवर्तकों को विद्युत परियोजनाएं सौंपने की अनुमति थी। भारत सरकार ने 18.2.95 के बाद निजी विद्युत परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से सौंपने को अनिवार्य बना दिया है।

(ग) से (ङ). चूंकि बोली संबंधी दस्तावेज परियोजना विनिर्दिष्ट होंगे इसलिए कोई एक आदर्श दस्तावेज विकसित करना व्यवहार्य नहीं, होगा। इसलिए, विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली माध्यम के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं और बोली संबंधी दस्तावेज तैयार करने सहित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से परियोजनाएं सौंपने के लिए अपेक्षित विभिन्न सेवाओं के वास्ते परामर्शदाता की सेवाएं लेने के लिए निजी विद्युत विकास संबंधी तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा प्रशासित विश्व बैंक ऋण प्राप्त करने की भी सलाह दी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्षमता का दोहन

6603. **श्री लाईता उम्ब्रे :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निहित भारी क्षमता का दोहन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) से (ङ). विगत में सामान्यतया किए गए अनेक सर्वेक्षणों और अध्ययनों से पता चलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण, मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण, मसाला आधारित उत्पादों, औषधि सुगन्धित पौधों, चाय, काजू आदि जैसे कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अच्छी सम्भावना है।

इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा असम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैण्ड राज्यों के लिए अध्ययन करने तथा प्रौद्योगिकी आर्थिक-व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए योजना सहायता भी दी गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

6604. श्री सूरजभान सोलंकी :

श्री अनंतराव देशमुख :

श्री वी. कृष्णा राव :

श्री के.जी. शिवप्पा :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में प्रत्येक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र, मध्यप्रदेश और कर्नाटक संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कतिपय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य-वार इन एककों पर कुल कितना निवेश किया गया है;

(च) इसमें से कितने प्रतिशत निवेश निजी और विदेशी निवेशकों द्वारा किया जाएगा;

(छ) देश में खाद्य प्रसंस्करणों एककों की स्थापना के संबंध में विदेशी और निजी निवेशकों से प्राप्त हुए प्रस्तावों की ब्यौरा क्या है;

(ज) इनकी निर्यात क्षमता संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस समय सरकार के विचाराधीन खाद्य प्रसंस्करण एककों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगाई) : (क) से (ङ). सरकार किसी राज्य में स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करती है। बहरहाल, मंत्रालय अपनी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता देती है।

(च) और (छ). उदारीकरण की अवधि से लेकर जनवरी, 1995 तक सरकार ने विदेशी निवेश, निर्यातोन्मुखी यूनिटों, औद्योगिक लाइसेंसों आदि के लिए 587 प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिनमें खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में यूनिटो की स्थापना करने के वास्ते 2528 करोड़ रु0 के विदेशी निवेश समेत कुल 7679 करोड़ रु0 का निवेश निहित है। 2528 करोड़ रु0 का विदेशी निवेश सरकार द्वारा मंजूर किए गए कुल विदेशी निवेश का लगभग 9.1% है। उपर्युक्त के अलावा, खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में मार्च, 1995 तक 3101 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 39099 करोड़ रु0 का निवेश निहित है।

(ज) कार्यान्वयन के प्रथम पांच वर्षों के दौरान निर्यातोन्मुखी यूनिटों का लक्ष्य लगभग 31340 करोड़ रु0 मूल्य का निर्यात करने का है।

(झ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

ताइपे में व्यापार मिशन

6605. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर 'दीपा' : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताइवान में ताइपे में भारतीय व्यापार मिशन खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मिशन के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या ताइवान का भी विचार भारत में अपना मिशन खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). भारत और ताईवान के बीच व्यापार, पूंजीनिवेश और पर्यटन, सम्पर्कों के संवर्धन के लिए भारत-ताइपे एसोसिएशन नामक एक गैर-सरकारी संगठन की ताईवान में स्थापना की जा रही है।

(ग) और (घ). समझा जाता है कि भारत तथा ताईवान के बीच व्यापार, पूंजीनिवेश और पर्यटन के संवर्धन के लिए ताइपे आर्थिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र के एक कार्यालय को नई दिल्ली में स्थापित किए जाने की संभावना है जिसका स्वरूप गैर-सरकारी होगा।

[अनुवाद]

तूतीकोरिन पत्तन से गाद निकालना

6606. श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन पत्तन को कम से कम चार फुट और गहरा बनाने के लिए उससे तत्काल गाद निकालने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) तूतीकोरिन पत्तन के चैनल और बेसिन को 10.7 मीटर गहरा बनाने के लिए 170 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से इनके कैपिटल निकर्षण हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसकी मौजूदा गहराई 8.23 मीटर है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरक उत्पादकों को प्रोत्साहन

6607. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नवल किशोर राय :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की कोई योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया और वास्तविक रूप से वर्षवार कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नए इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में इस तरह की कोई योजना कार्यान्वित नहीं की गई है। तथापि, उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में , उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए उर्वरक उद्योग के लिए निम्नलिखित राहतें/रियायतें प्रदान की गई है:-

I) नयी उर्वरक परियोजनाओं तथा वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण/पुनरूद्धार के लिए पूंजीगत मालों के आयात पर सीमा शुल्क को 23.9.1992 से समाप्त कर दिया गया था।

II) फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माण में प्रयुक्त फास्फेटिक एसिड पर सीमा शुल्क (15%) को 27-8-1992 से समाप्त कर दिया गया था।

III) नये उर्वरक संयंत्रों के अलावा 1-1-1991 को अथवा उसके पश्चात आरम्भण की गयी परियोजनाओं के पुनरूद्धार/आधुनिकीकरण के मामले में, पूंजीगत मालों पर भुगतान की गयी सीमा शुल्क की वापसी तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज में 3% को रियायत के लिए 27.2.1992 को एक योजना अधिसूचित की गई।

IV) फास्फेटिक उर्वरकों और उनके कच्चे मालों पर 5.9.1992 से प्रति 1000 कि.मी. पर लगभग 150 रू० की रेल भाड़े में कमी की गई ।

V) घरेलू फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माताओं को सस्ते आयातित डी ए पी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सक्षम बनाने के लिए स्वदेशी डी ए पी पर 1000 प्रति टन की विशेष रियायत और स्वदेशी कम्पलेक्स फर्टिलाइजर्स, एस एस पी सहित, पर आनुपातिक रियायत दी जा रही है।

VI) फास्फेटिक उर्वरकों के निर्माण में स्वदेशी आइरन पाइराइटस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहन की एक योजना कार्यान्वित की गई है।

इसके अलावा, यूरिया जो मुख्य नाइट्रोजनी उर्वरक है, के मामले में प्रतिधारण-मूल्य-सह राजसहायता योजना जारी है।

[अनुवाद]

फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग

6608. डा० खुशीराम झुंगरोमल जेस्वाणी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित क्षमता में हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख). हरियाणा और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापित क्षमता में वृद्धि हुई है।

गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु प्रेक्षक

6609. **श्री हरिलाल नानजी पटेल**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 के मत्स्यन सीजन के दौरान गुजरात तथा विशाखापत्तनम में गहरे समुद्र में मत्स्यन के क्षेत्र में समस्याओं पर निगरानी हेतु एक प्रेक्षक की नियुक्ति की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग से संबंधित तकनीकी समिति ने गहन समुद्री मत्स्यन यूनिटों को पुन: चालू करने के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए अंतर-मंत्रालीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

होन्नावर में पुल

6610. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में होन्नावर में पुल का जीर्णोद्धार करने हेतु स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए निविदा को मंजूरी दे दी गई है;

(ग) इस परियोजना पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी; और

(घ) इसे कब तक पूरा किया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) निविदा दरों के आधार पर परियोजना की लागत 675लाख रु0 अनुमोदित की गई है।

(घ) इस परियोजना को अगस्त, 96 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कमजोर वर्गों हेतु आवास योजनाएं

6611. **डा0 अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को आवास प्रदान करने के लिए कोई नई आवास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के थुंगन) : (क) और (ख). आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई नई शहरी आवास स्कीम नहीं चलाई गई है। लेकिन ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए 1993-94 में ग्रामीण आवास स्कीम चलाई है।

इस स्कीम के तहत राज्यों में धन, उनके द्वारा 1992-93 में ऐसी स्कीमों पर व्यय के स्तर के अतिरिक्त, कमजोर वर्गों और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए संस्थागत वित्त सहित ग्रामीण आवास स्कीमों के लिए नियत राशि के 50% तक के अनुपात में दिया जाता है।

(ग) राज्यों द्वारा चलाई जाने वाली इस स्कीम के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 1995-96 में 45.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस परिव्यय का अभी तक राज्य-वार नियतन नहीं किया गया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की निगमित योजनाएं

6612. **श्री पी0सी0 चाको** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अन्य उत्पादकों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए 2005 ईस्वी तक के लिए कोई निगमित योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पास अपनी निगमित योजना को लागू करने हेतु वित्तीय संसाधन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण को अपनी निगमित योजना में केरल को किसी रूप में शामिल करने की संभावनाओं को पता लगाने का निदेश देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है।?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां। निगमित योजना 2005 एक कार्यनीति दस्तावेज है जो सेल को लागत और गुणवत्ता की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के प्रयास करता है।

(ख) निगमित योजना में उल्लिखित विकास कार्यनीति का उद्देश्य आगे और आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन के जरिए सेल के इस्पात संयंत्रों में अन्तर्हित सम्भाव्यता का पता लगाना है। किसी ग्रीनफील्ड क्षमता सृजन की परिकल्पना नहीं की गई है। सेल समूह की अपरिष्कृत इस्पात क्षमता वर्ष 2005 में 189 लाख टन के स्तर तक बढ़ने की आशा है। शत-प्रतिशत इस्पात बी.ओ.एफ. प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाएगा और 97% अपरिष्कृत इस्पात सतत ढलाई होगा। सन् 2005 तक विशिष्ट ऊर्जा खपत में 30% की कमी करना और श्रम उत्पादकता को दुगना करना इस योजना का उद्देश्य है। सन् 2005 तक विक्रेय इस्पात उत्पादन के 20% के बराबर अथवा लगभग 35 लाख टन के निर्यात का लक्ष्य है।

प्रौद्योगिकीय पिछड़ेपन का ध्यान रखने और अपने उत्पादों की लागत और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सेल ने अपने संयंत्रों का विस्तृत आधुनिकीकरण कार्य शुरू किया है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण 8वीं योजना अवधि में किए जाने की सम्भावना है। राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण, चरण-II 1996-97 तक पूरा होगा। बी.एस.एल. के चरण-I आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग) और (घ). "सेल" का अपने इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण बिना किसी बजटीय सहायता के करने का प्रस्तव है। संसाधनों के विस्तृत कार्य संचालन की गणना समवर्ती पंचवर्षीय योजना के अनुरूप केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए की गई है। 9वीं योजना अवधि के लिए "सेल" अपने निवेश का निधियन आन्तरिक संसाधन जुटाने और समुचित पूंजी बाजार के साधनों के जरिए करता रहेगा।

(ङ) और (च). "सेल" की वर्तमान निगमित योजना में "सेल" द्वारा केरल में इस्पात निर्माण की सुविधा स्थापित करने की कोई परिकल्पना नहीं की गई है। फिर भी नीति के रूप में सरकार का सरकारी क्षेत्र में कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

कांडला पत्तन न्यास में डीजल पम्प

6613. श्री प्रकाश वी0 पाटील : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों की सहकारी समिति से कांडला पत्तन न्यास क्षेत्र में एक डीजल पम्प खोलने हेतु आवेदन पत्र मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा डीजल पम्प हेतु अनुमति कब तक दी जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लौह अयस्क का उत्पादन

6614. श्री नीतीश कुमार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के अनेक एकक लौह अयस्क का उत्पादन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ये एकक कौन-कौन से हैं और ये कहां-कहां कार्यरत हैं;

(ग) क्या इन एककों द्वारा किया गया उत्पादन इनके वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप है;

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक एकक द्वारा 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) इन एककों द्वारा उक्त वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना-कितना उत्पादन किया;

(च) क्या इन एककों को लक्ष्यों के अनुरूप उत्पादन न करने के कारण घाटा हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितना-कितना घाटा हुआ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). लौह अयस्क के उत्पादन में लगे केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम हैं: (1) स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) (2) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) और (3) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के.आई.ओ.सी.एल)। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा प्रचालित की जा रही लौह अयस्क खानों की स्थान-स्थिति निम्नानुसार है :-

1. "सेल"	सिंह भूम जिला (बिहार) दुर्ग जिला (मध्य प्रदेश) क्योंझर तथा सुन्दरगढ़ जिले (उड़ीसा)
2. एन.एम.डी.सी.	बेल्लारी जिला (कर्नाटक) बस्तर जिला (मध्य प्रदेश)
3. के. आई. ओ. सी. एल.	चिकमंगलूर, जिला (कर्नाटक)

(ग) से (ङ). सरकारी क्षेत्र के 3 उपक्रमों के लिए लौह अयस्क के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि नीचे दी गई है

(दस लाख टन)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	1992-93		1993-94		1994-95	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
"सेल"	13.23	11.72	13.52	11.92	14.16	13.07
एन.एम. डी.सी.	11.00	12.21	11.00	12.75	11.20	13.02
के.आई. ओ.सी.एल.	5.17	5.01	6.2	6.2	6.2	5.71

(घ) और (छ). सरकारी क्षेत्र के सभी तीनों उपक्रमों ने 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान लाभ अर्जित किया।

बिहार में फल प्रसंस्करण उद्योग

6615. भोगेन्द्र झा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मधुबनी, दरभंगा और उत्तरी बिहार में लगाए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या आगामी आम के मौसम के दौरान इन उद्योगों को चालू करने के लिए इन उद्योगों को अर्थक्षम बनाकर सहकारी क्षेत्र में चलाने अथवा राज्य क्षेत्र में ले लेने या निजी क्षेत्र में देने का है;

(ग) क्या इन तीन उद्योगों की जांच पड़ताल करने और यथाशीघ्र पुनरुद्धार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल भेजा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ). उत्तरी बिहार में मधुबनी दरभंगा, और ओइनी (वाइनी) स्थित सहकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फिलहाल चालू नहीं है। इन यूनिटों को पुनः चालू करने के लिए सहायता के वास्ते संबंधित समितियों अथवा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए आम के मौसम का सदुपयोग करने के लिए कार्रवाई अथवा विशेषज्ञ अध्ययन करने का विचार नहीं है।

औषध मूल्यों में वृद्धि

6616. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध कंपनियों द्वारा गैर-अनुसूचित औषधों और औषधि मिश्रणों के मूल्यों में भारी वृद्धि कर दी गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भिन्न-भिन्न उत्पादों के मूल्यों में 75 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) दवाइयों के मूल्यों में सामान्यतः कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई है। प्रत्येक मुद्दे के आधार पर, पिछले एक वर्ष के दौरान औषधों और दवाइयों के थोक मूल्य सूचकांक (1981-82= 100) में सभी वस्तुओं के लिए 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) विभिन्न पैक आकारों और खुराकों में सूत्रयोगों की संख्या हजारों में है और जानकारी को संकलित करने में लगने वाला समय और श्रम प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

बैलाडिला खानों का गैर-सरकारीकरण

6617. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री प्रमोदेश मुखर्जी :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अप्रैल, 1 95 के "स्टेटसमैन" में "प्राइवेटाइजेशन आफ बैलाडिला माइन्स प्रोपोस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बैलाडिला खानें निप्पन डेनरो इस्पात लिमिटेड को सौंपने के विरुद्ध अनेकों आपत्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की आगे क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप. ।।-बी में उपलब्ध अयस्क को गैस पर आधारित संयंत्रों में स्पंज लोहे का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त बताया गया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) और निजी क्षेत्र के एक उद्यमी जो देश में गैस पर आधारित स्पंज लोहे के संयंत्र का प्रचालन कर रहा हो अथवा स्थापित कर रहा हो और संयंत्र के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता के अधिकांश भाग को पूरा करने के लिए एन.एम.डी.सी. से उनको पहले ही आश्वासन मिल गया हो, के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में निक्षेप ।।-बी का विकास करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस संबंध में अन्तिम निर्णय लेते समय सभी संबंधितों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

फ्लाई ऐश से निर्मित ईटें

6618. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) से कितनी मात्रा में फ्लाई ऐश निकलती है; और

(ख) फ्लाई ऐश की कुल मात्रा में से कितनी मात्रा का उपयोग फ्लाई ऐश की ईटों के निर्माण में किया जा रहा है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) अनुमान है कि सारे देश में ताप बिजली संयंत्रों से प्रतिवर्ष लगभग 40 मिलियन मीट्रिक टन उड़न राख (फ्लाई ऐश) उत्पन्न होती है। नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन टी पी सी) 10 कोयला आधारित विद्युत केन्द्र चलाता है जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 16 मिलियन टन उड़न राख उत्पन्न होती है।

(ख) एन टी पी सी ने 1993-94 के दौरान ईटों तथा अनय निर्माण सामग्रियों के उत्पादन के लिए ए0 मिलियन टन से अधिक उड़न राख का उपयोग किया था जो उनके संयंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई उड़न राख का लगभग 7% है

परमाणु अप्रसार संधि

6619. **डा. आर. मल्लू :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यूयार्क में आयोजित की जा रही परमाणु अप्रसार संधि की अवधि बढ़ाए जाने संबंधि सम्मेलन में हुई /हो रही बातचीत की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार परमाणु अप्रसार संधि के स्थान पर एक विश्वव्यापी, भेदभाव रहित और सर्वमान्य सन्धि करने की संभावनाओं का पता लगा रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों की स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन/समिति में परमाणु शस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने और इन्हें नष्ट करने के लिए बातचीत शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि पक्षकार राज्यों ने 11 मई को यह निर्णय लिया कि नाभिकीय अप्रसार संधि की अवधि अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी जाए।

(ख) सरकार हमेशा यह कहती रही है कि नाभिकीय अप्रसार संधि अपने वर्तमान रूप में एक भेदभावपूर्ण संधि है और यह नाभिकीय अस्त्र सम्पन्न और नाभिकीय अस्त्ररहित देशों के बीच स्थायी विभाजन करती है।

(ग) से (च). भारत निरस्त्रीकरण से संबद्ध तीसरे विशेष अधिवेशन (एस एस ओ डी-।।।) में 1988 में प्रस्तुत नाभिकीय अस्त्र मुक्त विश्व के लिए कार्य-योजना के आधार पर वास्तविक नाभिकीय निरस्त्रीकरण के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा। इसे जेनेवा में निरस्त्रीकरण से संबद्ध सम्मेलन में भी प्रस्तुत किया गया था। हम इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे ताकि निरस्त्रीकरण से संबद्ध सम्मेलन सभी नाभिकीय अस्त्रों की सार्वभौम रूप से समाप्ति के लिए बातचीत शुरू कर सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में प्रगति

6620. **श्री अनंत राव देशमुख :**

प्रो0 रासा सिंह रावत :

श्री ए0 वेंकटेश नायक :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों ने गत दो वर्षों के दौरान अच्छी प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो विकास दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को अभी प्रगति करनी है;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने और प्रत्येक राज्य में खाद्य प्रसंस्करण का विकास करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वर्ष-वार और राज्य-वार वृद्धि दर के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। तथापि उदारीकरण के बाद से लेकर अब तक उद्यमियों द्वारा पेश किए गए और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा सरकार द्वारा दी गई मंजूरियों के ब्यौरे अनुलग्नक पर दिए गए हैं।

(ङ) उदारीकरण के बाद उद्यमी अपनी पसंद के क्षेत्रों में पूंजी निवेश करने के लिए स्वतंत्र है। बहरहाल, पूर्वोत्तर और पिछड़े क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहनों के अलावा मंत्रालय की योजना स्कीमों के तहत फल और सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र तथा मांस और पॉल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में काफी सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

दावों का निपटान

6621. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन किये जाने से पहले क्या निपटान संबंधी कितने मामले न्यायालयों में लम्बित थे;

(ख) क्या न्यायालय की अनुमति के बिना दावों के मामलों के निपटान की अनुमति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निपटाए गए दावों के आधार पर कितनी राशि अदा की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ). वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत तेल प्रदूषण, दुर्घटना, जैट्टी क्षति बंधक, मजदूरी आदि से संबंधित अनेक दावे निपटाए जाते हैं। चूंकि, इस बारे में उल्लेख नहीं किया गया है कि इस अधिनियम में संशोधन से पूर्व किस विशिष्ट प्रकार के मामले न्यायालय में लंबित थे, जिनके बारे में सूचना मांगी गई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी महसूस किया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सामग्री एकत्र करने में निहित समय और प्रयास, अपेक्षित परिणामों/उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे।

[अनुवाद]

पोत मालिकों के विलम्ब शुल्क की अदायगी

6622. श्री आर. जीवरत्नम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पत्तनों पर वित्तीय वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान आयात और निर्यात हेतु माल के लदान/उतराई में हुए विलम्ब के कारण भारतीय अथवा विदेशी पोत मालिकों को विलम्ब शुल्क के रूप में कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा का भुगतान किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें से विशेषरूप से उर्वरकों के आयात के लिए कितनी राशि का भुगतान किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). पत्तन, पत्तनों पर शुष्क कार्गो उतारने/लादने के लिए प्रतीक्षा कर रहे जहाजों के मालिकों को विलंब शुल्क अथवा प्रतीक्षा लागत का भुगतान नहीं करते और न ही पत्तन ऐसे जहाजों से विलंब शुल्क वसूल करते हैं। जहाज के प्रतीक्षा लागत संबंधी प्रभारों, का भुगतान, यदि कोई हो, आयातकों/निर्यातकों द्वारा जहाज मालिकों द्वारा अथवा उनके एजेंटों को सीधे किया जाता है, और इस कार्य में किसी भी रूप में पत्तन शामिल नहीं होते। आम प्रथा के अनुसार इस प्रकार के प्रभार भाड़े अथवा आकस्मिक प्रभारों अथवा जहाज मालिकों और संबंधित नौवहन कंपनियों के बीच हुए चार्टर पार्टी करार की शर्तों में शामिल कर लिए जाते हैं।

विशेष रूप से उदारीकरण और सरकार द्वारा अनेक जिंसों से नियंत्रण हटाए जाने के बाद अधिकांश आयातक/निर्यातक निजी पार्टियां होती हैं। इसलिए एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दी गई राशि के आंकड़े नहीं रखे जाते और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, देश के विभिन्न लघु और महापत्तनों पर विश्व की नौवहन कंपनियों के माध्यम से हजारों आयातक/निर्यातक विविध प्रकार के उत्पादों/ जिंसों के लाने, ले जाने के काम में लगे हैं, ऐसा करना व्यावहारिक भी नहीं हो सकता।

गुजरात के क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय

6623. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार और कुछ अन्य संगठनों से गुजरात में और पार-पत्र कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त राज्य में स्थित वर्तमान पार-पत्र कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बढ़ते कार्यभार के निपटारे के लिए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) 1 जनवरी, 1994 से गुजरात के प्रत्येक पार-पत्र कार्यालय को कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनके द्वारा कितने पार-पत्र जारी किए गए; और

(च) एक सामान्य पार-पत्र और एक आपातकालीन पार-पत्र जारी करने में कितना औसत समय लगता है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). सरकार को गुजरात की राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कुछ अन्य संगठनों ने कहा है कि राजकोट और सूरत में नए कार्यालय खोले जाएं। नया पासपोर्ट कार्यालय खोलना विभिन्न मानदण्डों पर आधारित है जिनमें कार्यभार और वित्तीय संसाधन भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि जहां तक सम्भव हो पासपोर्ट कार्यालय परस्पर सटे हुए ऐसे क्षत्रों/खंडों/जिलों/राज्यों में किसी केन्द्रीय स्थान पर होना चाहिए जिनसे प्रतिवर्ष औसतन 50,000 आवेदन प्राप्त होते हों। वर्ष 1994 के दौरान सम्पूर्ण गुजरात राज्य से कुल 98943 आवेदन प्राप्त हुए थे और यह पाया गया है कि पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद आवेदनों की इस संख्या को निपटाने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।

(ग) और (घ). 1994 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या को देखते हुए कर्मचारियों की मौजूदा संख्या के लिए पर्याप्त समझी गई है।

(ङ) 1.1.1994 से 30.4.1995 तक की अवधि के दौरान क्रमशः 131477 पासपोर्ट आवेदन प्राप्त हुए और 186881 पासपोर्ट जारी किए गए।

(च) 31.1.95 की स्थिति के अनुसार नया पासपोर्ट जारी करने में औसतन 56 दिन का समय लगता है। तथापि आवेदक द्वारा कतिपय निर्धारित शर्तें, जिनसे स्थायी समिति को अवगत करा दिया गया है, पूरी कर लेने पर उसे बिना बारी के पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।

बोस्निया के विदेश मंत्री को निमंत्रण

6624. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोस्निया के विदेश मंत्री अथवा किसी अन्य पदाधिकारी को भारत की यात्रा पर आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बोस्निया के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किए गए "इस्लामी घोषणा" शीर्षक वाले दस्तावेज की जानकारी नहीं है;

(ग) क्या बोस्निया गत वर्ष जेनेवा में पाकिस्तान के कश्मीर संबंधी प्रस्ताव का सहप्रायोजक था;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बोस्निया का तुष्टिकरण करके भारत क्षेत्र के अन्य प्रमुख राष्ट्रों का समर्थन खो देगा;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में समग्र नीति निर्धारित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर "नहीं" है तो क्या सरकार भविष्य में ऐसा कोई निमंत्रण देने जा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) बोस्निया के विदेश मंत्री की प्रस्तावित भारत-यात्रा बोस्निया की सरकार की पहल पर की जा रही है। भारत की सरकार ने सिद्धान्त रूप में इस यात्रा को स्वीकार कर लिया है तथापि इस यात्रा की तारीखों का निर्धारण राजनयिक माध्यमों से अभी किया जाना है।

(ख) सरकार को "इस्लामी घोषणा" नामक दस्तावेज की जानकारी है जो बोस्निया हर्जेगोविना के वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा कई वर्ष पूर्व तैयार किया गया था।

(ग) हालांकि पिछले वर्ष जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में मतदान के बिना ही कश्मीर से संबंधित संकल्प वापस ले लिया गया था। सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह संकल्प बोस्निया हर्जेगोविना द्वारा सहप्रायोजित किया गया था।

(घ) भारत ने भूतपूर्व युगोस्लाविया के सभी नये उद्भूत राज्यों को मान्यता प्रदान कर दी है। और उनके साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए है। इन राज्यों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं तथा अक्टूबर 1993 में युगोस्लाविया संघीयगण राज्य (सर्बिया-मान्टीनिग्रो) के विदेश मंत्री की तथा अप्रैल 1995 में क्रोशिया के विदेश मंत्री की भारत की यात्राओं की मेजबानी की। बोस्निया संघर्ष के संबंध में भारत की स्थिति से ये सभी राज्य अवगत हैं और उसे वे समझते हैं ।

(ङ) और (च). सरकार भूतपूर्व युगोस्लाविया की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक एवं गंभीरतापूर्वक देखती रही है। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री ने 11.5.92 को दोनों सदनों में इस विषय पर अपनी ओर से एक वक्तव्य दिया जिसकी एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

भारत ने भूतपूर्व युगोस्लाविया के सभी राज्यों को उनकी पुराने अर्थात् युगोस्लाविया से पूर्व की सीमाओं के अन्तर्गत मान्यता प्रदान कर दी है और हम विगत में उनके साथ अति अनुपम, ऐतिहासिक तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्कों के आधार पर अपने संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं। हम जातीय परिमार्जन, बलात्कार तथा अन्य अत्याचारों की भर्त्सना करते हैं चाहे वे किसी भी दल के द्वारा किए गए हों। हमारे विचार से इस प्रकार के व्यवहार बहुत घिनौने और अस्वीकार्य हैं। हमने निरन्तर संबद्ध दलों से यह आग्रह किया है कि वे सैन्य समाधान के लिए निरर्थक प्रयास करना छोड़ दें तथा सकारात्मक भावना से एक राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत करें। हमारा विश्वास है कि एक न्योचित, न्यायसंगत तथा सभी सम्बद्ध दलों को व्यापक रूप से स्वीकार्य राजनैतिक समाधान ही कारगर और स्थायी हो सकता है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

माननीय सदस्यों ने तत्कालीन युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य में घटित हाल ही की घटनाओं का निकट से अध्ययन किया होगा जिसमें छह गणराज्य थे यथा बोस्निया-हर्जेगोविना, क्रोएशिया, मेसेडोनिया, मोन्टेनिग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया। पिछले वर्ष इस देश में कई प्रमुख राजनीतिक घटनाएं घटी जिनके परिणामतः पांच अन्तर्राष्ट्रीय सत्ताओं का सृजन हुआ। पिछले महीने की 27 तारीख को घोषित नए युगोस्लाविया संघीय गणराज्य में सर्बिया और मोन्टेनिग्रो हैं। अन्य चार राज्यों ने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी थी और स्लोवेनिया, क्रोएशिया तथा बोस्निया हर्जेगोविना को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बहुत से देशों जिनमें वास्तव में यूरोप के सभी राज्य शामिल हैं, ने मान्यता दी हैं ।

सरकार ने यह फैसला किया है कि अब हम भी स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया-हर्जेगोविना गणराज्यों को मान्यता देकर उनके साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लें। युगोस्लाविया संघीय गणराज्य के संबंध में कोई नयी पहल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बेलग्रेड में स्थित हमारा मिशन उस देश में प्रत्यायित बना रहेगा। राजनयिक संबंधों की स्थापना करने तथा यह तय करने के लिए कि यूरोप स्थित हमारे किन दूतावासों को स्लोवेनिया, क्रोएशिया और बोस्निया-हर्जेगोविना के लिए सह-प्रत्यायित किया जाए, हम इन राज्यों की सरकारों के सम्पर्क में रहेंगे।

जहां तक मेसेडोनिया का संबंध है, बहुत कम देशों ने इस नए स्वतंत्र राज्य को मान्यता दी है और इसके नाम को लेकर चल रहा विवाद अभी हल होना है। सरकार का विचार है कि जब इस क्षेत्र के बहुत से राज्य मेसेडोनिया गणराज्य को मान्यता दे देंगे तब सरकार भी इसे मान्यता दे देगी।

सरकार पूर्व युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य में घट रही घटनाओं पर बहुत ध्यानपूर्वक निगाह रखती रही है। नए युगोस्लाविया संघीय गणराज्य की स्थापना जिसने अव्यक्त रूप से अन्य चार राज्यों को मान्यता दे दी है, के बाद यह जरूरी नहीं है कि हम पूर्व युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य से उद्भुत नए राज्यों को मान्यता प्रदान करने के लिए और प्रतीक्षा करें।

मुझे विश्वास है कि मेरे साथ-साथ माननीय सदस्य भी इन नए स्वतंत्र राज्यों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे और राष्ट्रों के समुदाय में उनका स्वागत करेंगे। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि इन नए देशों में से कुछ को एक-दूसरे से, तथा युगोस्लाविया समाजवादी संघीय गणराज्य के विघटन से उत्पन्न अनसुलझे मसलों को सुलझाने में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं उन्हें शान्तिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से दूर कर लिया जाएगा।.

ड्रेजर का डूबना

6625. श्री जे. चोक्का राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1995 में विशाखापत्तनम स्थित जहाज मरम्मत यार्ड में एक ड्रेजर डूब गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके पुनः निकाले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ). जी, हां। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया का ड्रेजर मण्डोवी-।। ड्राइडॉकिंग और मरम्मत के पश्चात जब हिन्दुस्तान शिपयार्ड के जल बेसिन में बर्थ पर लगा हुआ था, इसके कक्ष में आकस्मिक रूप से पानी भर जाने के कारण दि0 26.3.95 को यह पलट गया। डूबे हुए ड्रेजर को निकालने का ठेका मै. स्मिथ इन्टरनेशनल, सिंगापुर को दे दिया गया है।

आनंद विहार में भूखंडों का आवंटन

6626. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री सूरज मंडल :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को "सीजीएचएस" डिस्पेंसरी बनाने के लिए आनंद विहार, दिल्ली में एक भू-खंड आवंटित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार सीजीएचएस डिस्पेंसरी निर्मित करने के लिए नर्सरी स्कूल के लिए आवंटित भूमि के नामपट्ट को बदलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी के थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि आनन्द विहार सहकारी आवास समिति में सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी के लिए भूमि के आवंटन बाबत नर्सरी स्कूल हेतु निर्धारित स्थल के भू-उपयोग में परिवर्तन किए जाने की जरूरत है।

"पेप्सी फूड्स"

6627. श्री छीतू भाई गामीत : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेप्सी फूड तथा अन्य फास्ट फूड प्रतिष्ठानों द्वारा पिजा हट्स/केन्टुकी फ्राइड चिकन की स्थापना करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फूड की अनुमति दिए जाने के क्या कारण है; और

(ग) मांसाहारी भोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं/पक्षियों के मांस की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) से (ग). सरकार ने विभिन्न किस्म के खाद्य उत्पादों जिनमें अन्यों के साथ-साथ शाकाहारी और मांसाहारी टॉपिंग वाला पिजा, फ्रेंच फ्राईज जैसे आलू उत्पाद, पिसे आलू से तैयार किए गए उत्पाद, सलाद, दूध उत्पाद, विभिन्न तरह की वस्तुओं जैसे मछली, चिकन, सब्जी आदि को भरकर तैयार किए गए बर्गर शामिल हैं को परोसने के लिए फास्ट फूड प्रतिष्ठानों की स्थापना करने के वास्ते मै0 पिजा हट्स मै0 के.एफ.सी. और मै0 मैकडोल्डल के प्रस्तावों की मंजूरी दी है। इन कंपनियों द्वारा परोसे जाने वाले उत्पादों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव के बारे में कोई प्रमाणित वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल, भारत में खाद्यों की बिक्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 समेत भारतीय खाद्य कानूनों के अध्यधीन है। इन कंपनियों को प्रस्ताव अधिकांश कच्चा माल जिसमें पशु और पक्षियों का मांस शामिल है। भारतीय सप्लायरों से मंगवाने का है। इन सप्लायरों द्वारा मांस और पाल्ट्री उत्पाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पशु-पक्षियों की गुणवत्ता देश में लागू पशु-चिकित्सा निरीक्षण कानूनों के अध्यधीन है। इन कंपनियों का प्रस्ताव सप्लायरों से प्राप्त होने वाली मदों और तैयार किए जाने वाले खाद्यों के लिए अपनी हाऊस गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने का भी है।

तमिलनाडु स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग

6628. डा0 पी0 वल्लल पेरूमान : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में लौह अयस्क भंडारों की उपलब्धता का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख पत्तनों के माध्यम से तस्करी

6629. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय को कांडला, तूतीकोरीन, मद्रास, बंबई और कोचीन जैसे भारत के प्रमुख पत्तन न्यासों से कितनी आय प्राप्त होती है;

(ख) इन मुख्य पत्तनों पर कितनी बार तस्करी का सामान पकड़ा गया है; और

(ग) तस्करी के मामलों में लिप्त पाए गए पत्तन न्यासों के कर्मचारियों और अधिकारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस मंत्रालय को महापत्तन न्यासों से प्रत्यक्ष रूप में कोई आय नहीं होती है। पत्तन न्यासों द्वारा अर्जित आय उन्हीं के पास रहती है। वर्ष 1994-95 के दौरान कांडला, तूतीकोरिन, मद्रास, बम्बई और कोचीन महापत्तनों की कुल प्रचालन आय तथा वित्त एवं विविध आय 1132.56 करोड़ रु0 (अनन्तिम) थी।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एल्यूमिनियम उत्पादन

6630. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में एल्यूमिनियम का वार्षिक उत्पादन और खपत कितनी थी;

(ख) क्या एल्यूमिनियम का स्वदेशी उत्पादन देश की आवश्यकता पूर्ति के लिए अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो मांग और पूर्ति में रहने वाले अंतर को पूरा करने के लिए एल्यूमिनियम का आयात किया जा रहा है;

(घ) क्या मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी और बेलगाम एल्यूमिनियम स्मैल्टर को बंद कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राथमिक एल्यूमिनियम का अनुमानित उपभोग और उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:-

(इकाई : टन में)

वर्ष	उत्पादन	घरेलू उपभोग
1992-93	4,84,913	3,70,000
1993-94	4,64,718	4,10,000
1994-95	4,80,262	4,71,500*

* मांग में 15 प्रतिशत वृद्धि मानते हुए।

(घ) और (ङ). मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि० (माल्को) एक रुग्ण इकाई होने के कारण उत्पादन नहीं कर रही है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि० (इंडाल) का बेलगाम प्रगालक, विद्युत शुल्क में तीव्र बढ़ोत्तरी के कारण, अगस्त, 1992 में बंद कर दिया गया था लेकिन हाल ही में इसकी कुछ पोटों को पुनः चालित किया गया है।

[हिन्दी]

जहाजरानी क्षेत्र में निवेश

6631. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की उदारीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप जहाजरानी क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना निवेश किया गया है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : एस सी आई सी आई लि० और भारतीय नौवहन निगम लि० द्वारा रखे जा रहे आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-92 से 1994-95 के दौरान निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में 1334.69 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश हुआ है।

[अनुवाद]

रेलभाड़ा पर निर्धारित सीमा

6632. श्री सनत कुमार मंडल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय ने आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (केबिनेट कमिटी आन इकानामिक अफेयर्स) के पास रेलभाड़ा पर वर्तमान निर्धारित सीमा को समाप्त किए जाने के बारे में एक प्रस्ताव पेश किया था ताकि मुख्य इस्पात उत्पादक- स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड अपने उपभोक्ताओं से शुल्क प्रभारित कर सकें;

(ख) जनवरी, 1992 में इस्पात परियोजनाओं के लिए समान भाड़ा योजना की समाप्ति के परिप्रेक्ष्य में इस माल भाड़े पर निर्धारित सीमा की समाप्ति के आधार हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को कितना लाभ पहुंचेगा?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). इस्पात के मूल्यन और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने के पश्चात प्रमुख उत्पादक स्टाकयार्ड तक का वास्तविक रेल भाड़ा अथवा पहले की रेलभाड़ा समकरण योजना के तहत बने रेलभाड़ा घटक, इनमें से जो भी कम हो, वसूल कर रहे हैं। इस संबंध में पड़ने वाला अतिरिक्त भार प्रमुख उत्पादकों द्वारा स्वयं वहन किया जा रहा है। प्रमुख इस्पात उत्पादकों ने बताया है कि इस्पात आयात पर शुल्कों में की गई कमी और घरेलू उत्पादकों की प्रतिस्पर्द्धा में हुई वृद्धि के साथ केवल प्रमुख उत्पादकों पर लगाई जाने वाली रेलभाड़ा निर्धारित सीमा उन्हें बाधा में डालती है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि प्रमुख उत्पादकों को वास्तविक रेल भाड़ा वसूल किए जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। मामले की जांच की जा रही है।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण

6633. श्री एम.जे. रेड्डी : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पाल्यूशन अन्डर चेक" (पी.यू.सी.) नियम डीजल वाहनों पर लागू नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डीजल वाहनों से होने वाला प्रदूषण किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा?

जल–भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मकान निर्माण ऋण की सीमा

6634. श्री परसराम भारद्वाज : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मकान निर्माण ऋण की अधिकतम सीमाएं क्या हैं;

(ख) ये सीमाएं बैंकिंग उद्योग में ऐसी ही श्रेणियों के लिए मकान-निर्माण ऋणों की वर्तमान सीमाओं की तुलना में कितनी है; और

(ग) इनमें क्या विसंगतियां हैं और सरकार का विचार इन्हें किस प्रकार और कब तक दूर करने का है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) गृह निर्माण अग्रिम नियमावली के अनुसार केन्द्र सरकार के किसी कर्मचारी के लिए अधिकतम अनुमेय राशि, उसका 50 माह का वेतन अथवा 2.50 लाख रुपये, जो भी कम हो, इस प्रकार, पद धारण आदि के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बीच कोई अलग-अलग श्रेणी नहीं है।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम देने की अधिकतम सीमाएं इस प्रकार हैं :

कर्मचारियों की श्रेणी	गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा
1. अधीनस्थ स्टाफ	1.00 लाख रूपये
2. लिपिकीय संवर्ग	1.50 लाख रूपये
3. जे.एम.जी. एस-। में अधिकारी	2.00 लाख रूपये
4. एम. एम. जी. एस-।। और इससे ऊपर के अधिकारी	2.50 लाख रूपये

हालांकि, दोनों मामले में गृह निर्माण अग्रिम की अनुमेयता भिन्न-भिन्न रखी गई है, लेकिन अनुमेय गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम सीमा वही रहती है।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रायपुर में खनन

6635. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में खोजे गए हीरे और सोने के नए भंडारों के खनन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या खनन में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु रायपुर में कोई योजना चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तिमारपुर में सरकारी फ्लैट

6636. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 अप्रैल, 1995 के "जनसत्ता" में "तिमारपुर मे चार सौ सरकारी फ्लैटों के जंग से खोखले होने की चेतावनी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इन फ्लैटों को कब निर्मित किया गया था;

(घ) क्या इंजीनियरों की ढील और ठेकेदारों के साथ इनकी कथित मिलीभगत की जांच करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन फ्लैटों के गिराये जाने के सरकार को अनुमानतः कितना घाटा उठाना पड़ेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां,

(ख) कुल 400 फ्लैटों (टाइप -।। क्वार्टस) में से 300 क्वार्टरों की हालत संतोषजनक हैं और शेष 100 क्वार्टरों को खतरनाक घोषित किया जा चुका है जिनके विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) वर्ष 1970 के दौरान ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रशन नहीं उठते ।

[हिन्दी]

आयातित उर्वरकों पर राजसहायता

6637. **श्री नवल किशोर राय** :

डा० चिन्ता मोहन :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया;

(ख) क्या सरकार को आयातित उर्वरकों पर प्रति वर्ष भारी राजसहायता प्रदान करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा आयातित उर्वरकों पर कितनी राजसहायता प्रदान की गई है; और

(घ) प्रति वर्ष राजसहायता देने के कारण उर्वरकों के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी की जाती है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान आयातित प्रमुख उर्वरकों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :

(आंकड़े लाख टनों में)

आयातित उर्वरक	1992-93	1993-94	1995-96
यूरिया	18.57	28.40	28.84
डी. ए पी*	15.57	15.69	8.25
एम ओ पी*	17.61	14.28	18.48

*अनियंत्रण और असरणीबद्ध किए जाने के पश्चात प्रभावी आयात के आंकड़े मात्र अनुमान हैं।

विचाराधीन अवधि के दौरान सरकारी खाते पर आयातित उर्वरकों के लागत और भाड़ा मूल्य और सरकार द्वारा उन पर वहन की गयी राज सहायता निम्न दी गयी है :-

वर्ष	सरकारी खाते पर आयातित उर्वरकों के लागत और भाड़ा मूल्य	सरकारी खाते पर आयातित उर्वरकों पर राज-सहायता
	(रू० करोड़)	(रू० करोड़)
1992-93	2216	999.82
1993-94	1300.18	598.97
1994-95	1785.11	1166.02

(घ) वांछित सूचना निम्न प्रकार है :-

वर्ष	सरकारी खाते पर उर्वरकों के आयात पर सकल व्यय	सरकार द्वारा वहन की गयी राज-सहायता	औसत मूल्य में प्रतिशत कटौती
	(रू० करोड़)	(रू० करोड़)	
1992-93	2802.99	999.82	35.67%
1993-94	1649.99	578.97	36.30%
1994-95	2031.98	1166.02	57.38%

सिक्किम में खानें

6638. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिक्किम राज्य में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी-कितनी खानें हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : भारतीय खान ब्यूरो ने बताया है कि उनके रिकार्ड के अनुसार सिक्किम में केवल एक ही खान है जिसको सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम मैसर्स सिक्किम माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा चलाया जा रहा है।

पाकिस्तान द्वारा बातचीत की पेशकश

6639. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री श्रीकांत जेना :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की हाल की अमरीका यात्रा के बाद पाकिस्तान द्वारा बकाया द्विपक्षीय मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत करने पर अपनी सहमति के संबंध में कोई सूचना भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या बातचीत के लिए कोई कार्यसूची बनाई गई है और समय तय किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण सुज्ञात है। हम सभी मतभेदों को शिमला समझौते की रूपरेखा के भीतर दूर करने के लिए पाकिस्तान के साथ बिना शर्त द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए तैयार है। हमने पाकिस्तान से यह अनुरोध किया है कि बातचीत के लिए हम जो पेशकश बार-बार करते रहे हैं उसका वह सद्भाव से उत्तर दे। हमारा मानना है कि ऐसी बातचीत के लिए शर्त और पूर्व शर्त लगाना जैसा कि पाकिस्तान करता रहा है, कोई सकारात्मक रवैया नहीं है।

बकिंघम नहर

6640. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं योजना में बकिंघम नहर परियोजना पुनः शुरू करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस परियोजना को तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने की संभावना की जांच कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ). मद्रास और मरक्कानम के बीच दक्षिण बकिंघम नहर के पुनरूद्धार के बारे में तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 200.00 लाख रूपये की लागत के इन्नौर साउथ लॉक से चिन्तामणि लॉक खंड के विकास के संबंध में केन्द्र द्वारा एक प्रायोजित स्कीम को भारत सरकार ने मई, 1987 में स्वीकृति दी थी। जनवरी, 1991 से यह स्कीम स्थगित रखी गई ।

उत्तरी बकिंघम नहर के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार ने 1988 में केन्द्र द्वारा एक प्रायोजित स्कीम प्रस्तुत की थी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों के परामर्श से इस मामले की जांच की गई थी। तदुपरान्त, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने काकीनाड़ा और मद्रास को जोड़ने वाली सम्पूर्ण नहर प्रणाली, जिसमें काकीनाड़ा इलुरू, कोम्मामरू और बकिंघम नहरें शामिल हैं का तकनीकी-आर्थिक व्यावहार्यता अध्ययन करवाने का निर्णय लिया। स्थलीय अध्ययन पहले ही पूरा हो चुका है और आई डब्ल्यू ए आई के परामर्शदाता राइट्स ने रिपोर्ट का मसौदा भेज दिया है ।

इस नहर प्रणाली को विकसित किया जाना तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के निष्कर्षों पर निर्भर करेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का निर्माण

6641. **श्री तेज नारायण सिंह :**

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने फ्लैटों का निर्माण किया;

(ख) दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए तथा यहां फ्लैटों की कमी को दूर करने के लिए प्रतिवर्ष कितने फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार फ्लैटों की कमी को दूर करने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुगन) : (क) डी.डी.ए. ने बताया है कि उन्होंने गत तीन वर्षों में लगभग 23,381 फ्लैट बनाये हैं।

(ख) से (घ). दिल्ली में मकानों की कमी पर काबू पाने के लिए डी.डी.ए. समय-समय पर फ्लैटों के आबंटन हेतु नई योजनाएं शुरू करता है। डी.डी.ए. सहकारी आवास समितियों को भी भूमि आबंटित करता है। द्वारका तथा नरेला में सहकारी आवास समितियों को आबंटन हेतु 400 प्लाटों का प्रावधान है जिसमें 33,000 रिहायशी मकान बनाये जायेंगे। डी डी ए ने हाल ही में VII स्ववित्त पोषण योजना के तहत लगभग 3000 फ्लैटों और विस्तारनीय आवास योजना 1995 के तहत 8000 फ्लैटों की पेशकश की है। इसके अतिरिक्त VIII स्व-वित्त पोषण योजना के तहत लगभग 3000 फ्लैटों की पेशकश की जानी है। इस योजना की विवरणिका की बिक्री 25.5.95 से शुरू होगी।

रवांडा में शान्ति सेना भेजना

6642. **डा0 राम कृष्ण कुसमरिया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कीसेही शरणार्थी शिविर में विस्थापित व्यक्तियों को स्वदेश में रवांडा की सरकार की सहायता करने के लिए उस देश में भारतीय शान्ति सेना भेजने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). रवांडा में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन में तैनात भारतीय सैन्य दल विस्थापितों के प्रत्यावर्तन के कार्य में शामिल नहीं है। इसके द्वारा केवल 10 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स

6643. **श्री एस0एम0 लालजान बाशा :**

श्री राम नाइक :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई स्थित राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स के कारखाने से हाल ही में विषैली गैसों का रिसाव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण हैं;

(ग) क्या सरकर ने इस घटना की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां तो इसके क्या निष्कर्ष है;

(ङ) प्रभावित व्यक्तियों को दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाएं गए हैं; और

(च) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, मुम्बई में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अमोनिया रिसाव की कितनी घटनाओं का पता चला?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर सी. एफ.) के ट्राम्बे संयंत्र में कन्ट्रोल वाल्वों/ट्रांसमीटरों के ठीक से काम न करने के कारण अति अल्प अवधि के लिए 13.4.1995 को अमोनिया गैस का आकस्मिक रिसाव हुआ था।

(ग) और (ङ). चूंकि अमोनिया गैस का रिसाव आकस्मिक और अति अल्प अवधि के लिए हुआ था, जिससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, अतः सरकार द्वारा घटना की जांच-पड़ताल के आदेश देने अथवा क्षतिपूर्ति की अदायगी का प्रश्न नहीं उठता। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के विचार से, कन्ट्रोल वाल्व में संशोधन किया गया है और कम्पनी ने किसी भी अन्य पाइंट से रिसाव की किसी संभावना का पता लगाने के लिए संयंत्र का अध्ययन करना शुरू किया है।

(घ) प्रक्रिया गत गड़बड़ियों के कारण आर. सी. एफ. के एक दूसरे संयंत्र में 9.6.1994 को अमोनिया स्राव की एक घटना हुई थी, परन्तु जान या माल की कोई हानि नहीं हुई थी।

[हिन्दी]

कश्मीर में उड़ी पन बिजली परियोजना

6644. डा. चिन्ता मोहन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी कश्मीर क्षेत्र में झेलम नदी पर 480 मे. वा. क्षमता की उड़ी पन बिजली परियोजना निर्माणाधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की मूल निर्माण लागत में वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त परियोजना अपनी निर्धारित समय अवधि में पूरी की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह परियोजना 1632.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर जून, 1989 में स्वीकृत की गई थी। परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत 3070.67 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ). परियोजना को प्रारंभ में नवम्बर, 1995 में चालू किए जाने का कार्यक्रम था, लेकिन जम्मू व कश्मीर में कानून व्यवस्था के कारण परियोजना की प्रगति पर प्रभाव पड़ा है और अब इसको मई, 97 में चालू किए जाने की संभावना है।

केनों का निर्माण

6645. श्री राम निहोर राय : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए आवश्यक केनों के उत्पादन के लिए लघु उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (ग). मंत्रालय केनों के निर्माण के लिए यूनिटों की स्थापना स्वयं नहीं करता। इस समय काफी संख्या में लघु यूनिटें ढक्कन वाली स्वास्थ्यकर केनों को छोड़कर केन और कन्टेनरों का निर्माण कर रही हैं जिनको जरूरत कतिपय किस्म के खाद्य उत्पादों को पैकेजिंग के लिए होती है, और ढक्कन वाले स्वास्थ्यकर केनों जिनकी जरूरत विशिष्ट किस्म के खाद्य उत्पादों को पैकेजिंग के लिए होती है, का कुछ बड़ी यूनिटों में निर्माण किया जा रहा है। कुछ यूनिटें ऐसी भी हैं जो खाद्य उद्योग में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमीनियम केनों का निर्माण कर रही है।

सड़क दुर्घटनाएं

6646. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री एन. डेनिस :

श्री अमर रायप्रधान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को रोकने हेतु कुछ कारगर कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जन-जागरण अभियान शुरू किया है। इसमें वाहन चालन प्रशिक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, स्कूली छात्रों की निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करना, सड़क सुरक्षा मोर्चों में सहायता प्रदान करना, प्रैस और मिडिया के माध्यम से प्रचार संबंधी अन्य उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को सख्त दंड देने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में कुछेक संशोधन किए गए हैं। सरकार, राज्य सरकारों को नकद और वस्तु रूप में भी सहायता उपलब्ध करवाती है ताकि वे अपने सड़क सुरक्षा संबंधी उपायों को सुदृढ़ कर सकें।

वर्ष 1995 को सड़क सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाने और देश में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत बनाने का भी निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पुल

6647. **श्री दत्ता मेघे :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) तत्संबंधी, स्थानावार और नामवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पन्द्रह

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) 13 करोड़ रु0 ।

विवरण

क्र0 सं0	रा. रा. सं.	कार्य के ब्यौरे
1	2	3
1.	3	329/900 कि.मी. पर दिओरी नाले पर छोटे पुल का पुनर्निर्माण ।
2.	3	253/200 कि.मी. पर नगांव पुल
3.	3	गोदावरी नदी पर 415/200 कि.मी. पर बड़ा पुल।
4.	4	पुणे नगर के पश्चिमी डाईवर्जन पर 29/139 से 29/396 चैनेज पर फ्लाई ओवर ।
5	4	पुणे नगर के बाहर पश्चिमी डाईवर्जन के फ्लाईओवर पुल की 28/739 से 29/139 चैनेज और 29/396 से 29/521 चैनेज पर पुलिया।
6-8	4 ख	800 चैनेज, 1820 चैनेज और 4049 चैनेज पर तीन छोटे पुल।
9.	6	504/565 कि./मी. पर छोटा पुल
10.	6	166/200 कि.मी. पर छोटा पुल
11.	6	172/1000 कि.मी. पर छोटा पुल
12.	6	नालगंगा नदी, 351/1000 कि.मी. पर बड़ा पुल
13.	7	48/500 कि.मी. पर छोटा पुल
14.	7	154/800 कि.मी. पर छोटा पुल
15.	9	230/800 कि.मी. पर पकनी नाले पर पुल
		कुल : 15 पुल

[अनुवाद]

हीरे के लिए खनन

6648. **श्री फूल चन्द्र वर्मा**

श्री जगत बीर सिंह द्रोण :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हीरा खानें किन-किन स्थानों पर हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) इन खानों को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मणिपुर में तथा मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के देवभोग क्षेत्र में हीरे तथा ऐलेक्जेन्ड्राइट (खनिज) के मिलने की संभावना का पता लगा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) देश में हीरे की एक मात्र खान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है तथा उसका संचालन मैसर्स नेशनल मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा किया जाता है। खान में प्रतिवर्ष 18000 कैरेट हीरों का उत्पादन होता है तथापि, कुछ निजी आपरेटर भी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में उथली खानों में परमिट प्रणाली के आधार पर हीरे निकालते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वहन की गई लाभ/हानि इस प्रकार है :-

वर्ष	लाभ	हानियां
1990-91	51.07 लाख रु0	-
1991-92	79.51 लाख रु0	-
1992-93	-	80.76 लाख रु0

(ग) और (घ). जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा भूविज्ञान और खनन निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा किये गए अन्वेषणों के अनुसार मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के कुल हिस्सों में हीरा और एलेक्जेंडराइट मिलने की संभावना पाई गई है। बेहराडीह, पायालीखंड, झांगरा और कोडमाली में किम्बरलाइट पिण्ड पाये गये हैं। इन क्षेत्रों से एलेक्जेंड्राइट, गारनेट इत्यादि जैसे बहुमूल्य पत्थरों के मिलने की संभावना की भी पुष्टि हुई है।

इंडियन काउंसिल फार वर्ल्ड अफेयर्स

6649. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आई.सी.डब्ल्यू.ए.) के कार्यकरण, इसकी संगठनात्मक, कमियों और पुस्तकालय प्रणाली के सम्बन्ध में कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स के कार्यकरण को कारगर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए है/ उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय विश्व कार्य परिषद् एक स्वायत्त निकाय है। कुछ समय से इसे कुछ समस्यायें पेश आ रही हैं और संसद में तथा उसके बाहर यह मांग की जाती रही है कि इसे अधिगृहीत कर लिया जाए और इसके कार्यसंचालन को पुनः सक्रिय बनाया जाए। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार/ पर्यवेक्षी समिति नियुक्त करने का फैसला किया था जिसका कार्य भारतीय विश्व कार्य परिषद् के कार्य की जांच करना और उसे पुनः सक्रिय बनाने के लिए उपाय सुझाना होगा। तथापि चूंकि यह परिषद, एक स्वायत्त निकाय है इसलिए सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी कोई पर्यवेक्षी/सलाहकार समिति इस परिषद् के अनुरोध पर ही गठित की जा सकती है। इस समय इस परिषद् के शासी निकाय को इस बात के लिए राजी किया जा रहा है कि वह एक संकल्प पारित करके ऐसी किसी उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन के लिए सरकार से अनुरोध करे।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग

6650. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली बार कब राज्य राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). 1989 में गुजरात राज्य में बिहार से राधानपुर तक 140 कि.मी. लम्बा एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग (रा. रा. - 14) राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में जोड़ा गया था।

विदेशी सहायता प्राप्त सड़क परियोजनाएं

6651. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशी सहयोग से कुल कितने राजमार्गों/राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) इस सड़क परियोजनाओं में कौन-कौन से देश सहयोग कर रहे हैं; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर दूसरी अन्य सड़कों के लिए अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। विदेशी सहायता से बनाई जा रहीं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :

विदेशी सहायता देने वाली एंजेंसी	परियोजनाओं की संख्या	पूरा करने की लक्षित तारीख
विश्व बैंक	6	30.6.2001
एशियाड विकास बैंक	12	31.12.1999
ओवरसीज इकॉनोमिक कों ऑपरेशन फंड (जापान)	5	28.2.2002

राष्ट्रीय राजमार्ग -52 पर निर्माण कार्य

6652. **श्री लाईता उम्ब्रे :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरूणाचल प्रदेश स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस मार्ग हेतु धनराशि के आबंटन में कोई कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 जो अरूणाचल प्रदेश में पड़ता है, की कुल 337 कि.मी. की लम्बाई में से 143 कि.मी. में निर्माण कार्य और 129 कि.मी. में पेवमेंट कार्य सितम्बर, 1994 तक पूरा कर लिया गया था।

(ख) और (घ). बजटगत अभाव के कारण अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-52 सहित देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करवाना संभव नहीं है।

मध्य प्रदेश में इस्पात संयंत्र

6653. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्रयोजनार्थ गैर सरकारी क्षेत्र की किन-किन कम्पनियों को मंजूरी दी गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और स्थान-स्थिति संबंधी कतिपय प्रतिबंधों की शर्त पर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के क्षेत्राधिकार से भी छूट दे दी गई है। अतः इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने के बारे में केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्गों से आय

6654. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों से वर्ष-वार कितनी आय हुई;

(ख) इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त आय किन-किन स्रोतों से प्राप्त की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों पर 100 लाख रु० से अधिक लागत वाले स्थायी पुलों पर केवल शुल्क वसूली के जरिए राजस्व प्राप्ति होती है। पिछले तीन वर्षों में इस स्रोत से हुई आय नीचे दी गई है :-

वर्ष	पुल शुल्क वसूली (लाख रु०)
1992-93	3124.32
1993-94	3645.91
1994-95	4483.86

[अनुवाद]

संयुक्त राज्य अमरीका का मैसर्स मैक डानल्ड कारपोरेशन

6655. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्थानों पर रेस्तरां खोलने के लिए सरकार द्वारा मंजूर की गई संयुक्त राज्य अमरीका के मैसर्स मैक डानल्ड कारपोरेशन तथा भारतीय उद्यमियों के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या समझौते को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) से (ग). सरकार ने (क) सीमित संख्या में सहायक कंपनी द्वारा (ख) मैक डोनाल्ड इंडियन सब्सिडिरी और भारतीय साझेदारी के बीच संयुक्त उद्यम और (ग) भारतीय लाइसेंसधारियों के मार्फत रेस्तराओं को बढ़ाने और चलाने के लिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी स्थापित करने के वास्ते मैसर्स मैक डोनाल्ड कारपोरेशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव में शुरू के 7 वर्षों के दौरान 40 मिलियन अमरीकी डालर का कुलपूंजी निवेश करने का उल्लेख है और विदेशी इक्विटी एक लाख अमरीकी डालर होगी जो शुरू के 7 वर्षों में बढ़कर 20 मिलियन अमरीकी डालर हो जाएगी। प्रस्ताव है कि 7 वर्ष तक विदेशी मुद्रा देश से बाहर नहीं जाएगी और कार्य शुरू होने से 7 वर्षों के दौरान लाभांश को विदेश नहीं भेजा जाएगा। परियोजना से कुल 3400 लोगों को रोजगार मिलने देश में सप्लायरों की सुविधाओं को अपग्रेड करने की प्रौद्योगिकी लाने, ऐसी चेनों को चलाने के लिए बेहतर प्रबंध तकनीक लाने और मैकडोनल्ड की कहीं और स्थिति चेन को उत्पादों का संभावित निर्यात करने की संभावना सुनिश्चित करने का अनुमान है। अभी तक कोई रेस्तरां नहीं खुला है।

दक्षेस राष्ट्रों की आतंकवाद संबंधी रणनीति

6656. डा. वसन्त पवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षेस के सदस्य राष्ट्रों ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए समान नीति तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्ययोजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब से लागू किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने अन्य सदस्य राष्ट्रों को इस संबंध में अद्यतन प्रशिक्षण प्रदान करने की पेशकश की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इस रणनीति के प्रति किसी सदस्य राष्ट्र ने असहमति प्रकट की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (छ). नवम्बर, 1987 में काठमाण्डु में सम्पन्न आतंकवाद को समाप्त करने से सम्बद्ध "सार्क" क्षेत्रीय अभिसमय सभी सदस्य राज्यों द्वारा अनुसमर्थित किए जाने के पश्चात 22 अगस्त, 1988 को लागू किया गया।

यह अभिसमय एक सदस्य राज्य के प्रदेश का दूसरे देश के प्रदेश में आतंकवादी कार्रवाइयां करने के लिए इस्तेमाल न करने, इस अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले अपराधों को प्रत्यपर्ण के प्रयोजन के लिए गैर-राजनीतिक मानने तथा आतंकवादी अपराधियों को प्रत्यर्पित करने और उन पर मुकदमा चलाए जाने की बाध्यता को विधिक समर्थन प्रदान करता है। इस अभिसमय के अन्तर्गत संविदाकारी पद आतंकवादी अपराधों के सन्दर्भ में की जा रही कानूनी कार्रवाईयों में अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अधिक से अधिक न्यायिक सहायता प्रदान करने तथा एहतियात के तौर पर आवश्यक उपायों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए अपने राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप सहयोगात्मक उपाय करने के लिए बाध्य हैं।

विभिन्न सार्क शिखर सम्मेलनों में राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने आतंकवाद की सभी कार्रवाईयों, तौर-तरीकों तथा आचरण को अपराध बताकर उनकी कड़े शब्दों में निन्दा की और सामाजिक आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थायित्व, क्षेत्रीय शांति एवं सहयोग पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की और भर्त्सना की।

दिसम्बर, 1992 में सार्क मंत्रि परिषद ने आतंकवाद समाप्त करने के लिए सदस्य राज्यों के प्राधिकृत सम्पर्क अधिकारियों की एक वार्षिक बैठक बुलाए जाने की सिफारिशों को अनुमोदित किया। इस निर्णय के अनुपालन में सम्पर्क अधिकारियों की फरवरी, 1994 में ढाका में, मार्च, 1995 में नई दिल्ली की बैठकें हो चुकी है तथा उनकी सिफारिशों के परिणामस्वरूप निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई है।

जनवरी, 1995 में कोलोम्बों में एक सार्क आतंकवादी अपराध निगरानी डेस्क (एस. टी ओ एम डी) की स्थापना की गई है, जो इस क्षेत्र में आतंकवाद की किस्म, विस्तार परिमाण और प्रवृतियों के सम्बन्ध में प्रभावकारी डाटा बैंक तथा सूचना वितरण केन्द्र से रूप में कार्य करेगा जो सूचना एवं प्रवृतियों के बारे में जानकारी एकत्रित और वितरित करेगा जिससे इस खतरे पर काबू पाने और उसे समाप्त करने में मदद मिलेगी। जानने की आवश्यकता के आधार पर सदस्य राज्य एस टी और एम डी को आंतकवादी गतिविधियों, तौर-तरीकों, रण-नीतियों, प्रणालियों तथा उनकी किस्मों के बारे में संगत जानकारी एवं आंकड़े प्रदान करेंगे।

सदस्य राज्यों की सुरक्षा एजेन्सियों इस बात पर सहमत हो गई है कि वे उत्पादन एवं भण्डारण के स्थालों, आपूर्ति मार्गों तथा ही विभिन्न बिन्दुओं पर इनके प्रवाह को कारगर ढंग से रोकेगें। सदस्य देशों की मौजूदा सुरक्षा संस्थानों ने सुरक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त प्रबन्ध किए जायेंगें। इस संदर्भ में भारत की सरकार ने सदस्य देशों के अधिकारियों को आतंकवाद का सामना करने से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने संस्थान/सुविधाएं उपलब्ध कराने की पेशकश की है।

आतंकवाद का मुकाबला करने से सम्बन्धित रजनीतियों को मानीटर करने, उनको अद्यतन बनाने, उनकी समीक्षा करने तथा उनमें सुधार करने के उद्देश्य से सम्पर्क अधिकारियों की वार्षिक बैठकें नियमित अन्तराल पर होती रहेगी।

दक्षिणी विद्युत ग्रिड योजना

6657. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रैल, 1995 के "द इकानामिक टाइम्स" में "सदर्न पावर ग्रिड प्लान इन जियोपार्डी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की और गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की इस प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). जी, हां। यह सच है कि इस समय दक्षिणी क्षेत्र में प्रस्तावित गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। स्थापित की जा रही नई विद्युत परियोजनाएं कोयला या दोहरी ईंधन क्षमता के साथ प्रचालित होंगी। जो परियोजनाएं दोहरी ईंधन क्षमता का उपयोग करेंगी वे बाद में प्राकृतिक गैस, जब वह उपलब्ध होंगी, उसकी उपयोग कर सकेंगी।

अंतर्राष्ट्रीय पत्तन

6658. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों का दर्जा दिया गया है और कुछ अन्य पत्तनों को बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टैक्सटाइल रंगों पर प्रतिबंध

6659. श्री मोहन रावले :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ टैक्सटाइल रंगों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा;

(घ) क्या सरकार स्वदेश में निर्मित रंगों के लिए नए बाजारों की खोज कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं निष्कर्ष क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ग). सरकार का टैक्सटाइल रंगों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि विशिष्ठ एजों रंगों के प्रयोग वाले कपड़ों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए जर्मनी की सरकार के विधान से संदर्भ में भारत सरकार ने कपड़ा उत्पादों में विभिन्न रंगों के प्रयोग की पुनरीक्षा के लिए कदम उठाए हैं ताकि उन रंगों का पता लगाया जा सके जिनसे उत्पादन/आयात को कम करने की आवश्यकता है और अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य पर्यावरण के अनुरूप कपड़ों को प्रोत्साहन देने के लिए वैकलिपक स्वीकार्य रंगों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

(घ) और (ङ). इन रंगों के लिए पहले ही अच्छा स्वदेशी और निर्यात बाजार उपलब्ध है।

ज्ञात भंडारों का खनन

6660. श्री पी.सी. थामस : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों में सोने और चांदी के भंडार होने की जानकारी है पर उनका दोहन नहीं किया गया है;

(ख) इन भंडारों के दोहन नहीं करने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का विचार इनके दोहर के लिए किसी योजना के कार्यान्वयन का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ). विदोहन किये जा रहे भंडारों के अलावा स्वर्ण का निम्न प्रकार पता लगा है :

राज्य	क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	रामगिरी, कोठापाली, पेडडापारचिकुटा, रामापुरम, चिन्मुलगंड, भावरामपल्ली, मालाप्पाकोंडा के कुछ क्षेत्र।
कर्नाटक	हीरा-बुडिन्नी, अंजनहाली, चिनमुलगंड, सुरापल्ले, टुप्पाधुर चिनचेरगी, कादोनी उटी, वांडाली, बेलारा केम्पिनकोट।
केरल	मुरदा और पुथेन्माला
बिहार	कुन्दरेकोचा
मध्य प्रदेश	बाघमेरा, सोनाखान
तमिलनाडु	महराज-गदाई- नारालापल्ली
राजस्थान	पिंडवारा

तांबा-सीसा-जस्ता तथा स्वर्ण अयस्कों से चांदी उपोत्पाद के रूप में उपलब्ध है तथापि, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भारक क्षेत्र के बघेरा खंड में चांदी अयस्क मिलने की सूचना मिली है।

कोई भी उद्यमी विशिष्ट भंडारों के विदोहन के लिए तभी निर्णय लेता है जब वह अयस्क के स्तर तथा भंडारों के आकार और प्रकृति के आधार पर उसे व्यवहारिक पाता है। सभी पहचाने गए भंडारों के खनन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने स्वर्ण और चांदी सहित सभी गैर-परमाणु और गैर-ईंधन खनिजों को पहले ही निजी क्षेत्रों के विदोहन के लिए खोल दिया है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर में कर्मचारियों की संख्या

6661. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर में कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण पासपोर्ट जारी करने में देरी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी करने में होने वाली देरी से बचने तथा कार्यालय के समक्ष लम्बी कतार न लगने देने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). 31.1.95 की स्थिति के अनुसार बंगलौर स्थित पासपोर्ट कार्यालय

32 दिन में पासपोर्ट जारी कर रहा था जबकि दिसम्बर, 1993 में 97 दिनों और दिसम्बर, 1994 में 123 दिनों में पासपोर्ट जारी किए गए। इस प्रकार पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब में सुधार हुआ। तथापि पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब का कारण स्टाफ की कमी नहीं है क्योंकि इस बात को देखते हुए कि 1994 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान नए पासपोर्ट जारी करने के लिए 82023 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। पासपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध स्टाफ पर्याप्त था। 1992 और 1993 में क्रमशः 104871 और 111035 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(ग) उम्मीद है कि अपेक्षाकृत अधिक स्थान वाले परिसरों में पासपोर्ट कार्यालय पुनः स्थापित करने, नियमित निरीक्षण प्रणाली की स्थापना, कम्प्यूटर प्रणाली के बेहतर उपयोग और कर्मचारियों को प्रेरित करने के प्रयासों से बंगलौर में पासपोर्ट जारी करने में लगने वाला समय घटकर अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार्य स्तर तक हो जाएगा।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन

6662. प्रो. उम्मारड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की सदस्य संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने गुट निरपेक्ष आन्दोलन को आगे बढ़ाने में ढिलाई बरती है; और

(घ) सरकार द्वारा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को और सक्रिय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). 'नाम' सदस्य राज्यों का एक स्वैच्छिक संगठन है। भारत इसकी सदस्यता में निरन्तर हो रही वृद्धि का स्वागत करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) नाम मंत्रियों के स्तर पर अथवा शासनाध्यक्षों या राज्याध्यक्षों के स्तर पर बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करता है, और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें प्रायः होती रहती हैं। भारत इन बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

विभिन्न योजनाओं के लिए परिव्यय

6663. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत 1995-96 के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ख) 1994-95 के दौरान प्रत्येक योजना के अन्तर्गत सामान्यतः प्रत्येक राज्य में और विशेषतः गोआ में क्या वित्तीय और भौतिक उपलब्धियां रहीं;

(ग) क्या सीमेंट, ईंट, इस्पात, भूमि एवं अन्य भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण निर्माण की लागत में काफी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो इस वृद्धि का विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी निर्धनों के लिए निर्माण कार्यों/परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) सभी के लिए विशेष रूप से मध्यम और निम्न आय वर्गों के लाभ के लिए भूमि और अन्य निर्माण सामग्री के मूल्यों पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की विभिन्न प्लान स्कीमों के लिए वर्ष 1995-96 हेतु कुल परिव्यय 530 करोड़ रु0 है। इस मंत्रालय द्वारा प्रबोधन किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की उपलब्धियाँ दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ). जी हां। निर्माण के लिए अपेक्षित प्रभुत्व मदों के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि तथा भवन निर्माण लागत सूचकांक प्रत्यक्षतः एक दूसरे से जुड़े हैं। सरकार पूर्व ढलित पूर्व निर्मित भवन निर्माण घटकों जैसे कि दरवाजों/खिड़कियों के फ्रेम, सरदल शेल्फ, फर्श/छत इकाईयों आदि और बेकार सामग्रियों से बने इसी प्रकार के घटकों के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है जिससे लकड़ी की खपत में कमी होने के साथ ही निर्माण लागत में कमी होती है तथा निर्माण कार्य की गति में बढ़ोत्तरी होती है।

विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के लिए विभिन्न स्कीमों की स्थिति इस प्रकार है :

1. कम लागत की सफाई व्यवस्था

कम लागत की सफाई व्यवस्था और मैला ढोने वालों की मुक्ति के कार्यक्रम के तहत, केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में निधियां आबंटित की जाती हैं।

1994-95 के दौरान इस स्कीम के तहत 25.80 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई थी।

मानव द्वारा मैला ढोने की प्रणाली गोवा में नहीं है। तथापि, राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-I)।

2. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

यह स्कीम 1994 के आखिर में शुरू की गई थी और 1993-94 के दौरान 11.76 करोड़ रुपये तथा 1994-95 के दौरान 16.90 करोड़ रुपये की धनराशि का वितरण किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 1995-96 के दौरान 20.00 करोड़ रुपये की धनराशि का आबंटन किया गया है।

ए यू डब्ल्यू एस पी के तहत 1994-95 के दौरान गोवा के कालनगुटे और रेइशागोस के कस्बों के लिए 10.14 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। राज्यवार नियतनों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-II)।

3. शहरी क्षेत्रों में रैन बसेरे और पटरी निवासियों के लिए स्वच्छता स्कीमें

यह स्कीम 1988-89 के दौरान चालू की गई थी और अगस्त 1992 में समीक्षा और संशोधन किया गया था। इस स्कीम में दो घटक हैं :

(क) समुदाय शौचालयों और स्नानघरों सहित समुदाय रैन बसेरों का निर्माण

(ख) बेघरों के लिए भुगतान करो और उपयोग करो समुदाय शौचालयों/स्नानघरों का ही निर्माण।

इस स्कीम के तहत राज्यवार निधियों का कोई आबंटन नहीं किया जा रहा है। निधियों घटकों को सौंप दी जाती है जो निर्माण कार्यों की प्रगति पर निर्भर करते हुए कार्यान्वयन एजेंसियों को धन देता है।

4. निर्मित्ति केन्द्र का राष्ट्रीय नेटवर्क

यह स्कीम 1988-89 से चल रही है। इस स्कीम के तहत केन्द्रीय सब्सिडी का राज्यवार नियमन नहीं किया जाता है। केन्द्रीय सहायता का एक चरणबद्ध रीति में निर्मित्ति केन्द्रों को हडकों के माध्यम से दी जाती है।

5. छोटे तथा मझौले शहरों का समेकित विकास (आई टी एस एम टी)

आई.टी.एस.एमटी योजना के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान बजट नियतन 35 करोड़ रूपये है। वर्ष 1994-95 के दौरान 72 अतिरिक्त शहरों के लक्ष्यों की तुलना में 104 अतिरिक्त शहरों को आई.डी. एस. टी के तहत शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त 21 शहरों में चालू परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की आगामी किश्तें भी जारी की गई। वर्ष 1994-95 के दौरान आई डी एस एम टी के तहत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मुहैया करने हेतु 22.90 करोड़ रूपये के बजट नियतन का भी पूर्णतः उपयोग कर लिया गया। वर्ष 1994-95 के दौरान गोवा राज्य में एक शहर अर्थात भरगोको को शामिल किया गया और 24.00 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता (प्रथम किश्त) जारी की गयी है। वर्ष 1994-95 के दौरान आईडीएसएमटी के तहत प्राप्त वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियों के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-III)।

6. मेगा शहर

मेगा शहर में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना वर्ष 1993-94 में ही शुरू की गई थी। यह योजना 1991 की जनगणना के अनुसार चार मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों पर लागू है। स्कीम बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर तथा हैदराबाद पर लागू होगी।

वर्ष 1994-95 के दौरान चार शहरों में योजना को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 75.50 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी। गोवा के किसी भी शहर में यह योजना लागू नहीं है।

7. नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई)

नेहरू रोजगार योजना के तहत 31.3.90 तक राज्यों/संघ क्षेत्रों का कार्य निष्पादन परिशिष्ट -IV में दिया गया है।

8. गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सुविधाएं

वर्ष 1994-95 के लिए जारी राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है

परिशिष्ट I

31.3.95 तक की स्थिति

कम लागत की सफाई योजना के तहत वर्ष 1994-95 में जारी धनराशि
कम लागत की सफाई (समन्वित स्वीकृत योजनाएं)

31.3.95 तक वास्तव में जारी धनराशि

(रूपये लाखों में)

क्र. सं.	ऋण और सब्सिडी के ब्यौरे राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्षवार जारी ऋण धनराशि राशि	सब्सिडी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	497.28	47.35
2.	असम	36.63	45.08
3.	बिहार	0.00	126.73

1	2	3	4
5.	कर्नाटक	58.64	0.00
6.	केरल	8.62	13.32
7.	मध्य प्रदेश	67.50	135.51
8.	महाराष्ट्र	0.00	0.00
9.	मणिपुर	0.00	27.41
10.	मेघालय	0.00	8.47
11.	उड़ीसा	44.82	44.80
12.	पंजाब	3134.42	1391.10
13.	राजस्थान	10.50	235.99
14.	तमिलनाडु	149.87	61.05
15.	त्रिपुरा	0.00	58.78
16.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	144.81
	कुल योग :	4168.94	2705.29

परिशिष्ट – II

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी)

1993 – 94 में अनुमोदित स्कीमों के डी पी आर की राज्यवार स्थिति

31.3.95 की स्थिति

(रू0 लाखों में)

क्र0 स0	राज्य	कस्बों की संख्या	अनुमोदित डीपीआर की संख्या	अनुमोदित डीपीआर के अनुसार अनुमानित	राज्य सरकार को केन्द्रीय अंश की रिलीज की गई	फरवरी 1995 तक रिलीज राज्य अंश	फरवरी मार्च, 1995 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3.	असम	1	-	-	-	-	-
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-
5.	गोवा	2	2	51.13	6.24	N.I	N.I
6.	गुजरात	8	6	398.95	71.08	71.08	25.00
7.	हरियाणा	4	4	283.80	30.25	30.25	N.I
8.	हिमाचल प्रदेश	2	2	78.50	8.79	N.A	3.90
9.	जम्मू एवं काश्मीर	1	1	41.40	-	-	-
10.	कर्नाटक	9	7	438.90	85.15	47.90	11.00

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	1	1	233.72	28.21	N.I	N.I
12.	मध्य प्रदेश	32	30	1674.30	205.10	205.43	410.00
13.	महाराष्ट्र	6	3	370.01	85.36	N.A	130.00
14.	मणिपुर	3	3	82.00	7.65	N.A	25.00
15.	मेघालय	-	-	-	-	-	-
16.	मिजोरम	1	-	-	4.26	-	-
17.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	5	3	204.53	50.23	-	-
19.	पंजाब	2	2	240.65	26.75	N.A	N.A
20.	राजस्थान	10	10	711.88	81.97	N.A	N.A
21.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-
22.	तमिलनाडु	15	10	438.62	82.24	एन NIL	NIL
23.	त्रिपुरा	1	-	-	5.16	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	42	42	2917.84	327.88	290.64	634.92
25.	प. बंगाल	3	3	325.88	39.13	N.A	78.62
26.	अ. निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	
27.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-
28.	दादर नागर हवेली-	-	-	-	-	-	-
29.	दमन व द्वीप	-	-	-	-	-	-
30.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-
32.	पाण्डिचेरी	-	-	-	-	-	-
	योग	148	131	8522.11	1145.43	645.30	1417.44

(रू० लाखों में)

बजट नियतन 1994-95 राज्य क्षेत्र	राज्य द्वारा अपेक्षित राशि (94-95) (कालम 5x0.5)	अनुमोदित परियोजना लागत का 50% (कालम 11x0.5)	केन्द्रीय अंश का 50%	1994-95 हेतु राशि (केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त)	1994-95 के लिए अनुशंसित अतिरिक्त राशि	केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त के रूप में 94-95 हेतु रिलीज कुल राशि
9	10	11	12	13	14	15
-	-	-	-	-	-	0.00
-	-	-	-	-	-	0.00
-	-	-	-	26.06	- -	26.06

	9	10	11	12	13	14	
	-	-	-	-	-	-	[illegible]
	N.I	N.I	25.37	12.78	10.14	-	10.14
	95.00	200.00	199.48	99.74	87.24	-	87.24
	30.36	76.00	141.90	70.95	34.00	-	34.00
	-	-	39.25	19.63	9.88	-	9.88
	-	-	20.70	20.70	20.00	-	20.00
	150.00	219.45	109.71	105.12	-		105.12
	N.I	N.I	116.86	58.43	37.62		37.62
	800.00	1556.75	837.15	418.58	244.19	99.00	343.19
	85.36	190.50	185.01	9250	-	9250	
	15.30	57.00	41.00	20.50	20.50	-	20.50
	-	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	102.27	51.13	-	51.13	
	N.A	N.A	120.33	60.16	35.64	-	35.64
	N.A	N.A	355.94	177.97	177.97	-	177.97
	-	-	-	- -	-	-	-0.00
	NIL	NIL	NIL	219.31	109.66	9.59	9.59
	-	-	-	-	-	-	0.00
	N.A	N.A	1473.92	736.96	58.17	-	586.17
	40.00	50.00	162.94	81.47	52.25	-	52.25
	-	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	-	-	-	-	0.00
	-	-	-	-	-	-	0.00
कुल :	1216.02	2130.51	4261.06	2140.88	1600.00	99.00	1699.00

एन आई (N.I)= कोई सूचना नहीं

एन ए (N.A)= अनुपलब्ध

निधियां पहले ही रिलीज कर दी गई

परिशिष्ट – III

1994–95 के दौरान आई डी एस एम टी स्कीम के तहत शामिल कस्बे करने और रिलीज केन्द्रीय सहायता

(रु० लाखों में)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994–95 शामिल कस्बे	रिलीज की गई निधियां	अतिरिक्त चालू
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6	-	135.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	-	26.00
3.	असम	3	-	45.00
4.	बिहार	2	-	46.00
5.	गोवा	1	-	24.00
6.	गुजरात	1	2	150.00
7.	हरियाणा	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
9.	जम्मू तथा कश्मीर	1	1	40.00
10.	कर्नाटक	11	-	230.00
11.	केरल	4	-	116.50
12	म० प्र० प्रदेश	12	3	253.50
13.	महाराष्ट्र	17	4	433.75
14.	मणिपुर	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-
16.	मिजोरम	1	-	12.00
17.	नागालैण्ड	-	1	15.00
18.	उड़ीसा	9	2	181.00
19.	पंजाब	1	1	36.25
20.	राजस्थान	3	-	70.00
21.	सिक्किम	-	1	20.00
22.	तमिलनाडु	11	4	139.00
23.	त्रिपुरा	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	5	-	159.00
25.	पश्चिम बंगाल	8	2	93.20

1	2	3	4	5
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अण्डमान तथा निकाबार द्वीप समूह	-	-	-
2.	दादर तथा नगर हवेली	-	-	-
3.	लक्षद्वीप	-	-	-
4.	पाण्डिचेरी	-	-	-
5.	दमन एवं द्वीप	-	-	-
	योग	104	21	2289.70

परिशिष्ट -4

नेहरू रोजगार योजना -राज्यों/सं शा. प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उनका कार्य निष्पादन। -31.3.1995

(रु0 लाखों में)

राज्य/संघ राज्यों			अरबन माइक्रो इण्टरप्राइजेज योजना		
		जारी की गयी केन्द्रीय सब्सिडी	स्वीकृत सब्सिडी की राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थी की संख्या	टी एवं आई के जारी केन्द्रीय अनुदान
1	2	3	4	5	6
1	आंध्रप्रदेश	1102.22	1194.83	74,933	241.25
2.	बिहार	504.35	289.07	7,738	141.85
3.	गुजरात	324.16	254.71	12,514	88.85
4.	हरियाणा	162.27	296.79	13,609	42.37
5.	कर्नाटक	778.78	662.14	44.230	167.57
6.	केरल	387.23	616.20	21,445	85.47
7.	मध्य प्रदेश	980.12	154.14	8400.4	223.90
8.	महाराष्ट्र	1119.40	880.97	57,826	240.05
9.	उड़ीसा	281.93	291.96	12.165	63.43
10.	पंजाब	285.91	433.57	16,449	64.17
11.	राजस्थान	508.67	591.42	30.874	107.87
12.	तमिलनाडु	1263.65	1212.87	23,025	280.52
13.	उत्तर प्रदेश	2417.28	3588.39 *	145113	536.90
14.	पश्चिम बंगाल	728.88	407.01	29,809	189.68

1	2	3	4	5	6
15.	गोवा	16.58	8.63	440	3.46
16.	अरुणाचल प्रदेश	17.72	2.91	40	8.70
17.	असम	143.62	227.90	17568	53.20
18.	हिमाचल प्रदेश	56.10	41.80	1276	27.70
19.	जम्मू और कश्मीर	91.02	64.48	1,786	44.67
20.	मणिपुर	41.44	77.96	5,186	19.45
21.	मेघालय	26.58	11.47	400	11.45
22.	मिजोरम	20.68	35.52	700	8.45
23.	नागालैण्ड	21.19	-	-	10.40
24.	सिक्किम	24.50	33.20	532	14,30
25.	त्रिपुरा	24.52	40.85	434	9.97
26.	अण्डमान द्वीप समूह	8.55	6.95	178	3.13
27.	चण्डीगढ़	25.62	7.69	199	3.42
28.	दादर और नागर हवेली	7.55	3.78	110	2.47
29.	दमन और दीऊ	13.20	-	-	3.6.
30.	पाण्डिचेरी	14.58	10.43	1499	5.46
31.	दिल्ली	115.60	58.25	1.412	26.40
	योग	1510.37	12811.92	655494	2730.13

(रु० लाखों में)

		अरबन वेज एम्प्लाइमेंट योजना		
राज्यों द्वारा टी एवं आई के अनतर्गत खर्च की गयी राशि	प्रशिक्षण प्राप्त या प्रशिक्षणरत की संख्या	जारी की गयी केन्द्रीय धनराशि	राज्य/सं. शां. क्षे. द्वारा बनायी गयी	सृजित श्रम दिवसो की संख्या (लाखों में)
7	8	9	10	11
68.67	7953	1322.72	1472.83	16.90
11.96	2517	1689.62	1372.29	41.16
55.63	6462	918.40	875.07	11.80
58.42	3623	313.00	427.78	6.94

	7	8	9	10	11
	47.65	9313	1622.46	1298.12	35.06
	55.28	4792	574.24	681.03	9.58
	114.29	10960	1745.79	2144.77	32.34
	224.25	29928	2165.50	1663.44	30.18
	27.15	1894	705.90	645.71	9.57
	40.28	4156	620.91	693.35	4.72
	59.50	5470	1207.61	161.43	17.04
	191.03	1977	1507.46	1930.95	35.063
	348.32	35773	4831.09	5529.57	99.92
	189.21	8502	1027.59	1278.53	18.67
	1.87	250	69.54	60.69	0.46
	1.84	240	16.02	28.48	0.20
	596	3032	360.09	406.46	5.32
	4.61	364	111.62	107.53	2.48
	20.84	821	123.81	190.14	2.08
	0.86	1050	82.62	89.33	2.31
	-	-	49.54	27.96	0.66
	6.86	468	49.88	125.06	12.35
	-	-	28.48	-	-
	13.44	419	41.24	41.38	0.73
	5.32	471	68.41	84.12	1.65
	1.80	65	13.93	15.81	0.18
	0.49	14	19.21	55.74	0.36
	0.70	123	7.22	5.61	0.12
	-	-	21.12	8.07	0.16
	1.10	193	45.85	36.92	0.96
	12.51	1206	-	-	-
योग :	1178.81	157436	21361.77	22915.55	394.53

नेहरू रोजगार योजना–प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार राज्यों 31.3.1995 के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्रों का कार्य निष्पादन

(रूपये लाखों में)

क्र0 सं0	राज्य संघ क्षेत्र का नाम	हडको को सौंपी गई केन्द्रीय सब्सिडी	आवास तथा आश्रय सुधार योजना		
			हडको द्वार जारी सब्सिडी राशि	राज्य संघ क्षेत्रों द्वारा प्रमुक्त सब्सिडी राशि	सुधार गए/सुधारे जा रहे रिहायशी मकानों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	721.09	390.18	730.52	62.760
2.	बिहार	639.93	197.56	21.33	13,115
3.	गुजरात	352.85	2.80	19.21	508
4.	हरियाणा	98.81	56.53	29.61	3,560
5.	कर्नाटक	615.54	88.06	70.69	8,277
6.	केरल	276.65	682.07	743.62	80,794
7.	मध्य प्रदेश	653.90	-	-	-
8.	महाराष्ट्र	652.01	191.99	-	6,200
9.	उड़ीसा	184.90	96.50	71.34	4,180
10.	पंजाब	189.86	60.16	85.87	6,242
11.	राजस्थान	376.04	-	102.54	-
12.	तमिलनाडु	753.99	901.50	1106.20	1,15,289
13.	उत्तर प्रदेश	605.26	202.00	325.52	26,074
14.	पश्चिम बंगाल	574.93	341.89	-	37,181
15.	गोवा	13.48	-	-	-
6.	अरूणाचल प्रदेश	16.70	-	-	-
17.	असम	102.29	80.67	-	6,948
18.	हिमाचल प्रदेश	34.20	3.91	-	-
19.	जम्मू व कश्मीर	59.44	19.54	57.68	1.443
20.	मणिपुर	22.59	5.33	5.35	385
21.	मेघालय	16.80	-	-	-
22.	मिजोरम	11.10	-	8.00	887
23.	नागालैण्ड	21.20	-	-	-

1	2	3	4	5	6
24.	सिक्किम	13.50	2.53	11.55	-
25.	त्रिपुरा	12.11	1.30	1.30	260
26.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	8.18	-	-	
27.	चण्डीगढ़	20.64	-	-	-
28.	दादर नगर हवेली	5.34	0.22	-	-
29.	दमन तथा द्वीव	8.45	-	-	-
30.	पाण्डिचेरी	13.88	-	2.54	-
31.	दिल्ली	8.08	-	-	-
	योग	8083.74	3324.84	3392.97	3,74,105

(रुपये लाखों में)

सृजित कार्य दिवस लाखों में	हडको को सौंपी गई टी एण्ड आई राशि	राज्यों संघ क्षेत्रों द्वारा खर्च टी एण्ड आई राशि	प्रशिक्षित अथवा किए गए किए जा रहे व्यक्ति	एएसडओई यूएलबी/एनजीओ किया गया व्यय (सभी घटक)
7	8	9	10	11
29.00	184.38	94.93	3,810	46.56
0.68	163.49	129.63	8,642	138.22
0.11	90.24	3.91	325	185.01
-	32.84	8.80	695	79.58
10.62	157.31	71.01	1,209	118.23
45.14	70.58	64.81	3,150	29.19
-	176.59	78.26	-	393.97
-	166.15	65.31	3,000	24.00
1.43	50.42	9.00	12	103.88
2.82	50.80	15.20	-	73.21
-	102.97	61.25	1,980	234.32
5574	192.53	134.53	9,708	235.43
-	410.24	248.58	1,649	240.25
-	148.14	12.85	6,816	42.98

	7	8	9	10	11
	-	4.66	-	-	16.43
	-	9.30	-	-	8.24
	0,05	36.38	19.08	1,272	-
	-	20.63	-	-	-
	0.53	28.03	-	-	39.34
	0.19	11.62	1.50	100	59.26
	-	9.30	-	-	-
	0.56	5.83	-	-	61.77
	-	11.33	-	-	-
	-	7.40	-	-	19.7
	0.02	6.02	-	-	37.37
	-	2.50	0.35	23	7.36
	-	4.99	-	-	2.05
	-	2.45	-	-	4.49
	-	4.15	-	-	-
	-	5.56	2.49	140	1.69
	-	1.62	-	-	34.77
योग :	14699	2168.45	2143.06	44,531	2235.50

परिशिष्ट–V

शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा कार्यक्रम के तहत वर्ग 1994–95 के लिए जारी की गई धनराशि

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	यू.बी.एस.पी.	ए.बी.जी.ओ	यू.एल.बी.	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	166.70	6.00	6.90	179.60
2.	बिहार	74.835	5.30	6.15	86.285
3.	गुजरात	57.10	2.95	3.40	63.45
4.	हरियाणा	24.60	1.00	0.95	26.55
5.	कर्नाटक	99.50	5.10	5.90	110.50
6.	केरल	63.13	2.30	2.65	68.08

1	2	3	4	5	6
7.	मध्य प्रदेश	140.75	5.45	6.25	152.45
8.	महाराष्ट्र	115.785	8.25	9.50	133.535
9.	उड़ीसा	46.30	1.50	1.75	49.55
10.	पंजाब	30.65	1.60	1.80	34.05
11.	राजस्थान	89.30	3.10	3.60	96.00
12.	तमिलनाडु	150.90	7.75	8.95	167.60
13.	उत्तर प्रदेश	129.90	6.675	7.70	144.275
14.	पश्चिम बंगाल	59.05	3.025	3.50	65.575
15.	गोवा 10.00	10.00	1.00	-	11.00
16.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
17.	असम	20.05	1.00	0.85	21.90
18.	हिमाचल प्रदेश	10.00	1.00	-	11.00
19.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-
20.	मणिपुर	15.50	1.00	-	16.50
21.	मेघालय	14.00	1.00	-	15.00
22.	मिजोरम	15.50	1.00	-	16.50
23.	नागालैण्ड	-	-	-	-
24.	सिक्किम	15.50	1.00	-	16.50
25	त्रिपुरा	15.50	1.00	-	16.50
26.	अण्डमान व नि. द्वीप समूह	8.33	0.82	-	9.15
27.	चण्डीगढ़	8.325	0.825	-	9.15
28.	दादर व नगर हवेली	16.65	1.65	-	18.30
29	दमन व द्वीव	-	-	-	-
30.	पाण्डिचेरी	10.00	1.00	-	11.00
31.	दिल्ली	-	-	-	-
गैर सरकारी संगठन सी व मंत्रालय से		-	30.00	-	30.00
	योग	1407.855	102.295	69.85	1580.00
	वेतन आदि	-	-		20.00
	सकल योग :				1600.00

स्वास्थ्य रक्षा के संबंध में विचार गोष्ठी

6664. श्री रामविलास पासवान : क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1995 में देश में स्वास्थ्य रक्षा पर एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस विचारगोष्ठी में किन-किन मुख्य मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ;

(ग) क्या सरकार ने विचार गोष्ठी में भारतीय भेषज निर्माता संघ द्वारा दिए गए कुछ सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल प्रोडयूसर्स आफ इंडिया (ओ. पी.पी.आई) और इंटरनेशनल फेडरेशन आफ फार्मास्युटिकल मैन्यूफक्चर्स एसोसिएशन (आई.एफ.पी.एम.ए.) ने 21 और 22 अप्रैल, 1995 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य रक्षा पर एक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी आयोजित की थी। इस विचारगोष्ठी में स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं और इस संबंध में भेषज उद्योग के योगदान पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार का सम्पर्क एक सतत प्रक्रिया है।

केरल में जल आपूर्ति परियोजनाएं

6665. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह निगम के शहरों, तिरुअनन्तपुरम, कोची और कोजीकोड में जलापूर्ति में सुधार करने हेतु उनकी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए विश्व बैंक की सहायता लें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) केन्द्र सरकार के पास राज्य के अन्य शहरों में जलापूर्ति में सुधार करने हेतु केरल सरकार के कितने अन्य प्रस्ताव लंबित है; और

(ङ) ये प्रस्ताव कब तक मंजूर कर दिए जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नही उठते ।

(घ) केरल सरकार/केरल जल प्राधिकरण ने जापान के ओवरसीज इकनामिक को-आपरेशन फंड(ओईसीएफ) से वित्त सहायता लेने के लिए निम्नलिखित जल आपूर्ति स्कीमें पेश की हैं:

(I) साथ लगे 12 गांव और परावर नगर पालिका 71 करोड़ रुपये;

(II) पत्तानुआम और साथ लगे 14 गांव-42 करोड़ रुपये;

(III) चेरथला और साथ लगे 19 गांव-69.25 करोड़ रुपये;

(IV) कालीकट शहरी क्षेत्र-285.20 करोड़ रुपये;

(V) तिरुअनन्तपुरम शहरी क्षेत्र 199.20 करोड़ रुपये ;

(VI) कोच्ची क्षेत्र 234.50 करोड़ रुपये ।

(ङ) यह विभिन्न विभागों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त सूचना आई.सी.एफ द्वारा विहित रूप में प्रस्तुत करने में राज्य सरकार/केरल जल प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले समय पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

अंतर-राज्यीय सड़के/पुल

6666. श्री एन.जे. राठवा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान अप्रैल, 1995 तक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय सड़कों/पुलों के लिए कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता देने के लिए चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र के सड़क कार्यक्रम के लिए सीमित आबंटन होने के कारण आठवीं योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में केवल कुछ चुनिंदा परियोजनाओं पर कार्य करना संभव हो पाया है।

(ग) विस्तृत मानदंड इस प्रकार है

(I) आर-पार आवागमन, सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राज्यीय सड़क/पुल,

(II) नए क्षेत्र खोलने के लिए, जहां निकट भविष्य मे रेल सुविधाएं उपलब्ध नही करवाई जा सकती, अपेक्षित सड़क/पुल,

(III) ऐसी सड़क/पुल को तीव्र आर्थिक विकास में काफी योगदान कर सकते हों अर्थात् पहाड़ी क्षेत्रों और उन स्थानों पर जहां पर्याप्त खनिज संसाधन दोहन के लिए उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद भड़काना

6667. श्री एम.जी. रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के विदेश एवं राष्ट्र मंडल मामले के सचिव (सेक्रेटरी आफ स्टेट फार फारेन एण्ड कामनवेल्थ अफेयर्स ऑफ यू के) के हाल के भारत दौरे के दौरान पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने एवं वहां आतंकवाद को भड़काने के संबंध में वार्ता हुई; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा समर्थन जारी रखने पर हमारी चिंता से श्री डगलस हर्ड को अवगत करा दिया गया था। उन्होंने कहा कि यू के. जम्मू एवं कश्मीर में हिंसा एवं आतंकवाद को प्रोत्साहन न देने की आवश्यकता के बारे में पाकिस्तान से बलपूर्वक कहता रहेगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग

6668. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई को अनुमोदित एवं स्वीकृति देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या खर्चे का वहन राज्य सरकार द्वारा भी किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच संसाधनों की उपलब्धता, नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए निर्धारित मानदण्डों, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों, अखिल भारतीय आधार पर किसी सड़क की पारस्परिक प्राथमिकता तथा क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की निकटता आदि के संदर्भ में की जाती है। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय आदि द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाता है और अंततः अनुमोदित किया जाता है।

(ख) और (ग). किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा उस पर कोई व्यय नहीं किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को सुदृढ़ बनाना

6669. श्री जे. चोक्का राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ चुनिंदा सेक्शनों को सुदृढ़ बनाने के लिए मार्च 1995 के दौरान किसी परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश में इस प्रयोजनार्थ राजमार्गों के किसी सेक्शन को चुना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर : (क) जी हां।

(ख) और (ग). आंध्र प्रदेश मे रा.रा.-5 और रा.रा.-7 पर चार सुदृढ़ीकरण कार्यों को मार्च, 1995 में स्वीकृति दी गई है। इनकी लागत 12.06 करोड़ रु० होगी।

[हिन्दी]

अंटार्कटिका अभियान

6670. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के उन दलों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विभिन्न अंटार्कटिका अभियानों मे भाग लिया है;

(ख) अंटार्कटिका में उनके द्वारा किये गये सर्वेक्षणों और परीक्षणें का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इन सर्वेक्षणों से देश को क्या लाभ होंगे; और

(घ) इन दलों को अभियान के लिए भेजने पर कितनी धनराशि खर्च हुई?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) अंटार्कटिका अभियानों में भाग लेने वाले भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिक दल का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	अभियान	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों की संख्या
1992-93	12वां	3
1993-94	13वां	2
1994-95	14वां	3

(ख) अंटार्कटिका में किए गए सर्वेक्षण और परीक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

भूविज्ञान	हिमनद विज्ञान
1) भूवैज्ञानिक मानचित्रण	(1) महाद्वीपीय बर्फ संतुलन
2) भूवैज्ञानिक मूल्यांकन	(2) ग्लेशियर डायनामिक्स
3) टैक्टोनिक्स	(3) स्नो आईस स्ट्रेटिग्राफी
4) मेग्माटिज्म	(4) पैलाओक्लाइमेट
5) अंतरमहाद्वीपीय सहसंबंध	(5) विश्वव्यापी परिवर्तन
6) जियोपेरफोलाजिकल अध्ययन	
7) जियोक्रोनोलाजी	
8) पैलाओमेग्नेटिज्म	

(ग) कुल 9000 वर्ग किमी. क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है तथा एकत्र किए गए 2000 रॉक नमूने दूरस्थता (रिमोटनैस) के कारण बेशकीमती हैं।

भूवैज्ञानिक अध्ययन यथा मानचित्रण, सैम्पलिंग और प्रयोगशालात्मक आगतों से क्रस्टल मूल्यांकन, तराई विकास ओर 200 मिलियन वर्ष पहले जीवन की शुरूआत के संबंध में भारत में भूविज्ञान संबंधी और अधिक जानकारी मिलने की आशा है।

अंटार्कटिका की बर्फीली परतों में भूतकाल में हुए मौसम संबंधी विश्वव्यापी परिवर्तनों के संकेत मिलते हैं। अध्ययनों से विश्व के मौसम क्षेत्र और पर्यावरणात्मक परिवर्तनों के बारे में जानकारी मिलती है।

अंटार्कटिका की बर्फ के व्यापक संतुलन के उतार चढ़ावों में होने वाले परिवर्तनों से संपूर्ण भूप्रणाली में भावी विश्वव्यापी परिवर्तनों के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिये महत्वपूर्ण मानदंड मिलते हैं।

(घ) समुद्री विकास विभाग अंटार्कटिका का दल भेजता है तथा सभी खर्चों को वहन करता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दल को अंटार्कटिका भेजने के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान समुद्री विकास विभाग द्वारा किए गए कुल खर्च 41.35 करोड़ रु0 का ब्यौरा निम्नवत है:-

12वां अभियान (92-93)	14.90 करोड़ रु0
13वां अभियान (93-94)	13.70 करोड़ रु0
14वां अभियान (94-95)	12.75 करोड़ रु0
कुल =	41.35 करोड़ रु0

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पासपोर्ट, कार्यालय, हैदराबाद

6671. श्री एम.जी. रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद द्वारा गत एक वर्ष के दौरान पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने पासपोर्ट जारी किए गए; और

(ख) इस कार्यालय द्वारा पासपोर्ट संबंधी मामलों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाएंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) वर्ष 1994-95 (1.4.94से 31.3.95 तक) के दौरान हैदराबाद, पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की संख्या 124743 थी और उसी अवधि के दौरान जारी किए गए नए पासपोर्टों की संख्या 132442 थी।

(ख) सरकार ने पासपोर्टों की शीघ्र जारी करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कार्यालय सुविधाओं को उन्नत करना, प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा, पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और कम्प्यूटरीकरण। हैदराबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय को भी 25 अप्रैल, 1995 से कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।

अमरीका-पाकिस्तान गठबंधन

6672. श्री प्रणव कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 24 मार्च, 1995 के "फाइनान्सियल एक्सप्रेस" में "यू एस लुकिंग ऐट पाक ऐज ऐली टू फाइट टेरोरिज्म" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जम्मू तथा काश्मीर में आतंकवाद को सहायता देने तथा बढ़ावा देने में पाकिस्तान की वास्तविक भूमिका को दर्शाने के लिए वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास अथवा इसकी लाबियों द्वारा कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) अमरीकी प्रशासन के सदस्यों द्वारा दिए गए उन वक्तव्यों की सरकार को जानकारी है जिनमें इस्लामी अतिवाद और आतंकवाद के खतरे को रोकने में नेता के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की गई है। तथापि सरकार का बराबर यह मानना रहा है कि इस बात का अकाट्य साक्ष्य है कि भारत में आतंकवाद को दुष्प्रेरित करने में पाकिस्तान का सक्रिय हाथ है और सरकार इस बात से मित्र देशों को अवगत कराती रही है जिनमें अमरीकी भी शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) वाशिंगटन स्थित भारत के राजदूतावास ने समर्थन जुटाने वाली फर्म की सहायता से अमरीका में मत-निर्माताओं को इस आशय के विस्तृत तथा अकाट्य साक्ष्य मुहैया कराये हैं कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवाद को सहायता दे रहा है और उसे दुष्प्रेरित कर रहा है। अमरीकी कांग्रेस, अमरीकी संचार माध्यम के सदस्यों तथा अन्य मत-निर्माताओं की जम्मू-कश्मीर यात्राओं को सुविधाजनक बनाया गया ताकि वे स्थिति को स्वयं देख सकें।

राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति

6673. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रिय भूमि उपयोग नीति के अन्तर्गत खेती योग्य भूमि की उपलब्धता के आकलन के लिए सिक्किम में कोई अध्ययन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति के अन्तर्गत खेती योग्य भूमि की उपलब्धता के संदर्भ में सिक्किम में कोई अध्ययन करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कृषि मंत्रालय के तहत अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा एकत्रित और संकलित भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार सिक्किम में 1991-92 के आंकड़ों के अनुसार खेती योग्य 114 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल है।

खतरनाक रसायनों की ढुलाई

6674. श्री एस एम लालजान बाशा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर खतरनाक रसायनों तथा सामग्री की ढुलाई के संबंध में विशेष नियम बनाए गए हैं/बनाए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). रासायनिक पदार्थ अथवा खतरनाक सामग्री की ढुलाई, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 129 से 137 के तहत आती हैं। ये नियम 1 जुलाई, 1989 से लागू किए गए थे और 26.3.93 से इनमें थोड़ा संशोधन किया गया था। खतरनाक माल ढोले वाले सभी वाहनों पर ये नियम लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में प्रचालन में हों।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में आवास एजेंसियों को हुडको की ओर से ऋण

6675. श्री वसंत गेद्रे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में हुडको द्वारा विभिन्न आवास एजेंसियों को दिए जाने वाले ऋण में प्रति वर्ष कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में हुडको द्वारा विभिन्न आवास एजेंसियों को कुल कितना ऋण मंजूर किया गया और कितनी राशि जारी की गई;

(ग) क्या हुडको का विचार महाराष्ट्र में विभिन्न एजेंसियों को दिए जाने वाले ऋण में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में गत दो वर्षों के दौरान आवास परियोजनाओं हेतु ऋण नियतन और स्वीकृतियों में कोई कमी नहीं हुई जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:-

(रु० करोड़ों में)

वर्ष	ऋण नियतन की राशि	स्वीकृत ऋण राशि	रिलीज की गई राशि
1993-94	79.96	51.17	50.35
1994-94	89.88	73.90	41.03

वर्ष 1993-94 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान ऋण रिलीज में कुछ कमी हुई है। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियों के रिलीज का प्रश्न निर्माण कार्यों की वास्तविक प्रगति के आधार पर आवास एजेंसियों के लिये निधियों की मांगों से जुड़ा हुआ है।

(ग) और (घ). हुडको ने न्यूनतम ऋण नियतन करने की पद्धति में परिवर्तन किया है। परिवर्तित पद्धति के अनुसार, उपलब्ध निधियों के केवल 50% का नियतन राज्यों से विशेष मांग प्राप्त होने पर किया जायेगा। इस आधार पर, वर्ष 1995-96 के दौरान महाराष्ट्र के निर्माण कार्यों के लिए प्रारम्भिक नियतन 49.32 करोड़ रु० बैठता है।

[अनुवाद]

झींगा मछली प्रसंस्करण उद्योग

6676. श्री फूलचंद वर्मा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के अधीन झींगा मछली प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार झींगा मछली के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार नई इकाईयों की स्थापना करने के लिए झींगा मछली प्रसंस्करण क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अधीन झींगा मछली प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या क्रमश: 4 से 357 है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान झींगा मछली के निर्यात से निम्नलिखित विदेशी मुद्रा अर्जित की गई:-

(मात्रा मी.टन में)

वर्ष	निर्यात	(मूल्य करोड़ रुपये में)
1992-93	मात्रा	74051
	मूल्य	1176.83
1993-94	मात्रा	86541
	मूल्य	1770.73
1994-95	मात्रा	101776
	मूल्य	2414.40

(ग) और (घ). नई समुद्री खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को वित्तीय सहायता देने से संबंधित सब्सिडी स्कीमें निम्नलिखित हैं:-

1. स्वचालित फ्लैक/चिप/टयूब आइस मैकिंग मशीनों के लिए सब्सिडी।

2. प्राइम मूवर और जनरेटिंग सैट समेत प्रशीतित ट्रक/कन्टेनर/ट्रेलर के लिए सब्सिडी।

3. जनरेटर सैट के लिए सब्सिडी।

4. इन्सुलेटिड फिश बॉक्स के वितरण के लिए सब्सिडी।

5. मछली के प्रसंस्करण, परिरक्षण और विपणन को बुनियादी सुविधाओं के सृजन के वास्ते सहायता।

गुजरात में पेयजल की कमी

6677. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूनागढ़, भावनगर और राजकोट के नागरिकों को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या पेय जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए नर्मदा नदी के जल को इन शहरों में लाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) गुजरात सरकार ने जूनागढ़, भावनगर तथा राजकोट कस्बों में पेय जल की विकट कमी होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

(ख) और (ग) नर्मदा नदी से 135 शहरी केन्द्रों को पीने का पानी मिलेगा।

इन शहरी केन्द्रों के जिला-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	क्षेत्र	शहरी केन्द्रों की संख्या
1.	सौराष्ट्र क्षेत्र	90
2.	कच्छ	10
3.	बनसकान्या	3
4.	मेहसाना	13
5.	साबरकान्या	4
6.	अहमदाबाद	12
7.	पंचमहल	3
	योग	135

(घ) और (ङ). इस बारे में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा स्थापित एकक

6678. डा. वसन्त पवार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा देश में 31 मार्च, 1995 तक कितने एकक स्थापित किए गए;

(ख) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो नए एकक स्थापित करने के लिए किन राज्यों/स्थानों का चयन किया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी) द्वारा देश में स्थापित इकाइयों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:-

राज्य	इकाई का नाम
मध्य प्रदेश	1. बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना, निक्षेप-14 बस्तर जिला
	2. बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना, निक्षेप-11-सी जिला बस्तर
	3. बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना, निक्षेप-5, जिला-बस्तर
	4. पन्ना हीरा खान, पन्ना जिला
कर्नाटक	5. दोणिमले लौह अयस्क परियोजना, जिला-बेल्लारी
	6. कुमार स्वामी लौह अयस्क परियोजना जिला-बेल्लारी
	7. चार्वडिया चूना-पत्थर खान, जिला- नागौर

(ख) और (ग). स्थापित की जाने वाली एन.एम.डी.सी. द्वारा अभिज्ञात परियोजना और उनका राज्य/स्थान नीचे दिया गया है:-

1. मध्य प्रदेश राज्य के बस्तर जिले में बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप-11 बी।

2. मध्यप्रदेश राज्य के बस्तर जिले में बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप-11 तथा 11 ए. ।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले मे आर्की चूना पत्थर परियोजना।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग

6679. डा. परशुराम गंगवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित करने और इसकी घोषणा करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख). जी हां। अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए निम्नलिखित 3 जलमार्गों को विकसित किए जाने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित का प्रस्ताव है:-

(1) सुन्दरवन-सागर और बंगला देश सीमा(191 कि.मी.) के बीच अन्तर्राष्ट्रीय स्टीमर मार्ग।

(2) गोदावरी नदी-चेरला से राजमुन्दरी (208 कि.मी.) तथा डेल्टा नहरें।

(3) गोवा जलमार्ग अर्थात/ मंडोवी नदी (41 कि.मी.), जुआरी नदी (64 कि.मी.) और कोम्बुर्जुआ नहर प्रणाली (17 कि.मी.) ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

6680. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु निर्धारित राशि में पर्याप्त वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में श्रेणी-II दर्जे वाले शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए एक नई योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने शहरी लोगों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी राशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां। ऐसा देश में द्वितीय श्रेणी के कस्बों में रहने वाले शहरी गरीबों के लिए एक नई स्कीम लागू करने हेतु किया गया है।

(ग) स्कीम की खास बातें इस प्रकार है:-

(1) सामाजिक क्षेत्र के लक्ष्यों का कारगर प्राप्ति,

(2) समुदाय को अधिकार देना,

(3) अनवरत सहायता प्रणाली के माध्यम से प्रचार,

(4) स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था का सुधार, तथा

(5) पर्यावरण सुधार।

(घ) इस नई स्कीम के तहत सन् 2000 के अन्त तक करीब 10 मिलियन शहरी गरीबों लाभ पहुंचाने का कार्यक्रम है।

(ङ) स्कीम के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकारों/संघ राज्यों के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की सप्लाई

6681. श्री चेतन पी.एस. चौहान :

श्री मोहन रावले :

श्री एन.डी.डी.एस. मूर्ति :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की एफ-16 युद्धक विमानों की सप्लाई करने के अमरीकी प्रस्ताव के बारे में हाल में छपी खबरों की सरकार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार इन खबरों की जानकारी है कि अमरीकी प्रशासन यह चाहता है कि अमरीकी कांग्रेस प्रेसलर संशोधन के संबंध में लचीला रुख अपनाये। उम्मीद है कि अमरीकी प्रशासन इस संबंध में कांग्रेस के समक्ष प्रस्ताव रखेगा जिनमें पाकिस्तान को एफ 16 विमान और अन्य सैन्य उपकरण अन्तरित करने अथवा पाकिस्तान द्वारा पहले से अदा की जा चुकी रकम वापस करने से सम्बद्ध प्रस्ताव भी शामिल हो सकते हैं।

(ख) और (ग). सरकार ने अमरीकी प्रशासन को इस बात अवगत करा दिया है कि हालांकि प्रेसलर संशोधन अमरीका तथा पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मसला है फिर भी पाकिस्तान को अत्याधुनिक और उच्च निष्पादन हथियार प्रणालियों जिनमें एफ 16 विमान जो नाभिकीय शस्त्रों का प्रक्षेपण करने में सक्षम हैं, भी शामिल हैं, के अन्तरण से भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को पेश आने वाले खतरों का जायजा लेकर रक्षा तैयारी का सुनिश्चय करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कृतसंकल्प है।

अमरीकी अण्डर सैक्रेटरी आफ स्टेट का दौरा

6682. श्री कोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री सुधीर सावंत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीकी "अण्ड सैक्रेटरी आफ स्टेट फार पोलिटिकल एफैयर्स" के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस शिष्टमंडल ने भारतीय समतुल्य पदाधिकारियों के साथ किन-किन विषयों पर चर्चा की और इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). जी हां। अमरीका के अंडर सक्रेटरी आफ स्टेट फार पालिटिकल अफेयर्स श्री पीटर टर्नोफ के नेतृत्व में विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल विदेश नीति पर परामर्श करने के लिए 3 से 4 अप्रैल, 1995 तक भारत की यात्रा पर आया था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश सचिव ने किया था। यह बातचीत उस सतत् प्रक्रिया का एक हिस्सा थी जिसे भारत और अमरीका के बीच संबंधों में विस्तार करने और उन्हें गहन बनाने के लिए हमारे प्रधान मंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने मई 1994 में उस समय शुरू किया था जब उन्होंने दोनों देशों के बीच एक नई भागीदारी की शुरूआत करने का निर्णय लिया था।

(ग) जिन विषयों पर बातचीत हुई उनमें क्षेत्रीय एकता जिसमें यूरोपीय सुरक्षा संरचना भी शामिल है, एपेक, आसियान, सार्क और हिन्द महासागर रिम बहुपक्षीय मसले यथा संयुक्त राष्ट्र सुधार, सुरक्षा परिषद का विस्तार और शान्ति स्थापना, संयुक्त राष्ट्र महासभा संबंधी मसले और नाभिकीय अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन, तथा क्षेत्रीय मसले यथा मध्य पूर्व शान्ति प्रक्रिया, खाड़ी, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया शामिल थे। इस बात पर सहमति हुई कि इस प्रकार के नीति विषयक परामर्श भविष्य में भारत और अमरीका के बीच क्रिया-कलाप का एक नियमित हिस्सा होंगे।

(घ) इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. के खाली फ्लैट

6683. श्री एन.जे. राठवा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौलिक सुविधाओं के अभाव में डी.डी.ए. के कितने फ्लैट खाली पड़े हैं;

(ख) खाली पड़े डी.डी.ए. फ्लैट किस-किस टाइप के हैं तथा ये कहां-कहां हैं और ये कब से खाली पड़े हैं;

(ग) इसके परिणाम स्वरूप डी.डी.ए. को कितना वित्तीय घाटा हुआ है; और

(घ) इन फ्लैटों में सरकार द्वारा कब तक मौलिक सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम

6684. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री जे० चोक्का राव :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 को निरस्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके परिणामस्वरूप क्या-क्या सुविधाएं दी जाएंगी और राज्य-वार कौन-कौन से प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे;

(ग) क्या सरकार ने गुड़ नियंत्रण आदेश को भी निरस्त करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसका अवैध शराब बनाने, विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश में जहां शराब पर प्रतिबन्ध है, के सम्बन्ध में क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) जी हां।

(ख) जैसे ही धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 को निरस्त किया जाएगा देश में कोई भी व्यक्ति धान-कुटाई कार्य करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(ग) जी हां। गुड़ नियंत्रण आदेश 21.3.95 से निरस्त कर दिया गया है।

(घ) ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना को जलापूर्ति

6685. श्री जे. चोक्का राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र को पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त परियोजना को आंध्र प्रदेश की श्रीराम सागर परियोजना को आंध्र प्रदेश की श्रीराम सागर परियोजना से अस्थाई रूप से जलापूर्ति हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस जलापूर्ति के कारण रैयत पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, या रहा है; और

(ङ) सरकार का विचार रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र को पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) आंध्र प्रदेश के रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र को पर्याप्त जल-आपूर्ति की जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) श्रीराम सागर परियोजना की पोचमपड़ नहर से विद्युत परियोजना को स्थाई आधार पर जल-आपूर्ति की जा रही है।

(घ) किसानों को जल-आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है।

(ङ) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रामागुंडम सुपर ताप विद्युत केन्द्र को स्थाई आधार पर पर्याप्त जल-आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक जल-पोतों की मियाद

6686. श्री तेज नारायण सिंह :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जलपोतों को खरीदने के लिए निर्धारित समय-सीमा में छूट देने संबंधी जलपोत-मालिकों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जलपोत-मालिकों द्वारा किए गए अनुरोध पर पुनर्विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) विदेशी वाणिज्यिक-जलपोतों की तुलना में भारतीय वाणिज्यिक-जलपोतों की औसत मियाद कितनी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्रीय (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ). जी नहीं। सरकार ने आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में नौवहन उद्योग को और संवर्द्धन के उद्देश्य से आयात के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पुराने जलयानों की खरीद के लिए आयु संबंधी मापदण्डों में छूट प्रदान की है।

(ङ) भारतीय जहाजों की औसत आयु 12.7 वर्ष है जबकि विश्व स्तर पर औसत आयु 17 वर्ष है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड

6687. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1993-94 के दौरान हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम एकक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग). जी, हां। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (एच.सी.एल) को 1993-94 के दौरान तांबे के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तीव्र गिरावट और खराब बाजार स्थिति, निम्न श्रेणी के अयस्क की आन्तरिक समस्याओं के अलावा देश में ज्ञात भंडारों की सीमित मात्रा, कम स्तर पर संचालन आदि के कारण 69.55 करोड़ रु० की शुद्ध हानि हुई। अपने प्रचालनों की व्यवहार्यता सुधारने के लिए कम्पनी ने लागत कम करने संबंधी अनेक उपाय अपनाये हैं तथा आयातित सान्द्र तांबा इस्तेमाल करके खेतड़ी स्थित अपने प्रगालक की वर्तमान क्षमता को 31,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,00,000 टन प्रति वर्ष करने के लिए एक योजना भी तैयार की है।

[अनुवाद]

बाल्टिक मालभाड़ा सूचकांक

6688. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल्टिक मालभाड़ा सूचकांक की गणना किस प्रकार की जाती है; और

(ख) भारतीय जहाजरानी कम्पनियों के कार्यनिष्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) फिलहाल, बाल्टिक, मालभाड़ा सूचकांक की गणना निम्नलिखित आधार पर प्रतिदिन की जाती है:-

मार्ग	जिन्स	मात्रा
1. अमरीकी खाड़ी-उत्तरी महाद्वीप	खाद्यान्न	10 प्रतिशत
2. ट्रांसएटलांटिक राउंड	टी/सी	10 प्रतिशत
3. अमरीकी खाड़ी-जापान	खाद्यान्न	10 प्रतिशत
4. अमरीकी खाड़ी-एफ ई टी सी	खाद्यान्न	10 प्रतिशत
5. अमरीकी उत्तरी प्रशान्त-जापान	खाद्यान्न	10 प्रतिशत
6. ट्रांसपैसिफिक राउंड-	टी/सी	10 प्रतिशत
7. एच. रोड्स-आर बे-जापान	कोयला	7.5 प्रतिशत
8. एच. रोड्स रोट्टरडैम	कोयला	7.5 प्रतिशत
9. क्विन्ज़्लैंड- रोट्टरडैम	कोयला	7.5 प्रतिशत
10. नोपैक से सुदूर पूर्व-महाद्वीप	टी सी	10 प्रतिशत
11. टुबारोआ-रोट्टरडैम	लौह अयस्क	7.5 प्रतिशत

(ख) बाल्टिक मालभाड़ा सूचकांक में वर्तमान बढ़ोत्तरी से भारतीय नौवहन कंपनियों को शुष्क बल्क सैक्टर में लाभ की संभावना है, जो कि भारतीय बेड़े का लगभग 42 प्रतिशत है।

आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर नगरपालिका को सहायता

6689. श्री एस.एम. लाल जान बाशा:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में गुंटूर नगरपालिका को सफाई और जल आपूर्ति योजनाएं शुरू करने के लिए धनराशि देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम और अन्य वित्त पोषी एजेंसियों से आदर्श शहर के रूप में गुंटूर का विकास करने के लिए धनराशि देने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गुंटूर को एक आदर्श शहर के रूप में विकसित करने हेतु धनराशि मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार ने जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय एजेंसियों से नहीं कहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात की छड़ों का निर्यात

6690. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा किन-किन देशों को इस्पात की छड़ों का निर्यात किया जाता है;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी छड़ों का निर्यात किया गया और इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ग) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 1995-96 के दौरान इस्पात छड़ों के निर्यात संबंधी अनुमानित आंकड़े क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) भिलाई इस्पात संयंत्र इस समय इस्पात की छड़ों का निर्यात नहीं कर रहा है।

(ख) 1993-94 और 1994-95 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात की छड़ों का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ग) 1995-96 के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात की छड़ों का निर्यात करने की कोई योजना नहीं है।

राज्यों को आर.ई.सी ऋण

6691. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आरईसी ने राज्यों को आसान शर्तों पर 15 से 30 वर्ष की अवधि में लौटाए जाने वाला ऋण प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिकांश ऋण की भुगतान अवधि पूरी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना है और आरईसी को अभी तक कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न ऋणों के करारों की शर्तों के अनुसार, ऋण-स्थगन अवधि के समाप्त होने के पश्चात् मूल राशि की वापसी अदायगी प्रत्येक वर्ष किस्तों में देय हो जाती है।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दिए गए कुल ऋण की तुलना में, 31.3.1995 के अनुसार (अंतिम) प्रत्येक राज्य द्वारा देय राशि और अभी तक प्राप्त राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उधारकर्ताओं द्वारा देय मूल राशि, आरईसी द्वारा प्राप्त किए गए भुगतान और 31 मार्च, 1995 तक बकाया राशियों को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य	उधारकर्ताओ द्वारा किया जाने वाला पुनः भुगतान	31.3.95 तक प्राप्त पुनः भुगतान	31.3.95 तक देय परंतु अप्राप्त राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	18547	18450	97
2.	अरुणाचल प्रदेश	120	120	-
3.	असम	5243	2644	2599
4.	बिहार	18883	8495	10388
5.	गुजरात	9375	9375	-
6.	हरियाणा	7392	7392	-

1	2	3	4	5
7.	हिमाचल प्रदेश	3234	3234	-
8.	जम्मू व कश्मीर	2792	2688	104
9.	कर्नाटक	11186	11186	-
10.	केरल	4412	4412	-
11.	मध्य प्रदेश	32329	24313	8016
12.	महाराष्ट्र	23674	23674	-
13.	मणिपुर	391	391	-
14.	मेघालय	1752	1292	459
15.	मिजोरम	32	32	-
16.	नागालैंड	778	778	-
17.	उड़ीसा	12085	8217	3868
18.	पंजाब	12367	12367	-
19.	राजस्थान	14397	14397	-
20.	सिक्किम	238	238	-
21.	तमिलनाडु	12334	12334	-
22.	त्रिपुरा	878	878	-
23.	उत्तर प्रदेश	27629	113.53	16276
24.	पश्चिम बंगाल	12767	7200	5567
	जोड़ :	232835	185461	47374

स्पंज आयरन का उत्पादन

6692. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में स्पंज आयरन की उत्पादन संभावना का पता लगाया है;

(ख) क्या स्पंज आयरन का उत्पादन करने वाली प्रायोगिक परियोजनाएं स्थापित की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आन्ध्र प्रदेश में स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड की क्या स्थिति है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग). स्पंज लोहा इस्पात प्रगलन स्क्रैप का एक आशिका एवजी है। तदनुसार सरकार ने स्पंज लोहे का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया है। स्पंज लोहे के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने की दिशा में सन् 1980 में स्पंज आयरन इंडिया लि० (सिल) को लम्प आयरन अयस्क और 100% अकोककर कोयले से स्पंज लोहा तैयार करने की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने हेतु यू एन डी पी/यू एन आई डी ओ की सहायता से आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक प्रदर्शन संयंत्र के रूप में स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त सेल के अधीन आर डी सी आई एस रांची ने भी मार्च, 1982 में समान उद्देश्यों को लेकर एक प्रायोगिक संयंत्र, जो कि अप्रैल, 1993 तक नियमित प्रचालन में रहा, चालू किया।

स्पंज आयरन इंडिया लि० का नियमित प्रचालन नवम्बर, 1980 में 30,000 टन वार्षिक क्षमता के साथ प्रारम्भ हुआ। अक्तूबर, 1985 में इस इकाई की क्षमता बढ़कर 60,000 टन वार्षिक हो गई। इस संयंत्र में स्पंज लोहे का उत्पादन वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (अन्तिम) के दौरान क्रमशः 49,110,48,550 और 50,375 टन रहा। वर्ष 1994-95 के दौरान स्पंज आयरन इंडिया लि० को 3.25 करोड़ रुपये (अन्तिम) की निवल हानि उठानी पड़ी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए राज्यों को निर्देश

6693. श्री एम० जी० रेड्डी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दिए है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इस उद्योग को प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित किया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) : (क) और (ख). राज्य के प्रतिनिधियों तथा नोडल एजेन्सियों की बैठकों के दौरान राज्यों को परामर्श दिया गया कि वे अपने राज्यों में कृषि-खाद्य उद्योगों को प्राथमिकता दें। उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिकतर सभी राज्यों ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रणोद क्षेत्र घोषित किया है।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

6694. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में शुरू किए गए कार्यक्रम के विस्तार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी और विस्तार कार्यक्रम को लागू करने के पश्चात् कुल कितना उत्पादन होने की आशा है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलैरो) : (क) और (ख). इस समय मै० नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन एफ एल) अपने विजयपुर (मध्यप्रदेश) संयंत्र की 987.30 करोड़ रु० की अनुमानित पूंजीगत लागत पर 7.26 लाख मी.टन प्रति वर्ष अतिरिक्त यूरिया उत्पादित करने के लिए क्षमता का विस्तार कर रहा है। इस परियोजना के 01.01.1994 तक चालू होने की सम्भावना है।

नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन एफ एल) के निदेशक मण्डल ने सिद्धान्त रूप में, क्रमशः लगभग 1000 करोड़ रु० और 40 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर अपने पानीपत और नंगल संयंत्रों की क्षमता के विस्तार के प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप लगभग 9 लाख टन यूरिया का प्रति वर्ष अतिरिक्त उत्पादन होगा।

रामागुण्डम विद्युत परियोजना

6695. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रामागुण्डम विद्युत परियोजना का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना का अब तक दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी; और

(घ) रामागुण्डम राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम संयंत्र की कुल उपयोग क्षमता कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). जी, हां। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) ने चरण-3 के अन्तर्गत 500 मे.वा. की एक यूनिट की अभिवृद्धि करके अपनी वर्तमान रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना (2100 मे.वा.) का विस्तार करने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। व्यवहार्यता रिपोर्ट की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है। वर्ष 1995 की प्रथम तिमाही के मूल्य स्तर पर विस्तार परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1435.45 करोड़ रुपये बैठती है। परियोजना को विदेशी वाणिज्यिक उधारों, घरेलू उधारों और एन टी पी सी के आंतरिक संसाधनों से वित्त पोषित किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के अन्तर्गत 500 मे.वा. की यूनिट को निवेश अनुमोदन की तारीख से 62 महीने में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

(घ) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना (2100 मे.वा) के मामले में पिछले चार वर्षों के दौरान क्षमता समुपयोजन अर्थात् संयंत्र भार अनुपात (पी एल एफ) निम्नलिखित रहा है -

क्र. सं.	वर्ष	पी एल एफ(प्रतिशत)
1.	1991-92	61.12
2.	1992-93	67.32
3.	1993-94	79.33
4.	1994-95	78.80

अप्रैल, 1995 के दौरान पी एल एफ 87.84 प्रतिशत था।

पूर्वी राज्यों में विद्युत संकट

6696. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इनका ध्यान 28 अप्रैल, 1995 के "इकनॉमिक टाइम्स में "ईस्टर्न स्टेट्स इन थ्रोसेस ऑफ पावर क्राइसिस शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या तथ्य बताए गए है; और

(ग) विद्युत संकट के कारणों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). पूर्वी क्षेत्र में 200/210 मेगावाट के 18 यूनिटों में से अप्रैल 1995 के महीने के दौरान 200/210 मेगावाट की 8 यूनिट विभिन्न कारणवश भिन्न अवधि के लिए बन्द रहे थे। ब्यौरा निम्नानुसार है।

प.ब. वि. बोर्ड	
बंडेल यूनिट-5 (210 मेगावाट)	प्रचलनात्मक समस्याओं के कारण अप्रैल, 95 के दौरन 283 घंटों के लिए बन्द रहा।
बिहार	
तेनुघाट विद्युत निगम यूनिट-1 (210 मेगावाट)	नई यूनिट/अस्थिर
प. बंगाल विद्युत विकास निगम (डब्ल्यू बी.पी.डी.सी.)	
कोलाघाट यूनिट-2 (210 मेगावाट)	कोयला आपूर्ति प्रणाली के फेल हो जाने के कारण अप्रैल, 95 के दौरान 432 घंटो के लिए बंद रहा
दामोदर घाटी निगम(डीवीसी)	
बोकारो यूनिट-6 (210 मेगावाट)	प्रचालानात्मक समस्याओं के कारण अप्रैल, 95 के दौरान 8 दिन के लिए बंद रहा।
बोकारो यूनिट-7 (210 मेगावाट)	जेनरेटर रोटर क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण 27 दिन के लिए बन्द रहा।
दुर्गापुर यूनिट-4 (210 मेगावाट)	जेनरेटर रोटर क्षतिग्रस्त होने के कारण 27 दिन के लिए बन्द रहा।
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी)	
कहलगांव यूनिट-2 (210 मेगावाट)	प्रचालनात्मक समस्याओं के कारण 27.4.95 से बन्द।
कहलगांव यूनिट-3 (210 मेगावाट)	नई यूनिट, अस्थिर

अप्रैल-95 के महीने के दौरान कम कोयला सप्लाई किए जाने के कारण कोलाघाट में विद्युत केन्द्र से अल्पावधि के लिए सीमित विद्युत उत्पादन करना पड़ा।

अप्रैल, 95 के महीने के दौरान पूर्वी क्षेत्र के बारे में विद्युत सप्लाई स्थिति का ब्यौरा निम्नवत् है।

विद्युत सप्लाई की स्थिति		अप्रैल, 1995	
ऊर्जा (मिलियन यूनिटनिवल)		व्यस्ततमकालीन (मेगावाट निवल)	
1		2	
आवश्यकता	3560	व्यस्तत्म कालीन मांग	6990
उपलब्धतता	3069	व्यस्ततम कालीन आपूर्ति	5500
कमी	491	कमी	1490
प्रतिशत कमी	13.8%		21.3

(ग) विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं :- नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण किए जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, विभिन्न मांग प्रबंध एवं ऊर्जा संवर्धन उपायों को अपनाना, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा के अनतरण की व्यवस्था करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के अन्तरण निवेश को प्रोत्साहन देना।

परिवहन संबंधी बाधाएं

6697. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में सामान्य रूप एवं दक्षिणी राज्यों में विशेष रूप से परिवहन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). बसों में भीड़, सड़कों पर भीड़-भाड़ और सड़कों की असंतोषजनक स्थिति इस देश में कुल मिलाकर सामान्य रूप से परिवहन संबंधी बाधाओं के मुख्य कारण हैं। इस बारे में ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। तथापि, सरकार ने परिवहन और सड़क निर्माण के क्षेत्र में जहां भी संभव हो, निजी क्षेत्र के सहयोग से इन बाधाओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

गौरीपुर ताप विद्युत परियोजना

6698. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता के निकट गौरीपुर ताप विद्युत परियोजना बंद होने के कगार पर है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि गौरीपुर ताप विद्युत परियोजना को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विद्युत परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता

6699. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारत को ऋण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एशियाई विकास बैंक से ऋण के लिए संस्तुत की गई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान जिन विद्युत परियोजनाओं को एशियाई विकास बैंक से ऋण मिला, उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन वर्षों के दौरान एशियाई विकास बैंक से राज्य-वार कितना ऋण प्राप्त हुआ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल रख दी जाएगी।

(ग) और (घ). 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता हेतु दिनांक 23.04.1992 को विद्युत वित्त निगम (पी एफ सी) की विद्युत दक्षता परियोजना के संबंध मे एशियाई विकास बैंक के साथ हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र मे निम्नलिखित परियोजनाएं एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त कर रही है:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	स्वीकृत ऋण	31.3.95 तक
1	उत्तरी मद्रास ताप विद्युत परियोजना	तमिलनाडु	150	109.5
2	...थल सीमा ताप विद्युत	आंध्र प्रदेश	190	143.3
3.	द्वितीय उत्तरी मद्रास ताप विद्युत परियोजना	तमिलनाडु	200	101.3

आंध्र प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं को सहायता

6700. **श्री धर्मभिक्षम :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) क्या अब तक कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार सामान्यतया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए ब्लॉक योजना सहायता उपलब्ध कराती रही है। यह सहायता विशिष्ट क्षेत्रों/परियोजनाओं स्कीमों के लिए तब तक उपलब्ध नहीं कराई जाती, जब तक कि उन्हें राज्यों द्वारा उल्लिखित "विशेष समस्याएं" मानदण्ड के अंतर्गत विनिर्दिष्ट और आबंटित न किया गया हो।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आवासीय योजनाएं

6701. **श्री खेलन राम जांगड़े :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ आवासीय योजनाएं स्वीकृति तथा वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सभी योजनाओं को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) ऐसी प्रत्येक योजना को कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). संघ सरकार को भोपाल, इन्दौर, रायपुर, जबलपुर एवं ग्वालियर (राजभोगी नगर) में प्लाटों के विकास और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आवास की योजना प्राप्त हुई है जिसके लिए 109.50 करोड़ रु0 की ऋण सहायता भी मांगी गयी है।

राजभोगी नगरों की इस परियोजना को कुछ कमियो का उल्लेख करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को मार्च, 94 में इस सुझाव के साथ लौटा दिया गया था कि परियोजना की रूप-रेखा पुनः इस प्रकार तैयार की जाए कि इच्छुक लाभार्थियों के लिए यह परियोजना व्यवहार्य एवं क्रय योग्य बन सके।

(ग) प्रश्न नही उठता।

दिल्ली में सड़कों की वाहन क्षमता

6702. **कुमारी उमा भारती** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में सड़कों की वाहन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या दिल्ली में सड़कों पर चल रहे वाहनों की संख्या सड़क की क्षमता से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है;

(घ) दिल्ली में सभी प्रकार के वाहनों की कुल संख्या कितनी है और प्रतिवर्ष कितने वाहनों का पंजीकरण किया जाता है; और

(ङ) गत वर्ष के दौरान ऐसे कुल कितने वाहनों का चालान किया गया जो स्वीकृत सीमा से अधिक मात्रा में धुआंछोड़ रहे थे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग). दिल्ली में सड़कों की वाहनीय क्षमता का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने वर्ष 1994 में 8033 वाहनों का चालान किया। इससे पहले, 1.1.994 से 30.8.1994 तक दिल्ली यातायात पुलिस ने स्पष्ट रूप से धुंआ छोड़ने वाले 10289 वाहनों को अभियोजित किया लेकिन अब दिल्ली यातायात पुलिस ऐसे वाहनों को अभियोजित करती है जो प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र के हों और 1.9.1994 से 31.3.1995 तक ऐसे 2931 वाहनों को अभियोजित किया गया है।

विवरण

संघ शासित प्रदेश दिल्ली में वर्ष-वार वाहनो का पंजीकरण

क्र.सं.	वर्ष	स्टे. वैगन	स्कूटर/मोपेड/ मोटर साइकिल	आटो-रिक्शा	टैक्सी	बस	माल वाहन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1982	10009	65913	2476	1161	2133	4651	86763
2.	1983	8215	58384	3643	514	1338	3870	75864
3.	1984	10722	72075	2333	226	1359	3593	90708
4.	1985	21869	76885	1982	170	457	8739	110102
5.	1986	28015	109352	9359	118	802	2935	150581
6.	1987	38946	121289	4833	147	746	9308	175269
7.	1988	37857	110790	6154	175	956	9244	165176
8.	1989	53053	104104	6061	328	1162	9156	173864
9.	1990	50849	108384	4246	604	1170	9510	174763
10.	1991	44133	102880	3822	400	1020	6974	159229
11.	1992	41066	87516	4145	786	2969	4413	140895
12.	1993	41433	85600	1594	467	1303	3829	134226
13.	1994	47301	113635	2840	546	1610	8150	174082

[अनुवाद]

भारत-चीन सीमा विवाद

6703. श्री मनोरंजन भक्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वासित तिब्बती नेताओं ने हाल ही में भारत को चेतावनी दी थी कि यदि वह मैकमोहन रेखा के मुद्दे पर समझौता करेगा तो वह नुकसान उठायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में छपी खबरे देखी हैं जिसमें यह कहा गया है कि भारत में कुछ तिब्बती शरणार्थियों ने कहा यह कहा है कि भारत यदि मैकमोहन रेखा के मुद्दे पर समझौता करेगा तो उसको नुकसान पहुंचेगा।

(ख) सरकार का यह मत है कि 1914 की मैकमोहन रेखा से भारत-चीन सीमा वाले क्षेत्रों के पूर्वी क्षेत्र में सीमा औपचारिक रूप से स्वाभाविक, पारम्परिक तथा प्रशासनिक स्वरूप मिलता है। इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) भारत और चीन सीमा के प्रश्न का एक न्यायोचित न्यायसंगत तथा परस्पर स्वीकार्य हल खोजने के प्रति वचनबद्ध है और यह कार्य भारत-चीन संयुक्त कार्य दल को सौंप दिया गया है।

पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति

6704. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की हाल की बैठक के लिए भारतीय शिष्टमंडल के गठन के बारे में कोई प्रोटोकोल संबंधी परिवर्तन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय शिष्टमंडल ने आयोग का ध्यान पाकिस्तान में मुहाजिर और अन्य अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आयोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ). एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 31 जनवरी से 10 मार्च, 1995 तक जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 51 वे अधिवेशन में भाग लिया। इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ मंत्री, संसद सदस्य, अन्य गैर सरकारी व्यक्ति तथा सरकारी अधिकारी शामिल थे। विवरण संलग्न है।

अधिवेशन के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को जम्मू और कश्मीर के मामले के वास्तविक तथ्यों से अवगत कराया विशेषरूप से सीमा के पार से आतंकवाद के प्रायोजन और दुष्प्रचार से। प्रतिनिधिमंडल ने मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित भारत की नीति का भी खुलासा किया जो मानवाधिकारों के सम्बन्ध में पाकिस्तान के निराशाजनक रिकार्ड से सर्वथा भिन्न है और यह बात पाकिस्तान में मुहाजिरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के साथ उसके व्यवहार से प्रकट होती है।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 51 वें अधिवेशन में भाग लेने गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल की संरचना।

1. श्री गुलाम नबी आजाद (नागर विमानन मंत्री)
2. श्री सलमान खुर्शीद (विदेश राज्य मंत्री)
3. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय)
4. श्री आई. के. गुजराल, संसद सदस्य
5. श्री इंद्रजीत, संसद सदस्य
6. डा. फारुख अब्दुल्ला
7. श्री ब्रजेश मिश्र
8. श्री नटवर सिंह
9. प्रो. खुसरो
10. श्री सतीश चन्द्र, स्थायी प्रतिनिधि (भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा)
11. सुश्री सावित्री कुनाडी, संयुक्त सचिव, (यू एन ई) विदेश मंत्रालय।
12. श्री दिनकर श्रीवास्तव, निदेशक(यूएनपी) विदेश मंत्रालय।
13. सुश्री सुजाता मेहता, निदेशक, प्रधान मंत्री का कार्यालय।

डा. मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री, ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को मंच के वक्ता के रूप में संबोधित किया।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों को डी.डी.ए. फ्लैट/भूखण्डों का आबंटन

6705. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संसद सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर फ्लैटों अथवा भूखण्डों का आबंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे आवंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के बिना बारी के आवंटन हेतु निर्धारित दिशा निर्देश यह अनुमति नहीं देते कि किसी व्यक्ति को उसके संसद सदस्य होने के एकमात्र आधार पर बिना बारी का आवंटन किया जाय। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि कि गत दो वर्षों के दौरान 8 संसद सदस्यों/भूतपूर्व संसद सदस्यों को बिना बारी के आवंटन हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसरण में फ्लैट आवंटित किए गए हैं। तथापि, प्राथमिकता के आधार पर किसी भी संसद सदस्य को कोई प्लाट आवंटित नहीं किया गया है।

डी०टी०सी० का अन्तर्राज्यीय बेड़ा

6706. **श्री मंजय लाल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राज्यीय मार्गों पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों की संख्या में कमी होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का वक्तव्य

6707. **श्री तारा सिंह** :

श्री सुधीर सावंत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1995 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पाक फार मल्टीलेटरल "फोरम आन साउथ एशिया" तथा 10.4.95 के स्टेट्समैन में "बेनजीर लांचेज डायट्राइब ओवर कश्मीर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या जवाबी कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग). सरकार इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू एवं कश्मीर के मसले को उठाने की सक्रिय और सतत प्रयास कर रहा है और भारत के विरुद्ध दुष्प्रेरित अभियान चला रहा है ताकि वह जम्मू एवं कश्मीर के बारे में भारत के साथ अपने मतभेदों के कारण इस उप-महाद्वीप में सुरक्षा संबंधी वातावरण की तोड़-मरोड़ कर छवि प्रस्तुत करके तीसरे देश को मध्यस्थता करने के लिए कह सके। पाकिस्तान की सरकार उच्चतम स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर जम्मू एवं कश्मीर के बारे में अपना दुष्प्रेरित अभियान चलाती रही है।

सरकार पाकिस्तान के भारत-विरोधी अभियान और जम्मू एवं कश्मीर के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय मसला बनाने के उसके प्रयासों को शिमला समझौते की भावना के प्रतिकूल मानती है। पाकिस्तान की इन नकारात्मक कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों को वातावरण दूषित होता है और ये अन्तर-राज्य संबंधों के सार्वभौम रूप से स्वीकृत मानदंडों के विपरीत समाधान शांतिपूर्ण तरीके से शिमला समझौते की रूपरेखा के अन्दर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए किया जाए। इसमें किसी तीसरे देश को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति के बारे में सही तथ्यों से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने के लिए सभी कदम उठाए है और उठाती रहेगी।

अमरीका-पाकिस्तान रक्षा संबंध

6708. **श्री शिव शरण वर्मा** :

श्री प्रकाश वी. पाटील:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1995 के "द स्टेट्समैन" पाकिस्तान अमंग टॉप आर्म्स इम्पोर्टर्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) क्या सरकार को अमरीका और पाकिस्तान के बीच उच्च प्रौद्योगिकी आधारित रक्षा संबंधों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस उप महाद्वीप में हथियारों की होड़ को कम करने और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सामान्य बनाने हेतु किए गए प्रयासों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख). सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान अमरीका सहित विभिन्न देशों से अपनी वैध जरूरतों से अधिक अत्याधुनिक शस्त्र और उपकरण प्राप्त करने की बराबर कोशिशें कर रहा है। तथापि 1990 में प्रेसलर संशोधन के परिणामतः अमरीका ने पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों की आपूर्ति बन्द कर दी थी।

(ग) सरकार को यह दृढ़ विश्वास है कि हथियारों की होड़ से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है और सरकार यह मानती है कि हथियारों की होड़ को रोकने तथा उसे कम करने का सबसे अच्छा तरीका पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान के आधार पर विश्वास बढ़ाना है। भारत पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों में निरन्तर इस दृष्टिकोण का पालन करता रहा है।

मई, 1990 में सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ विश्वास बढ़ाने के एक पैकेज का प्रस्ताव किया था जिसके अनुसरण में विश्वास बढ़ाने वाले उपायों के सिलसिले में भारत तथा पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के सात दौर हुए । दोनों देशों के बीच अविश्वास को कम करने तथा विश्वास को बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुनः प्रकट करने के लिए सरकार ने विश्वास बढ़ाने के संबंध में अतिरिक्त उपायों का प्रस्ताव पाकिस्तान की सरकार के समक्ष किया था जिसका उल्लेख जनवरी, 1994 में पाकिस्तान को सम्प्रेषित छह अ-दस्तावेजों में से एक में है।

पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों से सम्बद्ध मसलों को शिमला समझौते की व्यवस्था के अनुसार शान्तिपूर्ण ढंग से तथा द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया के जरिए सुलझाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। सरकार पाकिस्तान को कई अवसरों और सभी स्तरों पर इस बात से अवगत कराती रही है कि सभी अनसुलझे मसलों पर हम व्यापक तथा सार्थक बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

उद्योगपतियों द्वारा समझौता ज्ञापन सौंपा जाना

6709. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उद्यमियों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों की स्थापना हेतु अत्यधिक पूंजी निवेश करने के लिए बड़ी संख्या में ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन उद्योगों की स्थापना से रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे;

(ग) ये उद्योग किन-किन राज्यों में स्थापित किए जायेंगे तथा पिछड़े क्षेत्रों में कितने उद्योगों की स्थापना की जाएगी;

(घ) क्या इन उद्योगों ने उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) अप्रैल 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से लेकर मार्च 1995 तक 1895 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 27073 करोड़ रु० का पूंजी निवेश और 285360 लोगों को रोजगार देना निहित है।

(ग) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक प्रस्तुत किए गए कुल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में से 403 यूनिटों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। आमतौर पर एक परियोजना को लागू करने में 2-3 वर्ष लग जाते हैं।

विवरण

(1992-93) से 1994-95 के दौरान प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन का राज्य-वार सारांश।

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रस्तुत किए गए कुल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	136	55
2.	असम	2	-
3.	बिहार	18	15
4.	गुजरात	136	59.
5.	हरियाणा	174	26
6.	हिमाचल प्रदेश	27	21
7.	जम्मू व कश्मीर	8	6
8.	कर्नाटक	60	29
9.	केरल	24	11
10.	मध्य प्रदेश	165	108

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	326	117
12.	उड़ीसा	9	5
13.	पंजाब	154	62
14.	राजस्थान	135	71
15.	तमिलनाडु	86	35
16.	उत्तर प्रदेश	318	119
17.	पश्चिमी बंगाल	61	30
18.	चण्डीगढ़	2	0
19.	दादर तथा नगर हवेली	11	8
20	दिल्ली	18	0
21.	दमन और दियु	7	2
22.	पाण्डिचेरी	12	7
23.	गोवा	6	4
	योग	1895	790

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राजसहायता

6710. **श्री नवल किशोर राय :**

श्री गुमानमल लोढा :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान सरकार द्वारा उर्वरकों पर प्रतिवर्ष कितनी राजसहायता दी गई है;

(ख) क्या सरकार के पास राजसहायता संबंधी कुछ दावे अब भी लम्बित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दावों के निपटारे में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार मिश्रित उर्वरकों के उत्पादकों को भी राजसहायता देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान (विनियंत्रित उर्वरकों पर विशेष रियायत को छोड़कर) उर्वरक राजसहायता पर वहन किए गए व्यय के ब्यौरे निम्न प्रकार है:-

वर्ष		राशि (करोड़ रु० में)
1992-93	-	5796.11
1993-94	-	4398.97
1994-95	-	5241.00

(अंतिम)

(ख) से (घ). उत्पादकों से हर प्रकार से पूर्ण राज सहायता के दावों को 60 दिन के भीतर सामान्यतः निकाल दिया जाता है बशर्ते कि बजटीय आबंटन उपलब्ध हो। बजट की बाधाओं के कारण कुछ राशि अदत्त रह जाती है परन्तु उन्हें अगले वर्ष के दौरान चुका दिया जाता है। 31.3.1995 को उर्वरक निर्माताओं से प्राप्त राज सहायता

की अदायगी के लिए 930 करोड़ रु० की राशि के दावे अदायगी के लिए लम्बित रहे। इस अवस्तों की एक बड़ी राशि छठी मूल्य निर्धारण अवधि के लिए संशोधित प्रतिधारण मूल्य से संबंधित है, जिसे 1994-95 की अंतिम तिमाही में अधिसूचित किया गया था। भविष्य में दावों के शीघ्र निपटान के लिए कदम उठाये जायेंगे।

(ङ) और (च). ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

विदेश स्थित भारतीय श्रमिकों की समस्याएं

6711. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व देशों के भारतीय दूतावासों में श्रम अताशे के पद का दर्जा बढ़ाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य पूर्व देशों में भारतीय श्रमिकों की समस्याओं पर और गहन और सावधानी पूर्वक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में श्रम विभाग को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख). भारतीय राष्ट्रिकों जिनमें भारतीय कामगार भी शामिल हैं, से संबंधित कार्य सामान्य तौर पर मिशनों के कोंसली अनुभाग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसका प्रभारी अधिकारी कोंसलर/प्रथम सचिव/द्वितीय सचिव होता है जो मिशन प्रमुख की व्यक्तिगत देखरेख में कार्य करता है; कुछेक ऐसे देशों को छोड़कर जहां भारतीय कामगारों की संख्या बहुत अधिक है वहां अलग से श्रम अनुभाग है जिसका प्रभारी अधिकारी कोंसलर/प्रथम सचिव/द्वितीय सचिव, श्रम होता है। जहां कोंसली विंग श्रम विंग है, उनके दर्जे को बढ़ाने का मामला इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ). मध्य पूर्व में स्थित भारतीय मिशन उन सभी समस्याओं पर निरंतर यथोचित और पर्याप्त ध्यान देते हैं जिनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया जाता है। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ कार्यकलाप करने के लिए हमारे प्रत्येक मिशन में एक अधिकारी नामित किया गया है। विदेश स्थित हमारे मिशनों में तैनात कोंसली अधिकारियों से लोग किसी भी समय मिल सकते हैं। मिशन प्रमुख भारतीय समुदाय जिसमें भारतीय कामगार भी शामिल हैं, की समस्याओं में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। जब भी कोई समस्या हमारे मिशनों के ध्यान में लाई जाती है, मामले के सौहार्दपूर्ण हल के लिए उसे प्रायोजक/नियोक्ता और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

गंगा बांध परियोजना

6712. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कानपुर (उत्तर प्रदेश से प्रकाशित 11 जून, 1994 के "दैनिक जागरण" में गंगा बांध परियोजना के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस परियोजना के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) क्या सिंचाई अनुसंधान केन्द्र, रुड़की का एक दल स्थल की मिट्टी की जांच करने हेतु वहां पहुंचा है; और

(च) यदि हां, तो क्या यह जांच कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अचार में तेल का प्रतिशत

6713. श्री रमेश चेन्नितला : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अचार में 10 प्रतिशत तेल मिलाने के लिए कोई शर्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह शर्त हटाने हेतु केरल के अचार निर्माता संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है;

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख). खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में उल्लिखित विनिर्दिष्टियों के अनुसार अचार में कम से कम 10% तेल मिलाना जरूरी है। बहरहाल, फल उत्पाद आदेश, 1955 में उल्लिखित मानकों में इतने प्रतिशत तेल मिलाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). अचार निर्माता संघ केरल और अनेक अन्य अचार निर्माताओं ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में उल्लिखित तेल की प्रतिशतता के बारे में विभिन्न अदालतों में कतिपय मामले दायर करने के अलावा अभ्यावेदन भी दिए हैं। फल उत्पाद आदेश के

तहत एक विशेषज्ञ समिति ने मामले की जांच की है और उपर्युक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत गठित केन्द्रीय खाद्य मानक समिति द्वारा विचार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

राज्य सरकारों को सरकारी आवासों का आवंटन

6714. श्री नवल किशोर राय :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

श्री शंकर राव के. काले :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में संबद्ध राज्यों को सामान्य पूल से सरकारी आवासों के आवंटन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) दिल्ली में आज तक आवंटित सरकारी आवासों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्यों से आवंटन के निर्धारित मानदण्डों का कड़ाई से पालन नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं, और

(ङ) नियमानुसार संबद्ध राज्यों को आवासों के आवंटन को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्यों के दिल्ली में तैनात कर्मचारियों को संबंधित राज्य के रेजीडेन्ट कमिश्नर की विशेष सिफारिश पर सामान्य पूल से प्रत्येक राज्य सरकार के प्रसंग में 5 मकान तथा संघ/राज्य के प्रसंग में 2 मकान ही आवंटित किए जाते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यों के मौजूदा आवंटनों को इस शर्त पर जारी रखने की अनुमति दी गई है कि उनके कब्जे में उपर्युक्त सीमा से अधिक मकान खाली होते ही सामान्य पूल में वापस कर दिए जायेंगे।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) राज्य सरकारों को आवासों का आवंटन वर्तमान नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

विवरण

	राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश	
1.	असम	7
2.	आन्ध्र प्रदेश	8
3.	अरूणाचल प्रदेश	6
4.	बिहार	16
5.	गुजरात	5
6.	गोवा	5
7.	हरियाणा	5
8.	हिमाचल प्रदेश	3
9.	जम्मू व कश्मीर	7
10.	कर्नाटक	4
11	केरल	7
12.	मध्य प्रदेश	6
13.	महाराष्ट्र	6
14.	मणिपुर	5
15.	मेघालय	4
16.	मिजोरम	5
17.	नागालैण्ड	2
18.	उड़ीसा	10
19.	पंजाब	6
20.	राजस्थान	4
21.	सिक्किम	8
22.	तमिलनाडु	4
23.	त्रिपुरा	7
24.	उत्तर प्रदेश	9
25.	पश्चिम बंगाल	11
26.	अण्डमान निकोबार	13
27.	दादर नगर हवेली तथा दमण द्वीव	3
28.	लक्षद्वीप	4
29.	पाण्डिचेरी	7
30.	चण्डीगढ़	2

उर्वरक उत्पादन में गिरावट

6715. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान देश में उर्वरकों के उत्पादन में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उर्वरक की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ; और

(ग) उर्वरकों का निर्धारण लक्ष्य की तुलना में कम उत्पादन होने के क्या कारण है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). गत चार वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उत्पादित उर्वरकों की मात्रा नीचे दी गई है:

(000 मी. टन)

वर्ष	उर्वरक पोषक	लक्ष्य	वास्तविक
1991-92	नाइट्रोजन	7350.0	7301.3
	फास्फेट	2650.0	2562.1
1992-93	नाइट्रोजन	7700.0	7430.3
	फास्फेट	2750.0	2306.2
1993-94	नाइट्रोजन	7800.0	7231.2
	फास्फेट	2200.0	1815.8
1994-95	नाइट्रोजन	8115.5	7945.4
	फास्फेट	2331.0	2492.8

(ग) वर्षों से 1991-92 तक नाइट्रोजनी और फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में क्रमिक और नियमित वृद्धि होती रही थी। वास्तव में उस वर्ष नाइट्रोजन (73.01 लाख टन) फास्फेट (25.62 लाख टन) का उत्पादन उस समय तक अब तक का रिकार्ड था।

अगस्त, 1992 में उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, सभी फास्फेटिक उर्वरकों पर से मूल्य और संचालन नियंत्रण हटा लिया गया।

नाइट्रोजन उत्पादन का एक भाग डी ए पी और कम्पलैक्स जैसे फास्फेटिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। अनियंत्रण के परिणामस्वरूप, खुले बाजार में फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई। उससे खपत में और अंततः उत्पादन में गिरावट आई। 1992-93 में नाइट्रोजन उत्पादन में गिरावट आंशिक रूप से डी ए पी और कम्पलैक्सों के कम उत्पादन के कारण थी तथा आंशिक रूप से दो रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के एककों अर्थात हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी) और फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) के साथ कुछ अन्य एककों में उपस्कर समस्याओं के घटिया निष्पादन के कारण थी।

1993-94 में उत्पादन में गिरावट के कारण वही थे जो 1992-93 में थे। वास्तव में आयातित डी ए पी जो कि बहुत ही सस्ती दरों पर उपलब्ध था, से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक डी ए पी और कम्पलैक्स उर्वरक एककों ने उत्पादन आस्थगित कर दिया।

स्थिति में 1994-95 में सुधार होने लगा। मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में समस्याओं तथा एच एफ सी और एफ सी आई के रूग्ण एककों में निम्न उत्पादन के कारण नाइट्रोजन के उत्पादन में मात्र 2% की गिरावट आयी थी। इसके बावजूद, 1993-94 की तुलना में नाइट्रोजन के उत्पादन में 99% की वृद्धि हुई। फास्फेट के लक्ष्य से लगभग 37% की वृद्धि के साथ अधिक प्राप्ति हुई।

[हिन्दी]

12.04 म.प.

...(व्यवधान)...

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने श्री टाईटलर और गृह मंत्री, श्रीएस.बी. चव्हाण, के बारे में ब्रांच-ऑफ-प्रिविलेज-मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे देखने दीजिए। उनकी बात सुन लेने दीजिए। फिर देखेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जब-जब भी मई-जून का महीना आता है, तब-तब देश में अग्नि-कांड होते हैं और सबसे बुरा प्रभाव देश की राजधानी दिल्ली पर पड़ता है। कल यहां एक घटना सीमापुरी में हुई झुग्गियों से आग लगने के कारण महिलायें और आठ बच्चों की मृत्यु हो गई। इस तरह की दुखद दुर्घटना कोई और नहीं हो सकती है। यह ठीक है कि तत्काल राहत के लिए 10-20 हजार रुपये दे दिए जाऐंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि ये दुर्घटनायें क्यों होती हैं और खासकर दिल्ली में जो देश की राजधानी है। इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्यों नहीं लिए जाते हैं। यह एक दुखद घटना है। गरीबों के पास रहने के लिए घर नहीं है और जो घर है भी, तो उजड़ जाते हैं। जिस तरह का वहां दृश्य था, उसको देखा नहीं जा सकता था। हम लोग यहां दिल्ली में हैं, इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से जानना चाहते है, सरकार इस सम्बन्ध में कोई स्टेटमेंट देगी, दिल्ली सरकार के माध्यम से और सरकार अपनी ओर से इस तरह की घटनाओं रोकने के लिए, चूंकि अभी गर्मी के दो-तीन महीने बाकी हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है, ताकि इस तरह की घटना न घटे?. सरकार ने राहत कार्य तो शुरू किया है, लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। मैं आपके माध्यम से आश्वासन चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सदन में वक्तव्य दे और मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इसको गम्भीरता से ले।

अध्यक्ष महोदय : अगर मुझे बोलना भी है और आपके कहने पर बोलूंगा तो मुश्किल ही जाएगी। आप मुझ पर छोड़ दीजिए।

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में 36 लाख की आबादी है और सब प्रकार के लोग वहां रहते हैं। पिछले डेढ़ महीने में वहां नौ हत्याएं हुई हैं और दो बलात्कार के केसेज हुए हैं तथा चार लूटमार के केसेज हैं। मै डेटवाइज ब्यौरा एक मिनट में दे सकता हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नही हैं। यह मामला आग से संबंधित है।

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : आग से संबंधित है, तो न्यू सीमापुरी मेरे क्षेत्र में आता है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए आपको बोलने का मौका दिया है।

श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : न्यू सीमापुरी में जहां आग लगी है, वहां मैं हाजिर था। दो घन्टे के बाद वहां पहुंचा। लगभग 50 झुग्गियां आग में जल कर राख हो गई और नौ लोग उसमें जल कर मर गए, जिसमें आठ बच्चे हैं व एक महिला है। मैं राम विलास पासवान जी से सहमत हूं कि दिल्ली के अन्दर स्थायी तौर पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, ताकि गरीब बार-बार जलने की स्थिति में न पहुंचे। उनको परमानेंटली सैटल किया जाए। जुडिशियल एन्क्वायरी बैठाई जाए और मुआवजा दिया जाए।

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष जी, यह एक गंभीर बात है कि नई सीमापुरी स्थित झुग्गियों में आग लगने से नौ व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें आठ बच्चे और एक महिला थी। अखबारों में आया है कि दिल्ली के मुख्य मंत्री जी ने मृतक बच्चों के अभिभावकों को 10-10 हजार रुपये तथा मृतक महिला के आश्रितों को 20 हजार रुपये देने की घोषणा की है। इसमें भेदभाव किया गया है, जो बड़े मरे हैं उनके लिए 20 हजार रुपये तथा जो बच्चे मरे है उनके लिए 10 हजार रुपये देने की घोषणा की है, मैं समझता हूं यह गलत है। बच्चे तो सबसे प्यारे होते हैं और देश का भविष्य है। वह मर जाये तो मुआवजे से उसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती, मगर यह जो रकम दी गई है यह दयनीय है। दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में एक बार नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं होती हैं, या तो लोग पाइप का गंदा पानी पीते हैं उसके पीने से हैजा हो जाता है, आग तो सामान्यतः हर साल 2, 4, 5, 6, जगहों पर लगती है और इससे हजारों लोग पीड़ित होते हैं। इसका एक कारण यह है कि इनको बिजली नहीं मिलती, बिजली लेने का जो विधिवत ढंग है इससे वे नहीं लेते, कहीं खम्भे या किसी दूसरे से ले लेते हैं, क्योंकि इनको बिजली मिलती नहीं हैं इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है कि बिजली, पानी जो अति आवश्यक चीजें है ये तो कम से कम इनको दिलाइए। अगर पक्के मकान तथा और सुविधाएं नहीं दिला सकते तो पानी और बिजली जैसी बुनियादी चीजें तो इनको मिलनी ही चाहिए। अगर सरकार खुद विधिवत यह व्यवस्था करती तो उन्हें इस तरीके से बिजली लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी कारण से यह घटना हुई। परन्तु इससे ज्यादा बुनियादी प्रश्न यह है कि देश में गंदी बस्तियों की संख्या और उसमें रहने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। यह एक राष्ट्रीय अभिशाप बन रहा है। गांव के लोग उजड़ करके झोंपड़ियों में आ रहे है इससे सारे शहर के लोगों को भी परेशानी होती है। गांव उजड़ रहे हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए इस पर बुनियादी रूप से सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए। लोग बड़े पैमाने पर रोजगार की तलाश में आ रहे हैं और एक-एक झोंपड़ी में, जहां दो आदमी रह सकते हैं वहां 10 आदमी रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो घटना हुई है इसमें इनकी जितनी क्षतिपूर्ति हो सकती है वह इनको दी जाए। दूसरा, इस घटना से एक नसीहत यह है कि फिर से दूसरी जगह इस तरह की घटनाएं न हो इसके लिए जो आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए वह सरकार इस संबंध में उठाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार आग लगने की घटनाएं होती हैं। यह दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार में है और शायद दिल्ली सरकार ने मृतकों के आश्रितों तथा घायलों को सहायता दी होगी।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : बजट में निर्धारित राशि में वृद्धि की गई है। उनके झुग्गी-झोंपड़ियों के पुनर्वास, बिजली और पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मेरे विचार से दिल्ली सरकार ने शायद इसके अन्तर्गत कोई कार्यवाही की है।

अध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम सदन यह जानना चाहेगा कि भूमि किसकी है। क्योंकि इससे हमें इस बात का संकेत मिलेगा कि आग लगने का क्या कारण था।

दूसरे, इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं?

तीसरे, यह सही है कि सरकार ने आग से प्रभावित लोगों को सहायता दी है। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या आग बुझाने के लिए समय पर कार्यवाही की गई थी अथवा नहीं। मेरे विचार से जब देश के इस भाग में प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो संसद मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकती। मै आशा करता हूं कि इस बारे में सम्बद्ध प्राधिकरण अथवा सरकार से जानकारी एकत्र कर संसद को दी जायेगी।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : वह मुख्य मंत्री को आवश्यक आंकड़े देने और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए लिखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : केवल लिखना पर्याप्त नहीं है। हम इस सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन: हम पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में देवरिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे भूमि पर 50 वर्षों से लगभग 200 गरीब लोग पान, चाय, पकौड़ी, होटल आदि लगाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। 1993 में रेल अधिकारियों द्वारा अधिक पैसा मांगे जाने और इन गरीब लोगों द्वारा पैसा देने से इन्कार कर दिए जाने के कारण अधिकारियों ने नाराज होकर कुछ दुकानों को तुड़वा दिया। जब में देवरिया पहुंचा और मुझे जानकारी मिली तो मैने रेल विभाग को लिखा और जाच की प्रक्रिया शुरू हुई जांच से मालूम हुआ कि सारी दुकानें अबंटित है और रेल विभाग से अनुमति ले कर बनाई गई हैं, लेकिन अधिक पैसा न देने के कारण इन दुकानों को हटाया जा रहा है अभी यह जांच की प्रक्रिया चल रही थी कि इस बीच मे रेल अधिकारियों ने 12 जनवरी 1995 को मंडल अधिकारी रेलवे वाराणसी से दुकानों का आबंटन निरस्त करवा दिया और दुकानदारों को बेदखल करने की योजना बनाई गई। इस पर दुकानदार देवरिया न्यायालय की शरण में गए और 7 फरवरी 1995 को स्थगनादेश ले आए। इसके बावजूद रेल अधिकारियों ने 27 मई को एक अभियान चला कर इन सारी गुमटियो को तोड़ने की योजना बना ली है।

अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से मांग करना चाहता हूं कि इन बेरोजगार गुमटी दुकानदारों को, जिन्होंने न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया है, इनको जबरिया अपने स्थान से हटाने का काम न किया जाए और इस अभियान को रोकने के आदेश प्रदान किए जाएं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : मुझे शारीरिक रूप में विकलांग और मानसिक रूप में अविकसित लोगों से अनेक पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें उन्होंने यह कहा है कि उनके माता-पिता की मृत्यु के बाद उनके हितों को देखने वाला कोई नहीं है। सरकार ने अनेक योजनाएं जैसे वृद्ध अवस्था पेंशन योजना और स्वतन्त्रता सेनानी योजना तैयार की है लेकिन विकलांगों के लिए ऐसी कोई योजना न तो केन्द्रीय सरकार ओर न ही राज्य सरकार ने तैयार की है। में आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि इस प्रकार के लोगों को कुछ भत्ता दिया जाए अथवा इनके लिए कोई योजना आरम्भ की जाये ताकि इनकी मात-पिताओं की मृत्यु के बाद उन्हें भीख मांगने पर मजबूर न होना पड़े और अन्य लोग इनकी खरीद न करें। में आशा करता हूं कि पीठाध्यक्षों सरकार को उनके लिये कुछ करने के लिए निर्देश देंगे।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : औद्योगिक कर्मचारियों में भारी असंतोष है क्योंकि उनकी वास्तविक मांगों को अभी तक पुरा नहीं किया गया है। उनकी पहली माग बोनस के भुगतान की अधिकतम सीमा बढ़ाना है। इस समय बोनस भुगतान की अधिकतम सीमा 2500 रुपये है। वेतनमानों का पुनरीक्षण करने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग प्रत्येक औद्योगिक कर्मचारी को 2500 प्रतिमास से अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप 95 प्रतिशत कर्मचारी बोनस प्राप्त करने के अपने अधिकार से वंचित रह गये हैं अतः बोनस भुगतान की अधिकतम सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी मांग, मंहगाई भत्ता प्रणाली में 'स्लैब' व्यवस्था आरम्भ करने से सम्बधित है। इस बारे में माननीय श्रम मंत्री सहमत हो गये थे लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। अतः इसे यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तीसरी मांग सबके लिए पेंशन योजना सम्बन्धी है। सरकार ने सभी औद्योगिक कर्मचारियों को चाहे वे भविष्य निधि में अंशदान कर रहे हों अथवा नहीं पेंशन देने के बारे में निर्णय लिया है।

इस बारे में एक विधेयक भी लम्बित है। इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। इस कारण औद्योगिक कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है मुझे आशंका है कि विभिन्न केन्द्रीय संघ भी उद्योगों में हड़ताल करने के लिए नोटिस दे रहे हैं। अतः मैं सरकार से आपके माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में बिना समय व्यतीत किये

शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय द्वारा कुछ मामलों की जांच किये जाने के कारण कुछ मामले विचाराधीन है। अतः श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को यथाशीघ्र इन मामलों को निपटाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें यहां सदन में आपस में नहीं लड़ना चाहिये। आपको भी उन्हें आपस में लड़ने के लिए भड़काना नहीं चाहिये। आपका यह कहना उचित नही है कि उक्त मंत्रालय को इस बारे में उक्त मंत्रालय के पास जाना चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं उनसे मामले को निपटाने का अनुरोध कर रहा हूं। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नही है।

अध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य द्वारा यह कहना कि अमुक मंत्रालय अमम मंत्रालय के पास जाये और इस बारे में कुछ कार्यवाही करें, संसदीय प्रक्रिया के विरूद्ध है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैंने उनसे मामला निपटाने का अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नही हैं। कुल मिलाकर वहां संसद के प्रति उत्तर दिया है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मै सरकार से इस बारे में विचार करने का अनुरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय के विरूद्ध भड़काना नही चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मंत्रियों से हमें सदन में, इस प्रकार के उत्तर मिल रहे हैं कि इस मामले को वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है आदि। इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया है अन्यथा मुझे उल्लेख करने की आवश्यकता नही थी।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नही है । आपका उनको यह कहना कि आप किसी और मंत्रालय के पास जाये, उचित नही हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस समस्या का समाधान करे।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, यहां बैठे पर विदेश मंत्री बैठें हुए हैं, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही अहम् मामला उनके सामने उठाना चाहता हूं। सऊदी अरब के अंदर तकरीबन पांच लाख एन. आर. आई. रहते है। वे लोग बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा कमाकर हिन्दुस्तान भेजते हैं। भारतीय अम्बेसी के जरिये वहां जो स्कूल चलाये जाते हैं, वहां की सरकार उनको बंद करने जा रही है। जिसके कारण वहां पढ़ने वाले 30 हजार भारतीय बच्चों को मुश्किल का सामना करना पढ़ रहा है। रियाद में स्कूल को बंद कर दिया गया है। अब तक की रिपोर्ट है कि दूसरे स्कूल्स को भी बंद करने के नोटिस दे दिये हैं। मेरा विदेश मंत्रीजी से निवेदन है कि इन स्कूल्स को चालू रखने के लिए जो आप कर सकते है, वह करें, वहां की सरकार से बात करनी हो तो वह भी करे, ताकि उन बच्चों की तालीम सही तरीके से हो सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चों की वजह से उनके अभिभावकों की नौकरी जाती रहेगी। वे लौटकर हिन्दुस्तान आयेंगे तो भी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

[हिन्दी]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : मैं इसकी जानकारी लेकर सदन को बताऊंगा।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि कल हमने समाचार पढ़ा कि कश्मीर में पांच आई. एस. आई. के जासूस गिफ्तार किये गये हैं। जब यहां चरार-ए-शरीफ पर बहस हुई थी और यह कहा गया था कि वहां पर उग्रवादियों ने आग लगायी। इस पर पाकिस्तान हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। हमने बी. बी. सी. के समाचार से सुना कि पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वहां आग लगाई है। मैं सरकार से निवदेन करना चाहता हूं कि जिन पांच लोगों को गिफ्तार किया है, क्या हम उनसे जानकारी नहीं ले सकते कि वास्तविकता क्या है? यह हमें दुनिया के सामने लाना चाहिए। हमारी लाबी कमजोर हो रही हैं सदन में जवाब देते हुए सरकार ने कहा था कि आई. एस. आई के लोगों ने अंगार लगाया था। लेकिन इल्जाम हमारे ऊपर आ रहा है। सरकार द्वारा इस बारे में कोशिश होनी चाहिये कि बम्बई बम ब्लास्ट्स में ISI ने जो कारनामें किये है, इस पर प्रकाश डाले, यही मेरा निवेदन है।

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले बिहार में बीजेपी महिला विधायक के साथ जो सुलूक किया गया, उसके बारे में आपका और इस सदन का ध्यान आकर्षित कर चुकी हूं। दुर्भाग्य से इस देश में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनायें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खासकर उत्तर प्रदेश में यह तो बिलकुल एक सिलसिला सा बना गया है। वहां पर घटित एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक दलित महिला नेता को समाजवादी पार्टी के विधायक और उसके गुंडे द्वारा उठा दिया गया। किडनैप करने के बाद जो नये तथ्य सामने आये है, उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के एक मंत्री के सरकारी निवास पर तीन दिनों से अधिक यानि 80 घंटों तक रखा गया। इस बीच में महिला के लोगों ने FIR दर्ज करायी जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक का नाम लिया गया था फिर भी उस को अरेस्ट नही किया गया जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सभी पार्टियों की तरफ से धरना और प्रदर्शन किया गया तब दबाव में आकर महिला को वापस पहुंचाया गया। उस महिला ने प्रेस कांफ्रैस की जिसमें एक वक्तव्य दिया कि फला मंत्री ने, यदि आप अनुमति दें तो उनका नाम दूं, वे वहां के फारेस्ट मिनिस्टर है...

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मामलों में सही तथ्य क्या है, अपने को मालूम नहीं होते है। अब उस दलित महिला के विरूद्ध क्या है, उसमें कौन आदमी जिम्मेदार है, जब तक ऐसे तथ्य सामने नहीं आते हैं या आने चाहिये या नही आने चाहिये, यह सवाल हो जाता है तो हम उसमें क्या कर सकते है?

प्रो. रीता वर्मा : लेकिन मैं आपके माध्यम से इस मामले को उठाना चाहती हूं बल्कि मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि आज ही सरकार इस मामले में वक्तव्य दे। हालांकि वह महिला हमारी विचारधारा की नही है लेकिन BJP के लिये महिलाओं के सम्मान का मामला कोई राजनीति का मामला नही है..

अध्यक्ष महोदय : 25 तारीख को एट्रोसिटीज ऑन वुमैन पर डिस्कशन दे दी गयी है।

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं केवल एक मिनट लेकर यह कहना चाहूंगी कि महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसकी साड़ी फाड़ दी गयी। वह ग्राम पंचायत के चुनाव में चुनी गयी थी और सरपंच के चुनाव में हिस्सा न ले सके, उसको रोकने के लिये उसे बन्दूक के बल पर सीपीआई के हैड क्वार्टर से उठा लिया गया। समाजवादी पार्टी के विधायक जीप में गुंडों के साथ आये और बन्दूक की नोक पर वहां से उठा लिया गया। तो आप समझ सकते है कि वहां पर महिलाओं का सम्मान कितना सुरक्षित है? यही नही, महिला को मंत्री के सरकारी निवास पर रखा गया और सिर्फ स्टेटमेंट दिया है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया...।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया विस्तार में न जाये। आप भी शायद उन्हें नहीं जानते है। अब यह ठीक है।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : उसके बाद महिला को रुपये ऑफर किये गये कि तुम्हारी साड़ी फाड़ दी गयी है, इसके कम्पनसेशन के रूप में 2000 रुपये लो। क्या हम इतना नीचे गिर गये है कि महिला का सम्मान रुपयों से तोला जायेगा?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, सबसे गंभीर बात तो यह है कि सारा मामला लखनऊ में हुआ है। लखनऊ मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। अब आप बताइये कि लखनऊ के प्रतिनिधि की क्या हालत हो रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात समझ सकता हूं।

...(व्यवधान)...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह लखनऊ के निर्वाचित संसद सदस्य पर प्रतिबिम्ब है ..(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा : अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे दरख्वास्त करूंगी कि होम मिनिस्टर को निर्देश दिया जाये कि वे सदन को अविलम्ब इस मामले की जानकारी दे। उस मंत्री को बर्खास्त किया जाये और उस मंत्री और विधायक को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चलाया जाये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अमेरिकी कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति ने दो प्रस्ताव पास किये हैं। एक प्रस्ताव भारत के लिए सजा है और दूसरा पाकिस्तान को ईनाम है। इनमें एक प्रस्ताव में यह है कि जो भारत के साथ हमारा समझौता था, उससे हम भारत को जो आर्थिक मदद देने थे, उसको रोकेंगे और दूसरा प्रस्ताव है कि प्रेसलर कानून के अंदर प्रस्ताव किया गया है कि पाकिस्तान को जो सुविधाएं रोकी गयी थी, वह फिर से शुरू की जायेंगी। वहां सत्तारूढ पार्टी वाले इसके पक्ष में है और डेमोक्रेटिक पार्टी वाले इसके विपक्ष में है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी को धन्यवाद दें। हमे इस तरह से अमेरिका के दबाव में नही आना चाहिए। सरकार को अपने देश को बचाने के लिए अमेरिका के चंगुल में नही जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद का हल अनेक वर्षो से नही किया गया है। यद्यपि महाजन आयोग को अपनी रिपोर्ट दिये काफी समय हो गया है, लेकिन उसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं की गई है। अनिश्चितता की स्थिति बने रहने के कारण दोनों राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास नही किया गया है और वे पिछड़े हुए है। सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास नहीं किया गया है और वे पिछड़े हुए है। सार्वजनिक रूप से विचार व्यक्त किये जाने के कारण दोनों राज्यों में उत्तेजना व्याप्त है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस समस्या को हल किया जाना चाहिये ताकि दोनों राज्य अपने राज्य के क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम आरम्भ कर सकें।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार द्वारा हरेक राज्य को जन-वितरण प्रणाली द्वारा दुकानों पर गेहू, चावल, मिट्टी का तेल और जलाने के लिए कोयला दिया जाता है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पडता है कि बिहार में जितनी आवश्यकता है, उतना चावल, गेहूं और मिट्टी का तेल नही दिया जा रहा है। हालत यहां तक हो गई है कि दो वर्ष पहले जितना कोयला वहां दिया जाता था, उससे बहुत ही कम 1995 में दिया जा रहा है, जबकि कोयले की तमाम खाने बिहार में है और बिहार में कोयले का दाम 80 रुपया मन हो गया है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जलाने वाले कोयले की मात्रा जो कम कर दी गई है, उसे बढ़ाया जाए। जन-वितरण प्रणाली के माध्यम से जो गेहू, चावल,

मिट्टी का तेल मिलता है, वह भी अधिक से अधिक मात्रा में दिया जाए। आदिवासी जगहों में अरवा चावल नहीं खाया जाता है और राशन की दुकानों पर अरवा चावल मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी इलाकों से उसना चावल की बिक्री की जाए जिससे गरीब आदमी उसे खरीदकर खा सकें। जितनी हमारी चावल, गेहूं मिट्टी के तेल की आवश्यकता है, उतना सामान अधिक से अधिक मात्रा में दिया जाए जिससे बिहार में शान्ति रहे। अगर भारत सरकार उचित मात्रा में बिहार की आवश्यकता का कोटा उसको उपलब्ध नहीं करायेगी तो मैं शंका करता हूं कि भारत सरकार की नीयत यह है कि देश के सभी राज्य कश्मीर बन जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हरेक राज्य को कश्मीर बनाने की कोशिश न की जाए। बिहार को उसकी आवश्यकता के मुताबिक जन-वितरण प्रणाली के अंतर्गत सामान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : भारत से बंगलादेश के माल का निर्यात किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार सीमेन्ट, स्टोन चिप्स, स्टील बिलेट्स, बिजली के पोल, सफेद सीमेन्ट आदि जैसी वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है। भारत से माल के निर्यात के लिये परिवहन प्रणाली संतोषजनक नहीं है, विशेषरूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में, परिवहन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन पूर्वोत्तर क्षेत्र से माल से लदे 300 ट्रक बंगलादेश जाते हैं। लेकिन सड़कें अच्छी नहीं हैं। एक सड़क करीमगंज से सुतारकाड़ी तक बंगलादेश की सीमा तक है। यह राज्य सरकार सड़क की दशा इतनी खराब है कि उस पर ट्रक नहीं चल सकते।

अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस सड़क को सीमावर्ती सड़क समझ कर जल-भूतल मंत्रालय द्वारा शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिये।

दूसरे कलकत्ता और मारायणगंज के बीच नियमित स्टीकर सेवा है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र से उस समय कोई स्टीमर सेवा उपलब्ध नहीं है। इससे पूर्व, करीमगंज से बंगलादेश के बीच नियमित स्टीमर सेवा उपलब्ध थी। अब इसे बन्द कर दिया गया है।

अतः मेरा अनुरोध है कि सिल्चर से बदरपुर घाट और करीमगंज होकर नारायणगंज तक एक स्टीमर सेवा आरम्भ की जानी चाहिये ताकि निर्यातक अपना माल आसानी से तथा कम लागत में निर्यात कर सकें। ऐसा देश के निर्यातकों के हित में किया जाना चाहिये ताकि वे अपना माल बंग्लादेश को भेज सकें।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यहां हमारे दोस्त भाटिया जी बैठे है और मैं एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि NPT के दस्तख्त के सिलसिले में भारत सरकार की जो दृष्टि रही है उस पर कायम रही है। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के मि. कार्लटन स्टोएबर, जो डाइरेक्टर ऑफ न्युक्लियर रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने हम लोगों को यह कहकर आगाह किया है कि आप लोगों ने दस्तख्त नही किए तो आप लोगों को भुगतना पड़ेगा।

[अनुवाद]

मि0 कार्लटन स्टोएबर, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों सम्बन्धी न्युक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के डाइरेक्टर हैं ने इस महीने न्यूयार्क में हुए सम्मेलन के बाद कहा था कि अमरीका के लिये भारत के साथ ऊर्जा सुरक्षा न्युक्लियर सेफटी के मामले में सहयोग करना बहुत कठिन होगा।

मि. स्टोएबर ने कहा और मैं उसको उद्धृत करता हूँ :-

भारत को असुरक्षित रिऐक्टरों का संचालन बन्द कर देना चाहिये और उसके ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम बहुसंख्यक राष्ट्रों से अलग रहकर, जिन्होंने एन. पी. टी. के विस्तार का पक्ष लिया है, शायद असफल हो जायेंगे।

भारत और अमरीका गत दो वर्षो से ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में सहयोग करते रहे हैं।''

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं यह चीज इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि विदेश मंत्रालय पर बहस करने का मौका नही मिला। मैं भाटिया जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की धमकी देना हमारी सार्वभौमिकता को चुनौती देना है। हम संसद में बैठे है और फिलहाल जो विदेश मंत्री है वे वहां दौरा करने के लिए गए है। वे हमकों आगाह करके डरा रहे है, हम लोग न्युक्लियर सैफ्टी के लिए जो टैक्नोलोजी लेते है वह वे नही देगें। वे कोलेप्स कर देने की धमकी दे रहे है। मैं कहना चाहता हूं कि यह हिन्दुस्तान के लिए बहुत की-अपमानजनक चीज है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस गंभीर सवाल पर भटिया जी कुछ रेस्पोस दें और बताएं कि इस बारे में सरकार क्या सोचती है?

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शहाबुद्दीन अब बोलेगें।

मेरे विचार से यह मामला पहले भी उठाया जा चुका है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : नो सर। स्पीकर साहब, मैं यह मोतबर बात कहना चाहता हूं कि भागलपुर में 1989 में जो डिसटर्बेंस हुए वे इस पैमाने पर हुए कि आजाद हिन्दुस्तान की तारीख में वैसा कभी नही हुआ। उसके बाद पूरे देश में चिन्ता की लहर फैल गयी थी। उस पर पार्लियामेंट में बहस भी हुई थी और फिर केन्द्रीय सरकार ने उसकी रिलीफ में हाथ बंटाने का फैसला किया था और बहुत कुछ हुआ एक कमीशन की मांग थी, कमीशन बिठाया गया। उस कमीशन ने आज साढ़े चार वर्षो के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट मार्च के महीने में बिहार सरकार के सामने रखी है। लेकिन अब तक उस कमीशन की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं हाउस को सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि उस रिपोर्ट के ऊपर सब चिंतित है और हम सबकी उसमें दिलचस्पी है, इसलिए हम चाहेगें कि उस रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही हो। यह मुमकिन है, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। पहले जब जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे तो उसकी रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस हुई थी। मैं यह 1989 की बात कर रहा हूं। उसी तरह उस रिपोर्ट को भी हाउस के सामने लाया जाय और उसके ऊपर बहस की जाय। मेरा कहना है कि सरकार उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके उस पर कब और किस प्रकार कार्यवाही की जा रही है, उसके बारे में अवाम को सूचित करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.35 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : मैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (संचलन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1995, जो 28 अप्रैल 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 383 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 7660/95]

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत अधिसूचना

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) संशोधन नियम, 1995, जो 2 फरवरी, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 49(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (चलत उन्मोचन प्रमाणपत्र) संशोधन नियम, 1995, जो 16 मार्च 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का. नि. 270 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 7661/95]

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों को नगरों से जोड़ने वाली सड़कों के रख-रखाव तथा विकास के संबंध में 20 जुलाई, 1961 के मूल करार में आंशिक संशोधन और/या उपान्तरण करने हेतु भारत के राष्ट्रपति और उड़ीसा के राज्यपाल के बीच हुए तीसरे अनुपूरक करार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 7662/95]

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्यांक-13) (वाणिज्यिक)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राजय मंत्री (श्री तरूण गागोई) : मैं, संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (1995 का संख्यांक 13)-(वाणिज्यिक)-मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 7663/95]

भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचना

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं, भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत भोपाल गैस विभीषिका (दावों का पंजीकरण और कार्यवाही) संशोधन योजना, 1995 जो 4 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का. नि० 330(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 7664/95]

राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकारण की समीक्षा और वार्षिक लेखे

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 7665/95]

12.36 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सिहोरा कस्बे में एक रसोई गैस वितरण खोले जाने की आवश्यकता

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : जबलपुर जिले में सिहोरा कस्बे में रसोई गैस एजेंसी ने खोले जाने से वहां के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है। विकास की वर्तमान शताब्दी में, जब हम 21 वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं, जब वनों के अत्याधिक काटे जाने से यहां तक कि गांव के लोग भी अब वन-ईंधन पर निर्भर नहीं कर सकते हैं सिहोरा के लोगों को गैस सिलेंडर के लिये चालीस से अधिक किलोमीटर या तो जबलपुर या कटनी जाना पड़ता है।

सिहोरा जबलपुर का एक बहुत बड़ा तहसील है और सिहोरा की आबादी लगभग 0.5 लाख है और इसका अपना इतिहास है।

सिहोरा के लोगो ने स्वतन्त्रता के संघर्ष में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है।

अतः सिहोरा कस्बे मे एक रसोई गैस वितरण केन्द्र खोला जाना चाहिये जिससे वहां के लोगो की गैस की आवश्यकता पूरी हो सके। मैं माननीय पेट्रोलियम और गैस मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि सिहोरा कस्बे के लिये यथाशीघ्र घरेलू गैस के वितरण की व्यवस्था की जाये।

(दो) कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग को चौडा किये जाने की आवश्यकता

श्री एन डेनिस (नागरकोइल) : त्रिवेन्द्रम कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग देश की सबसे अधिक यातायात वाला मार्ग है। यात्री और वाहनो का भारी यातायात होने के कारण सड़क पर निरन्तर भीड़ रहती है और अक्सर यातायात रुका रहता है जिससे आस-पास जाने में बहुत समय लगता है और इस प्रकार यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। सड़क की चौड़ाई बहुत अधिक समय से कम है जो बढ़ते हुए यातायात के लिये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त कन्याकुमारी जिले मे राष्ट्रीय राजपथ का अपर्याप्त रख-रखाव और मरम्मत यात्रियो के लिये चिन्ता का विषय है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सड़क को चौड़ा करने और इसके रख-रखाव के लिये शीघ्र कार्यवाही करे।

(तीन) उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में रसोई गैस की नियमित पूर्ति की व्यवस्था

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : (गढ़वाल)

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देता हूं कि उत्तरांचल के गढ़वाल मण्डल में पिछले दो महीने से खाना बनाने की एल. पी. जी. की भारी कमी हो गयी है पौड़ी गढ़वाल और चमोली जनपदों में गैस का आबंटन ठप्प पड़ा हुआ है। इन जनपदों में खाना बनाने के लिए न तो लकड़ी उपलब्ध है और न ही मिट्टी का तेल या बिजली। पेड़ो के कटान पर रोक लग जाने के बाद इन जनपदों के लोग कुकिंग गैस पर ही निर्भर है। अतः गैस के वितरण में विलम्ब होने से लोगों को भारी असुविधा हो रही है।

मेरा पेट्रोलियम मंत्री जी से आग्रह है कि पौड़ी गढ़वाल और चमोली जनपदों में गैस की सप्लाई को तुरत व्यवस्थित करें।

[अनुवाद]

(चार) मद्रास के आस-पास के उपनगरों को सीधी डायल सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री एस. एस. आर. राजेन्द्र कुमार (चिंगल पट्टु) : चिंगलपट्टु निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु में मद्रास नगर की सीमावर्ती क्षेत्र है। मद्रास नगर बहुत तेजी से बढ़ता महानगरीय क्षेत्र है। अतः इसकी सीमा चिंगलपट्टु जिले तक बढ़ती जा रही है। अधिकांश नये व्यापार केन्द्रों, कारखानों शैक्षिक संस्थाओं आदि के निकट नये अधिवासी क्षेत्र अब उपनगरीय क्षेत्रों में बदल गये हैं। मद्रास सिटी और चिंगलपट्टु कस्बे के बीच बहुत विकास हुआ है। बहुत से लोग जो मद्रास नगर के पहले ही से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में रहने में असुविधा महसूस करते हैं वो अब उपनगरीय क्षेत्रों में रहने लगे हैं। जो मद्रास सिटी केन्द्र से लगभग 50 किलोमीटर दूर है।

मद्रास टेलीफोन एक्सचेंज और चिंगलपट्टु एक्सचेंज की लाइनें अधिकांश उपनगरीय क्षेत्रों में उसी स्थान से जुड़ी है। उदाहरणार्थ, एक मम्बाकम नामक गाँव चिंगलपट्टु एक्सचेंज से जुड़ा है जहां एक काल मद्रास सिटी के एस. टी. डी. सुविधा से जुड़ी है और वही गाव मद्रास टेलीफोन एक्सचेंज से भी जुड़ा है जहां वही काल मद्रास सिटी से बिना एस. टी. डी का उपयोग किये स्थानीय डायल सुविधा से जुड़ी है।

मैं संचार मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मद्रास सिटी के आस-पास 50 किलोमीटर की दूरी तक के सब उपनगरीय क्षेत्रों को सीधी डायल सेवा से मद्रास एक्सचेंज से जोड़ा जाये।

(पांच) अरूणाचल प्रदेश में बेहतर वायु सेवाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री लाईता उम्ब्रे (अरूणाचल-पूर्व) : अरूणाचल प्रदेश, उगता सूर्य प्रदेश जो प्राकृतिक साधनों का भंडार है देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। राज्य के तीन ओर अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं-म्यानमार, चीन और भूटान लगी है, फिर भी इस प्रदेश का विमान सेवा से कोई सम्पर्क नहीं है। वायुदूत सेवा के लिये निर्मित कुछ अवतरण पट्टियां बेकार पड़ी है। राज्य की राजधानी ईटानगर में कोई भी हवाई पट्टी नहीं है। ईटानगर सहित राज्य के सब लोगों को विमान सेवा के लिये आसाम जाना पड़ता है। संकटग्रस्त आसाम में अपरिहार्य मार्ग राज्य के नागरिको मे विद्यमान पर्यटन उद्योग के लिये बाधक है। यहां तक कि राज्य के सब जिलों की सड़के विभिन्न प्रवेश मार्गो से आसाम से जुड़ी है और उनका उचित रख रखाव न होने के कारण वे विश्वसनीय नहीं है तथा वहां कानून और व्यवस्था की समस्या बनी रहती है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सियांग घाटी जिले में ईटानगर और रोईंग में विमान क्षेत्रो का निर्माण किया जाये। वर्तमान जियरो, डापोरीजो मन्चुका, आलोंग, टुटिंग, पीसीघाट, अनीनी और ताजू स्थित छोटे हवाई क्षेत्रो को बढ़ाकर उन पर बोइंग विमान के उतरने की यथा शीघ्र व्यवस्था की जाये जिससे आसाम से होकर जाना रोका जाये और राज्य मे पर्यटन उद्योग का भी विकास हो।

(छह) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किये जाने की आवश्यकता

श्री के. टी. वान्डायार (थंजावुर) : गाय, भैंस, बैल गांवों से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बूचड खाने ले जाये जाते है। पशुओं को सड़क से 5 अथवा 6 दिन तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार जाया जाता है। उन्हें चारा और पानी नहीं दिया जाता। बहुत से पशु यात्रा के दौरान रास्ते में ही मर जाते हैं।

इस प्रकार की क्रूरता को समाप्त करने के लिये भारत सरकार के पशुपालन विभाग को सब सम्बद्ध प्राधिकरणों को यह निदेश देने चाहिये कि पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वध करने के लिये मूल आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था किये बिना नहीं ले जाया जाना चाहिये। विशेषरूप से जब इससे पशुओं पर क्रूरता रोकने सम्बन्धी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन होता है। सरकार को पशु कल्याण बोर्ड के सहयोग से एक योजना तैयार करनी चाहिये जिसमे पशुओं पर क्रूरता समाप्त करने की व्यवस्था हो ताकि यदि आवश्यक हो, तो पशुओं का स्वस्थप्रद तरीके से वध किया जा सके और जमा हुआ गोमांस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लाने के लिये भेजा जा सके। एस. पी. सी. ए. को भी निर्देश दिये जा सकते हैं कि वह उन निर्देशकों का स्वैच्छिक एजेंसियो के सहयोग से पालन करें ताकि पशुओं का बेदर्दी से वध रोका जा सके।

(सात) असम के बांसकन्डी और आदमतिल्ला में गैस टरबाइन के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : अध्यक्ष महोदय, असम के मंत्री द्वारा दो गैस टरबाइन परियोजनाओं की आधारशिला अप्रैल, 1995 में रखी थी। इन में से एक गैस-टरबाइन कछार जिले में बांसकन्डी में तथा दूसरा करीमगंज जिले में आदमतिल्ला में स्थापित किया जाना था। जानकारी के अनुसार, इन दोनों परियोजनाओं से लगभग 25 मेगावाट बिजली पैदा होने की सम्भावना है। लेकिन बार्क घाटी के लोगों को इस बात पर अभी भी संशय है कि इनका निर्माण कार्य आरम्भ होगा अथवा नहीं। दिल्ली की एक कम्पनी से समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं। लेकिन उक्त कम्पनी निर्माण कार्य आरम्भ करने में हिचक रही है क्योंकि उसे अभी तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है कि क्या वह कम्पनी की मांग के अनुसार 20 वर्ष तक लगातार गैस सप्लाई करती रहेगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिलान्यास किया जा चुका है लेकिन अनेक मामलों में वास्तविक कार्य आरम्भ नहीं किया गया।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि असम की बार्क घाटी में बिजली की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए गैस टरबाइन के निर्माण में आने वाली सब बाधाओं को दूर करे और निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किये जाने के बारे में मार्ग तैयार करे।

12.47 म0 प0

वित्त विधेयक, 1995 जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य आरम्भ करते हैं। अब श्री हान्डिक बोलेंगे।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : मैं वित्त मंत्री डा0 सिंह द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। आरम्भ में मैं वित्त मंत्री द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर में दी गई रियायतों की घोषणा का स्वागत करता हूं।

मैं उनके इस निर्णय का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा जिसमें उन्होंने परिवहन के विकास के लिये पांच वर्ष तक और कर की छूट दी है जिससे उद्यमी योजना के पहले 12 वर्षों में इसका लाभ उठा सकें। देश में वर्तमान परिवहन ढांचे में विकास की अत्याधिक आवश्यकता है। निवेशों से उत्पन्न होने वाली भारी रोजगार क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस बारे मे पहल करनी चाहिये। कर-छूट के बारे में कुछ मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। आयकर अधिनियम की धारा 81 (क) जैसाकि वित्त विधेयक में प्रस्ताव है, के अन्तर्गत इस रियायत की व्यवस्था है। यह रियायत विशेषकर उन बड़े उद्योगों को देने की भी व्यवस्था है जो पिछड़े राज्यों और जिलों मे निवेश करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय विकास होता है यह रियायत उन उद्यमियों को उपलब्ध होती है जो राजपथों, द्रुतगामी पथों, नये पुलों पत्तनों का निर्माण करते है, तथा आधारभूत सुविधाओं और तीव्र परिवहन प्रणाली को जारी रखते है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जहां आधारभूत ढांचा बिल्कुल नहीं है, हुए कम विकास के संदर्भ में, यह कहना होगा कि जब तक आधारभूत ढाँचा पूरा हो और प्रस्तावित उद्योग कार्य आरम्भ करें ये पांच वर्ष कैसे व्यतीत हो गये कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिये इस पांच वर्ष की कर छूट का जब उसकी घोषणा 1993 में की गई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों ने कोई लाभ नहीं उठाया। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लगातार यह मांग करते रहे कि उनके लिये कर छूट की सीमा 10 वर्ष तक बढाई जानी चाहिये ताकि इस पिछड़े क्षेत्र में लोग निवेश के लिये आकर्षित हो।

इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेषकर विमान सेवा को आधारभूत ढांचे के विकास में शामिल किया जाना चाहिये। सब क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में भारी कमी किये जाने, उड़ानों को कुछ क्षेत्रों में बन्द किये जाने के प्रस्ताव, निजी एयर लाइनों द्वारा ये मार्ग लाभप्रद न होने के कारण इन मार्गो पर विमान सेवाएं चलाने से इंकार किया जाना, जबकि यह तथ्य है कि निजी एयर लाइनों को इस शर्त पर ये ट्रंक और लाभप्रद मार्ग दिये गये थे, के कारण प्रदेश के उस क्षेत्र में विमान सेवा पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गई है, जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस ओर ध्यान दें।

वित्त मंत्री द्वारा अप्रत्यक्ष कर में दी गई रियायतों से अर्थव्यवस्था में और अधिक उदारीकरण और प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी राजनीतिक पंडितों के सब अनुमानों और भविष्यवाणियों और उन आशावान विचारों का विरोध करने के बावजूद 1995-96 का पांचवा बजट वर्ष 1991 में आरम्भ किये गये अपने उद्देश्य में सफल रहा है। यदि आप गत चार वर्षो में प्रस्तुत बजटों से इसकी तुलना करें तो सुधार कार्यक्रम न केवल जारी रखे गये है उनके इस बजट में निश्चित परिणाम भी नजर आते है।

वर्तमान बजट में विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन को बहुत महत्व दिया गया है गरीबी उन्मूलन पर बजट में इतना अधिक महत्व दिया है कि आलोचकों का यह कहना है कि यह बजट सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने और चुनाव को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उनका तर्क यह है कि चुनाव वर्ष में गरीबों की आवश्यकता का उद्देश्य त्याग दिया जायेगा। वित्त मंत्री ने इस बात पर बहुत अधिक प्रभावशाली ढंग से बल दिया है। हमें एक मुद्दे पर सतर्क रहना है सुधार का रास्ता हमेशा आरामदायक नहीं होता है। अन्तर्वर्ती अवस्था में इससे इसके कट्टर समर्थकों को भी निराशा हो सकती है। अत: उन निर्धन व्यक्तियों को जिन्हें अन्ततः सुधारों का लाभ प्राप्त होना है इस बारे में तब तक सतर्क रहना चाहिये जब तक हम अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो जाते। अत: बजट ने आर्थिक सुधार को एक माननीय रूप दिया है और वित्त मंत्री ने सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के लिये नये रास्ते खोल दिये है। ग्रामीण विकास रोजगार और गरीबी उन्मूलना के लिये आबंटन की राशि को बढ़ाकर 7700 करोड़ रूपये कर दिया गया हैं। यदि हम पिछले चार बजटों का विश्लेषण करे तो इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधार है। उन्होंने सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र को संसाधनों के अन्तरण पर बल दिया था। अत: खाद्यानों, के मूल्यों और विकासीय परिव्यय में लगातार वृद्धि हुई है का उत्पादन जो 1992.93 में 168 मिलियन टन था बढ़कर 1994.95 में 183 मिलियन टन हो गया। औद्योगिक उत्पादन की विकास दर जो 1991.92 में 0.5 प्रतिशत थी 1994-95 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गई और रोजगार पैदा करने के अवसर 30 मिलियम जन दिवस से बढ़कर 60 मिलियन जन दिवस प्रतिवर्ष हो गयें। कृषि क्षेत्र में विकास प्रक्रिया बढ़ाने के बाद, वित्त मंत्री ने रोजगार के अवसर पैदा करने, आवास में भारी परिव्यय, लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योग और कपड़ा क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दिया। क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार पूंजी निवेश अनुपात है। इसके परिणामस्वरूप मजूरी-माल और निर्माणाधीन माल की मांग में वृद्धि होगी। माल की किस्म और उत्पादकता में सुधार लाने के प्रयास करने का प्रस्ताव है जिससे इन क्षेत्रों से होने वाले निर्यात में वृद्धि होगीं उन्होंने लघु उद्योग के लिये अनेक समर्थक उपाय करने के प्रस्ताव दिये। 1 अप्रैल 2000 तक उत्पादन आरम्भ करने वाले किसी भी लघु एकक के लिये बिक्री पर होने वाले लाभ पर प्रत्यक्ष कर में 30 प्रतिशत तक छूट की अनुमति दे दीं

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र गरीबी उन्मूलन के लिये आधारभूत ढांचे का विकास है। जो, नाबार्ड के सहयोग से प्रस्तावित ग्रामीण आधारभूत विकास कोष के माध्यम से करने का प्रस्ताव है।

प्रोत्साहन देने की जो नई पद्धति अपनाई है वह यह है कि वाणिज्यिक बैंको को राज्य सरकारों को लगभग 2,000 करोड़ रूपये देने होंगे जिससे वे अपनी चल रही परियोजनाएं पूरी करेगी और वे 1,000 करोड रूपये खादी और ग्रामोउद्योग आयोग को देगें जिससे लघु उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जा सके। इसके अतिरिक्त सहकारी और वाणिज्यिक बैंको के माध्यम से 500 करोड़ रूपये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषि और अन्य निवेश की गतिविधियों में लगे लाभर्थियों को देंगे। अत: ग्रामीण विकास के लिये बैंको को भारी जिम्मेवारी सौंपी गई है।

लेकिन बैंकिग क्षेत्र की व्यवहार प्रणाली को देखते हुए मुझे इस बारे में शंका है कि आज की स्थिति में उन उपयोग उपायों की क्रियान्विति हो सकेगी।

जहां तक देश में सहकारी क्षेत्र में स्थिति बैंको का प्रश्न है, 1400 बैंको में से लगभग आधे बैंक रूग्ण हैं। इन में से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में रिजर्व बैंक द्वारा 60 बैंकों की नीलामी का प्रस्ताव था। सहकारी समितियों द्वारा ऋण देना किसानों को साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिये किया गया था अब समस्या यह है कि सहकारी आन्दोलन को निहित स्वार्थियों के चंगुल से कैसे छुड़ाया जाये। अत: इस सम्बन्ध में कुछ त्रुटि दूर करने वाले उपाय अवश्य किये जाने चाहिये। माननीय मंत्री ने शहरी गरीबी उन्मूलन के लिये वित्त विधेयक में आयकर अधिनियम की उप-धारा 2 में खंड (ङ) में संशोधन कर एक नया खंड जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इस उपबन्ध के अन्तर्गत किसी भी करदाता द्वारा राष्ट्रीय नगरीय गरीबी उन्मूलन निधि, जिसकी स्थापना और अधिसूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई हो, के लिये दी गई कितनी ही राशि पर छूट की अनुमति होगी। अत: वित्त मंत्री ने निर्धनता उन्मूलन के लिये वाणिज्यिक बैंको को मूल भूमिका सौंपी हैं नगरीय निर्धनता को दूर करने के लिये एक निधि की स्थापना की है जिसके लिये कर में छूट का उपबन्ध प्रेरक होगा।

सैद्धान्तिक रूप से यह सोचना ठीक है कि बैंक और वित्तीय संस्थाएं सामाजिक और अर्थिक परिवर्तन लाने के वैध माध्यम हैं। जब कभी बैंक विविध ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अपनी गतिविधियों का विस्तार करते है, तो उन क्षेत्रों की ओर ध्यान अवश्य दिया जाना चाहिये जिनकी विशेष आवश्यकताएं है। यह बात ध्यान में रखने वाली है कि एक सुदृढ़ बैंकिग प्रणाली को सामाजिक रूप से सम्बद्ध बैंक प्रणाली से मेल नही खाना चाहिये। लेकिन वास्तव में इन मापदण्डों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंको का राष्ट्रीयकरण इस आशा से किया था कि इसके परिणामस्वरूप गरीबों को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे लेकिन बैंकिग क्षेत्र ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। बैंक अपना सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने में असफल क्यों रहे? यह प्रश्न अनेक बार पहले भी पूछा जा चुका है। लेकिम अब समय आ गया है जब हम बैंकिग क्षेत्र का मूल्यांकन करें चूकिं एक बड़े क्षेत्र को बैंक की सहायता से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उबारना है। इसके लिये हमें बैंकिग प्रणाली में व्याप्त त्रुटियों को दूर करना होगा। सर्वप्रथम, बैंको में तर्कसंगत लक्ष्यों की अनुपस्थिति है और इन लक्ष्यों की क्रियान्विति में बहुत त्रुटियां है। बैंक सामान्य रूप से समाज के उच्चवर्ग की ओर अधिक ध्यान देते है क्योंकि इसमें जोखिम कम होता है। दूसरे वे दबाब के आगे झुक जाते हैं अथवा ऋण में वृद्धि के लिय अपराधी गिरोह का साथ देते है। यद्यपि अधिक ऋण देने का अभिप्राय यह नहीं है कि आवश्यक रूप से विकास में वृद्धि हुई है। इसका अन्ततः परिणाम कर्जदारी में वृद्धि होती है और इससे वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता जिसके लिये ऋण दिया जाता है। तीसरे वे अक्सर प्रति-उत्पादी लक्ष्य अपनाते हैं। इससे उचित परियोजनाओं के चयन में उनमें अनुभव की कमी का बोध होता है। चौथे निर्धन वर्गो को ऋण देने के लिये बैंकों को अपने शुद्ध ऋण का 10 प्रतिशत

भाग के बराबर निर्धारित करना होता है। इस प्रयोजन के लिये बैंको के पास ऐसे प्रेरक कर्मचारी होने चाहिये जो निर्धन वर्गों के उद्धार के प्रति समर्पित हो, यहां तक कि बैंको को इस प्रयोजन के लिये एन. जी. ओ. को प्रायोजित अथवा चयन करना चाहिये जो समाज के लक्षित वर्गों तक पहुंच सकें और उन लोगों में सौहार्द की भावना पैदा कर सके ताकि वे इसमें देने और लेने की भावना से भाग ले सकें।

1.00 म0 प0

पांचवे, राष्ट्रीयकरण को हुए 25 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन बैंक ग्रामीण समुदाय के लिए उचित कार्य करने मे सफल नहीं हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों को निजीकृत बैंकिंग सेवा की आवश्यकता है तथा इस कार्य के लिए एक ऐसा स्थानीय नागरिक भी होना चाहिये जो उनमें विश्वास पैदा कर सके। इस प्रकार पुनरनुस्थापन किये बिना सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित 100 शाखाएं खोलने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। मुझे आशंका है कि जब तक माननीय वित्त मंत्री उन पर प्रभावशाली निगरानी नहीं रखेंगे और उचित पर्यवेक्षण नहीं करेंगे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कितने समय की आवश्यकता है। यदि आपको अधिक समय की आवश्यकता है, तो आप अपना भाषण भोजन काल के बाद आरम्भ कर सकते हैं।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : जी, हां। मैं अपना भाषण भोजनकाल के बाद पुनः आरम्भ करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 2.00 बजे म0 प. पर पुन समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म. प. तक के लिये स्थगित हुई।

2.09 म0 प0

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा

2.09 म0 प0 पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वित्त विधेयक 1995-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वित्त विधेयक पर चर्चा जारी रखते है। श्री विजय कृष्ण हान्डिक अपना भाषण जारी रखे।

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : मैं अपनी बात फिर दोहराता हूं कि जब तक प्रभावशाली निगरानी और उचित पर्यवेक्षण नहीं किया जायेगा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सफल नहीं होगा।

मैं, एक नया बैंक पूर्वोत्तर विकास बैंक स्थापित करने का सुझाव देता हूं। इससे पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी। क्षेत्र में औद्योगिक उद्यमों और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता विस्तार और उनके आधुनिकीकरण की मांग की गई है यह बिना शक के प्रशंसनीय सुझाव है। लेकिन जब तक वित्त मंत्री इस परियोजना में रुचि नहीं लेगें यह बैकिंग क्षेत्र के सामाजिक पहलु के अपर्याप्त कार्य निष्पादन के कारण सफल नहीं होगी। चूकि माननीय मंत्री पूर्वोत्तर राज्य से सम्बध रखतें हैं इसमें उनकी निजी रुचि और हस्तक्षेप की मांग वास्तविक नहीं है।

नगरीय निर्धनता की समस्या से मुकाबला करते समय सरकार को और अधिक राशि सुनिश्चित करने के लिए उपायों का पता लगाना चाहिये और व्यक्ति विशेष के निवेश और राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन निधि में निगमित क्षेत्रों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। जैसा कि वित्त विधेयक में सुझाव दिया गया है, अन्यथा इस बारे में अनिश्चितता बनी रहेगी। नगरीय निर्धनता पर चर्चा करते समय हमें कुछ मूलभूत सिद्धान्तों को नहीं भूलना चाहिये। नगरीय गरीबी के बढ़ने का एक प्रमुख कारण ग्रामीण जनता का रोजगार के लिये नगरीय क्षेत्रों में जाना है। जब तक नगर के लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा नहीं किये जायेंगे कस्बों और नगरों में ग्रामीण लोगों का आना जारी रहेगा और उससे नगर में गरीब लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी और गन्दी बस्तियों की संख्या भी बढ़ेगी। जनसंख्या के इस प्रवाह को रोकने के लिये ऐसे उद्योगों को जिनमें बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने की गुंजाइश है भीड़भाड़ वाले नगरों से ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तरित करना चाहिये। चूकि अधिकांश शहरी गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते है, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के लिये रोजगार के अवसर पैदा करने का सुझाव बहुत पहले ही आवश्यक था। इस बारे में गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। अतः नगरीय निर्धनता का समाधान पृथक्करण में ढूढने से समस्या हल नहीं होगी।

वित्त मंत्री का यह कथन कि अधिक कराधान की बजाये यदि कर वसूली का उचित रूप से पालन किया जाये तो अधिक राजस्व की प्राप्ति की गारंटी है, एक बार फिर सच सिद्ध हुआ है। केन्द्र को 1994-95 में राजस्व की वसूली 88.770 करोड़ हुई थी जो 1995-96 में बढ़कर 1,00787 करोड़ रुपये हो गई थी अर्थात् इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वित्त मंत्री की बजट सम्बन्धी नीति यह है कि यदि आप कर ढांचे की युक्ति युक्तकरण कर देंगे तो उद्योग का तीव्रता से विकास होगा। और अर्थव्यवस्था की विकास दर में भी वृद्धि होगी। यह समझदारी की बजट है जिसमें कल्पना की गई है कि घाटे में 55 प्रतिशत तक कमी आयेगी, जैसा कि वायदा किया गया है। लेकिन इसके साथ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि घाटे में बहुत अधिक कमी विकासशील गतिविधियों के लिये हानिकारक हो सकती है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि धाटे में कमी आने से मुद्रा स्फीति की दर इकाई में रह जायेगी कम उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क द्वारा इसमें बहुत सहायता मिलेगी। कम शुल्क से लागत में कमी अपेक्षित होती है तथा इससे भारतीय माल अधिक प्रतिस्पर्धी होगा तथा निर्यात वृद्धि को सहायता मिलेगी मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में भारी कमी से, जैसा कि बजट में प्रस्ताव है, औद्योगिक विकास में वृद्धि होगी और रोजगार के और अधिक अवसर

पैदा होंगे। उत्पादन लागत में कमी आयेगी और उत्पादों की कीमतें कम होंगी और इसका कुछ लाभ जनता तक पहुंचेगा। यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रभावकारी तरीका है।

यद्यपि 1995-96 बजट प्रस्ताव आर्थिक संकट के समय प्रस्तुत किये गये थे तथा उस समय मुद्रास्फीति दो अंको में थी लेकिन अब चारों ओर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। औद्योगिक उत्पादन 8 प्रतिशत है, निर्यात मे 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और विदेशी मुद्रा का भारी भंडार है

मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का एक बार पुनः समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : कांग्रेस के इतने सदस्य बोल चुके है, लेकिन बी जे. पी. का कोई सदस्य नहीं बोला न आपने कहा कि सोमवार को लंच ब्रेक के बाद बी. जे. पी के सदस्य से शुरू करेंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी को भी यह आशा नहीं थी कि मध्याह्न भोजन के पहले चर्चा आरम्भ हो जायेगी। चर्चा मध्याह्न भोजन से पूर्व आरम्भ हुई थी। उस समय आप अनुपस्थित थे।

श्री कलकादास : यदि चर्चा मध्याह्न भोजन से पूर्व भी आरम्भ हो गई थी तब भी हमे अवसर दिया जाना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आज मध्याह्न भोजन से पूर्व आरम्भ हुई थी।

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव द्वारा कोहिंगम सम्मेलन में दिये गये भाषण को सम्मानीय सदन के सामने उद्धृत करना चाहूंगी।

"गत साढ़े तीन वर्षों से हमने अपनी आर्थिक और औद्योगिक नीति में क्रान्तिकारी सुधार आरम्भ किये है। उक्त प्रक्रिया अपरिवर्तनीय है क्योंकि इसके पीछे राष्ट्रीय चेतना है। इसके साथ ही जनता के जिन वर्गो को नीति सुधार का प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें निश्चित रूप से सहायता, देखभाल और मुक्त करने की आवश्यकता है"

" मैं शब्द 'आवश्यकता' देखभाल और मुक्त करना को दोहराती हूं ताकि समान शर्तो के आधार पर नई प्रणाली में प्रवेश के लिये योग्यता और क्षमता का स्तर प्राप्त कर सकें। समुचित समय सीमा में स्तम्भ के विशाल आधार के उस स्तर तक उत्थान के लिये बड़े और उचित समेकित कार्यक्रमो और अनुकूल संसाधनों और प्रयासों की आवश्यकता है"

सुनने में यह बात बहुत अच्छी लगती है लेकिन वास्तविक व्यवहार में ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ऐसी नीतियों का पालन कर रही है जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि स्तम्भ का आधार अर्थात् परिश्रम करने वाले तथा खामोशी से सहने वाले लाखों स्त्री-पुरुष जिनका सरकार की नई आर्थिक नीतियों में विश्वास है, वह कभी भी गरीबी से ऊपर नहीं उठ पायेंगे। मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आप कुछ भी करें स्तम्भ के आधार का तेजी से विस्तार हो रहा है। हमारी आर्थिक नीतियों का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्तियों के दिमाग के दो महत्वपूर्ण बाते-सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय गर्व कभी सामने नहीं आये। शुल्क में कमी के साथ न केवल अधिकांश गैर-शुल्क बाधाऐं समाप्त हो गई है बल्कि व्यापार को नियमित करने वाली संस्थाएं भी विघटित हो गई है। उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योगों को अभूतपूर्व और अनुचित चुनौतियों का, विशेष रूप से विदेशी माल का भारी मात्रा में जमा होने का सामना करना पड़ रहा है। घरेलू उद्योग बड़ी विचित्र स्थिति में है क्योंकि इसमें सहयोग करने वाले अनेक कारण न तो उसके द्वारा पैदा किये गये है और न ही उसके नियंत्रण में है।

गरीबी उन्मूलन का ऐसा विषय है जिस पर सरकार ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया है उदारीकरण का लाभ सब में समान रूप से वितरित करने की बहुत अधिक समय उपेक्षा की गई है। आज सत्तारूढ़ दल उदारीकरण की बात करता है। साधारण आदमी के लिये उसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय कुछ नही है। भारतीय उद्योग को इसका क्या अभिप्राय है? भारतीय उद्योग को इसका अभिप्राय यह है कि इसके परिणामस्वरूप साम्यहीन और अनुचित प्रतिस्पर्धा होगी जिससे उसका अस्तित्व ही मिट जायेगा। बहुत अधिक वर्षों तक उसे संरक्षण देने, लाइसेंस देने और उसे नियंत्रित करने के उपाय अपनाने के बाद ऐसे समय में जब भारतीय उद्योग अपने शैशवकाल में है, हमने उसे अन्तर्राष्ट्रीय विख्यात कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए छोड़ दिया है। इसका क्या परिणाम होगा? भारतीय उत्पादों और भारतीय ब्रांड नामों को आज अपने को जीवित रखने के लिये मुकाबला करना पड़ेगा। यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो सम्भवतया उनका बाजार में स्थान नहीं रहेगा। यह चुनौती 100 अथवा उससे अधिक विख्यात बड़ी कम्पनियों को नही होगी, जिन्होंने स्वयं को बहुराष्ट्रीय निगमों के रूप से स्थापित कर लिया है अथवा जो स्वयं को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रूप में स्थापित करने वाली हैं। वास्तविक चुनौती तो शेष कम्पनियों को होगी।

आयात शुल्क ढांचे के बारे में जल्दी में किये गये उपाय मध्यम और लघु उद्योग को पूर्णतया समाप्त कर सकते हैं। उसके परिणामस्वरूप हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिये समस्या उत्पन्न हो सकती है। लघु उद्योग क्षेत्र का ही मामला लीजिये। आठवें दशक में लघु उद्योग क्षेत्र आर्थिक रूप से गतिशील और विकसित उद्योग के रूप में उभर कर आया था।

सातवीं योजना के अन्त में निर्माण क्षेत्र में उत्पादित सकल मूल्य के 35 प्रतिशत माल की बिक्री की तथा देश से किये जाने वाले निर्यात में इसकी 40 प्रतिशत भागीदारी रही। इससे लगभग 140 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। इस क्षेत्र को सहायता देने और इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने की बजाये, जिससे रोजगार के अवसरों और निर्यात में वृद्धि हो, नई नीति से कुछ उद्योगो को, जो

केवल लघु उद्योग के लिये आरक्षित है, समाप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत 75 मदों को शामिल किये जाने से अनेक ऐसे उत्पाद जो लघु उद्योग के लिये आरक्षित है, विश्व प्रवेश के लिये खुल गये हैं।

इस बारे में थर्मामीटर उद्योग का मामला उल्लेखनीय है थर्मामीटर कुल आरक्षित 807 मदों में से एक ऐसा मद था जो लघु उद्योग और छोटे एककों के लिये आरक्षित था। उसके लिये आवश्यक मूल कच्चा माल जैसे कैपीलैरी ग्लास ट्यूबिंग, बल्ब ट्यूबिंग और मर्करी ट्यूबों का आयात किया जाता है। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये मूल कच्चे माल पर वर्ष 1966 में आयात शुल्क 'शून्य' था। आज कच्चे माल पर लागत बीमा भाड़ा मूल्य का 80 प्रतिशत उत्पाद शुल्क है उन भारतीय निर्माताओं के लिये जो कच्ची सामग्री पर बहुत अधिक आयात शुल्क दे रहे है', उत्पादन लागत कई गुनी बढ़ गयी है। दूसरी और आयातित थर्मामीटर पर कोई आयात शुल्क नहीं लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप देश में निर्मित थर्मामीटर की तुलना में आयातित थर्मामीटर का मूल्य कम है। ऐसा नहीं है कि थर्मामीटर के निर्माता अपने उत्पाद कम कीमत पर बेचना नहीं चाहते, लेकिन कच्ची सामग्री पर अधिक आयात शुल्क लगाने के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ है। आज इस बात की सभावना है कि भारतीय बाजार में चीन में बने थर्मामीटर की जिसकी कीमत 6 रूपये प्रति नग है, बाढ़ आ जायेगी। भारतीय थर्मामीटर गुणवत्ता के लिहाज से काफी अच्छे हैं और उनमें और भी अनेक खूबियां है। एक और बात ध्यान देने योग्य यह है कि भारतीय थर्मामीटर उद्योग श्रमिक प्रधान है। इस उद्योग में नियुक्त अधिकांश श्रमिक महिलाएं है। यदि यह उद्योग बन्द हो जाता है तो इससे निम्न वर्ग की लगभग 10,000 महिलाएं बेरोजगार हो जायेंगी। इस उद्योग को चलाये रखने की अनुमति देना निम्न श्रेणियें के व्यक्तियों और महिलाओं के हित में होगा। इससे आयातित थर्मामीटर से प्रतिस्पर्धा की अपेक्षा नही करनी चाहिये।

इस सम्बन्ध में दूसरा मामला फर्निचर उद्योग से सम्बन्धित है। मंत्रालय का इसे निर्यात प्रधान एककों के लिये खोलने का प्रस्ताव है। उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग विभाग का मत है कि किसी भी बड़ी कम्पनी को तब तक आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक वह अपने उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात का आश्वासन न दे दे। इस समय ई. ओ. यू. के लिये कुल उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत निर्यात करना अनिवार्य है। शेष उत्पादन को घरेलू बाजार में बेचा जा सकता है। लघु उद्योग विभाग द्वारा इतनी अधिक निर्यात की अनिवार्यता की माग करने से लघु उद्योग क्षेत्र की योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हैं।

पॉड्स जैसी एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी, जो पूर्णतया ई. ओ. यू. है, को थर्मामीटर उद्योग मे प्रवेश की अनुमति दी गई है। आज उसने घरेलू बिक्री के लिये 25 प्रतिशत की अनिवार्यता को पूरा कर जो सम्पूर्ण थर्मामीटर उद्योग की कुल उत्पादन क्षमता है पिछले दरवाजे से प्रवेश किया है जो लघु उद्योग के लिये पूर्णतया आरक्षित है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों में बड़े एककों के प्रवेश की अनुमति देने से ऐसे लघु क्षेत्र, जिनके पास बड़े एककों का मुकाबला करने के लिये धनराशि नहीं है, समाप्त हो जायेंगे। लघु उद्योग विभाग और वाणिज्य विभाग अलग-अलग राग अलाप रहे हैं। यह कहा जाता है कि उद्योग (विकास और विनियमता अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गई लघु उद्योगों सम्बन्धी नीति की सांविधिक शक्ति है जिसकी मात्र नीति द्वारा अपेक्षा की जा रही है। आज के कानून के अन्तर्गत इसकी अनुमति नहीं है ऐसी नीति जिसमें समाप्त करने की व्यवस्था हो और जिसमें लघु उद्योगों सम्बन्धी नीति जो सांविधिक शक्ति हो के बारे में खोखला वायदा किया गया हो, वह खराब नीति है और इसे समाप्त किया जाना चाहिये।

हम कृषि निर्यातकों का मामला लेते हैं। इन निर्यातकों की मुख्य मांग यह है कि ई. पी. सी. जी योजना के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत माल पर शुल्क न लगाने की अनुमति दी जानी चाहिये, यदि आवश्यक हो तो इसके स्थान पर अच्छी निर्यात अनिवार्यता की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक दुख की बात यह है कि निःशुल्क आयात की अनुमति दिये जाने के बावजूद उन कृषि निर्यातकों को जिनके सामान्यतया लघु उद्योग हैं, इस योजना से बाहर रखा गया है क्योंकि निःशुल्क आयात की अनुमति तभी दी जाती है जब आयात 20 करोड़ से अधिक का हो। वाणिज्य मंत्रालय ने चावल निर्यातकों की पूर्णतया उपेक्षा की है। जबकि चावल के निर्यात की भारी सम्भावनाएं हैं।

ई. पी. सी जी. योजना के अन्तर्गत शुल्क समाप्त किये जाने से फूलों तथा उद्यान सम्बन्धी उत्पादो के निर्यातको को भी कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि उनका आयात भी 20 करोड़ रूपये से अधिक होने की सम्भावना नहीं है। विशेष आयात लाइसेंस प्राप्तकर्ताओं को दिये गये और अधिक लाभों का फायदा केवल बड़े निर्यात गृहों को होगा। कृषि निर्यात क्षेत्र के लिये एक अत्याधिक निराशा की बात यह है कि सरकार खली के आयात के आयात मामले में पूर्णतया चुप रही है। दी साल्वेंट एक्सट्रेक्टर एसोसिएशन और इंडियन ऑयल एण्ड प्रडयूस एक्सपोटर्स एसोसिएशन ने विशेष रूप से खाद्य तेल के स्थान पर खली का आयात किये जाने पर बल दिया है। इससे उद्योग अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने में समर्थ हो सकता था चूंकि उस समय वह अपनी कुल अधिस्थापित क्षमता 60 प्रतिशत ही उपयोग कर रही है। दूसरे इसे इसी प्रकार के व्यापरियों को बाजार में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिये क्योंकि खाद्य तेलो का आयात निश्चित रूप से बड़े टैंकरों में किया जायेगा और यह व्यापार केवल कुछ बड़ी व्यापारिक कम्पनियों के हाथ में है।

यह कहा जाता है कि धूप बत्ती पर सीमा शुल्क 65 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किये जाने का प्रभाव जहा तक आयातित आदानों पर आधारित उत्पादो का सम्बन्ध है, नकली धूपबत्ती निर्माताओं पर पड़ेगा। उदाहरणार्थ, पोलिएस्टर धूपबत्ती आर्कैलिन धूपबत्ती, एपोक्सी धूपबत्ती ये सख्त होती है और पोलीमाइड अगरबत्ती पर इस समय 50 प्रतिशत शुल्क लगता है जबकि गतवर्ष इस पर 65 प्रतिशत शुल्क लगता था। इपोक्सी धूपबत्ती के अन्तिम उत्पाद के लिये प्रति किलोग्राम कच्ची सामग्री की लागत को 8 रूपये 35 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कम किया गया है जबकि आयातकों को 19.60 रूपये प्रति किलोग्राम से बचत होगी।

पोलीमाइड धूप-बत्ती के लिये आयातित कच्ची सामग्री की लागत को केवल 7.81 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कम किया गया है जबकि पोलीमाइड धूप-बत्ती के एक आयातक को 18.90 टन प्रति किलोग्राम की दर से बचत होगी। अतः अन्तिम उपयोग करने वालों को घरेलू निर्माताओं से उत्पाद प्राप्त करने की तुलना में उत्पादों का आयात करने में अधिक लाभ होगा। सीमा शुल्क की दर में इस प्रकार की असमानता से कृत्रिम धूपबत्तियों का भारी आयात होगा और विदेशी निर्माता बाजारों को इससे भर देंगे।

धूपबत्ती निर्माताओं के अतिरिक्त इसका प्रभाव उन भारतीय निर्माताओं पर पड़ेगा जिन्होंने हाल ही में इपी क्लोरोहाइड्रिन और बिसॅफिनोल जैसे मूल आधानों का निर्माण भारी पूंजी निवेश से किया है।

एक अन्य उद्योग जिसे अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है वह गास्केट निर्माता। यह उद्योग मुख्यतया उत्पाद के वर्गीकरण में असमानता होने के कारण प्रभावित हुआ है। जबकि इस उद्योग मे निर्मित माल पर आयात शुल्क में भारी कमी की गई है। जहां तक सरकार ने गास्केट के संघटको का वर्गीकरण किया है, यदि संघटको का आयात किट में किया जाये तो इस पर 80 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है यदि उसी गास्केट का पाउचिजो लिफाफों और अन्य छोटे पैकिटों में आयात किया जाए तो केवल 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगता हैं वर्गीकरण में हुई इस त्रुटि का लाभ उठाकर गास्केट का आयात पौउचिज और अन्य इसी प्रकार की पैकिंग में किया जायेगा जिससे केवल 25 प्रतिशत आयात शुल्क देना पड़े। इस तथ्य से स्थिति और जटिल हो जाती है कि यह उद्योग विभिन्न प्रकार के गास्केटों के निर्माण में अनेक प्रकार की कच्ची सामग्री का भी प्रयोग करता है। उद्योग के लिये चिन्ता का मुख्य कारण शुल्क में भारी कमी नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा कच्ची सामग्री पर शुल्क में अनुपातिक कमी न करना है। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक प्रस्तावों में लघु उद्योग अथवा मध्यम उद्योग द्वारा उत्पादों के निर्माण मे प्रयोग किये जाने वाले संघटकों की तुलना में निर्मित उत्पादों के आयात को प्रोत्साहन देने पर अधिक बल दिया है। इससे घरेलू एकको विशेषरूप से एस. एस. आई एकको और उनकी निर्यात क्षमता पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

यह बताया गया है कि 3000 असंगठित पेंट एककों को बन्द होने का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अल्किड धूपबत्ती जैसे उनके अन्तर्वर्ती उत्पादन पर शुल्क में वृद्धि करने से केवल एस. एस. आई एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि बड़े एकक अपने अल्किड का अपने गृहों में निर्माण करते हैं। चालू बजट में पेंट पर शुल्क में भारी कमी किये जाने से एस. एस. आई एकक इतनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं कि उनका बन्द किये जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

देश में 700 से अधिक द्वितीय श्रेणी की इस्पात का उत्पादन करने वाले एककों को बन्द होने का सामन करना पड़ सकता है। यदि विद्युत इस्पात निर्माण करने वाले उद्योग की क्षमता वर्ष 1995-96 के बजट से पड़े प्रतिकूल प्रभाव को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कोई उपाय नहीं किये जाते प्रत्यक्षतः इस मामले पर अन्तिम निर्णय लेने तक माल के ढेर लगाने के विरूद्ध शुल्क लगाने की शीघ्र आवश्यकता है।

यह कहा जाता है कि कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क में कमी किये बिना तैयार माल पर आयात शुल्क में कमी किये जाने से विभिन्न उद्योग प्रभावित हुए हैं। उससे अनेक उद्योगों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। ये उद्योग विशेष रूप से लघु क्षेत्र में स्थित हैं। यह कहा जाता है कि लघु क्षेत्र 140 लाख कर्मचारियों को रोजगार देती है और इससे देश में निर्मित कुल माल की 40 प्रतिशत निर्माण होता है और इसकी हमारे कुल निर्यात में 40 प्रतिशत भागीदारी है। विभिन्न उद्योगों के बन्द होने के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर रोजगार की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

विश्व के व्यवसाय और व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाने की उत्सुकता में हम इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारा देश विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। यह सबसे बड़ा लोकतन्त्र हैं अतः हमें रोजगार की समस्या को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिये। अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के संघर्ष में हम सामाजिक गतिशीलता की उपेक्षा नही कर सकते। हमारा यह प्रयास होना चाहिये कि देश का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र उत्पादकता की गतिविधियों में अंशदान दे। श्रमिक प्रधान लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष करने से केवल इसमें कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारी ही प्रभावित होंगे। अतः शैक्षिक दृष्टिकोण से वर्तमान नीति के अन्तर्गत वास्तविक समाज-नियमन शास्त्र की अधिक उपेक्षा की गई है। इस प्रकार की आर्थिक नीतियों से यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय बाजार में आयातित माल का ढेर लग जायेगा। आज हमें हर मंच पर यही सुनाई पड़ रहा है कि विकासशील देशों द्वारा भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखा जा रहा हैं यदि इस बड़े बाजार में हम आज उपभोक्ता हैं और यदि बाजार का मूल सिद्धान्त यह है कि उपभोक्ता राजा होता है, हमें अपना माल विदेशी बाजार में ढेर लगाना चाहिये न कि विदेशी कम्पनियों को हमारे बाजारों में। स्थिति आज बिल्कुल विपरीत है। कम शुल्क की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तभी सफल हो सकता है जब एक देश द्वारा दूसरे देश में माल का ढेर लगाने के विरूद्ध पर्याप्त संरक्षण हो।

घरेलू उद्योग को हुई क्षति या सम्भावित क्षति को ध्यान में रखते है यह स्पष्ट है कि माल का ढेर लगाना हमारी नीति की एक त्रुटि है जिसका हमें मुकाबला करना होगा। हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते है जब तक हमारे पास इससे लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं होगी! सत्तारूढ दल केवल शुल्क सम्बन्धी बाधाएं दूर करने के बारे में एकमत है और उस बात की चिन्ता नही कि इसके क्या परिणाम होंगे।

भारतीय उद्योग यह तर्क देते रहे हैं कि आयात शुल्क ढाँचे में परिवर्तन से भारतीय उत्पादों ने बाजार में प्रतिस्पर्धा में अपनी तीक्ष्णता खो दी है। लेकिन इन सब तर्कों का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। वाणिज्य मंत्री ने अपने हाल ही के भाषण में यह कहा है कि धन-धन है चाहे वह भारतीय धन हो अथवा विदेशी धन।

मेरा इस बारे में मत भेद है। भारतीय धन जो बाजार में आता है वह अधिक आर्थिक उत्पादकता पैदा करता है। विदेशी धन हमारी प्रणाली से बाहर चला जाता है।

घरेलू उद्योग को हो रही क्षति से सबसे अधिक श्रमिक प्रभावित होंगे। उन्हें छंटनी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने विकास की उड़ान में 800 मिलियन लोगों को नहीं भूल जाना चाहिये। उनके हितों की हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिये। 100 भारतीय कम्पनियों के विश्व में व्यापार आरम्भ करने पर हमें गर्व है। लेकिन यदि उस प्रक्रिया में लाखों लोग बेरोजगार हो जाते है तो सत्तारूढ़ दल को शर्म से अपना सिर झुक लेना चाहिये।

कानून विधान और नीतियों में मानवीयता की भावना का समावेश होना चाहिये।

भारत में नीति बनाते समय हमें अपने देश की जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या पर भी ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं एक महत्वपूर्ण समस्या का उल्लेख करूंगी, जिसका उल्लेख करना सत्तारूढ़ दल विश्व व्यापार में भारत का महत्वपूर्ण योगदान से उत्साहित होकर करना भूल गया है। हमारा देश न केवल आकार में बल्कि जन संख्या की दृष्टि से भी विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक हैं लेकिन हमारा देश बहुत गरीब है और बेरोजगारी उसकी मुख्य समस्या हैं सरकार यह भूल गई है कि उसका यह कर्त्तव्य है कि वह अधिक से अधिक लोगों को उत्पादित गतिविधियों में लगाये। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार पूर्ण विश्वास के साथ अधिकतम लोगों को सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण इस जोश भरी अपील के साथ समाप्त करूंगी। हम ऐसे देश से सम्बन्धित है जिसकी नस-नस में स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की भावना व्यापत है यह हमारी आत्मा है। इस मंत्र का पाठ हमें लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने पढ़ाया है। हमे यह देखना है कि वास्तव में किस बुद्धिमता की विजय होती है बुद्धिमता जो हमने अपने इन नेताओं के पद चिन्हों से ग्रहण की है अथवा नई बुद्धिमता जिसका हम समस्त विश्व में प्रयास कर रहे है। भगवान हमें सुमार्ग पर ले जाये।

श्री बी. राजरवि वर्मा (पोल्लाची) : मैं वित्त विधेयक पर ए. आई. ए. डी. एम. के. की ओर से बोलना चाहता हूं।

यद्यपि वित्त मंत्री ने विभिन्न वर्गो से प्राप्त अनेक सुझावों की अपेक्षा की है, तथापि यह राहत का विषय है कि उन्होंने कुछ सुझाव स्वीकार किये है।

चालू बजट में सूती हौजरी पर बिक्रीकर के स्थान पर लगाया गया उत्पाद शुल्क वापिस ले लिया गया है। मेरे विचार से इससे कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि इससे तो पूर्व स्थिति को यथावत किया गया है। वित्त मंत्री ने रसोई में काम आने वाली वस्तुओं , मेज पर शीशे से बनी रखी जाने वाली वस्तुओं (टेबलवेयर) पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया है। बजट में ही उन्होंने माचिस आदि अनेक वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कमी कर दी थी। लेकिन बाजार की प्रकृति को देखते हुए यह पता लगता है कि जिन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कमी की गई है, उनके मूल्यों में कमी नहीं आई है। यह विरोधाभासी स्थिति है। एक ओर तो सरकार उत्पाद शुल्क में कमी कर राजस्व की हानि उठा रही है, दूसरी ओर उत्पाद शुल्क में की गई कमी का लाभ उपभोक्ताओं को प्राप्त नहीं हो रहा है। अत: सरकार की मंशा पर शक होता है। मैं वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र है जो यह सुनिश्चित करे कि उत्पाद शुल्क में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है। एक स्वस्थ प्रतिस्पार्धात्मक बाजार में, उत्पादन शुल्क में कमी का लाभ उपभोक्ताओं मिलना चाहिये। लेकिन देश में व्यापारियों की सांठ-गांठ है और ग्राहकों को ठगा जाता है। अत: मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि इस मामले में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है।

34 जीवन रक्षक औषधियों को ऐसी औषधियों की सूची में शामिल करना जो आयात शुल्क से पूर्णतया मुक्त है, एक स्वागत योग्य निर्णय है। कुछ चिकित्सा उपकरणों को भी आयात शुल्क से मुक्त रखा गया है। मैं मंत्री महोदय की वास्तविक चिन्ता की प्रशंसा करता हूं। लेकिन ये उपकरण और औषधियां शहरी क्षेत्रों में केवल अमीर लोगों के लिये अधिकांश उपलब्ध है। मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों और फार्मेसियो को आयात शुल्क में कुछ और रियायत दें ताकि उक्त सुविधा का लाभ गरीब लोग भी उठा सकें।

मैं कृषि के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा। सरकार द्वारा किसानों की स्थिति में सुधार लाने का आश्वासन अनेक बार दिये जाने के बावजूद, यह दुख की बात है कि किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सरकार को यह बात महसूस करनी चाहिये कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये पम्पिंग कोष राज्य सरकारो को न सौंपने से गरीबों की मदद नहीं हो सकती। हमारे तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा0 पुरातची थलायैवी ने केन्द्र सरकार से पहले ही इस मामले पर चर्चा की है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस बारे में सरकार को उचित सलाह देंगे ताकि केन्द्र सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिये राज्य सरकारों को दी जाने वाली राशि के नाम पर राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे।

मेरा यह कहना है कि किसानों को उर्वरक पर दी जाने वाली राज सहायता को वापिस लेने की बात सोचनी तक नहीं चाहिये। किसान देश में सबसे अधिक बुरी तरह प्रभावित है जबकि वह कठोर परिश्रम कर अपना खून बहाकर देश के नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराते है। इसलिये हमारे मुख्य मंत्री, डा0 पुरातची थलायैवी किसानों को अन्य रियायते, जैसे उच्च किस्म के बीजो पर राज सहायता और कृषि ऋण आदि देने के अतिरिक्त निःशुल्क बिजली भी दे रहे हैं। निर्धन और सीमान्त किसानों को अनेक बार अनुदान दिये जाते है। हमारे मुख्य मंत्री डा0 पुरातची थलायैवी ने जनता के लिये लगभग 2000 करोड़ की राशि से कल्याण योजनाएं आरम्भ की है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि केन्द्रीय सरकार ने किसानों को निःशुल्क बिजली दिये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को होने वाली हानि के लिये वित्तीय सहायता देने की अनेक बार हमारे नेता द्वारा की गई मांग पर सहानुभूतिपूर्ण विचार नहीं किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हू कि वह इस मामले पर पुन सहानुभूतिपूर्ण विचार करें जिससे तमिलनाडु सरकार इस भारी वित्तीय भार से राहत पा सकें। माननीय सदस्यों ने छूट सम्बन्ध से हटकर आयकर सीमा बढ़ाने की मांग की है। वेतनवर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों को मूल्य के वृद्धि तथा आयकर

में कटौतियों से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि सब सदस्यों द्वारा मांग की गई है। इसकी सीमा बढ़ाकर कम से कम 50,000 रुपये की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री चर्चा का उत्तर देते समय इस बारे में सहानुभूतिपूर्ण उत्तर देगें।

इस अवसर पर मैं वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि उत्पादन शुल्क का विभाजन करते समय तमिलनाडु के हिस्से में बढ़ोत्तरी करें और तमिलनाडु की सेतुसमुद्रम जैसी परियोजनाओं को यथा शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए, कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं कहना नहीं चाहता कि इस देश में जो स्कीम चल रही है, चाहे आंगनबाड़ी हो, एडल्ट एजुकेशन हो, उससे जिनको फायदा पहुंचना चाहिए उनको पहुंचता है या नहीं, इसके बारे में किसी को पता नही है। यदि कहीं कोई सर्वे होता है और उसपर चर्चा होती है तो जो फिगर दी जाती है, वह भी ठीक नहीं होती। जिनकी कौन्सटीटूएंसी देहात में है, उनको पता होगा कि वहां पर हैल्थ गाइड को महीने में 50 रुपये दिए जाते है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि उनको रखना है तो उनकी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वे गांवों में ठीक से सेवा कर सकें। जो आंगनवाड़ियां चल रही है, वह तो झगड़ा पैदा करने वाली है। जहां पर आदिवासी, हरिजनों के लिए 45 दिन काम करने का रिजर्वेशन लागू होता है,

आंगनबाड़ी कार्यक्रम में रिजर्वेशन लागू नहीं है, जहां पर ज्यादा ट्राइबल एरिया हो, जहां पर ज्या शैड्यूल्ड कास्ट्स एरिया हो, वहां चुन-चुनकर 1-2 आदमी मिल सकते है, लेकिन खासकर शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को वहां पर भरते नहीं है, क्योंकि वहां पर रिजर्वेशन लागू नही है। इसमें आप जहां शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ज्यादा है, उसको आधार बनाते है कि वहां आंगनबाड़ी पहले खुलनी चाहिए। खुशी की बात है कि सरकार इस साल ज्यादा आंगनबाड़ी खोलने वाली है लेकिन उसको दुरुस्त भी करना चाहिए। उसके ऊपर सरकार को अध्ययन करना चाहिए कि सचमुच में क्या हो रहा है। बड़े-बड़े लोग, जो गरीब लोगों को उनका हक, उनका हिस्सा, उनका भाग नहीं देते है, अब तक वही लोग उसको लेते है, खाते है और उन्ही के परिवार के लोग वहां लगे रहते है। उसमें सुधार करने के लिए, मैं कुछ चर्चा करूं तो ठीक नहीं लगेगा, मगर उसके बारे में सरकार के स्तर पर बीच-बीच में चर्चा होनी चाहिए।

एडल्ट एजुकेशन आज डोर स्टैप में पहुंच गई है। एडल्ट एजुकेशन के नाम पर आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें भी आपको सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। हमारे देश मे इसके जैसी और भी स्कीम्स चल रही है, उनको भी सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। जिस स्कीम की सचमुच जरूरत नही है, उसको बन्द कर देना चाहिए और जिससे लोगों को सचमुच सीधे फायदा होता है, ऐसी स्कीम चलानी चाहिए। यह खुशी की बात है कि इस साल सरकार कुछ अच्छे प्रोग्राम्स ले रही है, जो इन्दिरा गांधी के जमाने में शुरू हुए थे और जो गरीब लोगों के हक में ताकत है, उनके हक में फायदा है, इन प्रोग्राम्स में गरीब लोगों को काम देने के लिए प्रावधान करके रखा गया है, लेकिन आपने अब तक उनमें सुधार नहीं किया है। जैसे आपकी जवाहर रोजगार योजना है, इसमें क्या हो रहा है कि अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं तो वह मस्टर रोल पर 25 लोगों के अंगूठे लगा देते है। मैंने अपने यहां के कलैक्टर को कहा कि आप इसको वैरीफाई करो, नहीं तो उनके ऊपर 420 के तहत केस डालो। कलैक्टर को थ्री लैण्ड में वन परसेण्ट केसेज में उसकी जांच करनी है, कौन कितनी जांच करेगा, उसकी आपने गाइडलाइंस बनाई है, उनको भी आपको दुरुस्त करना चाहिए। इसमें आपने जो विलेज कमेटी रखी है, उसमें एक औरत और एक शैड्यूल्ड कास्ट को रखा है, लेकिन जो काण्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, उसमें वही विलेज के लोग बन जाते हैं, और उसमें बैनीफिशियरी का मैम्बर होना मुश्किल हो जाता है, अगर उसमें पाँच या सात बैनीफिशियरी बना लें, कम से कम वह अपने आदमी को दे दें तो उससे कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अभी वही कन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है। आप साढ़े बारह परसेण्ट का अपने बिल में कहते है लेकिन काण्ट्रैक्ट में वही चलता है। उसमें हम कहते है कि वहां काण्ट्रैक्ट ही नहीं है, लेकिन आपने पता नही क्या-क्या लगा दिया है हमने तो बहुत लड़ाई की है, पहले के वक्त में इन्कम टैक्स लगता था, अभी भी एक साल के बाद, दो साल के बाद उनको पेमेण्ट होता है, लेकिन जिसको सचमुच में पेमेण्ट होना चाहिए, उसको मिला या नही, पता नही। अगर दिया और काण्ट्रैक्ट नही है तो कहां से लाकर दिया, जिसको पेमेण्ट किया है। बाकी काण्ट्रैक्ट के ऊपर हो जाता है, हम कहते है कि काण्ट्रैक्टर नही हैं गांव में हम लोग जो देखते है, वह सचमुच काण्ट्रैक्टर है, इसके लिए इतना लड़ाई-झगड़ा चलता है, हमारे यहां जो सरकार उड़ीसा में चलती थी, वहां 90 परसेण्ट पिलफरेज थी, JRY में इतना हमने लिखा पढ़ी की है, लेकिन कोई जाकर उसको देखता नहीं है।

आपके जो मिलियन वैल है, जहां पर 14-15 हजार रुपया आप JRY में देते है, वह शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैडल्यूल्ड ट्राइब्स में देते है। वह क्या करते है कि दो हजार रुपया दे देते है और एक बार सब लिख लेते है और जहां-जहां दस्तखत करना हैं, करा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद कहते है कि तुम्हे दो हजार रुपया मिल गया। मेरा सुझाव है कि जहां शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ट ट्राइब्स की पापुलेशन ज्यादा है, काम करने वाले ज्यादा है, वहां उनको जमीन उपलब्ध करायी जाये। इससे उन्हें काम मिल जायेगा। पिछले दिनों जब हमारी स्टेट में इलैक्शन थे तो मैं चुनाव प्रचार के लिये लोगों के घरों में गया। लोगों ने मुझ से शिकायत की कि हमारे पास कोई काम नहीं है, जमीदार लोग हम से काम लेते हैं लेकिन हमें मजदूरी नहीं देते हैं। आप इस तरफ ध्यान दें। आज गांवों में लोगों की स्थिति बहुत खराब है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बाउंडिड लेबर परिवार में जन्म लिया है। इसलिए में इमोशनल हो जाता हूँ। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अपना हक भी नहीं मिलता है। आपने कहा कि एम्पलायमैंट ऐश्योरेंस प्रोग्राम के अन्तर्गत उन्हें रोजगार दिया जायेगा और आईडेंटिफिकेशन किया जायेगा। हम देख रहे हैं कि हमारे एरिया में ट्राइबल सब प्लान में हरेक ब्लाक का आईडेंटिफिकेशन भी हो गया, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ।

[अनुवाद]

इस का 50% भाग कृषि पर खर्च किया जाना चाहिये, चाहे वह ड्रिप सिंचाई हो, चाहे वह स्त्राव (फिलो) सिंचाई हो, चाहे वह जल भूतल सिंचाई हो अथवा चाहे जैसी सिंचाई हो।...

[हिन्दी]

आप गाइडलाइन्स बनाइये। हिली एरियाज में 14-15 हजार रुपये में कोई काम नहीं होगा। वहां के लिये आप ज्यादा राशि आवंटित करें।

आप मीनिमम वेजिस बढ़ा दीजिये। महंगाई बहुत बढ़ गई है। इसको देखते हुए मिनीमम वेजिस बढ़ाना आवश्यक है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के लिये बहुत से कदम उठाये गये। केन्द्र सरकार गरीबों के बारें में बहुत सोचती हैं वह ऐसा कोई कार्यक्रम क्यों नहीं बनाती है कि जिनसे गरीबों को अधिक से अधिक फायदा हो । मीनिमम वेजिस बढ़ा देने से उन्हें बहुत फायदा होगा। वे खेती भी करेगें और उन्हें रिजर्वेशन भी मिल जायेगा। इससे झगड़ा ज्यादा होने वाला नहीं है।

3.00 म० प०

उड़ीसा में पहले 15 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 25 रुपए हो गए है। इतनी राशि आप क्यो नहीं दे सकते हैं। एक कारण यह भी है कि खेती में काम करने के हाथ कम होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड अब मैकेनाइज्ड होता जा रहा है। ट्रैक्टर काम में लाया जाता है पहले जो लोग काम करते थे, उनको काम के बदले में अनाज दिया जाता था। इस चीज का मैं बचपन से देख रहा हूं। हमारे यहां साढ़े तीन किलो धान दी जाती थी और आज भी यही दी जा रही है। इनको पैसे से कोई मतलब नहीं होता है। होता यह है कि इन को काम भी मिल जाता है और अनाज भी मिल जाता। है। तो घर में सुविधा हो जाती है। मेरे ख्याल से सरकार को इसका बन्दोबस्त करना चाहिए कि इन लोगों को अनाज मिल जाए। जहां पर धान है, वहाँ लोगों को धान मिल जाये जहाँ पर गेहूँ है, वहाँ लोगों को गेहूँ मिल जाये। हमारे ट्राइबल क्षेत्र में पांच रुपया भी देते है, इससे उनको रोज के खर्च के लिए पैसा मिल जाता हैं हमारे यहां दूसरें तरीके से चलता है। तेल चाहिए, तो तेल मिल जाता है। हमारे यहां आपस में सब काम करते हैं, एक दूसरे के काम करते हैं। मै आपको इस बारे में बहुत से सुझाव देना चाहता हूं, लेकिन समय कम हैं।

3.02 म०प०

(प्रो० रीता वर्मा पीठासीन हुई)

इस साल आपने बहुत से अच्छे कार्यक्रम रखे हैं। आपने नाबार्ड की भी स्थापना की हैं इसमें सचमुच में क्या काम होता हैं इस बारे में हमको पता नहीं लगता है। ये लोग सब एजेंट के माफिक रहते हैं। बिचौलिए रहते हैं और उनका परसेंटेज भी बंध जाता हैं वैलफेयर मिनिस्ट्री के अन्दर दो-तीन संस्थायें है। जो अप्रेटिफाई करके पैसा देती हैं। इसमें भी यदि आप वन-विन्डो की सुविधा दें, तो उससे लोगो को फायदा हो सकता है। आपको कुछ इस ढंग से बनाना चाहिए कि वहां से सीधे शेड्यूल्ड कास्ट्स को लाभ मिले। आपने नबार्ड को पैसा दिया, फिर नबार्ड कोआपरेटिव को पैसा देगा। मेरा कहना यह है कि हरेक एरिया में एक लीड बैंक होता है यह पैसा सीधे लीड बैंक को दे देना चाहिए। आपने नबार्ड केवल खर्चा बढ़ानें के लिए बनाया है, उनको आपने जो कार्यक्रम दिया है उसका कोई ठोस कार्य नहीं हैं उससे गरीबों को कोई फायदा नही होता है आपने केएजवीआईसी को नबार्ड के थ्रू दिया है उनको यह पैसा सीधे क्यों नही दे देते। आपने जो नेशनल इक्विटी फंड रखा है उससे हमारे गरीबों के लिए फायदा नहीं हैं मेरा एक सजेशन है, आपने वेस्ट लैंड में एक स्कीम रखी है कि अगर आदिवासी हरिजन यह स्कीम इम्पलीमेंट करता है तो उनको 50 परसैंट सब्सिडी देते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 हजार देते हैं जब यही प्रोजेक्ट जनरल लोग लेकर चलते है तो उनके लिए आपने 25 परसैंट सब्सिडी रखी है, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा 25 लाख तक सब्सिडी ले सकते है, यह अंतर क्यों है? जहां पर उनकी पापुलेशन ज्यादा है, ज्यादा जमीन है वहां पर आप इनको एक हैक्टेयर देकर पेड़ लगाकर छोड़ दे और बाद में कह दे कि यह तुम्हारा है, यह जमीन , खेत तुम्हारा है तो उनके लिए अच्छा होगा, इसी प्रोजेक्ट से इन लोगों का कैपिटल फोरमेशन हो जायेगा और फिर सीधे इम्प्लूमेंट की शुरुआत हो जाएगी। मान लीजिए आपने सरकार की तरफ से खर्च करके इनको दे दिया तो मेरे ख्याल से इससे हरेक परिवार को सहुलियत हो जायेगी। इनका केपिटल फोरमेशन होगा।

मेरा एक और सजेशन है कि ये जो गरीब लोग है, जो लैंडलेस लेबरर्स है उनको आप क्लास 4 का दर्जा दीजिए। जो कोई भी इनमें गवर्नमेंट सर्विस में है उनको 38 लिखित लाभ हैं। यह जो लैंडलेस और स्माल तथा मर्जिनल फार्मर्स हैं इनको कम से कम 50 परसैंट सहुलियत मिलनी चाहिए। एक्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम में सीधें 50 परसैंट इरीगेशन प्रोजेक्ट के लिए रखा जाना चाहिएं जब इनको काम नहीं मिलता उस दिन के लिए इनको कुछ मिलना चाहिए, यह बंदोबस्त होना चाहिए। कानून तो रखा हुआ है, लेकिन अगर इसको आप नहीं करोगें तो ये लोग कितने दिन तक बुद्ध बने रहेंगे। आज आपका एजूकेशन घर-घर तक पहुंच गया है, आज बच्चे क्या सोच रहे हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। अगर उनका हक उनको नही दिया जाता है तो फिर यह हक छीन करके लेने के लिए मजबूर ही जाएंगे। आज सब पार्टियो में गड़बड़ है, क्योकि यह भी नहीं समझ पाते कि क्या करना है। कोई अच्छा इशु बनाइये। आप कोई ऐसा इशु नहीं बनाते जिससे की ये जो लैंडलैस लेबरर्स है उनको कम से कम क्लास 4 का दर्ज मिले।

वृद्धवस्था पेंशन आपने 75 रुपए माहवार रखी है और इसके लिए 65 साल की उम्र तय की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने रिक्शापुलर हैं, जो 65 साल तक जीते हैं, सब 55-60 तक मर जाते है। इसी तरह से एससीएसटी के लोग भी 65 वर्ष तक नहीं जी पाते। अब तो वातावरण में इतना परिवर्तन आ रहा है, ओजोन पर्त में कमी आ रही है। दिन में भी गर्मी, रात में भी गर्मी। न शुद्ध हवा मिलती है,

न शुद्ध पानी मिलता है, न शुद्ध खाने को मिलता है। रात को मच्छर भी काटते हैं। यही हाल रहा तो आपको 2-4-5 साल के बाद फैमली प्लानिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप ही मरने लग जाएंगे और मरने शुरू हो गए हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि वृद्धावस्था पेंशन की आयु एससीएसटीज के लिए 50 वर्ष करनी चाहिए।

सभापति महोदय : आप 25 मिनट बोल चुके हैं।

श्री अनादि चरण दास : मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं और महत्वपूर्ण सुझाव दे रहा हूं।

सभापति महोदय : और लोग भी बोलने वाले हैं।....(व्यवधान)

श्री अनादि चरण दास : ये सुझाव और किसी माननीय सदस्य ने नहीं दिए हैं, जो मैं दे रहा हूं। मै कहना चाहता हूं कि एससीएसटी के लोग कोई उद्योग नहीं लगा सकते, लेकिन कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए, जिससे ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें और इनको कुछ लाभ मिल सके। एससीएसटीज के नाम से जो स्माल इंटरप्रेनर्स लगाए, उसके लिए 10 साल के लिए सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स माफ होना। इस तरह से लोग एससीएसटीज को पार्टनर बनाएंगे और उनके नाम से इंडस्ट्री लगायेंगे। इस तरह से एससीएसटीज को कुछ दो-तीन हजार की आमदनी हो जाएगी। अभी कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेरा यह सुझाव हैं

श्रीकालकादास : 47 साल में आपने ऐसी पालिसी क्यों नहीं बनाई कि एससीएसटीज के लिए इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

श्री अनादि चरण दास : मुझे बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

यह संभव हैं यह क्या है, मैं उनको नया सुझाव दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : इस तरह की पालिसी आप क्यों नहीं बनाते?

श्री अनादि चरण दास : पालिसी हम नहीं बनाते हैं, पालिसी तो मिनिस्टर बनाते हैं ......(व्यवधान) आप लोग क्यों बीच में बोलते हैं कम्युनिस्टों का भी मुझे पता है। लैंड रेफार्म्स के नाम पर आप लोग हर बार जीत कर आ जाते है, लेकिन पीडीएस की डीलरशिप आपके यहां किसी एससीएसटी के आदमी को नहीं मिली है, मुझे पता है।

[अनुवाद]

आप दूसरों के क्षेत्रों में नहीं जा सकते। उनमें से कितने अब सर्वजनिक वितरण प्रणाली के सदस्य हो गये है. मैं नागरिक आपूर्ति समिति का सदस्य था। ...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप कृपया पीठासीन को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : सभापति महोदय, मैं सिर्फ 5 मिनट और लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के विकास के लिए जो कुछ किया है, कांग्रेस ने किया है। आपके पास कोई सुझाव है तो आप भी रखिए, हम आपको मना नहीं करते है। जब मैं सुझाव दे रहा हूं तो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आईआर डी पी में आज तक 6646541 करोड़ रुपया और जे आर वाई में 162185 करोड़ रुपया खर्च किया गया है इतना पैसा खर्च होने के बावजूद गांवों की तरक्की नहीं हो रही है, क्योकि इन योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक ढग से नहीं किया गया है, मेरा सुझाव है कि आप ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाएं कि जो उसमे काम करने वाले हैं, वें 10 परसेंट दें और 10 परसेंट सरकार दे, हर रोज यह पैसा जमा होना चाहिए। जब 1000 रुपया हो जाए तो इस पैसे को दूसरी स्कीम में इनवेस्ट कर दीजिए। जब यह धन बढ़ते-बढ़ते ज्यादा हो जाए जो काम करने वालों को पेंशन अपने आप मिलने लगेगी।

इससे सरकार को ज्यादा नहीं देना पड़ेगा उसके साथ ही आप जो डिडेक्शन करते हैं , यह भी कम करनी पड़ेगी। आप जो मेटिरियल कम्पोनेंट्स नहीं देते हैं, वह दे सकते हैं। अभी आप जो आईआरडपी में भूमिहीन मजदूरों को 12 हजार रुपये देते हैं, उसमें छः हजार रुपये सब्सिडी होती है, उसमे से तीन हजार रुपये बिचौलिया खा जाता हैं। मेरा सुझाव है कि उनको चार हजार रुपये का बांड दें उस पर 12 प्रतिशत नार्मल इंटरेस्ट दें और सब्सिडी का आठ प्रतिशत, यानि टोटल 20 प्रतिशत दें। 17 साल के बाद एक लाख रुपया हो जायेगा। तब आप हर परिवार को मंथली फ्लो 1500 रुपयें दे सकते हैं पहले कहा जाता था।

वाणिज्ये बसते लक्ष्मी तदर्ध कृषि कर्माणि

तदर्ध राजसा कर्माणि, भिक्षा नैव च नैव च।

अभी आपने नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम में ओल्ड एज पेंशन का प्रावधान किया है और यह भी कहा है कि 65 साल की उम्र होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की उम्र या रिक्शा पुलर्स की उम्र का ख्याल करते हुए आप उनके लिए यह सीमा 50 साल तक कर दें। क्योंकि ये लोग ज्यादा समय जीवित नहीं रहते। इसके अलावा आपने जो पांच हजार रुपये का प्रावधान किया है, यह भी अच्छी योजना है।

सभापति महोदय : आप मंत्री जी को पत्र लिख दे, वे जरूर ध्यान देंगे। अब आप समाप्त कीजिए; वर्ना रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री अनादि चरण दास : कहने को काफी कुछ था, लेकिन समय कम है इसलिए मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि अमीरों को और अमीर बनाने तथा गरीबों को और गरीब बनाने की व्यवस्था है यह वास्तव में

पुरानी बोतल में नई शराब है इसमें मात्र गत वर्ष की बात दोहराई गयी है। विधेयक में कोई नये प्रस्ताव नहीं हैं।

अतः मैं इस वित्त विधेयक का विरोध करता हूं।

यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इससे केवल विदेशी निवेशक हमारे घरेलू निवेश का लाभ उठायेंगे। 'नई आर्थिक नीति', के नाम पर, सरकार केवल विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन दे रही है और देश के निवेशकों को उनके उचित लाभ से वंचित रख रही है अतः मेरा यह सुझाव है कि देश के कल्याण के लिये आरम्भ किये जाने वाले विकास कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक धनराशि के वितरण की कसौटी में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

इस समय पिछड़े क्षेत्रों के घाटे को पूरा करने और पूर्वोत्तर-क्षेत्र के लिये कल्याण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये धनराशि देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस वर्ष आयकर की सीमा और अधिक बढ़ाकर अथवा- शुल्कों में और अधिक छूट अथवा करों को एकत्र करने में कुछ और रियायतें देकर कुछ और अधिक रियायतें दी गई है, लेकिन इनसे देश के पूर्वोत्तर भाग के लोगों को लाभ नहीं होगा। यहां तक कि धनराशि के वितरण से सम्बन्धी नये प्रस्तावों से भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कोई लाभ नही होगा। देश में हमेशा क्षेत्रीय असंतुलन बन रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र को बहुत खराब स्थिति में रखा गया है और इन त्रुटियों को दूर करने के लिएं कोई कार्यक्रम आरम्भ नहीं किये जा रहे हैं।

हमारे प्रधान मंत्री ने सदन् में यह घोषणा की थी कि उन्होनें पूर्वोत्तर राज्यों को अपना लिया हैं लेकिन इस घोषणा के बाद क्या विकास कार्यक्रम तैयार किये गये हैं और उन पर कार्यवाही की गई हैं? हमने केवल उस क्षेत्र के लियें विकास बैंक की स्थापना की बात सुनी है। क्या यह पर्याप्त है। उन्हें यह आश्वासन देना चाहिएं कि प्रधान मंत्री द्वारा यह घोषणा किये जाने के बाद कि उन राज्यों को अपना लिया गया है पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिये क्या कार्यक्रम तैयार किय गये हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष के कार्यक्रम को पुनः दोहराया गया है। धनराशि में थोड़ी सी वृद्धि की गयी है लेकिन इसको क्रियान्वित करने वाली एजेंसी वही है। अतः इसका क्या लाभ है? प्रधान मंत्री द्वारा इस क्षेत्र को अपना लिये जाने की घोषणा के बाद कोई नये कार्यक्रम आरम्भ नहीं किये गये हैं। यदि माननीय वित्र मंत्री को इस क्षेत्र का दौरा करने का समय हो तो शायद गोहाटी अथवा असम में अन्य स्थानों का दौरा करेंगे, और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सब भागों का नहीं। यदि वह अन्य स्थानों को दौरा करते हैं तो उन्हें यह पता लगेंगा कि वहां लोग बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से परेशान है। इस समय, देश के उस भाग में, विशेषकर मणिपुर में पेयजल अथवा बिजली नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना को उचित रूप से आरम्भ नहीं किया गया है क्योंकि बिजली की कमी है।

जहां तक परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं का सम्बन्ध है, उन्हें उचित रुप में बनाये नहीं रखा जाता। सड़कों की हालत खराब है। अभी हाल ही में इम्फाल का गोहाटी से सम्पर्क टूट गया था। वहां अनेक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान जैसे क्षेत्रीय विकास बैंक, क्षेत्रीय खेल-कूद केन्द्र आदि जो सब शिलांग और गोहाटी में स्थित हैं इम्फाल से जिन लोगों को गोहाटी जाना होता है वह पहले कलकत्ता जाते हैं और फिर कलकत्ते से गोहाटी जाते हैं। इसी प्रकार यदि लोगों को गोहाटी से इम्फाल जाना होता है तो वह पहले कलकत्ता जाते हैं और इम्फाल जाते हैं। इसके कारण न केवल अधिक धनराशि खर्च होती है बल्कि श्रम, शक्ति और समय भी नष्ट होता है।

यदि माननीय प्रधान मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री उस क्षेत्र का दौरा करें तो उन्हें पता लगेगा कि सिल्चर, दीमापुर और इम्फाल हवाई पट्टियों की दशा कितनी खराब हैं देश के उस भाग की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। यदि उन्होनें उस भाग के विकास के लिये कोई प्रस्ताव नही रखे हैं, तो में इस विधेयक का कैसे समर्थन कर सकता हूं?

अब मैं मणिपुर राज्य के बारे में उल्लेख करुंगा। इस समय मणिपुर राज्य की स्थिति बहुत खराब है, चाहे वह कानून और व्यवस्था का मामला हो अथवा विकास कार्यक्रम अथवा अन्य कोई बात हो। वहां के लोगों को हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं उस क्षेत्र की कोई भी परवाह नहीं करता। प्रधान मंत्री ने उस क्षेत्र का दौरा नहीं किया हैं जबकि वहां बड़ी सख्या में लोग मारे गये हैं और मकानों को जलाने की घटनाएं हुई है और आतंकवादी गतिविधियां हैं। यदि ऐसी घटनाएं कहीं और होती तो गृह मंत्री अथवा प्रधान मंत्री उस क्षेत्र का तेजी से दौरा करते। क्या वतर्मान सरकार द्वारा यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपेक्षा न हीं है? उनसे मुझे यही पूछना हैं।

मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बेरोजगारी की समस्या के बारे में उल्लेख करना-चाहता हूं। बेरोजगारी की समस्या वहां बहुत गम्भीर हैं वहां तीन लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं उनमें असन्तोष की भावना व्याप्त हैं कि क्योंकि उनकी संख्या में निरन्तर तेजी से वृद्धि हो रही हैं उनकी संख्या में सैकड़ों और हजारों में वृद्धि हो रही हैं अब इस संख्या के बढ़कर पांच लाख हो जाने की सम्भावना है इस बीच सरकार ने सब प्रकार की भर्ती पर रोक लगा दी है क्योंकि सरकार के पास रोजगार देने के लिये धन उपलब्ध नहीं है जबकि विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये रोजगार दिये जाने की आवश्यकता है। गत तीन वर्षो से नियुक्तियों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। अब वहां बेरोजगारी विद्यमान हैं स्कूल बिना अध्यापकों के चलाये जाते है और अनेक प्रतिष्ठान बिना जनशक्ति के कार्य कर रहे हैं। वहां इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार की स्थितिं के कारण लोगों में निराशा की भावना पैदा हो रही है और वे देश छोड़कर जाने की सोच रहे हैं।

सरकार इन सब बातों पर विचार करे और अपने रवैये में बदलाव लायें ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की शुभकामनाएं उसके साथ रहें।

जब तक सरकार का उस क्षेत्र के लोगों के प्रति रवैये में परिवर्तन नहीं आयेगा, उस क्षेत्र के लोगों से उसे समर्थन प्राप्त नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करोल बाग) : माननीय सभापति महोदया, किसी भी प्रकार का बजट और वित्त विधेयक इस बात का दर्पण

होता है कि उस सरकार की सोच क्या है, वह देश का शासन किस तरह चलाना चाहती है, गरीबों को सहायता देना चाहती है या अमीरों की मदद करना चाहती हैं। इस बार चूंकि बजट पर यहां चर्चा नहीं हो सकी , माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में बजट पेश किया था परन्तु विशिष्ट कारणों से उस पर चर्चा नहीं हो सकी और आज हम वित्त विधेयक के जरिये उस पर चर्चा कर रहे हैं।

यदि बजट को ध्यान से पढ़े और वित्त विधेयक को भी देखे तो वर्तमान बजट और वित्त विधेयक नीरस ही नहीं निराशाजनक भी है। हमारे देश के गरीबों , दलितों, किसानों, अल्पसंख्यकों और देश की महिलायों में यह कोई आशा का संचार नहीं करता, उन्हे इसमें कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। हमारे वित्त मंत्री जी ने इसमें आंकड़ों के द्वारा एक ऐसा छलावा पेश किया है जिससे लगता है कि कड़वी जहर की गोली को चीनी में लपेट कर देने की कोशिश की गयी है। बजट पेश होने के तुरन्त बाद हमारे अर्थशास्त्रियों ने बजट पर अनेक प्रकार की टिप्पणियां की हैं, बजट के विरोध में कई तरह की टिप्पणियां अखबारों में आयी हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उनको सदन के सामने रख सकता हूं क्योंकि अनेक टिप्पणियां समाचार पत्रों में आयी हैं

सभापति महोदया : आप अपने विचार दीजिये।

श्री कालका दास : मैं आपका निर्देश मानते हुये और समय की कमी को देखते हुये, उन टिप्पणियों के विस्तार में नहीं जा रहा हूं लेकिम मैंने उनका सार कहने की कोशिश की है कि वर्तमान बजट बहुत बहुत निराशाजनक रहा है।

जैसा मैंने कहा किसी अच्छी सरकार के बजट में देश के गरीबों के दुख-दर्द को दूर करने के लिये प्रस्ताव शामिल किये जाते हैं और वह इस तरह तैयार किया जाता है जिससे कि पैसे वाले, से अधिक आय वाले लोगो से टैक्स के रूप में कुछ लिया जा सके और गरीबों को ज्यादा से ज्यादा सहायता पहुंचाई जा सके ताकि गरीबी और अमीरी के अंतर को कम किया जा सके । मैं ऐसा तो नहीं कहता कि दोनो को समान स्तर पर लाया जाये लेकिन आज तक जितने बजट इस सरकार के आये, वे इस बात का द्योतक है कि उनके कारण गरीबी और अमीरी का अंतर निरंतर बढ़ता ही गया। वर्तमान में भी यही कोशिश की गयी है।

हमने वर्तमान वित्त विधेयक से काफी उम्मीदें लगायी थी, बजट के बाद की टिप्पणियों को देखते हुये हमें आशा थी कि जब वित्त विधेयक आयेगा तो हमारे वित्त मंत्री जी देश के गरीबो की स्थिति के बारे में विचार करते हुये उनके हित में कुछ प्रावधान करेंगे, टैक्सों में कटौती करेंगे और टैक्स इस तरह लगायेंगे जिससे देश के कमजोर लोगो को लाभ हो, गरीबों पर टैक्स का बोझ कम किया जा सके लेकिन परिणाम उससे विपरीत देखने को मिल रहा है। यद्यपि कुछ आईटम्स में राहत दी गयी है, जैसे प्रेशर कुकर के एल्यूमीनियम पर टैक्स कम किया गया है, टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब पर टैक्स कम किया गया है, कुछ दूसरी आवश्यक वस्तुओ पर टैक्स की दर घटाई गयी है लेकिन इनमें से अधिकतर वस्तुएं ऐसी है जिन्हें गरीब आदमी छूता भी नहीं, उसने देखी या सुनी भी नहीं क्योंकि आज स्थिति यह है कि गांव में रहने वाले गरीब लोगों को साधारण दवाइयां तक उपलब्ध नहीं हैं, बगैर दवाओं के वह मर जाता है, इसलिये जहां कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने की कोशिश की गयी है, उसके लिये मै वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं लेकिन उस गरीब की तरफ उनका ध्यान नही गया, जिसका अपनी कुर्सी बचाने के लिये आप आह्वान करते है और तरह तरह के प्रलोभन देते है लेकिन आपने बजट और वित्त विधेयक में उसे कोई राहत नहीं पहुंचाई।

सभापति महोदया, इस वित्त विधेयक में 1994-95 में कितने धन की आवश्यकता है, कितना किन मदों से पूरा किया जाना है कर कहां पर लगेगा, कहां पर घटेगा, इसकी चर्चा की गई है। यदि आप देखेगीं तो आपको मालूम होगा कि इसमें कही पर भी ऐसा संकेत नही है जहां पर हम यह कह सकें कि इससे गरीब को राहत मिलेगीं। इस देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और अमीर होता जा रहा है। अमीरों को छूट दी जा रही है। जब बजट पेश किया , तो इन्होंने मेक-अप की चीजो के ऊपर टैक्स कम किया है मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। इस बजट के विरोध में कुछ महिलाएं वित्त मंत्री जी से मिली थीं, उनमें वित्त मंत्री जी की पत्नी भी थी। उनकी बात बिलकुल सही थी कि आपने मेक-अप के सामान पर कुछ चीजों के टैक्स घटाए हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन किचन के सामान के दाम कम नही किए। चेहरा सुन्दर दिखे, यह अच्छी बात है। पाउडर और लिपिस्टिक लपेटने से थोड़ी देर को सुन्दर बना जा सकता है, लेकिन इससे पेट की आग शांत नहीं हो सकती है। पेट की आग तो खाने से ही शान्त होगी। आज हमारी कृषि की चीजों में से किसी के भी दाम कम नहीं हुए हैं खाने-पीने का जो सामान है, उसमे किसी में भी राहत नहीं दी गई है। इन चीजो के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। दालों को पहले गरीब आदमी खाता था। आज दालों के रेट आसमान को छू रहे हैं। 30 रुपए किलो तक दालों के रेट हो गए हैं।

सभापति महोदया, वित्त मंत्री स्वयं मानते है कि 11 फीसदी इन्फ्लेशन हुआ है। पैसे की कीमत घट रही हैं हमने सोचा था कि वित्त-विधेयक को लाने के लिए दो-ढाई महीने मिले है, तो शायद वित्त मंत्री जी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को गरीबों को राहत देने का काम इसमें जरूर करेंगे। हमें खेद है कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। हमारा सभी पार्टी के लोगों का ख्याल था कि पैसे की कीमत घट रही है। इसलिए और कुछ नहीं , तो कम से कम जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको तो आप राहत अवश्य देंगे, लेकिन उनको भी कोई विशेष राहत नहीं दी है और मात्र 35 हजार से 40 हजार रुपए ही आय कर पर छूट दी है, जबकि चलैय्या समिति की ही सिफारिश 60 हजार रूपए तक की आय को आयकर मुक्त रखने की थी, किन्तु आपने वह सिफारिश भी नहीं मानी। वेतनभोगी कर्मचारी ईमानदार हैं उनका वेतन कितना है यह सब सरकारी रिकार्ड में है इसलिए आप उनसे आय कर वसूलते हैं जबकि इस देश में बड़े-बड़े भ्रष्टाचार कर के लोग करोड़ों अरबों रुपए डकार जाते है और आपको एक पैसा भी टेक्स नहीं देते हैं। यहां पर हर्षद मेहता जैसे लोग करोड़ों और अरबों रुपए के शेयर घोटाले करते हैं। ऐसे लोगों को दुनियाभर की छूट मिल जाती है और वे लोग करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं आज यहां का पियून, क्लार्क और असिस्टेंट जो वेतन लेता है उसको आयकर देना पड़ता है उसको

कोई राहत नहीं मिलती है ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता है और बेईमानी करके, भ्रष्टाचार कर के लोग करोड़ों और अरबों रुपए कमा लेते हैं।

हमारे हिन्दुस्तान में तो इतने भ्रष्टाचार हुए हैं कि उनके उदाहरण तो दुनियाभर में दिए जाते हैं यहां पर बैंक घोटाले हुए । यहां पर शेयर घोटाले हुए। यहां पर चीनी घोटाले हुए। हमारा देश घोटालों से भरा पड़ा हैं गरीब सुन रहा है। वह देख रहा है कि यह पैसा कहां जा रहा है। इस वित्त विधेयक में जो लोग इस देश को लूट रहे है, जो घोटाले कर रहे हैं, उनसे बचाने और गरीबो को सहायता देने की कोई बात कहीं नजर नहीं आती हैं,

सभापति महोदया, अभी अनादि चरण दास जी बोल रहे थे, वे ठीक बोल रहे थे। मैं उनके सुझाव से सहमत हूं। क्योकि वह कह रहे थे कि मैं कांग्रेस का वक्ता हूं इसलिये मुझे बोलने के लिए ज्यादा समय दिया जाये। मैंने उनका विरोध इस बात पर किया कि आप कांग्रेस के वक्ता हैं, इसलिये आपको बोलने का ज्यादा समय क्यों दिया जाये।

सभापति महोदया : आप अपनी बात बोलिये।

श्री कालकादास : मैं अपनी बात ही कह रहा हूं। मैं उनसे सहमति प्रकट करते हुए यह कह रहा था कि आज कांग्रेस को सुझाव देने का अधिकार नहीं हैं। वह तो सरकार में बैठी हुई है, उनको तो करना चाहिए और वह करने की भी हालत में है लेकिन आज वह जनता को बहकाती है कि देखो हम पार्लियामेंट में आपके बारे में बोल रहे थे। अरे भाई आप तो करने वाले हो, आपको बोलने की क्या जरूरत हैं आज हालत यह है कि मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की। जैसे-जैसे यह दवा कर रहे हैं वैसे-वैसे यह मर्ज बढ़ता जा रहा हैं। आज गरीबी बढ़ती जा रही है।

सभापति महोदया, आज इस देश में 40 फीसदी से ज्यादा लोग गरीब है, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं आज आजादी मिले हुए हमें 47 साल हो गये हैं लेकिन उनको एक समय का भोजन तक नहीं मिलता है। जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे, आज वह गरीबों का देश बना हुआ हैं आपने शिक्षा में कितना रुपया लगाया है? आज हमारे देश में महिलाओं को केवल 29 प्रतिशत ही शिक्षा के अवसर प्राप्त है तथा कुल 48.1 प्रतिशत अशिक्षित हैं। आजादी मिले आधी शताब्दी बीत गयी है, आप और कितने दिन लेंगे?

यह देश जो शिक्षा का गुरु माना जाता था, जो दुनिया को सभ्यता देता था, शिक्षा देता था, वह इन 47 सालों में गरीब देश बन गया हैं आज गरीब और गरीब होता जा रहा है, पिसता जा रहा हैं महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि इस देश में रोजगार देने के लिए स्मॉल स्केल इण्डस्ट्री होनी चाहिए लेकिन आज वह खत्म की जा रही है आयात ड्यूटी घटाई और कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है दुनिया से दूसरे अमीर देशों को यहां आमंत्रित किया जा रहा है कि वह यहां आयें और यहां आकर अपनी बड़ी-बड़ी मशीनें और धन के आधार पर इस देश में कम्पीटिशन करके यहां के लघु उद्योगों में काम करने वाले लोगों को नष्ट कर दें। वे बेरोजगार हो जायें। सरकार महात्मा गांधी का नाम लेती है लेकिन उनके सिद्धांतो पर नहीं चलती । वह महात्मा गांधी का नाम लेकर जनता को बहकाती है कि हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। महात्मा गांधी की पीठ पर जितना छुरा आपने मारा है, उतना किसी ने नहीं मारा है। अगर आप महात्मा गांधी की नीतियों पर काम करते तो क्या यह हालत होती? ....(**व्यवधान**) हम तो उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। ......(**व्यवधान**) आप तो उस सरकार का समर्थन करते है, जो महात्मा गांधी को गालिया देती है। वह सरकार आपके समर्थन से चल रही है।

सभापति महोदया : कालका दास जी, आप चेयर को सम्बोधन करके बोलिये।

श्री कालकादास : मैं तो यह कह रहा हूं कि हम महात्मा गांधी के श्रद्धालु हैं। हम उन्ही के सिद्धांतों पर चलते हैं लेकिन जो सरकार उनको गालियां देती है, वह आपके समर्थन से चल रही हैं। आप अपना समर्थन वापिस ले लीजिये।

सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही हैं, अभी उन्होंने बताया था कि इस देश में दो करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन यह बात सच नहीं हैं जहां तक हमें अनुमान है, शिक्षित व अशिक्षित नौजवानों की संख्या सात करोड़ से ज्यादा है। बजट में उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हैं वह जनता कहां जायेगी, क्या करेगी, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं हैं गरीबी हटाओं का नारा देकर सबको बहकाया गया है। जनता सोचती है कि अगर गरीबी हट गयी तो हमको भी कुछ मिलेगा, जीवनयापन के लिए कुछ चीजें मिलेगी लेकिन न तो समानता मिली, न समरसता और न ही सम्मान मिला। रोटी तो अलग बात है, आज इस देश के 30 प्रतिशत लोगों को सम्मान तक नहीं मिलता। न रोटी मिली और न ही सम्मान मिला, लेकिन इस सरकार ने उसके लिए कोई उपाय नही किया, उसका कोई निराकरण नहीं ढूंढा।

सभापति महोदया, मेरा निवेदन हैं कि जब तक यह सरकार धन के वितरण की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं करेगी तब तक गरीब और गरीब होते जायेगें और अमीर अपने पैसे के बल पर इस सरकार के धन को लूटता जायेगा। वह और अधिक अमीर बनकर गुलछर्रे उड़ायेगा।

वह यहां कि संस्कृति और सम्मान को भी नष्ट करेगा यहाँ के नौजवानों को किस तरह से रोजगार मिलेगा, इसकी व्यवस्था आपने नहीं की , किस तरह से गरीब बस्तियों में स्कूल खोले जाएंगे, इसकी व्यवस्था नहीं की , जो लोग भूखे मर रहे है, उनको किस तरह से रोटी मिलेगी, इसकी कोई व्यवस्था नही की, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की ।

आजादी के बाद से हम सब समान हैं। महात्मा गांधी ने डा. अम्बेडकर को विश्वास दिलाया था कि दस साल में इस देश मे सब समान हो जाएंगे, कोई छोटा-बड़ा नहीं होगा, विषमता नहीं होगी। लेकिन आज भी विषमता और नफरत बढ़ती जा रही है, लोगों में आपस मे घृणा बढ़ रही हैं आज भी यह देखा जाता है कि व्यक्ति

कहां पैदा हुआ, यह नहीं देखते कि वह क्या है। बहुत से कानून बनाने की कोशिश हुई लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आपको यह सब मालूम नहीं है। आपकों सब कुछ मालूम है लेकिन गरीबों को उनके पैरों पर खड़ा करने की आपकी नीयत नहीं है।

मनमोहन सिंह जी के यहां आने से पहले शेड्यूल्ड कास्ट्स को काम करने के लिए 4 लाख रुपये तक कम ब्याज पर लोन मिलता था लेकिन पिछले एक साल से एक लाख रुपये से ज्यादा ऋण कम ब्याज दर पर नहीं मिलता। एक लाख रुपये में कौन सा काम होगा? आपको तो सिर्फ वोट चाहिए, आप यह नहीं चाहते कि गरीबों की हालत ठीक हो क्योंकि आपको मालूम है कि जिस दिन उनकी हालत ठीक हो जाएगी, वे विचार करना शुरु कर देंगे और जब विचार करना शुरु कर देंगें तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देंगे। इसलिए आप जान-बूझकर उनको पढ़ाना नहीं चाहते, उनको समानता का अवसर दिलाना नहीं चाहते।

आज भी स्कूलो में 4 रुपये महीने की स्कालर्शिप है । 4 रुपये में क्या होता है? पांचवी क्लास में साल का 40 रुपया मिलता हैं आप इस पर दृष्टि डालिए। वह जमाना चला गया जब लोग बिना सोचे-समझे आपके पीछे लगे रहते थे। अब लोगो ने आपको समझ लिया है। हाल के चुनाव इसका परिणाम हैं। यह तो शुरुआत है, आगे-आगे देखिए होता है क्या। अब लोगों ने समझ लिया है कि आप उनको 47 साल से बहका रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस कठोरता से जमी हुई थी, कांग्रेस को लोगों ने उखाड़कर फेंक दिया। दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से प्रदेशों में तो आप विरोधी दल में भी नहीं रहें। बिहार, कर्नाटक में तो आप तीसरे नम्बर पर हैं। अब लोगों ने सोचना शुरु कर दिया है तो आप भी सोचना शुरु कीजिए। वक्त बहुत निकल चुका है, आप भी विचार कीजिए क्योंकि आपके हाथ में अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के आधार पर आप लोगों की सहायता कर सकते है, लोगो को ऊंचा उठा सकते है, आजादी के 47 साल के बाद भी जिनको आजादी की रोशनी नही मिली , उनको वह रोशनी दे सकते हैं लेकिन आपकी नीयत नहीं हैं आप तो आंकड़ों मे हेरफेर करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। कुछ चाटुकारों ने कह दिया कि मनमोहन सिंह जी का बजट तो बहुत अच्छा है लेकिन अर्थशास्त्री कहते है कि यह सब गलत है। बजट अच्छा है या बुरा, यह इस बात का दर्पण है कि सरकार की सोच क्या हैं। सरकार गरीबों को कुछ देना चाहती है या नही। लेकिन सरकार की नीयत यह रही है कि गरीबो से वोट लो, उनको बहकाओं और अमीरों का काम करो।

मेरा निवेदन है, जैसे मैने पहले भी कहा कि आप इस पर पुन: विचार करें ओर अर्थनीति को ठीक बनाएं। आपकी आज की अर्थनीति ग्राम विरोधी हैं

यह गरीब विरोधी है, यह नौजवान विरोधी है, यह किसान विरोधी है, यह दलित विरोधी है, यह अल्पसंख्यक विरोधी है, इस पर आपकों पुनर्विचार करना चाहिए। यह अगर किसी के पक्ष में है तो वह केवल एक तबका है, वह है अमीर, जो आपकी सरकार को चला रहा है, आप केवल उसको देखते हैं। जो सरकार को चलाता है, उसका ध्यान आप रखते हैं। लेकिन जो सरकार को बनाता है, उसका ध्यान रखना आप भूल गये है, इसलिए सरकार को बनाने वाले लोग आपसे अलग हो रहे है।

मेरा निवेदन है-कि आप अपनी इस आर्थिक नीति को बदलें और बदलकर ऐसी नीति बनाये, जिससे नौजवानों को रोजगार मिले, जिससे गरीबों को रोटी मिले, मानव को मानवता के आधार पर सम्मान मिले। जो आप कहते है कि हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग गांवो में रहते है, कृषि का काम करते है, आप उनकी भी सहायता करिये। कृषि मजदूरो के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने सब की राय ली थी । यह ठीक है कि हमारे कृषकों ने चेतावनी को स्वीकार किया और हमारे यहां पर अनाज का उत्पादन ऐसा किया कि हमें विदेशो से ज्यादा अनाज अब नहीं मंगाना पड़ता, यह अलग बात है कि उनको भी यहां न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन जो कृषि मजदूर है, उसको भी रोटी मिल रही है या नही मिल रही है, सरकार को यह देखना चाहिए। जैसे यहां पर कहा गया कि उनको मिनीमम वेजेज दीजिए तो कहते है कि हम आपको काम पर नहीं लगाते तो उनकी कोई व्यवस्था की जायं मजबूर होकर उसको न्यूनतम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, लेकिन उसका रोटी नही मिलती है। आज देश का नौजवान भूखा मर रहा हैं वह काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं है। ... (व्यवधान) आपको ऐसी नीति बनानी चाहिए, जिससे नौजवान को काम मिले।

आज 47 साल की आजादी के बाद भी गरीब की झोपड़ी में पैदा होने वाले बच्चे दवाई के अभाव में अपनी मां की गोद में दम तोड़ दे तो यह हमारे लिए शर्म की बात है। मैं कुछ देशों में गया हूँ, मैंने देखा है, जो देश हमारे देश से बहुत बाद में आजाद हुए, मलेशिया हमारा नजदीकी देश है, वह हमसे 12 साल के बाद आजाद हुआ ...

सभापति महोदय : कालका दास जी, आप 22 मिनट बोल चुके हैं।

श्री कालकादास : मैं आपके माध्यम से सरकार से दो मिनट में निवेदन करना चाहता हूं कि अब बहकाने का समय पीछे निकल गया है । यह बजट बहकावे का बजट है। आप अगर समझे कि गरीब आदमी समझता नहीं है, उस तक यह जायेगा नहीं, तो यह आपकी भूल होगी , क्योंकि रुपये की क्रयशक्ति बहुत घट गई हैं हमको कोई उदाहरण देता है कि पहले मैं दस रुपये कमाता था, लेकिन अब 15 रुपये कमाता हूं, लेकिन अब 15 रुपये का आता क्या है, पहले दस रुपये का कुछ आता था लेकिन आज 15 रुपये का कुछ नहीं आता। आज जो ईमानदार है, जो वेतनभोगी लोग है, जो अपनी आय को कही नहीं छिपा सकते, उनको आप कुछ राहत दीजिए आपसे केवल इतनी बात की थी कि चेलैया कमेटी ने 60 हजार रुपये तक आयकर छूट की बात कही थी, सारी पार्टियों के सभी लोगों ने कहा कि आप कम से कम 50 हजार आयकर दूर तो कर दीजिए, लेकिन आपको जिद है। जिद है तो आपकी जिद चलेगी, क्योंकि आप सरकार में हैं, अभी तो आपकी जिद चलेगी , लेकिन जब अवसर चूक जायेगा, तब आप पछतायेगें कि लोगों ने ठीक कहा था, मैंने लोगो की सलाह नहीं मानी। लेकिन फिर पछताने से कुछ नहीं होता, समय के बाद तो

आगे होते है, पीछे जब समय निकल जाता है तो अब बाल पकड़ने की कोशिश करें, आपके हाथ में कुछ नहीं आता। उसके तो बाल आगे है, पहले पकड़ लो तो कुछ हो सकता है? बाद में बाल पकड़ोगे तो पीछे उसकी खोपड़ी गंजी है, बाल नहीं है, पकड़ में नहीं आयेंगे तो समय चला जायेगा। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट गरीब के हित में नहीं है, इसलिए इस पर पुनर्विचार करें।

यह बजट देश के नौजवानों को रोजगार प्रदान करने वाला बजट नहीं हैं यह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज का विरोधी है। यह महात्मा गांधी के सिद्वातों के विरुद्व है।

हमारे देश का दुर्भाग्य है कि47 साल की आजादी के बाद भी यहां के48 फीसदी लोग अशिक्षित हैं। हमें इस ओर देखना होगा और लोगों को शिक्षित करना होगा। बजट और नीतियो को इस तरह बनाना होगा जिससे सब को शिक्षा मिले। आप नीति ऐसी बनाये जिनसे कानून का पालन हो और लोगों को भी न्याय मिले। लोगों के हित को देखते हुए नीतियां बनायें।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज की सरकार भ्रष्टाचार में सबसे आगे है। इस दौरान इतने भ्रष्टाचार हुए कि पार्लियामेंटरी कमेटी इनकी जांच करने के लिये बिठायी गई । उसनें संकेत दिया कि भ्रष्टाचार हो रहे है लेकिन ऐक्शन टेकन रिपोर्ट पर कोई घ्यान नहीं दिया। आप सोचते हैं कि हम गद्दी पर बैठे हैं, इसलिये कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपकों याद दिलाना चाहता हूं कि आपको फिर जनता के बीच जाना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार उन्मूलन नीति बनाये जिसमे भ्रष्टाचार को कोई स्थान न मिले। इस रास्ते पर आप चलें, आपके अधिकारी चलें और सारी जनता चले। जब तक भ्रष्टाचार चलता रहेगा तब तक लोगों को आपकी बनायी हुई थोड़ी बहुत नीतियों का लाभ नहीं मिलेगा।

मै फिर सरदार मनमोहन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि अगर आप कुछ कर सकते है तो आयकर में दी जाने वाली छूट की सीमा को बढ़ाये क्योंकि यह वेतनभोगी लोगों को प्रभावित करती है और जो ईमानदार लोग होते हैं, अपनी आय को छुपा नहीं सकते हैं, उनको भी प्रभावित करती है। इसलिये चेलैय्या समिति की रिपोर्ट के अनुसार 60 हजार रुपये की आय को आयकर में छूट दी जाये।

इन्हीं शब्दो के साथ मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

*श्री आर. जीवरत्नम (अराकोणम) : सभापति महोदय, मैं बजट प्रस्तावों और वित्त विधेयक, 1995-96 का स्वागत करता हूं। मैं अनेक सामाजिक और ग्रामीण विकास उपायों जैसे आवास योजना का भी समर्थन करता हुँ। आपने यह घोषणा की है। कि आप इस वर्ष 10 लाख मकानों का निर्माण कर रहे हैं लेकिन मै आपसे यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि समाज के ग्रामीण निर्धनों और अन्य जरूरत मन्दों के लिये लाभप्रद यह योजना का आपका कैसे क्रियान्वित करने का विचार है मेरा वित्तमंत्री को यह सुझाव है कि जिला समाहर्ता की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाना चाहिये और उनमें विशेष क्षेत्र के संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य अवश्य शामिल किये जाने चाहिये। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस प्रकार की विकास योजनाएं की क्रियान्वित के बारे में प्रभावशाली ढंग से निगरानी रखी जानी चाहिएं अत: इसमें जनता के प्रतिनिधियों- संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

यदि जनता के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल नहीं किया जायेगा तो गरीब और जरूरत मन्द लोगों के लिये निर्माण किये जा रहे और उनको वितरित किये जाने वाले 10 लाख मकानों सम्बन्धी योजनाओं का पर्यवेक्षण और उनका क्रियान्वित कौन करेगा। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग और समाज के अन्य वर्गो के निर्धन व्यक्ति भी शामिल हैं। वे भी चाहते है कि योजनाओं से उन्हें लाभ मिले। इस प्रकार अनेक गांवो में हजारों स्वतन्त्रता सेमानी और उनके परिवार गरीबी में रह रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उनकी संख्या काफी अधिक है और उनमें से कुछ बहुत गरीब है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार उनको भी इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची में शामिल करें। उनकों भी मकान उपलब्ध करायें अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जिला समाहर्ताओं की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाये और इस उचित अनुरोध पर सहानुभूति पूर्ण विचार किया जाये। सरकार को स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितो को इन मकानों की एक निश्चित प्रतिशतता का आबटन करना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है कि इस वर्ष के बजट में अनेक सामाजिक उपायों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिये संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिएं जो विभिन्न अवस्थाओं में योजना की क्रियान्विति पर निगरानी रखेंगे। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है,इस बारे में कभी भी संसद सदस्यों से सलाह नहीं ली जाती अथवा उन्हें किसी भी ऐसी समिति में शामिल नहीं किया जाता जिनका गठन विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिये किया जाता हैं ऐसा केवल अन्य राज्यों में भी हो रहा हैं केवल संसद सदस्य संसद में बजट पास कर देते हैं अत: यह बात बहुत तर्क पूर्ण है कि इन गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की क्रियान्विति की निगरानी के लिये संसद सदस्यों को अवश्य शामिल किया जाना चाहिये।

3.59 म. प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

वे इस बारे में केन्द्र सरकार को और संसद को पुरी जानकारी देंगे। यह दुख की बात है कि अभी तक संसद सदस्यों को यह अधिकार नही दिया गया है। सरकार को इन कार्यक्रमों के लिये गठित विभिन्न समितियों में संसद सदस्यों को शामिल करने के निर्देश सभी राज्य सरकारों को जारी करने चाहिएं। जब एम. जी. आर. वहां थे तब उन्होने संसद सदस्यों को यथोचित महत्व दिया था। केन्द्र सरकार के कोष से चल रही विभिन्न योजनाओं पर विचार और क्रियान्विति के लिये गठित समितियों में पंचायत परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त संसद

*मूलत : तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को शामिल किया गया था। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करुगां कि वह यह सुनिश्चिचन करें कि इस प्रकार का पर्यवेक्षण तंत्र जो तमिलनाडु में पहले था वह जारी रखा जाये। उन समिनियों द्वारा सिफारिश की गई योजनाओं को तब क्रियान्वित किया गया था जहां तक रुग्ण औद्योगिक एककों का सम्बन्ध है, मेरे विचार से सरकार को उनके लिये और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का कोई लाभ नहीं हैं । औद्योगिक विकास आधुनिक मशीनों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर निर्भर करता है। बड़ी मात्रा में धनराशि इसमें पहले ही फंसी है। अत: उचित यही होगा की आप इन रुग्ण एककों को बेच दें। उनकी नीलमी की जा सकती है और प्राप्त धनराशि से पुर्नलाभ अर्जित किया जा सकता है। रुग्ण एककों को पुन: चलाये जाने का कार्य एक सीमा तक ही किया जा सकता है। यदि हम इन रुग्ण एककों की बिक्री करते है। तो हमे धनराशि प्राप्त हो सकती है जिससे हमे विदेशी ऋण की आवश्यकता नही रहेगी और ऋण के जाल में फसने से बच जायेंगे। लगभग एक लाख करोड़ रुपया इन रुग्ण एककों में फंसा है। मेरी यही राय है कि इन रुग्ण एककों को और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं हैं ऐसे एकक हैं जो पाच वर्ष से अधिक समय से बन्द पड़े है और कुछ एकक तो आठ-दस वर्ष से बन्द पड़े है। इन एककों का तुरन्त निपटान किया जाना चाहिये। इससे हमारी वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ होने में सहायता मिलेगी।

माननीय वित्त मंत्री ने आयकर की अधिकतम सीमा 40,000 रुपये कर दी है। लेकिन मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करुंगा कि इसे और बढ़ाकर 48,000 रुपये किया जाना चाहिएं। लगभगं सभी सदस्यों ने जिन्होंने सामान्य बजट और फिर वित्त विधेयक पर भाषण दिया है, इस पहलू का उल्लेख किया है। अत: मै माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करुगा कि आयकर की अधिकतम सीमा को और बढ़ाने के बारे में पुन: विचार करें। लघु बजट, राष्ट्रीय बचत पत्र और अन्य बचत योजनाओं मे धनराशि लगाने के इच्छुकों के लिये अनेक प्रोत्साहन दिये गये हैं उन्हे आयकर में छूट मिलती है। इसकी भी एक सीमा है। इसे 25,000 रुपये तक बढ़या जाना चाहिये।

माल और सामग्री पर बिक्री कर की दर विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। बिक्री कर की दरें पुन: निर्धारित की जानी चाहिए। अच्छा यह होगा कि इसे समाप्त कर दिया जाये। इसकी बजाये उत्पादन कर लगाया जा सकता है जो समान रुप से सब राज्यों में लागू किया जाये। सरकार इस सुझाव की आवश्यकता पर विचार करें।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्पादन शुल्क में घोषित कमी किये जाने का विशेष रुप से उपभोक्ताओं को वांछित लाभ नही मिला है। इस सम्बन्ध में प्रीमियर आंटोमोबाइल का उदाहरण है। जब आंटोमोबाइल उद्योग को उत्पादन शुल्क में राहत इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दी गई कि इससे उसकी बाजार में बिक्री और उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन इसका लाभ खरीदारों को उपलब्ध नहीं हुआ।इसके विपरीत मूल्यो में वृद्धि हो गई । मध्यम वर्ग के लोगों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में राहत के उपायों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करने से पूर्व सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहियें कि माल और उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हू कि वे निर्माताओं , विशेष रुप से आटोमोबाइल उद्योग के निर्माताओं को आमंत्रित करें और यह सुनिश्चित करें कि मूल्यों में कमी की जाये।

सीमेन्ट के मूल्य मे अत्र वृद्धि हुई हैं वे कहते है कि इस पर 20 रुपये प्रतिटन की दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाया गया है। लेकिन बाजार में सीमेन्ट का मूल्य प्रति बोरा 20 रुपये बढ़ गया है। ऐसा प्रतीत होना है। कि इसमें कही न कहीं कोई त्रुटि हैं।

मंत्री कुछ दावा करते है। और सीमेन्ट उद्योग कुछ और वित्त मंत्री को इस बारे में सीमेन्ट उद्योग से बातचीत करनी चाहिये और इस बात के प्रयास करने चाहिये कि सीमेन्ट के मूल्य पूर्व स्तर तक आ जायें।

उर्वरक पर दी जाने वाली राज सहायता जिसे 5,000 करोड़ रुपयें से बढ़ाकर 5800 करोड़ रुपये किया गया था, को और बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपये किया जाना चाहिये। कृषि हमारा मुख्य उद्योग है। अत: हमे अपने कृषकों के भार को कम करने में हाथ बटाना चाहिये।

तमिलनाडु में बिजली की दर प्रतियूनिट 3.50 रुपये हैं होटल, आवासगृह और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान चलाने वाले इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। केन्द्रीय सरकार को इस बारे में तमिलनाडु सरकार से बातचीत करनी चाहिये। मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करुगां कि वह बिजली शुल्क में कमी करने के लिये इस दिशा में उचित कार्यवाही करे।

बीमा क्षेत्र में धनराशि की प्रवाह है और वह जनता से प्राप्त होती हैं बीमा क्षेत्र सुधार सम्बन्धी मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट अभी भी केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा संतोषजनक होनी चाहियें बीमा दावों और भुगतान के मामलों के निपटान में असाधारण विलम्ब होता हैं उक्त त्रुटि को दूर किया जाना चाहिएं। इसके अतिरिक्त मेरा सुझाव है कि बीमा क्षेत्र के लिये पृर्थक भर्ती बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये। बीमा कम्पनियां अनेक सार्वजनिक समारोह आयोजित करती हैं। राष्ट्रीय बीमा कम्पनीयों को अपने जन-समारोहों में स्थानीय सांसदो को आमंत्रित करने के निर्देश जारी किये जाने चाहिएं।

राष्ट्रीयकृत बैंक विभिन्न औद्योगिक एककों के लिये ऋण उपलब्ध करवाते हैं ऋण आवेदनों पर स्वीकृति देने सम्बन्धी समितियों में संसद सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय बैकों के औद्योगिक विकास विंग में सम्बद्ध स्थानीय संसद सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिये।

स्वतन्त्रता सेनानियों की पैशंन में 500 रुपये की वृद्धि की जानी चाहिये। इस समय केन्द्र में पेंशन की राशि 1500 रुपये है जिसे बढ़ाकर 2000 रुपये किया जाना चाहिये। स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों और परिवार के सदस्यों को बैंको तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के एककों में रोजगार के लिये आरक्षण अथवा प्राथमिकता दी जानी चाहिये। वित्त मंत्री को स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रितों को इन संस्थाओं में रोजगार के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में विचार करना चाहिये। हम जो कुछ भी उनके लिये करेंगे वहीं उनके लिये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्ही की वजह से आज हम स्वतन्त्र हुए है। मेरे बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य इस विधेयक पर बोले थे। मुझे खुशी है कि उन्होने महात्मा गांधी का उल्लेख किया था। वह चाटुकारितापूर्ण था। महात्मा गांधी ही के कारण हमें स्वतत्रंता

मिली। अन्ततः उनकी मृत्यु एक पागल द्वारा हत्या किये जाने के कारण हुई। लेकिन वह आज भी जिन्दा हैं। उनके अनुयायी आज भी मौजूद हैं। उनके साथ स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले आज भी है। ऐसे लोगो की संख्या बहुत अधिक नहीं है। वह बहुत कठिनाई में हैं। उनका गरीब परिवार आज बहुत अधिक कठिनाई में है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पेंशन की राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये की जानी चाहिये।

चावल का मूल्य विभिन्न राज्यों में विभिन्न है। इससे एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। लोग बहुत अधिक निराश हैं। जो राज्य चावल की बिक्री कम कीमत पर करते हैं उन्हे केन्द्र द्वारा सहायता और अनुदान दिया जाना चाहिये। आपको यह घोषणा स्पष्ट रुप से करनी चाहिये चाहे यह सम्भव हो अथवा नहीं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में चावल की बिक्री विभिन्न मूल्यों पर की जाती है। आंध्र प्रदेश का चावल तमिलनाडु जाता है, तमिलनाडु से चावल चोरी छिपे केरल जाता है जहां उसकी कीमत अधिक है।यदि चावल का मूल्य निर्धारित कर दिया जाये और उच्च कोटि और घटिया किस्म के चावल के समान मूल्य निर्धारित कर दिये जाये तो मूल्यों में उतार-चढ़ाव नहीं होगा। इससे भ्रम और असमानता उत्पन्न नहीं होगी। अन्यथा केन्द्र सरकार को इस बात की घोषणा करना चाहिये कि वह कम मूल्य पर चावल बेचने वाले राज्यों को राज सहायता दे सकती है अथवा नहीं ।

जहां तक मद्यनिषेध का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार को इस बारे में एक नीति तैयार करनी चाहिये। चुनाव के दौरान कुछ राज्य सरकारें पूर्ण मद्यनिषेध की घोषणा करती है। लेकिन चुनाव के बाद वह केन्द्र सरकार पर इसका दोष डालती हैं कि पूर्ण मद्यनिषेध से होने वाली हानि को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने उन्हें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई। अथवा वे कर लगाती हैं जिससे साधारण आदमी पर भार बढ़ जाता है। अतः मै केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मद्यनिषेध के बारे में अपनी नीति स्पष्ट करें।

राष्ट्रीकृत बैंकों ने हाल ही में अपनी ब्याज की दरें पुनः निर्धारित की है। आवास के लिये ऋण कम ब्याज दर पर दिया जाना चाहियें मैं आवास विकास बैंकों के कार्यकरण से बिल्कुल सन्तुष्ट नहीं हूं। उनकी शाखाएं अनेक कस्बों में नहीं है। आवास ऋण का कार्य अन्य अनूसूचित बैंको को भी सौंपा जाना चाहिये। वे समस्त देश में अपने विशाल नेटवर्क द्वारा लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। उक्त उपाय प्रभावशाली पर्यवेक्षण और निगरानी तंत्र द्वारा किये जा सकते हैं। आवास विकास बैंकों के बारे में अभी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। वे समाज में केवल प्रभावकारी लोगों को ही ऋण देते है आप उन बैंकों को समाप्त कर सकते है और उनकी भूमिका और दायित्व अनुसूचित बैंको को सौप सकते हैं।

हमारे देश में पर्यटन के महत्व पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। इसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उन व्यक्तियों और निजी कम्पनियों को जो होटलों और आवासगृहों के निर्माण के लिये आगे आये उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिएं। क्योंकि इससे अन्तर्राज्यीय और विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा उदार शर्तो पर ऋण दिया जाना चाहिये तथा 25 प्रतिशत राज सहायता दी जानी चाहिये। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इस बारे में सहानुभूति पूर्ण विचार करें क्योंकि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जिससे देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। जब श्री वेंगल राव उद्योग मंत्री थे। तो राज सहायता बन्द कर दी गई थी। सरकार पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये आधारभूत ढांचा तैयार नहीं कर सकती। हमारे पास संसाधनों की कमी है। इसके साथ ही निजी कम्पनियों को होटलों और आवास गृहो के निर्माण में मदद दी जानी चाहिये।

वृद्धों को पेंशन स्वागत योग्य योजना है। मेरा अनुरोध है कि आयुसीमा घटाकर 60 वर्ष कर दी जानी चाहिये। उक्त योजना के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्तियों के नामों की सिफारिश संसद सदस्यों द्वारा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

जीवन रक्षक दवाइयों पर सीमाशुल्क में कमी स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ आप यह भी सुनिश्चित करे कि मूल्यों में तदानुसार कमी हो जिससे साधारण आदमी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। साकार को मूल्यो पर नियंत्रण रखने के लिये एक समिति का गठन करना चाहिये। अधिकारियों को इसका दायित्व सौंपा जाना चाहिये।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के इस समय मद्रास में कार्य कर रहे क्षेत्रीय कार्यालय को वैलोर स्थान्तरित किया जाना चाहिये। इसके परिणामस्वरुप तिरुवन्नामलाई साम्बूवरायर रामास्वामी पदायाचियार जिलों, केन्द्र शासित पांडिचेरी को बहुत लाभ होगा। अन्यथा उन्हे उच्च अधिकारियों से बातचीत के लिये मद्रास जाना होगा। इन स्थानों के लोगों की कठिनाईयों को दूर करने के लिये आप ऐसा कर सकते हैं।

मैं हमेशा से ही राष्ट्रीकृत बैंको को कम्प्यूटीकृत किये जाने पर बल देता रहा हूं। बैको में हड़ताल और धरना से बैंक प्रभावित होते हैं सरकार और प्राधिकरण को बैंक कर्मचारियों द्वारा बैंक प्राधिकरण को हड़ताल को जोखिम का नोटिस दिये जाने से पूर्व उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये आगे आना चाहिये। बैंक कर्मचारियों की मांगो पर जब कभी वे सामने आये उन पर विचार किया जाना चाहिये। इससे बैंकिग प्रणाली में जनता का विश्वास बना रहेगा। राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी शाखाएं स्थापित करने के लिये अनेक स्थानों पर अपने भवनों का निर्माण कर रहे हैं। हाल ही में एक ऐसे भवन का निर्माण एक राष्ट्रीय बैंक ने वालाजाह कस्बे में किया था, जो अराक्कोणम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता हैं। इस भवन के निर्माण पर 60 लाख से एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये गये हैं। अभी उनका निर्माण किये एक वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ है लेकिन भवनों में अनेक दरार और रिसाव आ गये हैं। स्थानीय संसद सदस्य को भी भवन का उद्‌घाटन करने के अवसर पर आमंत्रित नही किया गया था। ऐसे भवन काफी ऊंचे बनाये जाने पर भी उनका निर्माण उचित रुप से नहीं किया गया है। भवन के क्षति होने से बैंक को भारी हानि होगी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया वह यह बात नोट करे। यदि संसद सदस्यों को इस बारे में जानकारी दी जाती है, तो वे स्थिति पर निगरानी रखते हैं। ये धनराशि केन्द्र सरकार की है। संसद सदस्यों के अलावा और कौन केन्द्रीय सरकार को बैंकिग के विशेष इलाके में चल रही गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं।

स्टेट बैंक आफ इंडिया सहित अनेक राष्ट्रीयकृत बैंको ने अनेक कस्बों में भवन किराये पर लिये हुए है। उनका मकान मालिकों के

प्रति व्यवहार उचित नहीं हैं। उदाहरणार्थ, यदि मकान मालिक बैंक को एक पत्र भेजता है जिसमें यह लिखा होता है कि पांच वर्ष के ठेके का समय समाप्त हो गया है और किराये में और वृद्धि की जानी चाहिये, बैक पत्र की पावती भी नहीं भेजते। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही ही की जानी चाहिये। अनेक स्थानों पर इस सम्बन्ध मामले लम्बित पड़े है। एक मामला मेरी जानकारी में है जिसमें न्यायालय ने स्वयं स्टेट बैंक आफ इंडिया को भवन खाली करने का निर्देश दिया था। किराये का भुगतान न करने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। पांच साल का ठेका किये जाने की बजाये बैंको को स्वयं चार साल में एक बार उस कस्बे में विद्यमान बाजार किराया की दर से किराये में वृद्धि कर देनी चाहिये।बैंको को उनके प्रति न्यायोचित होना चाहिये जिन्होंने उन्हें काम करने के लिये भवन उपलब्ध कराये हैं। मैं इस बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूगां कि संचार मंत्रालय ने उनके द्वारा भुगतान किये जा रहे किरायें में प्रति तीन वर्ष बाद वृद्धि करने का निर्णय लिया है। उन्होंने समस्त देश के डाक-घरो तथा अन्य कार्यालयों के लिये भवन किराये पर लिये हुए हैं। मै आशा करता हू कि स्टेट बैंक आफ इंडिया इसका अनुसरण करेगा।

अब मैं वित्त मंत्री द्वारा की गई महान सेवा का उल्लेख करुंगा। अब हम विश्व मैं गर्व से सिर उठाकर चल सकते है। वित्त मंत्रालय के कार्य क्रो प्रभावशाली ढ़ग से समन्वित करने के लिये उनके पास योग्य सहयोगी है। उनके प्रयास से विश्व में देश को प्राप्त गर्व होने वाले स्थान के परिणामस्वरुप हमारा सब देशों में मान होता हैं। हम डा. मनमोहन सिंह के योग्य नेतृत्व में आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकते है और जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर महात्मा गांधी के स्वपनों को साकार कर सकते हैं।

में सम्मानीय सदन् और माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हू कि वे वित्त मंत्री के प्रयासों में पूर्ण सहयोग करे। इसके साथ मैं एक बार फिर वित्त विधेयक को अपना समर्थन देता हूं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : इस समय बोलने का बहुत अच्छा अवसर है क्योकि सभा में 'गणपूर्ति' नहीं हैं मैं इसलिये 'गणपूर्ति' पर जो नहीं दे रहा हूं क्योकि मुझे भी सभा से बाहर जाना पड़ेगा अन्य शब्दों में हम सबको और इंतजार करना पड़ेगा। प्रेस गेलरी भी खाली हैं मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि जब मैं बोलना आरम्भ करू उसके बाद टेलीविजन भी बन्द न कर दिया जाये जैसा मेरे रक्षा बजट पर भाषण करते समय पहली बार हुआ था। चाहे ऐसा किसी कारण से हुआ हो। मेरे बोलने का बहुत उचित अवसर है क्योकि कुछ दिन पूर्व कांग्रेस पार्टी के लिये खतरे की घंटी बजी थी।

अत: जिस विधेयक पर हम चर्चा कर रहे है और जो सत्तारुढ दल की नीति और कार्य है वह सब राजनीतिक प्रयोजनों के लिये विधेयक पारित होने से पूर्व ही समाप्त हो चुकी हैं अत: हम जो भी पारित करेंगे वह मृतक विधेयक अथवा मृतक अधिनियम होगा। इसका चुनाव में कोई प्रभाव नही होगा क्योकि उस समय तक पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। फिर भी हम मृतक विधेयक पर चर्चा कर चर्चा की और औपचारिकता पूरी करेगे।

कुछ दिन पूर्व जब वित्त विधेयक पर चर्चा की जानी थी और तालकटोरा स्टेडियम में 19 तारीख को सभा होनी थी, में दो वित्तीय प्रत्रिकाएं खरीदीं एक 'बिजनेस इंडिया' थी और दूसरी 'बिजनेस वर्ल्ड' मैने उसका मुख्य पृष्ठ पढ़ना आरम्भ किया मुझे कुछ असहजता अनुभव हुई मैंने सोचना शुरु किया कि उसमे क्या त्रुटि है। तब मुझे याद आया कि चार साल पहले जब वित्त विधेयक पर चर्चा की जानी थी, तब इस प्रकार की चमकदार पत्रिकाएं हमारे प्रसिद्वि प्राप्त वित्त मंत्री, श्री मनमोहन सिंह की फोटों से भरी होती थी। लेकिन अब उनकी बजाये क्या रह गया है एक ग्राफ जिससे यह पता लगता है कि चीजो में गिरावट आ रही है। 40 वर्ष बाद आज हमारी यह स्थिति है। आज यह अनुभूति है।दूसरी पत्रिका में रिजर्व बैंक गर्वनर की फोटो भी ओर बड़ें शब्दो में शीर्षक था टाकिंग टफ' (हटी) और निचला स्थान इसे प्राप्त है। "वित्तीय प्रणाली निर्धारित करने में कितने प्रभावी हैं" आज इन पत्रिकाओं की ऐसी अनुभूति है।लोगो का पूर्ण विश्वास है कि यह जाकर जो कुछ करना चहाती थी कुछ भी नहीं कर पाई इसने 1991 के बजट से आरम्भ किया और असफल रहीं सब पत्रिकाओं में यह भी भरा पड़ा है कि सरकार अब केवल यह कहती है कि हम असफल क्यों हुए,, हमसे क्या त्रुटि हुई और त्रुटि को दूर करने के लिये क्या किया जाना चहिये। अत: सरकार द्वारा अनुकरण की जाने वाली वित्तीय नीतियों की यह स्थिति है।

औद्योगिकीकरण अथवा विकास अथवा आधुनिकीकरण, उदारीकरण और क्या नहीं, सब पर सरकार निजी क्षेत्र पर और यथासम्भव सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर करती हैं पहले उसे चलने नहीं देती , फिर उसे चूस लेती है, उसे बन्द कर देती है, यथा सम्भव उसके शेयर जनता को बेच देती है, उसका निजीकरण करती है, आंशिका रूप से अथवा पूर्णतया , यही सरकार की नीति है। व्यापार चलाने के लिये व्यक्तियों पूंजीं की आवश्यकता होती हैं हमें हमेशा यह बताया जाता है कि यह भार हमारे ऊपर है। सो हट गया। अत: लोगों पर कर लगाकर सरकारी संसाधनों से उद्योग में निवेश की आवश्यकता नहीं है। अत: कराधान के रूप में आ रही धनराशि का उपयोग सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कार्यों के लिये किया जा सकता है। प्रधानं मंत्री भी अभी कुछ दिन पहले यही कह रहे थे। लेकिन उस प्रक्रिया, तंत्र का क्या हुआ जिसके द्वारा प्राइवेट पूंजीपतियों द्वारा धनराशि जुटानी अपेक्षित थी। वह तंत्र स्टॉक एक्सचेंज है। सरकार के एक साल में सत्ता में आने के भीतर एक बड़ा घोटाला हुआ। इसका पता लगाने में डेढ़ वर्ष और लगे। क्या हुआ था? इस घोटाला में देश के सैन्ट्रल बैंक सहित सरकार की वित्तीय संस्थाएं लापरवाही के चलते अथवा अन्यथा इसमें शामिल थे। घोटाले का पता लगने के बाद भी उन दिनो शेयर के मूल्य आसमान को छू रहे थे। मेरे विचार से यह अप्रैल , 1992 का जिक्र है। घोटाले के बाद भी कहीं से पूंजी आई । हमे बताया गया कि संस्थागत पूंजी निवेश के बाद वित्तीय संस्थाओं ने काम करना आरम्भ कर दिया हैं । उन्होंने भारत में निवेश को आकर्षक बताया और शेयरों के मूल्य फिर बढ़ गये। हमे बताया गया कि यू. टी. आई का भी इसमें हाथ हैं यू. टी. आई. एक बहुत बड़री संस्था हैं मुझे बताया गया कि इसका वार्षिक लाभ 60,000 करोड़ के लगभग है। ..(व्यवधान) यह संस्था भी फेल हो गई सर्वप्रथम, घोटाले ने वित्तीय संस्थओं की अन्दर की स्थिति का बोध कराया। वह अन्य लोगों के

धन का कितनी निर्दयता से और लापरवाही से उपयोग करती है। हजारों करोड़ रुपयों की हानि हुई। मुझे हानि की राशि 3,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच बताई। कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि यह कितनी हो सकती है अनेक लोगों को अपनी धनराशि से हाथ धोना पड़ा। अनेक लोग जिनका यह विचार था कि थोड़े से समय में धनराशि लगाकर लाभ कमाया जा सकता है, जिनमें अधिकांश मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे, अपनी धनराशि से हाथ धोना पड़ा। हजारों लाइनें लगती थी। वे अपनी धनराशि गंवा बैठे। वे घोटाले के अन्त में शेयर खरीदने गये, जब शेयरों के मूल्य चढ़ रहे थे उनके शेयर खरीदने के बाद शेयरों के मूल्य घटने शुरू हो गये। अतः बहुत नुकसान हुआ। अभी फिर, दूसरी बार मूल्य में वृद्धि हुई और सब ने ऋण लिये। वित्त मंत्री ने भी ऋण लिये। उन्होंने बताया कि न केवल पहली बार और दूसरी बार बल्कि हर बार सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नीतियों के कारण ऐसा हुआ। अब जब मूल्यों में कमी हुई है, तो क्या अभी भी सरकार यह कहती है कि ऐसा उसकी नीतियों के परिणामस्वरुप हुआ? अतः उनके मूल्य बढ़ते हैं तो उनकी नीतियों का नतीजा है, यदि मूल्य घटते है, तो क्या इसके लिये वे अपनी जिम्मेदारी मानते है? मेरे विचार से ऐसा नहीं है। मैंने किसी को ऐसा कहते नहीं सुना ...(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मूल्यों में कमी के कारण विदेशी वित्तीय संस्थाओं को हानि हुई और सरकार के पास भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा है _ मुझे इसमें उनका हाथ होने का संदेह......(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मुझे यह नहीं पता किस सीमा तक, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितनी धनराशि अन्तर्गस्त थी और कितनी धनराशि वापिस तो ली गई थी। धनराशि के वापिस लिये जाने के कारण मूल्यों में कमी आई मुझे यह नहीं पता। यदि वित्त मंत्री इस बारे में संतुष्ट हैं तो उन्हें एक पत्र-श्वेत अथवा हरा अथवा जो कोई भी हो प्रकाशित करना चाहिये। हमें इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिये। मैं बहुत खुश हुगा यदि वह विदेशी वित्तीय संस्थाओं पर कब्जा करने में सफल होते हैं। लेकिन यदि ऐसा होता तो वह उनका तब स्वागत नहीं करते जब वे यहां आई क्योंकि उन्हे हानि हो रही थी। उनका यह विचार था कि वे यहां आयेंगी और हमे सहायता देगी- वह सहायता छः महीने और आठ महीने न होकर सालों तक जारी रहेगी।

उस समय उनका स्वागत करने का यही कारण रहा होगा। मेरे विचार से वह आज भी इससे इंकार नहीं करेंगे । अतः वह वापिस चले गये। क्या वे फिर वापिस आ रहे हैं। मेरे विचार से वे ऐसा नहीं करेंगे। हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये। दो वर्षों में दूसरी नीति की अपेक्षा हैं। हम देखेगें कि वे क्या करते हैं ऐसा प्रतीत होता हे कि वे जल्दी में नही आ रहे हैं।

मुझे यह बताया गया है कि कुछ ऋणों को वापिस लौटाया जा रहा हैं इस अवधि में उन्हें अन्ततः लगभग 6000 करोड़ रुपये लौटाने होगे अथवा लौटाने पड़ेंगे। उन्हे शेयरों की बिक्री बाजार भाव पर करनी पड़ेगी चेयरमैन ने शेयर बेचने की बात से इंकार किया है। उन पर कोइ विश्वास नहीं करता। अतः इस प्रकार की विश्वास हमे अपनी संस्थाओं पर है। जब रिजर्व बैंक यह कहता है कि "हम इसको लागू करेंगे आदि" तो कोई भी रिजर्व बैंक पर विश्वास नहीं करता। कोई भी एस.ई.बी.आई पर विश्वास नहीं करता। स्टांक मार्किट पर नियंत्रण रखने वाली यह मुख्य संस्था है।

अतः यही इसका अन्तिम परिणाम है विश्वास अथवा साख के बिना ,जब तक यह सरकार है, एक भी, वित्तीय संस्था का निर्माण कैसे किया जा सकता है? यह केवल ईमानदारी की कमी नहीं है, यह क्रूरता है, लापरवाही है, जब आप यह नहीं समझ पाते कि तंत्र किस प्रकार कार्य करता हैं मैं इसके लिये किसी को दोषी नही ठहरा रहा हूं। लेकिन इसके लिये समस्त प्रणाली ही दोषी है-प्रणाली की असफलता' इसके लिये शब्द की रचना की गई हैं लेकिन इस असफलता के लिये वे लोग भी दोषी है जिन्होंने इस प्रणाली का आरम्भ बिना यह जाने दिया कि यह प्रणाली क्या है। अतः यह तो असफल होनी ही थी।

न केवल दूसरे स्तर के बाजार जहां वास्तव में गत चार वर्षों में शेयरो के मूल्यों में दो बार भारी वृद्धि हुई बल्कि मुख्य बाजार, जहां उद्योगपतियों द्वारा नई पूंजी बाजार से ही प्राप्त की जाती है, जो नये उद्योगों का विस्तार करने का प्रयास कर रहे है, वह भी कठिनाई में है। जो लोग नई इक्विटी शेयरों को बाजार में जारी करने को तैयार नहीं हो रहे थे अब पीछे हट गये हैं क्योंकि उनसे पूरी राशि प्राप्त अथवा उनसे प्राप्त होने की उम्मीद कम थी राशि एक निश्चित प्रतिशत से कम होती हे, तो उन्हें धनराशि वापिस करनी पड़ती है।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह सरकार स्वयं द्वारा निर्धारित स्तर पर पूर्णतया असफल रही है। मैं यह कहने में अपना समय बर्बाद नहीं करुंगा कि सरकार ने गरीबों के लिये कुछ भी नहीं किया है। उससे गरीबों के लिये कुछ भी किये जाने की अपेक्षा ही कम थी। वह गरीबों के लिये सब कुछ करने का वायदा करती है लेकिन कभी कुछ नहीं करती। उसका इरादा उदारीकरण, आधुनिकीकरण द्वारा कम समय में विकसित देशों की श्रेणी में आने का था और भारतीय पूंजीपतियों को विश्व के अन्य पूंजीपतियों की श्रेणी में लाना था। कुछ को इस बात पर गर्व हुआ और इन में से कुछ पूंजीपति बहुराष्ट्रीय पूंजीपति हो गये है, भारतीय बहुराष्ट्रीय पूंजीपति उनकी संख्या कितनी है? पचास अथवा इसके आसपास। लेकिन हमे इस बात की कोई चिन्ता नहीं हैं किसी भी सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य देश के लोगों के लिये कुछ करना है। उन लोगों में वो 70, 80 अथवा 100 परिवार शामिल नहीं है जो देश के उद्योगो, वाणिज्य और व्यापार पर शासन करते हैं लेकिन सरकार उन्हीं की मदद करती हैं ऐसा करने पर भी वे कुछ नहीं कर पाते। अतः वित्त मंत्री की तस्वीरें अब इन पत्रिकाओं से गायब हो गई हैं। मैंने पत्रिकाओं में उनकी तस्वीरें देखने का प्रयास भी किया ...(व्यवधान)

सरकार उद्योगों के लिये पूंजी किस प्रकार जुटा सकती है, यह मेरा अगला मुद्दा हैं इस बारे में अनेक उपायों पर विचार किया जा सकता है।मैं इस बारे मैं सुझाव देना चाहता हूं। नये ऋण दस्तावेज हैं। सरकार द्वारा बांड जारी किये जा सकते हैं जिससे निवेशकों को सुरक्षा का उभास हो सकता हैं।

मैं बड़े निवेशकों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन छोटे, मध्य दर्जे के वेतन भोगी कर्मचारियों का उल्लेख कर रहा हूं जो कुछ धन बचाना चाहते हैं खोना नहीं क्योंकि देश में मुद्रास्फीति की दर लगभग 10 प्रतिशत हैं मैं इस विवाद मे नहीं पड़ना चाहता कि यह दर 10 प्रतिशत है अथवा 9.6 प्रतिशत है। लेकिन यह सच है कि जो लोग बचत कर रहे है, वे मुद्रा स्फीति के कारण हानि उठा रहे हैं। यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर ली जाती है कि वें मुद्रास्फीति के कारण हानि न उठाये और उन्हें अपनी बचत पर अच्छी राशि वापिस मिले तो मुझे विश्वास है कि लोग इस ओर निवेश के लिये प्रेरित होगे। इस पद्धति से कारोबार और व्यापार के लिये बचत के माध्यम से आवश्यक पूंजी जुटाई जा सकेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है। यदि आप आज अपना धन बैंक में जमा कराते हैं तो आपको क्या मिलता है सावधि जमा राशि पर 11 से 12 प्रतिशत ही मिलता है। लेकिन वास्तव में निवेशक को केवल दो प्रतिशत ही मिलता है निवेशक इस दो या तीन प्रतिशत ब्याज से भी खुश है। यदि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जाये। हमें उस प्रकार की प्रणाली को अपनाना चाहिये जो देश की स्थिति के अनुकूल हो।

इसके अतिरिक्त मुद्रा बाजार में और बहुत से तरीके है। अन्य देशो में, बाजार के भवनों को गिरवी रखने के लिये द्वितीय श्रेणी के बाजार हैं। लेकिन हमारे देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अपने अच्छे अनुभव के आधार पर वित्त मंत्री इस प्रकार की व्यवस्था अपना सकते थे। लेकिन वह अपने चार वर्ष पूर्व वाले विचारो पर दृढ है, और हमने कोई प्रगति नहीं की।

चिट फंड को ही लीजिये। चिअ फंड केवल हमारे ही देश में होते हैं। किसी अन्य देश में यह व्यवस्था नहीं हैं मुझे पता लगा है कि चिट फंड कम्पनियां भारी धनराशि जुटा रही हैं। मुझे यह नहीं पता कि क्या यह सच हैं क्योंकि हमेशा आंकड़ों पर निर्भर नही रहा जा सकता लेकिन मुझे बताया गया है कि केवल चिट फंड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये की राशि जुटाई जाती हैं। बचत कम्पनियां भी हैं। उनको उचित रुप से नियंत्रित किया जाना चाहिये। कठिनाई इस बात कीं है कि उचित नियम नही हैं। कोई कानूनी ढांचा नही है। यदि कोई नियम हैं तो उनका पालन नही किया जाता हें मैंने एक बार रिजर्व बैंक से वित्तीय संस्थाओं के असफल होने के कारण के बारे में पूछताछ की । मैं उन गैर-बैंकिग वित्तीय संस्थाओं की असफलता के बारे में उल्लेख कर रहा हूं जो दो वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में कार्यरत थी। उन पर निगरानी वर्ष में केवल एक बार रखी जाती है। वह भी उचित रूप से नहीं की जाती। केन्द्रीय बैंकिग संस्था अपना कार्य उचित रूप से नहीं कर रही हैं इसे और सतर्क होना चाहियें इसमें और कर्मचारी होने चाहियें। यदि उनके पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं, तो वे लोगो की नियुक्ति कर सकते हैं। व्यावसायिक चार्टड एकाउन्टेंट और वकील जो इस प्रकार के कार्य के लिये योग्य हैं, उपलब्ध हैं। लेकिन इस दिशा में कुछ भी नहीं किया जा रहा हैं।

एस.ई.बी.आई का मामला भी ऐसा ही है मुझे एक ऐसे मामले की जानकारी है जब नियमावली के आधार पर जिसमें कम्पनी की अस्त्रियों की सूची थी, एस. ई. बी. आई ने नये निर्गम (इश्यू) जारी करने की अनुमति दी थी। इस सूची में कुछ ऐसी सम्पतियां भी शामिल हैं जो कम्पनी की नहीं हैं। इसमें उन्होने मात्र इतना ही कहा है कि ये कम्पनी की सम्पतियां है और पाद-टिप्पणी में यह दर्शाया गया है कि इन सम्पत्तियों के बारे में मुकदमें लम्बित हैं। सम्पति एक अच्छी आस्ति की जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपये थी। लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि मुकदमा किस बारे में हैं। आशय यहीं था कि कम्पनी के नाम में पंजीकृत सम्पत्ति का पंजीकरण समाप्त हो जाये और ऐसा ही हुआ। कम्पनी में पंजीकरण समाप्त करने के बारे में न्यायालय में अपील की हैं मुकदमें का सार यही था पाद टिप्पणी में यही दर्शाया गया था कि उस सम्पति के बारे में मुकदमा चला रही है अत: एस. ई. बी. आई का व्यापार समाप्त हो गया है निवेश बैंको का व्यापार भी समाप्त हो गया है। यह इसीलिये कि उन्होंने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि क्या सम्पति को वास्तव में अस्तियों की सूची में शामिल किया जा सकता था। इस बारे में शिकायत की गई पर इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमारी संस्थाएं इस प्रकार की हैं। उन संस्थाओं औद्योगिक क्षेत्र अथवा किसी अन्य क्षेत्र में पूंजी निवेश के प्रयोजनार्थ पूंजी जुटाने के क्षेत्र में देश को प्रगति की ओर कभी भी नहीं ले जा सकती। मैने चिट फंड का उल्लेख इसलिये किया है कि मेरे विचार से वित्त मंत्री को इन पहलुओं की अवश्य जानकारी होगी। श्री ए. सी. शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने सिफारिश की थी कि चिट फंड को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। यदि उनके कार्यकरण पर उचित नियंत्रण रखा जा सके तो उन्हें जारी रखा जा सकता है। मध्यम श्रेणी के व्यापारी के लिये, तो बैंको के पास नहीं जा सकते अथवा बैंको की प्रत्याभूति की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते, जो वास्तव में बैंक इन्ही लोगो से मांगते है, यह एक मात्र उपाय है जिससे वह लाभ प्राप्त कर सकते हें यदि व्यापारी पांच सितारा होटल का व्यापार करता है तो बैंक उनसे प्रत्याभूति के बारे में नहीं पूंछते अथवा पूछने की हिम्मत नहीं करते। मुझे एक बैंक के चेयरमैन ने स्वंय बताया कि यदि मैं इनसे प्रत्याभूति की मांग करता हूं तो वह कहते हैं कि कम्पनी की यह नीति नहीं है कि वह निवेशक की निजी प्रत्याभूति दे। यदि मैं तब भी जोर देता हूं तो वे अन्य बैंक के पास चले जाते हैं और मुझे निवेश की हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार की बातें देश में चल रही हैं वास्तव में देश ऊपर बैठे कुछ बड़े लोगों द्वारा चलाया जा रहा हैं वे विदेशों में बैठे मालिको की अनुमति से नीति का आदेश देते हैं।

मैं करों के अंतरण सम्बन्धी मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं। यह करों के बारे में सिफारिश करने सम्बन्धी है जिसको मैनें वित्त आयोग की रिपोर्ट में पढ़ा है। मेरे विचार से इस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिये। अब तक क्या हो रहा था- पहले वित्त आयोग के गठन के बाद अब तक उत्पाद-शुल्क और आयकर जो राज्यों को अन्तरित किये जा रहे है। उनका निर्धारण विभिन्न दरों पर किया जा रहा हैं अब आयकर का 85 प्रतिशत और 40 से 45 प्रतिशत राज्यों को अन्तरित किया जा रहा है वित्त आयोग ने अब सुझाव दिया है कि दोनों के लिये समान दरें होनी चाहियें आयकर और उत्पाद-शुल्क को एक साथ जमा करना चाहिये और दोनों मामलों में समान दर लागू की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में हमे कोई शंका नहीं होनी चाहिये, जैसे कि आज है। यह एक बहुत उपयोगी सुझाव हैं मैं यह जरूर स्वीकार करुगां कि सत्ता रुढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक बजट से यह महसूस होता है

कि कहीं कोई गड़बड़ है चुकि केन्द्र सरकार आयकर के रुप में 85 प्रतिशत भाग छोड़ रहा है केन्द्र आयकर अधिनियम लागू करने में और कर वसूली में इतना सावधान नहीं है जब वह राज्य को 85 प्रतिशत आयकर का हिस्सा दे रहा है। जबकि वह उत्पाद शुल्क के मामले में अधिकांश हिस्सा अपने पास रखना चाहता है। इस प्रकार की शंका शायद दूर की जा सकती है यदि वित्त आयोग का यह सुझाव सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

मैं कुछ नीतियों का उल्लेख करना चाहूंगा जहां मैं समझता हूं कि कुछ अभी करना चाहिये। यदि अभी कुछ किया जाता है तो शायद देश के लिये काफी धनराशि की बचत की जा सकती है। हम सबको चीनी घोटाला का स्मरण है जो गत वर्ष ही हुआ था। चीनी घोटाले की वजह से देश को बहुत हानि हुई क्योंकि हमारी कोई नीति नहीं थी। जब अन्ततः चीनी के आयात के आर्डर दिये गये तब तक विश्व में चीनी के भाव पहले ही बहुत बढ़ चुके थे, क्योंकि हम सोच-विचार में रहे। सबको यह पता था कि हमें अन्ततः मजबूर होकर कुछ मात्रा में चीनी खरीदनी पड़ेगी और मूल्य बढ़ रहे थे। अब क्या हुआ, शायद गत वर्ष चीनी के मूल्यों मे हुई वृद्धि के परिणाम स्वरुप, इस वर्ष चीनी का उत्पादन बहुत अधिक होने का अनुमान है। इसका उत्पादन इस वर्ष 140 लाख टन होने का अनुमान है जबकि गत वर्ष इसका उत्पादन 98 लाख टन था। यह गत वर्ष की तुलना में 42 लाख टन अधिक है। मांग 120 लाख टन की है। अतः लगभग 20 लाख टन चीनी हमारी मांग से अधिक होगी। अभी भी प्रभावी मंत्री द्वारा यह कहा जा रहा है कि विभाग को 4 लाख टन चीनी का आयात करना पड़ेगा । निश्चित रुप से चीनी के आयात के बारे में निर्णय लेने का दायित्व वित्त मंत्री का नहीं है, लेकिन यहां एक ऐसा मामला है जब वित्त मंत्री कह सकते हैं कि चीनी का किसी भी मात्रा में आयात नहीं किया जायेगा क्योंकि इस वर्ष हमारे अनुमान के अनुसार 20 लाख टन चीनी का अधिक उत्पादन होने की सम्भावना है एक अन्य चीनी घोटाले को रोकने के लिये कुछ किया जाना चाहिये। देश की विदेशी मुद्रा की बचत भी की जानी चाहिये। हमें इस बारे में ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पर भी ध्यान देना चाहिये। इसमें कहा गया है कि चीनी उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है मुझे नहीं पता यदि सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई उचित वैज्ञानिक तरीका निकाला है इस सिफारिश को सरकार ने भी स्वीकार किया था। सरकार अक्सर सिफारिश स्वीकार कर लेती है और चुपचाप बैठ जाती है।

अन्य बात कागज के मूल्यो की है। कागज के मूल्यो मे अब तक 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है सब प्रकार के कागज के मूल्य में गत दो वर्षो में 11 प्रतिशत वृद्धि हुई है अखबारी कागज के मूल्य में तो बहुत अधिक वृद्धि हुई है उसका मूल्य [illegible] ,00 [illegible] जो बढ़कर इस वर्ष लगभग 27,000 [illegible] अखबारी कागज के मुल्य में लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है अतः समाचार पत्रों के मालिकों ने हड़ताल की धमकी दी है उनकी हड़ताल पर [illegible] पूर्व वाणिज्य मंत्री ने उनकी मांग स्वीकार कर ली है और अखबारी कागज को खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत शुल्क मुक्त कर दिया है। वित्त मंत्री इस बात से अवश्य सहमत होंगे।

देश में यदि बड़े पैमाने पर शिक्षा का प्रसार करना है तो हमें सब किस्म के कागज और अखबारी कागज की भारी मात्रा में आवश्यकता होगी। सरकार ने कच्ची सामग्री की सप्लाई बढ़ाने के लिये कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है क्योंकि आज भी कागज मिलें विदेशों से आयातित लकड़ी अथवा लकड़ी की लुगदी का प्रयोग कर रही है हमारे देश में कागज निर्माण के लिये अपेक्षित वृक्षोंके लिये सर्वाधिक अनुकूल जलवायु है लेकिन हमने अपनी कच्ची सामग्री को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है उन्हें इस बारे में कुछ प्रेरणा भी दी जा सकती है सरकार को कागज मिलों के लिये यह अनिवार्य कर देना चाहिये कि वह अपने काम में आने वाली लकड़ी का स्वयं उत्पादन करें और वह उतनी ही मात्रा में लकड़ी की खपत करे उससे अधिक नहीं। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये लेकिन मुझे ऐसा होना दिखाई नहीं पड़ रहा है यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वास्तव मे हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना मे प्रति व्यक्ति बहुत कम मात्रा मे कागज का प्रयोग कर रहे हैं। देश के 60 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं उनको कागज से कोई मतलब नहीं हैं इस बात को नोट किया जाना चाहिये और इस दिशा में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये अन्यथा अखबारी कागज को खुला सामान्य लाइसेंस के रखने के बावजूद भी हमें भविष्य में अखबारी कागज की अखबार छापने के लिये उस मूल्य पर सप्लाई प्राप्त नहीं होगी जिस मूल्य पर लोग इसे खरीद सके।

कृषि के लिये हमारे देश की जलवायु सम्भवतः संसार मे सबसे अच्छी है मुझे नहीं पता कि क्या इस बात की जानकारी सदन अथवा सरकार अथवा कृषि मंत्री को है किसी प्रकार मैं अनुभव करता हूं कि कृषि मंत्रालय कृषि के प्रसार मे बहुत कम रुचि रखता है मंत्रालय को कृषि प्रसार में कोई रुचि नहीं है। हमारे देश मे 160 हैक्टेयर मिलियन भूमि पर खाद्यान्न का उत्पादन होता है जबकि चीन में 100 हैक्टेयर मिलियन भूमि पर खाद्यान्न का उत्पादन होता है। गत वर्ष चीन ने 452 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया और हमने 40 प्रतिशत अधिक भूमि होते हुए, केवल 150 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया चीन मे प्रतिवर्ष केवल [illegible] होती है क्योंकि वहां सर्दियो में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है [illegible] हमारे भारत में इतनी अधिक सर्दी नहीं पड़ती है। हम देश के अधिकांश भाग में प्रतिवर्ष दो या तीन फसल पैदा कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं वर्ष 1978 में चीन मे 250 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था जो वर्ष 1994 मे बढ़कर लगभग 452 मिलियन टन हो गया है।

श्री के. पी. रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम) : वे खाद्यान्नो का आयात कर रहे है।

श्री अमल दत्त : वे आयात करें अथवा न करे वे अधिक खायें। इससे क्या होता है हम यह देखना है कि वे कितना उत्पादन कर रहे है हम नहीं [illegible] श्री निर्मल कान्ति चटर्जी का भाषण जो उन्होंने सभा मे [illegible] देखा है जिसमें उन्होंने कुछ आंकड़े दिये हैं और उन्हें इस मामले में महारत हासिल है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप [illegible] सुन सकते है [illegible] आप [illegible]

श्री अमल दत्त : भाषण मुद्रित देखा है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अमल दत्त : हमारे देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नामक एक संस्था है यही एक मात्र संस्था है जिस पर अनुसंधान की जिम्मेवारी है। इस संस्था के अन्तर्गत 60 ऐसी संस्थाएं हैं जिनपर विस्तार, न केवल कृषि उत्पाद बल्कि 11 प्रकार के सहायक उत्पादनों जैसे मछली, मुर्गीपालन, डेयरी आदि की जिम्मेवारी हैं दुर्भाग्य से अब हम महसूस कर रहे हैं कि सब प्रकार की वस्तुएं एक छत्र छाया में नहीं होनी चाहियें।

मेरे राज्य में इस प्रकार की केवल एक संस्था है। मेरे राज्य में औद्योगिक वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद नहीं है केवल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है कोई रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला नहीं है पहले इसे पटसन अनुसंधान संस्थान कहा जाता था अब इसे सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फोर जूट एण्ड एलाइड फाइबर का नाम दिया गया है। संस्थान की बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है इसके निदेशक ने वैज्ञानिकों को निकाल दिया है। गत चार वर्षों से इस प्रकार की बातें चल रही हैं इस मामले में उस क्षेत्र की एक संसद् सदस्य भी शामिल हैं उस पर वैज्ञानिकों ने हमला भी किया था। यह महत्वपूर्ण बात है कि पटसन पूर्वी भारत का उत्पाद है जहां पटसन उद्योग पर 2 लाख किसान परिवार और कर्मचारी निर्भर करते हैं। कर्मचारियों की संख्या पहले दो लाख से अधिक थी लेकिन अनेक मिलों के बन्द हो जाने और छंटनी आदि के कारण-जिसके लिये सरकार को उसकी नीतियों के लिये धन्यवाद -राजनीति चलती है नीतियों पर जोर नहीं दिया। उनकी संख्या कम हो गई हैं। मैं पहले भी संस्था में रहा हूं और मैने स्वयं अपनी आंखों से यह देखा है। मैने देखा है वहां क्या होता है, अन्य संस्थाओं में भी कोई नियमित अनुसंधान कार्य नहीं होता है। जो कुछ भी अनुसंधान किया जाता है वह क्षेत्र की आवश्कता के अनुरूप नहीं है। यदि कुछ अनुसंधान सौभाग्य से हो जाता है, जिसका प्रयोग क्षेत्र में किया जा सकता हो, तो उसकी जानकारी कोई नहीं देता क्योंकि वे कहते हैं, यह हमारा विचार है, हम वैज्ञानिक हैं, हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, यहाँ लोग नहीं है, कार्य के बढ़ाने लिये कर्मचारी नहीं हैं। क्या वहां कार्य विस्तार के लिये कर्मचारी नहीं हैं? मुझे यह तब तक मालूम नहीं था जब तक उत्तराघाट, बंगलौर स्थित भारतीय उद्यान विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा यह बताया गया कि विस्तार कार्य भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आदेशानुसार होता है मुझे अब लोक सभा द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिये चुना गया है। मुझे वहाँ यह पता लगा कि वह किसी भी बात के बारे में गम्भीर नहीं है। वार्षिक साधारण बैठक में वार्षिक लेखों के बारे में मेरा उनसे विवाद हो गया क्योंकि उससे परिषद की वास्तविक स्थिति का बोध नहीं होता था। जब मैंने उनसे कहा कि "यह किस लिये है? आप सब बाते छिपा रहे हैं" उन्होंने कहा" यह लेखे हमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये हैं" तब मैनें उनसे कहा कि तो आपको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से बात चीत करनी चाहिये थी और हमें लेखा पुस्तिका देनी चाहिये थी जिसमें सब बात की जानकारी दी गई होती और कोई बात छिपाई नहीं गई होती। चूंकि अनेक लोग उनके सामने अनेक समस्याएं उठा रहे हैं अतः मुझे नहीं मालूम कि वित्त मंत्री को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार की बातें वहां चल रही हैं लेकिन इस बारे में कुछ न कुछ करना होगा। इस वर्ष के बजट में आपने 2300 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा हैं यदि स्थिति को ऐसे ही चलते रहने दिया गया जैसे अब चल रही है तो मुझे शंका है कि इस धनराशि से इस देश के लोगों को बहुत कुछ लाभ होगा।

सभापति महोदय : श्री दत्त, आपने बहुत समय ले लिया है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अमल दत्त : केवल एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं। यह वित्त मंत्री से सम्बद्ध है। उन्हें यह जानना चाहिये था कि वह वित्त मंत्रालय के हृदय हैं। उनका मंत्रिपरिषद् में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि वह कोई भी बात समाप्त और आरम्भ कर सकते हैं। वित्त मंत्री की शक्ति प्रधान मंत्री से भी अधिक है।

कृषि विस्तार, विशेष रूप से छोटे किसानों के विस्तार में बाधाएं आ रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति भूमि जोत एक एकड़ से भी कम है। एक या दो किसान ऐसे हो सकते हैं जिनके पास दस एकड़ भूमि हो। लेकिन मुझे पता है कि हमारे समर्थको में से किसी के पास भी आधा एकड़ भूमि भी नहीं हैं ऐसी स्थिति हैं अतः मुझे उनके लिये बोलना पड़ रहा है। हमें उन्हें कोई नई संकर की प्रौद्योगिकी की जानकारी देनी चाहिये। आप पंजाब से आये हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि पंजाब के किसान एक एकड़ भूमि पर टमाटर की खेती कर लाखों रुपये कमा रहे हैं। उन्होंने भी अब ऐसा करना आरम्भ कर दिया हैं लेकिन धन कहां से लाये? वे बैंको के पास जाते हैं। बैंक उनसे पूछते हैकि जिस भूमि पर वह खेती करता है क्या वह उनकी है। वे कहेंगे कि भूमि उनकी नहीं है। उन्होंने भूमि किसी से पट्टे पर ली है। तब बैंक उनसे पट्टा दिखाने के लिये कहते हैं। कोई भी उन्हें हस्ताक्षर कर तीन अथवा चार महीने से अधिक पट्टा नहीं देता। अतः यह केवल मौखिक पट्टा होता है। वित्त का मापदण्ड क्या है? वित्त का मापदण्ड 2600 टन. प्रति एकड़ है। इस बारें में मैं रिजर्व बैंक आफ इंडिया के लोगो के पास गया। उन्होंने कहा कि वह 'नाबार्ड' से बात करेंगे ताकि वित्त मापदण्ड में परिवर्तन किया जा सके आदि। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। न तो उन्होंने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से और न ही 'नाबार्ड' से कोई बातचीत की ।

मैने वित्त मंत्री को दो वर्ष पूर्व पत्र लिखा था। तब मैं स्वयं बैंक के पास गया और चेयरमैन सहित सब पर गुस्सा किया। इसीलिये वित्त मापदण्ड में वृद्धि हुई। एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था तब इसे 2600 रु० से बढ़ाकर 15000 रु० कर दिया गया यह एक एकड़ भूमि के लिये मापदण्ड हैं। वे केवल 2600 रुपये देने को तैयार हैं। इसके लिये और भी कानूनी शर्तें थी। कानूनी शर्तो में भी परिवर्तन किया गया फिर भी समस्याएं थी। समस्याएं इस प्रकार उत्पन्न हुई धनराशि दिये जाने के बाद बैंक से कोई भी व्यक्ति यह देखने के लिये नहीं गया कि वह किसान क्या कर रहा है। जब और ऋण लेने का समय आया तो वे कहते हैं कि वे ऋण नहीं दे सकते। मैंने उनसे पूछा कि वे ऋण क्यों नहीं दे सकते? उन्होंने बताया कि क्योंकि किसी ने भी ऋण वापिस नहीं किया है। मैंने कहा कि आप उनके नाम बतायें।उनके नाम देने में उन्हें एक महीना लगा। इस बाद मैंने अपने आदमियों को भेजा। तब उन्होंने कहा कि वे ऋण देने को तैयार हैं लेकिन कोई भी ऋण नहीं मांग रहा है गावं के लोग कहते हैं कि जब तक बैंक के लोग हमें ऋण वापिस करने के लिये नहीं

कहते हम क्यों वापिस करें? तब हमने दोनों को बुलाकर भुगतान करवाया। यदि एक व्यक्ति एक एकड़ भूमि से एक लाख रुपया अर्जित कर रहा है तो कोई भी कारण नहीं है कि 15,000 रुपये का भुगतान करने के लिये तैयार न हो। वे धोखे बाज नहीं हैं। वे ईमानदार व्यक्ति हैं। वे धनराशि लौटाने के लिये तैयार है लेकिन बैंक अपनी राशि लेने और वसूल करने के इच्छुक नहीं हैं अथवा उनसे धनराशि के लिये अनुरोध नहीं करना चाहते। अतः इस प्रकार की बातें चल रही हैं। मैंने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि वे हमारे देहाती क्षेत्र के छोटे किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दें। यदि ऐसा किया जाता है तो बहुत कुछ विकास किया जा सकेगा। यदि कृषि मंत्री अथवा मंत्रालय बाधक होते हैं। तब भी सुधार किया जा सकता है। लेकिन धनराशि के बिना कुछ नहीं किया जा सकता ।

[हिन्दी]

श्री भेरु लाल मीणा (सलम्बूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से चुन कर आया हूं। अतः उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं यहां बहुत से सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं विस्तार में न जाकर ग्रामीण क्षेत्र की ही बात करुंगा । वित्त मंत्री जी ने बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये काफी धनराशि रखी है, उनको अच्छी सुविधायें प्रदान की हैं और नई-नई योजनायें बनायी हैं। कांग्रेस सरकार ने कहा था कि नई योजनायें बना कर ग्रामीण लोगों को आगे बढ़ायेंगें लेकिन उन योजनाओं को जिस तरह से कार्यान्वित करना चाहिये था, नहीं किया गया क्योंकि बिचौलिये पैसे को खा जाते है।

हमारे क्षेत्र में स्वःरोजगार योजना के तहत किसी को बैल दिये जाते हैं, किसी को बैल गाड़ी दी जाती है और किसी को पंपिग सैट देने के बारे में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पंपिग सैट की कीमत बाजार में अगर 8 हजार है तो पंचायत समितियों में डी.आर.डी.ए. के तहत उसकी कीमत 12 हजार रहती हैं 2-3 हजार रुपये जो आप सबसिडी देते हैं, उसको बिचौलिये खा जाते हैं। सरकार को इस तरह की अनियमिततायें देखनी चाहिएं जिससे लोगों को सही लाभ मिले ।

हमारे राजस्थान के आदिवासी इलाके में 3-4 बार स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधीजी आये थे। वह आदिवासियों के घरों में भी गये उन्होंने आदिवासियों की दयनीय दशा देखी। उनकी ऐसी स्थिति देख कर उन्होंने कई तरह की योजनाये बनायी। अब उन योजनाओं को नरसिंह राव जी लागू करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी योजनायें बना कर ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी। जो बात मुझे यहां कहनी नहीं चाहिये, वह मैं कहना चाहता हूं क्योंकि उसको कहना उचित होगा। वह यह है कि राजस्थान में जो बी.जे.पी. की सरकार है, जो पैसा जवाहर रोजगार योजना के तहत भारत सरकार का वहां जाता है, वह मकान बनाने के लिये, स्कूल का भवन बनाने के लिये और सड़क बनाने के लिये सैंक्शन होता है जब यह पैसा सैंक्शन हो जाता है तो बी.जे.पी. का कार्यकर्ता वहां जाकर कहता है कि गर्व से कहो कि ....(व्यवधान)*

काम लाये....(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, नाम को कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री भेरु लाल मीणा : फिर कार्यकर्ता कहता है कि हमारा कमीशन है तो काम चालू कराओ। मैं देखी हुई बात और सच्ची बात कह रहा हूं। मै गलत बात कभी नहीं कहता इस बात को माननीय सदस्य भी जानते हैं।

सभापति महोदय : आप केवल किसी का नाम नहीं लें।

श्री भेरु लाल मीणा : नाम को कार्यवाही से हटा दिया जाये।

हम जब यहां कोई प्रश्न पूछते हैं तो मंत्री जी जवाब देते हैं कि इस बात को राज्य सरकार जाने और राज्य सरकार कहती है कि भारत सरकार जाने। भारत सरकार का पैसा जाने के बावजूद भी जब ऐसे काम होते हैं तो मुझे दुख होता हैं मेरा खास तौर पर प्रधान मंत्री जी से निवेदन है

5.00 म. प.

जो पैसा भारत सरकार से जाता है, मैं यह नहीं कहता कि योजना राज्य सरकार न बनाये, वह राज्य के विकास में लगे। इस काम में बाधा डालने की मेरी कोई मंशा नहीं है, लेकिन वास्तव में जो पैसा भारत सरकार गरीबों के विकास के लिये राज्य सरकारों को देती है, वह सांसदों से पूछ कर या सासंदो से सलाह लेकर दिया जाना चाहिए। मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कह रहा हूं, सांसद चाहे किसी भी दल का हो, लेकिन गरीबों को उससे फायदा होना चाहिए।

गावों का विकास तभी हो सकता है, जब गावों में स्कूल खोले जायें और अनपढ़ लोग कुछ पढ़-लिख जायें। गांव में जब स्कूल खोला जाता है, तो उसमें अध्यापक शहरी क्षेत्र के रखे जाते हैं। वे गांव से 10-15 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ायेगें, तो उनके सम्पात्र लोग ही होंगे। ऐसी स्थिति में यदि कहीं नौकरी का प्रश्न आता है, तो जो गांव का मैट्रिक पास किया हुआ होगा, उसके लिए कह दिया जाता है कि वह काबिल नहीं है। फिर एस सी और एस टी की बात भी आ जाती है। इस तरह से देखा जाए तो उन ग्रामीण लोगों को शिक्षा भी सही तरीके से नहीं मिल पाती है और ऐसा देखने में आया है कि ग्रामीण क्षेत्र के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और गरीब लोग शिक्षा प्राप्त करें और दूसरी तरफ इस प्रकार शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। वे बच्चे आगे नहीं बढ़ पायेगें और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चो को कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब उदारीकरण होगा, तो उदारीकरण में निजीकरण होगा और निजीकरण में जो लोग भरती होगें, वे पढ़े -लिखे होंगे और IT। के निकले हुए होगें। ग्रामीण और आदिवासी लोगों का कहीं पर भी नम्बर नहीं आएगा।, सिर्फ सम्पन्न लोगों का ही नम्बर आएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि शिक्षा की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा में ज्यादा पैसा दिया जाना चाहिये और उस पर सीधे भारत सरकार या राज्य सरकार का नियन्त्रण होना चाहिए, जिससे ग्रामीण बच्चे पढ़-लिख कर आगे बढ़ें। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा कि उदारीकरण के तहत जब नए कारखाने लगाये जायेगें, तो उनमें काम बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, बल्कि जो मौजूदा कारखाने हैं, वे बन्द होने जा रहे हैं। निजीकरण मे जो भी कारखाने लगेंगे, वे शहरों के आस-पास ही लगेंगे, जहां पर सब प्रकार की सुविधा मिलेगी। ऐसी स्थिति मे स्वाभाविक है कि शहर के लोगो

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

को ही उन में रोजगार मिलेगा और गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा, तो वे बेरोजगार घूमेंगे और जब वे बेरोजगार घूमेंगे, तो उन पर आतंकवादी और नक्सलवादी होने का आरोप लगाया जाएगा तथा सजा दी जाएगीं इसलिए मै चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रो में जो निजीकरण हो, उन पर आपका नियन्त्रण होना चाहिए। उन पर दबाव डाला जाना चाहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लें।

मैं आपको अपने क्षेत्र की बात बताता हूं। जब मैं अपने क्षेत्र से जयपुर होते हुए दिल्ली आता हूं, तो देखता हूं कि रास्ते में कई हजार नए-नए कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन जयपुर के उस तरफ आदिवासी क्षेत्र में एक भी कारखाना नहीं लगा है। यदि लग भी जाए, तो कहीं पर पानी नहीं मिलता और कहीं पर बिजली नहीं मिलती। मै चाहूंगा कि भारत सरकार का ज्यादा से ज्यादा जोर ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर होना चाहिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक कारखाने लग सकें।

किसानों के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं। किसान खेत में जो अनाज पैदा करता है, उसको उसके अनाज की कीमत ज्यादा मिलनी चाहिए मेरे क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में जमीन बहुत कम है, किसी के पास आधा बीघा है और किसी के पास एक बीघा जमीन है। इस जमीन पर सिंचाई के साधन नहीं है। सिचाई के साधन न होने की वजह से इस क्षेत्र में अधिक अनाज नहीं है। इस वजह से इस क्षेत्र के अधिकतर लोग बारह महीने अनाज खरीदकर खाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वितरण प्रणाली के तहत सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे इन लोगों को सस्ता अनाज मिले और वे ठीक से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। मजदूरों मे काम करते हुए मुझे 50 साल हो गए, मैं राजस्थान में इंटक का उपाध्यक्ष हूं और मैं आज भी मजदूरो का काम करता हूं। भारत सरकार ने जो त्रिपक्षीय कमेटी बनाई, मजदूर की समस्या का समाधान करने के लिये रामानुजम जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, जो मजदूर जिन उपक्रमों ओर उद्योगों में काम करते हैं उनका एक तो बोनस का सवाल था उसको बढ़ाया जाए और दूसरा, उनके ऊपर जो इनकम टैक्स की सीमा है उसको बढ़ाया जाए। उनको पेंशन मिलनी चाहिए और महंगाई के अनुसार महंगाई आंकड़ा बढ़ना चाहिए, ऐसी कुछ छोटी-मोटी मांगे थी। पेंशन का मसला, महंगाई के आंकड़े और बोनस का फैसला रामानुजम कमेटी के अदंर लगभग हो चुका था, सहमति हो चुकी थी। सरकार की तरफ से, श्रम मंत्री जी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि इन तीनों चीजों को हम जल्दी से जल्दी लागू कर देंगे लेकिन अभी तक वह चीजें लागू नहीं की गई है। मजदूरों में असंतोष फैलता जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी हर 1-2 साल में तनख्वाह की बढ़ोतरी होती है तथा और भी जो दूसरी सुविधाएं है वे भी उनको मिलती रहती हैं। लेकिन कल-कारखानों मे काम करने वाले मजदूरों को ये सुविधाऐं नहीं मिलती हैं। उनमे काम करके मजदूर इसलिए असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो सरकारी दफ्तरो में काम करते हैं उन मजदूरों से सरकार के खजाने में कोई पैसा नहीं जाता है बल्कि वे सरकार के खजाने से पैसा लेते हैं। मै उनका विरोध नही कर रहा हूं। किंतु उनको बोनस और दूसरी सुविधाएं दी जाती है लेकिन कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूर कारखाने में अपनी मेहनत करके उत्पादन बढाते हैं, कारखाने को मुनाफे में चलाने की कोशिश करते हैं अगर कहीं-कहीं घाटा होता है तो वह उनकी वजह से नहीं होता है बल्कि दूसरे कारणों से होता है लेकिन दोष मजदूर को दिया जाता है। ये मजदूर यह आशा करते है कि सरकारी कर्मचारियों को जिस तरह से सुविधाएं दी जाती हैं वे उनको भी मिलनी चाहिएं जो कल -कारखानों में काम करते हैं।

5.07 म. प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में माणिक लाल वर्मा जी और हमारे राजस्थान के मोहन लाल सुखाडिया जी जब काम करते थे तो उन्होंने आदिवासियों में एक नयी जागृति पैदा की और उसके बाद नयी-नयी योजनाएं आदिवासियों के अंदर काम करने के लिए और उनके विकास के लिए की गई थी। आज वह हमारे बीच में नहीं है। उन्होनें जो योजनाएं बनाई वह अभी धूमिल में पड़ी हुई हैं उसके लिए राजीव गांधी जी ने जरूर प्रयास किया था किंतु वह नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में है और राव जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, उन्होनें ग्रमीण विकास के लिए कहा है। मुझे खुशी है कि जब-जब मैने यह आवाज उठाई है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो सुविधाएं ग्रामीण विकास के लिये देते थे उसकी दुगुनी की है। मै आशा करता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी इस वर्ष भी ग्रामीण विकास के लिए ज्यादा ध्यान देंगे जिससे उनको इसका लाभ मिले, उनकी बेरोजगारी दूर हो सके, क्योंकि शहरों के लोगों को तो काम मिल जाएगा।

मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जो महंगाई भत्ता, पेंशन, वेतन बढ़ोतरी रामानुजम कमेटी का है उसका जितना जल्दी हो सके, फैसला करवाया जाए, जिससे देश में काम करने वाले मजदूरों को इसका लाभ मिले और मजदूरों के अंदर जो भय है वह दूर हो सके।

अंत में मुझे एक और निवेदन करना है, आरक्षण के बारे में बहुत कुछ बातें कही गई । मंडल कमीशन बिठाया गया, उसकी रिर्पोट भी आ गई , और ज्यादा आरक्षण देने के लिए जो पहले था उनके अलावा और जोड़ दिया गया। आरक्षण और देने के लिए सब कुछ हो रहा है।

जो पुराना बैकलाग चल रहा है, वही पूरा नहीं किया जा रहा है और नए लोगों को इसमें जोड़ दिया गया है। मैं और लोगो को आरक्षण देने के विरोध में नहीं हूं लेकिन नौकरियां कहा है। सरकारी दफ्तरों में तो सीमित नौकरियां है एक बार कोई सेवा में आ गया तो जब वह रिटायर होगा, तब वह जगह खाली होगी। पब्लिक सेक्टर भी धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। इस तरह से ग्रामीण लोगों को तो नौकरियां नहीं मिल सकेंगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि नौकरियों की संख्या बढ़ानी है और लोगों को आरक्षण का लाभ देना है तो प्राइवेट सैक्टर को भी आरक्षण के अधीन लाया जाना चाहिए। नहीं तो आरक्षण का ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं होगा और किसी को इसका लाभ नही मिल सकेगा।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खरगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा की हैं अर्जुन सिंह जी ने 90,000 करोड़ रूपये के घोटाले का इस सरकार पर प्रत्यक्ष आरोप लगाया है। महोदय, यह देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यह कृषि प्रधान देश न रह कर घोटाला प्रधान देश हो गया है। इस देश के चरित्र को बदलने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद दूं या क्या कहूं, मैं इसमें जाना नहीं चाहता जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, चुरहट लाटरी घोटाला, चीनी घोटाला, पब्लिक सेक्टर शेयर बिक्री घोटाला, बोफोर्स घोटाला, हवाला ट्रांजिक्शन, एबीबी रेलवे इंजन खरीदी घोटाला, घोटाले पर घोटाला, कांग्रेस पार्टी और घोटाला इस तरह से एकाकार हो गए है कि पता ही नही लगता है कि घोटाले की कांग्रेस है या कांग्रेस का घोटाला है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, घोटालें के एक दो नमूने मैं देना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी यहां बैठे हैं पिछले दिनों कहा गया कि खाद पर किसानो को बहुत अधिक सबसिडी दी जाती है, इसलिए यह सबसिडी बंद कर दी जाए, लेकिन किसानो के नाम पर किस तरह से उद्योगपति सबसिडी का लाभ उठाते हैं, यह पीएसी की 21 वी एटीआर नाइंथ लोकसभा में जनवरी, 1991 में बताया गया है। इस रिर्पोट में कहा गया है :- एफ. आई.सी.सी द्वारा धारण मूल्यों का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण अधिक राजसहायता दी गई। यद्यपि एककों ने प्राप्त अधिक राज सहायता वापिस करने की व्यवस्था कर ली थी लेकिन एफ.आई.सी.सी ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। "एककों द्वारा किये गये वास्तविक खर्च, जिसमें आवश्यकता से अधिक रखे गये कर्मचारियों पर खर्च भी शामिल था के परिणामस्वरूप 1988-89 से 1990-91 में 47 संयंत्रों के लिये 63.55 करोड़ रुपये की अधिक राज सहायता दी गई"

[हिन्दी]

यदि 2 वर्षों के दौरान झूठे खर्चे बता कर 63 करोड़ रुपए की ज्यादा सबसिडी ली जा सकती है तो कितनी सबसिडी का घोटाला हुआ होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पर जहां पर हजारों हजार करोड़ रुपए की घोटाले हो रहे हों, वहां पर 63 करोड़ रुपए के घोटाले की चर्चा का क्या असर होगा, इस बातको मै समझता हूं।

महोदय, एक और बात की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 800 करोड़ रुपए की लागत से लेट एटीज में, 1989 में पश्चिमी बंगाल में, हल्दिया में खाद का कारखाना बन कर तैयार हुआ, लेकिन मिस मैचिंग आफ मशीन्स के कारण यहां पर खाद का उत्पादन शुरू नही हो सका। इससे पहले ही 1988 में कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती कर ली गई। इसके बाद विदेशों से विशेषज्ञ आते रहे। अपनी रिर्पोट देते रहे, जिस पर करोड़ो रुपया खर्च होता रहा। अंत में भारत के विशेषज्ञो की एक समिति ने भी रिपोर्ट दी कि यह कारखाना नही चल सकता और इसको बंद कर दिया जाना चाहिये, लेकिन मामला बी आई एफ आर में होने से कारखाना बंद नहीं किया जा रहा और 800 करोड़ की लागत के इस कारखाने से उत्पादन नहीं हो रहा है। कर्मचारियों, अधिकारियों को बराबर वेतन, बोनस, प्रमोशन आदि मिल रहे है, जिस पर 18 करोड़ वार्षिक व्यय हो रहा हैं इस तरह से धन की बरबादी हो रही है।

ऐसे मामलों में सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए, तभी देश के धन को बचाया जा सकेगा। अभी एक सदस्य कह रहे थे कि किस तरह से किसानों के लिए लाभ की बात की जा रही है, प्रधान मंत्री जी ने किस तरह से प्रोविजन किया है, लेकिन मै असलियत बताना चाहता हू इस देश में अभी 70 प्रतिशत किसान रहते हैं उनके नाम पर बैंको में 31 प्रतिशत रुपया जमा रहता है, जो उनको ऋण के रूप में मिलना चाहिए। लेकिन उनको केवल 15 प्रतिशत कर्ज ही दिया जाता है। इसी तरह से देश में जितनी बिजली का उत्पादन होता है, उसमें से केवल 18 प्रतिशत ही उनको दी जाती है, 70 प्रतिशत उद्योगों को दी जाती है।

वित्त मंत्री महोदय किसानों के लिए और कृषि उपज के लिए धनराशि कम करते चले जा रहे है। उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कृषि उत्पादन 18 करोड़ 360 टन पर रुक सा गया है। कृषि उत्पाद स्वदेशी क्षमता पूंजीनिवेश के अभाव में कम हो गई हैं वित्तीय सुधार कार्यक्रम से इस क्षेत्र को संस्थागत ऋण की उपलब्ध वित्तीय सुधारों के नाम पर घटा दी गई इसके साथ ही कृषि के लिए राजकीय अनुदान में भी कमी हुई हैं वर्षा गत पांच-छः वर्षो से बहुत अच्छी थी। इसके कारण कृषि का उत्पादन ठीक होता रहा। कल्पना कीजिए कि किसी वर्ष बरसात कम हो गई, अकाल पड़ा उस समय कितने खतरनाक परिणाम होंगे, कृषि की उपेक्षा करने के।

इस बार एक मुद्दा और खड़ा हो गया हैं। वह है खाद का, आपने इस पर सब्सिडी कम कर दी है जिसकी वजह से डीएपी खाद और महंगी हो गई। अब किसान डीएपीकी जगह फास्फेट की जगह युरिया का इस्तेमाल करने लग गये है। वैज्ञानिक कृषि उत्पादन के लिए रासानियक खाद में नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। 1991 में यही अनुपात था, लेकिन बाद में डीएपी से नियंत्रण हटा दिया गया। इससे डीएपी मंहगी हो गई यह अनुपात 9. 5, 3.02 फास्फेट और 1 पोटाश हो गया। कृषि योग्य भूमि इसके कारण खराब हो रही है। भविष्य में यूरिया का इस्तेमाल करने से देश की भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जायेगी और देश पर काले बादल मंडराने लगेंगे।

यहा सारा पूंजी निवेश उद्योगों पर होता है, कृषि में कोई निवेश नहीं होता है। न तो सार्वजनिक तौर पर हो रहा है और निजी पूंजी निवेश तो नहीं के बराबर हो रहा है, क्योकि कृषि में पूंजी निवेश करने से पूंजी पर लाभ ही नहीं मिलता है। वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई सूचनाओं के अनुसार 1980-81 से कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 1981 में कृषि में 4636 करोड़ का पूंजी निवेश था जो 1992-93 से (80-81 की कीमतों के अनुसार) 4617 करोड़ ही रहा। भारत के स्थानीय कुल पूंजी निवेश का 18 प्रतिशत से घटकर आर्थिक सुधारों में यह केवल 9 प्रतिशत रह

गया। देश की 70 प्रतिशत जनता के लिए केवल 9 प्रतिशत पूंजी निवेश हों उसे आर्थिक सुधारों की सज्ञा किन परिभाषाओं से दी जा सकती है। गरीबी उन्मूलन व ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम चलाये जा रहे है वे अकाल राहत के कार्यों की तर्ज पर है और इन कार्यक्रमों से किसी प्रकार की आत्मनिर्भरता का निर्माण करना असंभव हैं।

अभी दो दिन पहले वित्त मंत्री महोदय ने कई चीजों पर छूट दी। गौरतलब है कि चालू साल के बजट में वित्त मंत्रालय ने टीवी, एयर कंडीशनर और दीगर उपभोक्ता सामानों पर उत्पाद शुल्क और कुछ अन्य उत्पादों पर सीमा शुल्क की दरें काफी घटाई हैं। इनका मकसद औद्योगिक विकास और उपभोक्ताओं को राहत देना बताया गया है। 1993-94 और 1994-95 के दौरान शुल्क में दी गई रियायतें उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच पाई थी। बहुत से उद्योगपतियों और व्यापारियां ने यह कह कर उन रियायतों का अधिकतर अंश खुद हजम कर लिया कि वे ये रियायतें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए बाध्य नहीं है इसलिए मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन उपभोक्ता चीजो पर छूट दी जा रही हैं उसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे इसके लिए वे सख्त कदम उठायें।

महोदय, मंहगाई जिस तरह से बेलगाम होकर बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव किया हैं कि आवश्यक वस्तुओं के प्रशासनिक मूल्य निर्धारित करने के लिए एक आयोग बनाया जाए और उसकी सिफारिश के बिना और संसद में विचार के बिना कोई मूल्यवृद्धि नही की जाए। भारतीय जनता पार्टी के बजट में कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक मजबूत बनाने और विदेशी कर्जे से मुक्ति दिलाने के लिये राष्ट्रीय कर्ज मुक्ति कोश का गठन किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री से जो रकम मिले, उसका उपयोग केन्द्र सरकार के बजट के घाटे को कम करने के लिए नहीं, बल्कि विदेशी कर्जा उतारने के लिए किया जाना चाहिए तभी देश की समस्याएं हल हो सकती हैं।

महोदय, अतं में मै एक और सुझाव देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर बांध बनाया जा रहा है जिसका नाम अब इंदिरा सागर बांध है। मध्य प्रदेश सरकार के पास संसाधनों की कमी है। 1980 में यह बांध बनाने का काम आरम्भ हुआ और आप 15 वर्ष के बाद भी उस बांध पर नाममात्र का काम हुआ हैं । मध्य प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से चाहती है कि नर्मदा सागर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रुप में माना जाए और जिस तरह गुजरात में नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना चल रही है और उसमें केन्द्र सरकार को सहयोग देता है, उसी प्रकार नर्मदा सागर परियोजना के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग दे, तभी वह निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो सकता है और प्रदेश की जनता को उसका फायदा हो सकता है।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : नर्मदा सागर परियोजना का पूरा खर्च राज्य सरकार को देना पड़ता है?

श्री रामेश्वर पाटीदार : जी हां। यदि उसे भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए जैसे सरदार सरोवर को घोषित किया है, तो उसे भी केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता मिलेगी।

मै एक सुझाव और देना चाहता हूं। पिछले दिनों राष्ट्रीय सहयोग के नाम पर मध्य प्रदेश में किसानों ने नर्मदा और दूसरी नदियों पर लिफ्ट इरीगेशन के लिए बैंको से लाखों रुपए का कर्जा लेकर योजनाएं शुरु की और उन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्च और मेहनत से सिंचित भूमि का क्षेत्र बढाया और कृषि उत्पादन बढाने में सहयोग दिया। चूंकि उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया था, बैंक की ब्याज दर अधिक होने के कारण उन पर कर्जा का बोझ बढ़ता गया और दो लाख रुपए का कर्जा पांच लाख रुपए हो गया। एक लाख रुपए का कर्जा तीन लाख रुपए हो गया। तीन-चार गुना कर्जा राशि बढ़ गई और किसान वह कर्जा राशि चुकाने में असफल हो गया हैं उसकी माली हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वह कर्जा चुकाने के नाम पर अगर सारी जमीन और पाइपलाइन भी बेच दे तो भी वह कर्जा नही चुका सकता है। वह स्कीम अनफीजीबल रही। बैकों के अधिकारियों ने उनके लिये स्कीम बनायी, सहयोग दिया और अनफीजीबैल स्कीम को भी फीजीबिल कह दिया और कर्जा दे दिया। किसान को यह इतना मंहगा पड़ा कि खेती लाभकारी सिद्ध नहीं हुई इसलिये वे घाटे में जा रहे हैं रिजर्व बैंक आफ इंडिया के माध्यम से केन्द्र सरकार उनको ब्याज की राशि माफ करे और मूल राशि मे जितना अनुदान दिया जा सकता है, वह अनुदान देने की कोशिश करे तभी उसका लाभ किसानो को मिल सकता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्य कई मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहा था, परन्तु समय कम है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं मैने जो बाते कही है, उन्ही सब बातों के कारण मैं इस बिल का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

[अनुवाद]

डा० मुमताज अंसारी : मैं वित्त विधेयक, 1995 का विरोध करता हूं। वित्त विधेयक में ऐसे अनेक उपबन्ध है जो हमारे विचार और नीतियों के विरुद्व हैं।

जहां तक प्रत्यक्ष कर का सम्बन्ध है, हमने वित्त मंत्री से अनेक बार अनुरोध किया कि प्रत्यक्ष कर की अधिकतम सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जानी चाहिये। लेकिन वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में छूट की सीमा 40,000 रुपये की घोषणा की है। मैं वित्त मंत्री से एक बार फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सीमा 40,000 रुपयें से बढ़ाकर 50,000 रुपये की जानी चाहिएं क्योकि इससे निवेश में बहुत राहत मिलेगी और यह देश के औद्योगिक वातावरण के लिये भी सहायक होगी। इससे देश में सौहर्द का वातावरण उत्पन्न होगा। इससे अनेक व्यवसायों को कर क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा सकेगा। सरकार को कर अपंवचन को रोकने के लिये उपाय करने चाहिये। देश में 5,000 करोड़ रुपये का कर अपर्वेचन होता हैं अत: वित्त मंत्री को इस सम्बन्ध में सभी त्रुटियों को दूर कर आयकर अपंवचन को रोकना चाहिये। वित्त मंत्री द्वारा स्टेडर्ड कटौती का जो सुझाव दिया गया है उसकी दर कम है उसे बढ़ाया जाना चाहिये। प्रत्यक्ष करों के बारे में ये मेरे सुझाव हैं ।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित अप्रत्यक्ष करों के बारे में मैं यह कहाना चाहूंगा कि आयात माल और सेवाओं में सीमा शुल्क में बहुत कमी कीं

गई है और यह बहुत आश्चर्य की बात है कि वह माल और सेवाएं ओर सब वस्तुएं जिनका विदेशों से आयात किया जा रहा है वे पूंजीगत माल की श्रेणी में नही आती। ये उपभोक्ता वस्तुएं हैं। आज हमारा देश संकट में है, हमारे उद्योग कठिनाई में है, हमारे उत्पादन में गिरावट आ रही है, हमारी जनता की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वित्त मंत्री ने विदशों से आयात की जाने वाली टूथ पेस्ट, साबुन और अन्य उपभोक्ता की वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी कर इन सभी वस्तुओं के आयात के द्वार खोल दिये हैं। वह प्रत्येक इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी करते रहे हैं, और इस वर्ष भी उन्होंने इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी की हैं अत: वित्त मंत्री ने विदेशियों और उन व्यक्तियों के लिये, जो विलासिता की वस्तुएं जैसे कार, रैफरीजरेटर, साबुन टूथ पेस्ट ओर उपभोक्ता की अनेक वस्तुएं आयात करने में रुचि रखते है, जिनका देश में ही आसानी से उत्पादन किया जा सकता है, आयात के द्वार खोल दिये हैं।

ये सब वित्तीय उपाय स्वदेशी आन्दोलन के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। हम अपने देश में आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था चाहते हैं और हम अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। लेकिन ये उपाय सभी आत्म निर्भरता के उसूलों और सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। इन सब उपायों के कारण देश में बेरोजगारी में वृद्धि होगी, उपभेक्ता की अनेक वस्तुओं का आयात किया जायेगा और उत्पादन करने वाले अनेक एकक बन्द हो जायेंगे। इस विषय पर वित्त मंत्री महोदय ने विचार नहीं किया है। मुझे यह नहीं पता कि वित्त मंत्री की इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी करने की क्या मजबूरी है। मैं एक बार पुन: अनुरोध करता हूं कि सीमा शुल्क में इतनी अधिक कमी न की जाये कि हमारे सब उद्योग बन्द हो गये और देश में भारी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाये।

इसी प्रकार वित्त मंत्री ने कुछ वस्तुओं जैसे रैफ्रीजरेटर, टेलीविजन और अन्य वस्तुएं, जो विलासिता की वस्तुए समझी जाती हैं, पर रियायत की अनुमति दी है और आवश्यक वस्तुओं पर रियायत देने की घोषणा नहीं की हैं। अत: विलासिता की जिन वस्तुओं पर वित्त मंत्री ने छूट दी है, वह अनावश्यक है और वह छूट नहीं दी जानी चाहिये थी। इसके विपरीत वित्त मंत्री को विलासिता की वस्तुओं पर भारी शुल्क लगा कर कर लगाने के वित्तीय सिद्धान्तों पर विचार का पालन न कर जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वह विलासिता की वस्तुओं को सब रियायतें देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह समझ नहीं पर रहा हूं कि वित्त मंत्री द्वारा किस प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था तैयार की जा रही है, किस प्रकार कि सुविधाए दी जा रही हैं, और इन वित्तीय उपायों से जनता के किन वर्गो को लाभ होगा। यह विरोधाभास की स्थिति है और हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होते हुए भी इन सब बातों को समझने में असमर्थ हैं इसी प्रकार वित्त मंत्री द्वारा प्रयोग में आने वाली वस्तुओं पर दी गई छूट देश की आम जनता तथा उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रही है। अन्तत: उपभोक्ता ही सब करों का भुगतान करते है। लेकिन देश के उपभोक्ताओं , सामान्य लोगों और जनता को इस राहत का लाभ नहीं मिल रहा है विभिन्न वस्तुओं पर वित्त मंत्री द्वारा लगाये गये कर साधारण लोगों पर अन्तरित कर दिये जायेंगे और अन्तत: उपभोक्ताओं को ही करों का भुगतान करना पड़ेगा। अत: इस प्रकार की चाल और धोखा बाजी, जो अधिकांश उत्पादकों द्वारा उपभेक्ताओं के विरुद्ध अपनाई जाती है, को रोकने के लिये वित्त मंत्री द्वारा उपाय करने चाहिये। उन्हें इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिये कि इस बात को कैसे रोका जा सकता है और इस सम्बन्ध में क्या कार्य वाही की जानी चाहिये। इसी प्रकार हम प्रतिदिन यह सुनते रहते हैं कि मुद्रास्फीति की दर घट रही है और यह एक अंश तक रह गई है और यह दो अंको तक कभी नहीं जायेगी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि मुद्रा-स्फीति की दर मापने का क्या तरीका हैं। क्या इसकी माप थोक सूचकांक अथवा फुटकर सूचकांक अथवा श्रम सूचकांक अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। जब हम देश के किसी भी भाग में जाते हैं, तो दुरदराज के क्षेत्रों में जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो देखते है कि मूल्यों में प्रतिदिन वृद्धि हो रही हैं। प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं और माल तथा सेवाओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति की दर मापने के लिये कोई तरीका नहीं है। इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जा रहें है? वित्त मंत्री द्वारा लिये गये कदमों की प्रशंसा और सराहना की जा रही हैं। हम भी कभी कभी उनकी प्रशंसा करते है। जब समाचारो में पढ़ते है कि मुद्रास्फीति की दर को एक अंक तक सीमित रखा गया है। हमे इस बात की कोई चिन्ता नहीं है कि मुद्रास्फीति की माप साप्ताहिक आधार अथवा मासिक आधार पर की जाती है अथवा छ: महीने के आधार पर लेकिन हम इस बात में रुचि रखते है कि ये सब राहत और लाभ, यदि मुद्रास्फीति की दर में वास्तव में कमी आ रही है और यदि सूचकांक में गिरावट की प्रकृति है तो इनका लाभ समाज के निम्नतम वर्ग को अवश्य पहुंचना चाहियें क्योकि यही वे लोग हैं जिन्हें लाभ अवश्य मिलने चाहिये। अत: यह भी विरोधाभास की स्थिति है और मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में विचार किया जाना चाहिये। हम यह जानना चाहते हैं कि मुद्रास्फीति के मापने का क्या सांख्यिकीय तकनीक है। हम यह जानान चाहेंगे कि उपभोक्ता से सम्बद्ध औसत मूल्य कैसे तैयार किया जाता है, उनका समायोजन कैसे , किया जाता है, सूचकांक में माल और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। कुछ महीने पूर्व प्रश्नकाल में भी यह मामला उठाया गया था। वित्त मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में बताया था कि हम इन सब प्राधिकरणों से सम्पर्क में नहीं हैं क्योंकि ये सब बातें सांख्यिकीय विभाग द्वारा तैयार की जाती हैं। हो सकता है इनकी संगणना सांख्यिकीय विभाग द्वारा की जाती हो लेकिन इसका आखिरी परिणाम आप के पास आता है और आपको सब ओर से प्रशंसा मिलती है यहां तक कि पार्टी की सम्बद्धता को छोड़कर भी लोग आपकी सराहना करते हैं। अत: आपको यह अवश्य देखना चाहिये कि वास्तव में मुद्रास्फीति का समायोजना और संगणना की जाये और समाज के निम्नतम वर्ग को इसका लाभ मिले। वास्तविक लाभ देश में सब और बाजार में दिखायी दे।

जहां तक प्रधान मंत्री की रोजगार योजना का सम्बन्ध है मना पक्ष के हमारे सहयोगी इस बारे में बड़े बड़े दावे प्रस्तुत करते रहे हैं और यह कहते रहे है कि प्रधान मंत्री ने देश के युवकों के लिये अनेक कार्यक्रमों , अनेक उपायो, अनेक नीतियो की घोषणा की है और अनेक वायदे किये हैं। हम भी उनकी प्रशसा करते, यदि ऐसा होता । यदि बेरोजगार प्रति युवक को एक-एक लाख रुपये दिये होते जिससे

यह अपना व्यापार आरम्भ कर सकता। लेकिन इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियो और देश के युवकों को पहुंचने वाला नहीं है। अतः मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध हैं कि इस सम्बन्ध में भी ध्यान दिया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री यदि कोई वायदा करते है तो यह वायदा पूर्णतया सच होना चाहिये क्योंकि प्रधान मंत्री द्वारा किया गया वायदा ऐसा वायदा है जिस पर देश के लोग अवश्य विश्वास करेंगे। अतः प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत एक लाख रुपये देने की योजना को वास्तविकता में आवश्यक लाभ जाना चाहिये ताकि इस योजना का लाभ जनता तथा अन्ततः लाभार्थी उठा सकें।

जहां तक बिहार में बैंकिंग प्रणाली का सम्बन्ध है, वह बहुत खराब स्थिति में है क्योंकि वहां अनिवार्य जमा अनुपात 32.70 प्रतिशत है। बिहार में मुश्किल से 30 प्रतिशत निवेश किया जाता है जबकि बड़ी मात्रा में धनराशि गरीब किसानों और विभिन्न श्रेणी के लोगों से एकत्र की जा रही हैं देश के विभिन्न नगरों में निवेश किया जा रहा है। बिहार में निवेश नहीं किया जा रहा है। एच.ई. सी. रांची श्री चौधरी का यह निर्वाचन क्षेत्र है- ने बोकारो इस्पात संयंत्र, राऊरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना में बहुत सहयोग दिया था। वहां निर्मित अनेक मशीनों का निर्यात विदेशों को किया जाता है। लेकिन आज उसकी दशा बहुत खराब है। और वह समाप्त प्रायः है। एच.इ. सी. बिहर में एक महत्वपूर्ण कारखाना हैं। इसे मातृ-उद्योग के रूप में जाना जा सकता हैं इसने देश में अनेक संयंत्रो की स्थापना में सहयोग दिया हैं। यह विदेशों और विकासशील देशों को अनेक मशीनों के निर्यात करता था। अब वह समाप्त हो रहा है। लोग इलाके चिल्ला रहे हैं। लोग धरना और विरोध कर रहे हैं। वे दिल्ली भी आये और उन्होंने यहां रैलियां की। लेकिन वित्त मंत्री द्वारा उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इसी प्रकार जहा तक प्राथमिकता क्षेत्र का सम्बन्ध है, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि अन्य निवेशों की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र के वित्त पोषण को प्राथमिकता दी जायेगी। वे कहते है कि कृषि, लघु उद्योग शिक्षा, बेरोजागार युवकों, छोटे परिवहन मालिकों को प्राथमिकता दी जायेगी लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है उन्हें प्राथमिकता नहीं मिल रही हैं। यह कहा गया था कि कुल निवेश का 40 प्रतिशत इन श्रेणियों में किया जायेगां। 1969-70 में जब बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया था तब शायद यही मार्गदर्शी सिद्धान्त था। लेकिन इसे भी प्राथमिकता नहीं दी जा रही हैं। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि प्राथमिकता क्षेत्र को प्राथमिकता दिये जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिये और कम से कम अन्य प्रकार की निवेशों की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में वित्त पोषण को महत्व दिया जाना चाहिये।

राज सहायता में कटौती कर दी गई हैं। खाद्यान्न, बिजली और उर्वरक आदि पर राज सहायता नहीं दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि राज सहायता अवश्य दी जानी चाहिये क्योंकि यह वास्तव में गरीब लाभार्थी, गरीब व्यक्ति और वास्तव में गरीब भारतीय हैं जो इन बातों के लिये चिल्ला रहे हैं। इस देश की वर्तमान आवश्यकता है। अतः बिजली पर राजसहायता अवश्य वृद्धि की जानी चाहिये, जैसा कि लोगों की मांग है। उर्वरक पर राज सहायता में वृद्धि की जानी चाहिये। राज सहायता के बारें में एक कटौती प्रस्ताव दिया गया था। यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ और उस पर विचार नहीं किया गया। मैं इस बात पर बल दूंगा कि खाद्यान्न राज सहायता में वृद्धि की जानी चाहिये। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग हैं यह देश का महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है जब तक माननीय मंत्री इन सब आधारभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। अतः जो भी राज सहायता वित्त मंत्री ने कम की है उसे बढ़ाया जाना चाहिये।

बड़ी संख्या में सदस्यों ने बैंकिंग प्रणाली का उल्लेख किया है। बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये तथा इस में सुधार किया जाना चाहिये। यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बैंकिंग प्रणाली में अनेक अनियमितताएं हैं। इसमें अनेक धोखा धड़ी, दुर्विनियोग, जालसाजी हो रही है और लोगो द्वारा हजारों करोड़ रुपयों का दुर्विनियोग और धोखा धड़ी की जा रही है।

मेरा वित्त मंत्री से यह अनुरोध है कि बैंकिंग प्रणाली में सुदृढ़ता और सुधार लाया जाये तथा इसे बनाया जाये पारदर्शित और प्राधिकरण और वित्त मंत्री को देश के लोगो के प्रति जिम्मेवार ठहराया जाये।

श्री एम. कृष्ण स्वामी (वाराणासी) : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। मैं वित्त विधेयक में प्रस्तुत अधिकाशं प्रस्तावों का स्वागत करता हूं। उदाहरणार्थ, इसमें उत्पादन शुल्क में भारी कमी की गई ताकि घरेलू उत्पादन लागत में कमी आये और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो सके।

वित्त मंत्री की वित्त विधेयक में उन उद्यमियों को पांच वर्ष का अवकाश देने का प्रस्ताव है जिन्होंने आधारभूत सुविधाएं बनाये रखी हैं उन्हें चला रहे जैसे नई पुलों, राजपथों, विमान पत्तनों और बन्दरगाहों आदि की निर्माण ये सब बहुत आवश्यक हैं। लेकिन तमिलनाडु में कुछ हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। हवाई अड्डों के निर्माण के लिये धनराशि का आबंटन किया जाता है। धनराशि आबंटन करने से पूर्व उन्हे उसकी अर्थक्षमता अवश्य देखनी चाहिये। करोड़ों रुपये आबटित कर कुछ हवाई अड्डों का निर्माण किया जाता हैं लेकिन वे बिल्कुल उपयोगी नहीं होते हैं। तमिलनाडु में तीन हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है। उनका अब उपयोग नहीं किया जाता हैं।

मैं वित्त मंत्री के विचार के लिये कुछ सुझाव दूंगा आशा है वह उत्तर देते समय इनके बारे मे बतायेंगे। रुपये की कीमत में कमी होने और मुद्रा स्फीति के कारण रुपये की कीमत वास्तव में कम हो गई है। अतः यह न्यायोचित है कि आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया जाना चाहिये ताकि वेतन भोगियों निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिल सके जो मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करुंगा कि छापे डालने वाले खोजबीन करने वाले और माल बरामद करने वाले तंत्र को मजबूत करे ताकि आयकर वंचन करने वालों लोगो को पकड़ा जा सके। कर वसूली करने वाले तंत्र को प्रभावी होना चाहिये।

तमिलनाडु में स्वास्थ्य सचिव के घर पर छापा मारा गया था और वहा से एक करोड़ रुपये का माल बरामद किया गया था और उन्हे निलम्बित कर दिया गया था। कुछ समय बाद, मुझे अब पता लगा है, उनकी पुनः नियुक्ति कर दी गई हैं लोगो को शंका है कि ऐसा क्यों किया गया। यह सब समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ था कि उनके घर पर छापा मारा गया था। वहां कुछ अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेज , कुछ अमरीकी डालर, कुछ भारतीय करेंसी नोट जिनकी कीमत एक करोड़ रुपये थी, बरामद हुए थें उस व्यक्ति को फिर से नियुक्त क्यों किया गया? जनता द्वारा यह प्रश्न उठाया जा रहा है। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में जांच करें लोग जानते हैं कि हमारे वित्त मंत्री बहुत कार्यकुशल है, बहुत ईमानदार है और अपने कर्त्तव्य के प्रति बहुत कर्त्तव्य निष्ठ हैं लेकिन लोगो को उस व्यक्ति कि बहाल किये जाने पर शंका उत्पन्न होती है। उसके घर से भरी मात्रा में धन बरामद हुआ है। वह आयकर विभाग के पास हैं अतः ऐसे मामले में मंत्रालय को पहल करनी चाहिये। इन मामलों में उन्हें बहुत सख्ती से कार्य लेना चाहिये।

इसके अलावा, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि विभिन्न साधनों से एकत्र करों का उचित उपयोग किया जाना चाहियें इनका उपयोग देश की खुशहाली , रक्षा, सामाजिक क्षेत्रों, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये किया जाना चाहिये। उस संबन्ध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों का शोषण व्यापारियों और कालाबाजारियों द्वारा किया जाता हैं उर्वरकों के लिये दी जाने वाली राज सहयता अपर्याप्त है और किसानों को खेती सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं के लिये उचित मूल्यों पर उर्वरकों की खरीद करने में कठिनाई हो रही है। किसानों का जीवन स्तर, यहां तक कि छोटे व्यापारियों, पान वालों की तुलना में भी, बहुत गिरा हुआ है। एक पान वाला अपनी लड़की की शादी 10 अथवा 20 सौवरिन देकर कर सकता है जबकि तमिलनाडु में एक किसान 20 एकड़ भूमि होने पर भी अपनी लड़की की शादी 5 सौवरिन देकर भी करने में असमर्थ है। अतः किसानों की यह दशा है। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर भी विचार करें किसानो को राज सहायता दी जानी चाहियें ताकि उन्हें लाभ मिल सकें स्वतन्त्रता के 48 वर्ष बाद भी किसानों की दशा सबसे खराब है। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि किसानों को दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि की जानी चाहिये।

मै 'नाबार्ड' में स्थापित की जा रही ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास सम्बन्धी नई योजना का निधि स्वागत करता हूं। लेकिन प्रत्येक ग्रामीण योजना में, क्रियान्वयन बहुत महतवपूर्ण होता है क्योकि धनराशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती । इन परियोजनाओं की निगरानी के लिये केन्द्र और राज्य स्तर पर एजेंसिया स्थापित की जानी चाहियें मुझे पता है कि जवाहर रोजगार योजना और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा हैं हम धनराशि दे रहे हैं केन्द्र सरकार गांवो में कार्यक्रमोंकी क्रियान्विति के लिये धनराशि दे रही हैं लेकिन हमे यह अवश्य देखना चाहिये कि क्या योजनाओं पर उचित रुप से निगरानी रखी जा रही है अथवा नहीं क्योकि इसमें अनेक अन्य बातें शामिल होती है मैं जानता हूं हमारे राज्य में क्या चल रहा हैं आप धनराशि देते है। केन्द सरकार 80 प्रतिशत धनराशि देती हैं और 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हे। लेकिन इन परियोजनाओं की क्रियान्विति की जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर हैं जब इनकी क्रियान्विति की जिम्मेवारी राज्य सरकारो पर हें जब इनकी क्रियान्विति होती है, तो अनेक त्रुटियां रह जाती हैं। उदाहरण के तौर पर सड़क बनाने के लिये दो लाख रुपये की राशि दी जाती है। इसमे से 80,000 रुपया भी सड़क बनाने पर खर्च नहीं होता हमारे राजय में यह स्थिति हैं। अतः इस बात पर ध्यान दिया जाये कि धनराशि की उचित रुप से व्यय किया जा रहा हैं उसके लिये एक एजेंसी की व्यवस्था की जानी चाहियें । गांवों के कुछ जिम्मेवार व्यक्तियों की नियुक्ति यह देखने के लिये की जानी चाहिये कि ग्रामीण कल्याण केन्द्रों में योजनाओं की क्रियान्विति उचित रुप से की जा रही है अथवा नहीं ग्रामों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के मामले में भी उपेक्षा की गई हें नगरों की तुलना में गांवो में मृत्यु दर की औसत बहुत अधिक है अतः सभी गांवो में स्वास्थ्य के केन्द्रों का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि कम से कम उन्हे उचित सुविधाएं प्राप्त हो सके और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके

इसी प्रकार, जल भी संसाधन का स्रोत है। इसका भी विद्युत और प्राकृतिक गैस की तरह उचित उपयोग किया जाना चाहिये। इस बारे में मैं प्रतिवर्ष संसद् में उल्लेख करता हूं। दक्षिण राज्यों में नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित पड़ा है। जहां , तक तमिलनाडु का सम्बध है, वहां कोई अन्य साधन नहीं है। हम केवल वर्षा के पानी पर निर्भर करते हैं। यदि वर्षा नहीं होती तो फसल नष्ट हो जाती है। अतः लोगो को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है। हमें इस बात की जानकारी है। किसान एक विशेष वर्ष में मूंगफली अथवा इसी प्रकार की खेती करते हैं और यदि वर्षा नहीं होती तो वह सब कुछ खो देता है। यदि ऐसा दो अथवा तीन वर्ष लगातार होता है तो उस पर ऋण का भारी भार हो जाता है यह स्थिति हैं अतः हमे इन नदियों को शीध्र जोड़ना चाहिये। इसके लिये जो भी धनराशि आवश्यक होगी, हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। पांच वर्षो तक कोई और विकास की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा सुझाव है।

वहां स्कूल की आवश्यकता नहीं हैं , टेलीफोन और अन्य बातों की आवश्यकता नहीं है। आप सब काम पांच वर्षों के लिये रोके है। और धनराशि का उपभेग नदियों को जोड़ने के लिये करें क्योकि तमिलनाडू में लोग पेयजल की कमी के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। मैं वित्त मंत्री का ध्यान कुछ धनराशि आबटित करने के लिये आकर्षित करना चाहूंगा ताकि कम से कम प्रस्तावों को यह देखने के लिये बनाये रखा जाये कि क्या ऐसा सम्भव है अथवा नहीं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में ध्यान दें।

जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, वर्ष 1967 से वहां कोई बड़े उद्योग नहीं हैं। कामराज के कार्यकाल में इंटेग्रल कोच फैक्टरी , मनाली रिफाइनरीज, हैवी व्हिकल्स फैक्टरीज, बी.ई.एल आदि जैसे अनेक बड़े उद्योग स्थापित किये गये थे। तमिलनाडु में गत 28 वर्षो से किसी भी भारी उद्योग की स्थापना नहीं की गई है। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे भारी उद्योग स्थापित करने सम्बधी इस पहलू पर ध्यान दे। तमिलनाडु में मेरे जिले में त्रिरुवन्नामलाई साम्बूवरायार में कोई लघु उद्योग, यहां तक कि कुटीर उद्योग भी नहीं है मेरा वित्त मंत्री से यह अनुरोध है कि वह मेरे जिले में कुछ उद्योग स्थापित करने पर ध्यान दें क्योकि तमिलनाडु में यह

ही केवल एक ऐसा जिला है जिसमे लघु अथवा कुटीर उद्योग नहीं हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे जिले में एक उद्योग और तमिलनाडु में एक भारी उद्योग स्थापित करने पर ध्यान दें। अब भारी उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण की स्वीकृति मिल गई है। कुछ परियोजना स्थापित करने के अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और ऋण की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद वे अपने उद्योग को रुग्ण घोषित कर देते हैं क्योंकि वे अपनी धनराशि कहीं और लगा देते हैं वे सरकार और सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देते हैं। ऐसे मामलों में उन्हें आपराधिक कानून के अन्तर्गत सजा दी जानी चाहिये। यदि कोई व्यक्ति 5 रुपये का गिलास चुरा लेता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है जबकि ये लोग सैकड़ों करोड़ रुपये की चोरी कर रहे हैं। इन्हे जेल भेजा जाना चाहिये। वित्त मंत्री को इस पहलु पर भी विचार करना चाहिये क्योंकि वह केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं। जो यह कर सकते है। जनता आप पर विश्वास करती है। आपका आदर करती है। देश के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री के योग्य निर्देशन में देश उचित दिशा में जा रहा हैं वे जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिये यथा सम्भव प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का मैं समर्थन करता हू।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (कासगंज) : स्वतन्त्रता के बाद से ही एक के बाद एक वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि कर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाया जायेगा। इसमें सुधार किया जायेगा और इसे सरल बनाये जायेगा। मैं वित्त मंत्री का बहुत आदर करता हूं, लेकिन वह राजनीतिक धारा में बह गये हैं। उन्होनें कर ढांचे को सरल बनाने के भरसक प्रयास किये हैं। अब उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। आज की स्थिति के अनुसार इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की गई है। कुछ विकास हुआ है। लेकिल उतना नहीं जितना मुझे उनके वित्त मंत्री के कार्यकाल में अपेक्षित था।

में उनका कार्य सरल बनाने के लिये इस बारे में कुछ उपयोगी सुझााव देना चाहूंगा। इस बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है कि एकरूपता में एकता है। मेरा विश्वास है कि वित्र मंत्री समान कर संहिता की व्यवस्था करेंगे ताकि एक खास वर्ग, हिन्दू अविभक्त परिवार को दी जा रही सुविधाएं और रियायते बन्द हों मेरे विचार से यह बहुत भेदभावपूर्ण है। यह संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह बहुत बड़ी भाड़ी है जिसे इस कर के जंगल से निकाला जाना चाहिये। यह बहुत बड़ी बाधा है जिसे उन्हें कर प्रणाली क्षेत्र से निकालना होगा।

दूसरे, यह बात पूर्णतया स्पष्ट होनी चाहिये कि सभी आय, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, देश में होने वाली अथवा विदशो से होने वाली, किसी भी स्त्रोत से हो, चाहे कृषि, उद्योग, शेयर बाजार से होगा सभी आय को जोड़ा जाये और उस पर कर लगाया जायें किसी भी आय को कराधान से मुक्त न रखा जाये।

तीसरे, सभी नागरिकों पर समान रूप से कर लगाया जाना चाहिये। उनकी विश्व के किसी भी भाग में होने वाली आय पर कर लगाया जाना चाहिये क्योकि हमारे देश के अधिकांश लोगों को विदेशों से आय होती हैं अतः सब नागरिकों की कुल आय पर कर लगाना चाहिये। एक अन्य बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि छूट की सीमा, अथवा कटौती की सीमा अथवा विभिन्न वित्तीय सीमाओं मे प्रतिवर्ष मनमाने ढ़ंग से परिवर्तन किया जाता है। इसके लिये कोई तरीका निकाला जाना चाहिये। हमे 1951 को प्रारम्भिक बिन्दू के रूप में मानना चाहिये। प्रतिवर्ष मुद्रास्फीति सूचकांक की यह सीमा स्वायत्त हो जायेगी। किसी को भी शिकायत नहीं होगी। कोई भी इसे मनमानी नहीं कहेगा। यह एक और अन्य सामान्य सिद्धान्त हो सकता है इसे मैं, उनके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहूंगा।

अग्रिम कर प्रणाली की भी व्यवस्था है। इसकी व्यवस्था ऐसे समय पर की गई है जब हमे वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ रहा था। मुझे काफी समय से इससे कोई लाभ प्राप्त होता दिखाई नहीं दिया सरकार को कुछ अग्रिम राशि मिलेगी जो उसे आरम्भ में अथवा वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त होगी। मैं यह कहूंगा कि इससे ईमानदार करदाता अनावश्यक रूप से परेशान होगा उसे अग्रिम कर के भुगतान का रिकार्ड रखना होगा। मेरे विचार से कम्पनियों के अतिरिक्त दूसरे मामलों में अग्रिम भुगतान की इस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहियें इस प्रक्रिया को केवल उन लोगों के लिये जारी रखा जाना चाहिये जो बहुत अधिक कर देते हैं लेकिन जो सामान्य करदाता को इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जाना चाहिये क्योकि इससे उसे अनावश्यक कठिनाई होती है जिसे दूर किया जा सकता है। इस प्रणाली से वित्त मंत्री को और अधिक धनराशि भी प्राप्त नहीं होती और जो भी राशि की हानि इस वर्ष होती है, वह आगामी वर्ष में प्राप्त की जा सकती हैं।

हमारी कर प्रणाली में पारदर्शितता का अभाव है। इससे जनता के साथ, राजकोष के साथ और प्रणाली के साथ धोखा धड़ी की जा सकती है। मं इसके लिये सामाजिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करने का सुझाव देना चाहूगा, कर अदायगी के दोषियों, ऐसे व्यक्तियों जिनके विरुद्ध बैंकों ने धोखा धड़ी अथवा बकाया राशि की वसूली के मामले दर्ज किये हैं, के नामों की सूची प्रकाशित की जानी चाहिये इससे ऐसे लोगों पर सामाजिक दबाव पड़ेगा। मुझे पता हैं कि इस प्रणाली का पालन पश्चिम में कुछ देशों द्वारा किया जा रहा है। उदाहरणार्थ, फ्रांस में स्थानीय नागरिक कार्यालय ऐसे लोगों की सूची प्रकाशित करता है जो कर भुगतान न करने के दोषी हैं और इसके बाद उन पर करों का भुगतान करने के लिये जनता द्वारा जोर डाला जाता है। मेरे विचार से पारदर्शित और सामाजिक नियंत्रण से आश्चर्यजनक सफलता मिल सकती है मेरे विचार से माननीय मंत्री को इसे अजमाना चाहियें।

अब मैं उत्पाद शुल्क के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह सच है कि इसका भार अन्ततः उपभोक्ता पर ही पड़ता है और वित्त मंत्री इसको रोकने की पूरी इच्छा के बावजूद, इसे नहीं रोक पाये हैं। मेरे विचार से आम उपभोक्ता बने एक मद को कच्ची सामग्री सूची से तैयार उत्पादों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये और यह पूर्णतया कर मुक्त.....(**व्यवधान**) यदि यह सम्भव हो। मैं केवल जन साधारण के लिये कह रहा हूं। उदाहरणार्थ, मोटे किस्म का कपड़ा, जिसकी सामान्य व्यक्ति को कमीज पाजामा और साड़ी के लिये आवश्यकता होती है। और अधिक कुछ नहीं.....(**व्यवधान**) मैं केवल यह एक उदाहरण दे रहा हूं लेकिन इस प्रकार के विभिन्न उत्पादों के बारे में कर ढांचें की जांच की जा सकती है। अतः यदि आय उपभोक्ता सम्बन्धी मद है तो वे पूर्णतया कर मुक्त होने चाहियें यदि आप इस सामान्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की यह राय है कि हम एक घंटा देर तक बैठे ताकि और अधिक सदस्य चर्चा में भाग ले सके। क्या सभा इस बात से सहमत है?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : अत: सभा की बैठक एक घंटे के लिये बढ़ाई जाती है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : कुछ आम जनता के उपभोग की वस्तुएं है। अखबारी कागज और कागज एक विकासशील देश के लिये आवश्यक मद है। यदि ऐसी आवश्यक वस्तु की कमी होती है और घरेलू उत्पादन से मांग की पूर्ति नही की जा सकती है तो ऐसे मामले में सिद्धान्त के तौर पर संसद् में प्रश्न उठाये बिना कोई शोर मचाये बिना, कोई आन्दोलन किये बिना, उक्त मद को शीघ्र कर मुक्त किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय के दिमाग में इस समय जो विचार है वह उत्पादन के लिये आवश्यक औद्योगिक कच्ची सामग्री का है और इसके पुन: निर्यात का है।

देश में बड़ी मात्रा में काला धन हैं वास्तव में सरकार ने इस बारे में प्रयास करने छोड़ दिये हैं। वह इस बात का अनुमान भी नहीं लगाती कि देश में कितना काला धन प्रचलन में है। कुछ लोगो का मत है कि यह सामानान्तर अर्थव्यवस्था के समान है। मुझे नहीं पता। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। मेरे विचार से राजनीतिक प्रणाली ही देश में भष्टाचार का साधन है। अत: यदि वित्त मंत्री इस मामले में ईमानदार और गम्भीर है तो उन्हें सरकार पर जोर डालना चाहिये कि एक ऐसा कानून बनाया जाये जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों और जो ऐसे व्यक्तियों को जन-जीवन से सम्बधित है, सार्वजनिक जीवन में आने से पहले अपनी अस्तियों का हिसाब किताब जनता के सामने रखें विधान मंडल में चुने जाने से पूर्वयह अनिवार्य आवश्यकता होमी चाहिये इस सम्बन्ध में अन्य साधन भी हो सकते हैं लेकिन भ्रष्टाचार हमारी नसनस में बस गया है और शायद इसे समाप्त करना सम्भव नहीं मुझे पता है कि वित्त मंत्री जो एक रुपया परियोजना में निवेश करते है उसमें से केवल 10 पैसे अथवा 20 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। कहीं न कहीं इस बारे में त्रुटि है। मेरे विचार से इंस्पेक्टर राज वास्तविक रूप से सम्भव नहीं है क्योकि इंस्पेक्टर राज से लूट के बंटवारे में और भागीदार हो जायेंगे । वित्त मंत्री को इस के कुछ उपाय खोजने होंगे। भष्टाचार हमारी अर्थव्यवस्था को लगभग समाप्त प्राय: करता जा रहा है।

आयकर छूट के लिये एक निश्चित सहमत पद्धति होनी चाहिये। जैसा कि उन्होंने पहले ही घोषणा की है कि सामाजिक आधारभूत संरचना में ऐसा निवेश किया जाना चाहियें मैं इस सम्बन्ध में आवास समस्या का उल्लेख करना चाहूंगा जो आज देश की मुख्य समस्या है। नागरिक आवास मंत्री इस समय सभा में उपस्थित है। वह जानती हैं कि हमारे देश में आवास की मांग और पूर्ति में 100 मिलियन मकानों का अन्तर हैं। 100 मिलियन मकानों के लिये हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। यदि माननीय मंत्री यह कहें कि एक मकान के निर्माण पर निवेश की गई राशि पर कर नहीं लगेगा, जैसा कि मार्सील्लिस के प्रसिद्ध मेयर ने जो बाद में फ्रांस प्रेजीडेंट हुए, ने किया था इस प्रकार की कोई व्यवस्था करने से काला धन बाहर आयेगा और इसका उपयोग सामाजिक उत्पादन और उपयोगी कार्य में किया जा सकेगा उच्च शिक्षा अथवा विशेषज्ञ चिकित्सक उपचार पर खर्च हुई राशि का एक निश्चित प्रतिशत, चाहे वह 50 प्रतिशत भी हो, पर छूट की अनुमति दी जानी चाहियें लेकिन शिक्षा पर हुए सामान्य खर्च और चिकित्सा सहायता पर हुए सामान्य लाभ पर यह छूट नहीं दी जानी चाहिये।

मेरा तीसरा मुद्दा 'उद्योग रहित' जिले में निवेश के बारे में है। जैसा कि अभी मान्य सदस्य ने अपने जिले में लघु उद्योग स्थापित करने की बात कही है। 'क्षेत्र' शब्द बहुत अस्पष्ट है। मेरा अनुरोध है कि इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये और इसे 'उद्योग रहित' जिले के स्तर तक लाया जाना चाहिये और उन्हें रियायतें केवल उन एककों, अविकसित राज्यों पिछड़े राज्यों पिछडे क्षेत्र में नहीं , बल्कि पिछड़ें जिलों में उपलब्ध होनी चाहिये। तभी राहत उन भागों तक पहुचेगी जिनको इसकी आवश्यकता हैं

सामान्य सिद्धात के अनुसार निर्यात से होने वाले लाभ पर 25 प्रतिशत छूट दी जानी चाहिये ताकि निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। संस्थाओं को दान दिये निर्यात को प्रोत्साहन मिल सके। संस्थाओं को दान दिये जाने पर छूट दी जानी चाहिये। कोई पंजीकरण अथवा इस जैसी प्रणाली नहीं होनी चाहिये। एक निश्चित प्रतिशत छूट जैसे 50 प्रतिशत छूट उस मान्यता प्राप्त तथा संगठित संस्था को दिये जाने वाले दान पर स्वत: ही मिल जानी चाहिये

अन्तत: मैं यह कहूंगा कि कम्पनियों द्वारा राजनीति पार्टियों को दान दिये जाने वाले सब अंशदान का एक साधारण पूल बनाया जाना चाहिये। और उसका वितरण सब पार्टियों को एक निश्चित अनुपात में जो भी सहमति हो, राजनीतिक वित्त पोषण के लिये दी जानी चाहिये। हम दुखियों, अलाभकारी और वंचित जनसंख्या, वृद्धों, विकलागों, प्राकृतिक आपदा, मानवनिर्मित्त आपदाओं जैसे अत्याचार और जनसंहार के शिकार और बेरोजगारों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये सुविधाएं प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है। वित्त मंत्री इन सब समूह को राहत देने के लिये एक राष्ट्रीय प्रणाली को राहत देने के लिये एक राष्ट्रीय प्रणाली क्यो नहीं तैयार करते जैसे कि वृद्धो के सम्बन्ध में किया है। विकलांगो और बेरोजगारों के मामले में उन्हें प्रत्येक राज्य को यह बता देना चाहिये कि केन्द्र द्वारा दिये गये प्रति रुपये पर राज्य को भी एक रुपया लगाना होगा। राज्य और केन्द्र का यह सयुंक्त कार्य होना चाहिये। समस्त देश में सहायता की दर समान होनी चाहिये।

जहां तक ऋण का प्रश्न है, माननीय मंत्री को इस बारे में पूर्ण जानकारी है, मुझे आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों और यहां तक कि राज्यों के भीतर एक जिलों से दूसरे जिलें में विसमता है। इस ओर ध्यान दिलाया गया है कि ब्याज की विभेदक दरों सम्बन्धी प्रणाली का लाभ जनता को प्राप्त नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री के पास उन जिलो की सूची है जहां अल्पसख्यकों की संख्या अधिक है। इन जिलो की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की 35 प्रतिशत है। ऐसा क्यों है? इन जिलों की कुल संख्या में अल्पसंख्यकों की प्रतिशत शेष जिलो की कुल संख्या में अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता के आधार पर किया गया है, कुल जनसंख्या के आधार पर नही। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग है जिन्हे शहरी

क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले ऋण और सुविधाओं की तुलना में देय ऋण प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस और ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमें राष्ट्रीय व्यय ढांचे पर नजर रखनी चाहिये। मैं इस पर कर लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन निश्चित रुप से व्यय पर नियंत्रण होना चाहिये। मैं इस विवाद मैं नहीं पड़ूंगा कि राष्ट्रीय व्यय अथवा रक्षा व्यय की तुलना में सामाजिक व्यय में वृद्धि की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि एक दिन ऐसा आयेगा जब उपमहाद्वीप मे शान्ति क्षेत्र की स्थापना कर सकेंगे और हमारा रक्षा व्यय स्वत: ही कम हो जायेगा और हम इस प्रकार अपने धन का देश के सामाजिक और विकास कार्यो के लिये उपयोग कर सकेंगे।

नीति निर्मानाओं को इस बात की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि हमारा राष्ट्रीय व्यय कैसे और कहां हो रहा है। क्या यह व्यय सामाजिक प्रयोजनों के लिये हो रहा है? क्या इसका व्यय खपत पर राज सहायता देने मात्र के लिये किया जा रहा है? क्या इसका व्यय गैर-उत्पादकों के लिये किया जा रहा है। तभी हमें स्थिति का बोध होगा। मेरा विश्वास है कि वर्तमान बजट के अन्तर्गत सामाजिक व्यय में कमी आई है। शिक्षा परिव्यय में कमी आई है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस बारे में स्थिति की जानकारी देंगे।

वित्तीय प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये। मैं, वित्तीय मंत्री को अनावश्यक मिसल (फाइल) कार्य से बचाना चाहता हूं। एक बार जब आप किसी मंत्रालय को एक निश्चित प्रयोजन के लिये बजट के अनुसार राशि का आबंटन कर देते हैं और एक बार संसद उसे स्वीकृति दे देती है तो मुझे विश्वास है कि उन्हें इसका अपनी आवश्यकतानुसार पूरा उपयोग करने की स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है। मैं नहीं समझता कि वह फिर और किसी व्यय के लिये आपके पास आयेंगे। कोई ऐसी पद्धति तैयार की जानी चाहिये जिससे फाइलों को इधर उधर भेजे जाने में कम समय लगे जिससे परियोजना अथवा योजना की क्रियान्विति में भी कम समय लगे मेरा विचार है कि केन्द्रीय योजनाएं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की प्रकृति को समाप्त किया जाना चाहिये। यदि कोई योजना पूर्णतया अथवा आशिक रुप से राज्य सरकार अथवा उसके माध्यम से क्रियान्वित की जानी हो और केन्द्र द्वारा वित्त पोषित की जा रही हो, तो केन्द्र को सहायता बन्द कर देनी चाहिये। उसे सिर्फ धनराशि उपलब्ध करानी चाहियें आज कुछ राज्यों को बड़ी धनराशि प्राप्त हो रही है और कुछ राज्यों की उपेक्षा हो रही है। यह उचित नहीं है। इससे केवल देश में असमानता में वृद्धि हो रही है और विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो रही है। विभिन्न राज्यों को उनको देय अनुपात में धनराशि उपलब्ध नहीं हो रही है। इसका एक मात्र उत्तर यह है कि केन्द्रीय योजनाओं के लिये प्राप्त धनराशि और केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं के लिये प्राप्त धनराशि का वितरण होना चाहिये। इनका वितरण समान रूप से होना चाहिये। इनका वितरण समान रूप से होना चाहिये और राज्य को इसका उपभोग करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। लेकिन उन्हें यह अवश्य बता दिया जाना चाहिये कि केन्द्र द्वारा निर्धारित सामान्य सामाजिक प्राथमिकताओं के अतिरिक्त और किसी पर धनराशि व्यय नहीं कर सकते मैं उदारीकरण और विश्वव्यापी नीति के प्रभाव के बारे में विवाद में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैं उन्हें इस बारे में चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार विश्व से ऐसी संस्कृति का आयात कर रही है जो इस देश का विभाजन कर रही है और समाज में मतभेद पैदा कर रही है। हम दो संस्कृतियां पैदा कर रहे है। मैने मैक्सिको के बारे में एक पुस्तक पढ़ी थी। अब वह ऋण जाल में फंस गया है। ब्राजील में भी ऐसा ही हुआ। समाजविदों का यह कहना है कि विकास और उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हमने वास्तव में दो संस्कृतियाँ उत्पन्न कर दी है और राष्ट्र को वस्तुत: दो राष्ट्रो में विभाजित कर दिया है लोगों को विभाजित कर दिया है। अब वे एक निर्धारित स्थान पर मिलते हैं, साथ-साथ खाते-पीते नहीं है तथा आम राज्य के आम नागरिकों की तरह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इसे दूर किया जाना चाहिये। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वित्त मंत्री इस चुनोती को महसूस करेंगे। अत: उपभोक्ता वस्तुओं, उपभोक्ता सुविधाओं , विदेशी फैशन और ब्रांडो आदि का अवश्य प्रतिरोध करना चाहिये।

हमारा देश बहुत गरीब है। समाज भी इन सबको अपनाने के मामले में विभाजित है। अत: मैं उन्हें सतर्क करना चाहता हूं कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें कि चाहे वह आस्तियों का मामला हो, चाहे वह व्यक्तिगत आय का मामला हो चाहे वह व्यय ढांचे का मामला हो, उच्चतम और निम्नतम वर्ग के बीच के अन्तर को निश्चित रुप से कम किया जाना चाहिये। कम से कम इस अन्तर को बढ़ने नहीं देना चाहिये।

6.14 म. प.

गृह कार्य सम्बधी समिति

अट्ठारहवां प्रतिवेदन

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : मैं दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 1995 के सम्बन्ध में गृह कार्य सम्बन्धी समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

6.14 1/2 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

पचासवां प्रतिवेदन

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पचासवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

6.15 म० प०

वित्त विधेयक, 1995 - जारी

श्री बी. अकबर पाशा (विल्लोर) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। इस वर्ष का बजट, जैसे चार वर्ष पूर्व बजट वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह प्रस्तुत किये हैं, लोक प्रिय बजट है। हम सबने उसका स्वागत किया। केवल विपक्ष ने इसे चुनाव-प्रधान बजट बताया है।

इसका यह अर्थ हुआ कि वह भी वास्तव में इसका समर्थन करता है। केवल फर्क यह कि वह ये कहते हैं कि यह एक चुनाव-प्रधान बजट है। वे अप्रत्यक्ष रूप से बजट की सराहना कर रहे हैं। यह औद्योगिक निवेश को बढ़ाने वाला तथा उदारीकरण और विश्वव्यापारीकरण पर विशेष बल देने वाला अच्छा बजट है। अर्थव्यवस्था की विकास दर जो 1991-92 में एक प्रतिशत थी 1994-95 में बढ़कर 5.37 प्रतिशत पहुंच गई है। यह एक बहुत बड़ी उपल्बिध है इसी प्रकार खाद्यान्न का उत्पादन जो 1991-92 में 168 मिलियन टन था बढ़कर 185 मिलियन टन हो गया है। मेरे कुछ मित्रों का कहना है कि चीन हमारे से अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहा है। लेकिन मैं उन्हे यह बताना चाहूंगा कि हम 1947 में स्वतन्त्र हुए। उस समय पाकिस्तान और बंगलादेश को मिलाकर हमारी जनसंख्या 400 मिलियन थे हम रंगून सिंगापुर और अन्य देशों से खाद्यान्न का आयात कर रहे थे। अब भारत की जनसंख्या 900 मिलियन है। हम न केवल खाद्यान्नों के मामले में आत्म निर्भर हैं बल्कि हम खाद्यान्नों का निर्यात करने की स्थिति में आ गये हैं। हमारा विदेशी ऋण 8 बिलियन डालर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा था। अब यह एक बिलियन डालर से कम है। हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार एक बिलियन डालर से बढकर 20 बिलियन डालर हो गया है। ये सब हमारी उपलब्धियां हैं। हमारे वित्त मंत्री की और भी अनेक उपलब्धियां है। ये सब तथ्य विपक्षों को आहत करते हैं।

मैं श्री जसवन्त सिंह का भाषण सुन रहा था। उन्होनें कहा था कि जब भी वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं वे अपनी उपलब्धियों का ही उल्लेख करते हैं। वह ऐसा क्यों नहीं कर सकते ये उपलब्धियां और इनका उल्लेख किया जाना चाहिये। मैं वास्तव में प्रधान मंत्री से कह रहा था कि हमारे प्रचार में कमी है। हम लोगों से वह नहीं कहते जो हम कर रहे हैं श्री जसवन्त सिंह ने वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के अन्त में उर्दू की जो कुछ पंक्तियां कहीं, उस पर भी आपत्ति की थी, मुझे वास्तव में यह पता नहीं कि क्या उन्हें उर्दू भाषा से आपत्ति है अथवा उन्हें वित्त मंत्री के द्वारा उर्दू की कुछ पंक्तियां अपने भाषण में शामिल कर उसे रोचक बनाने पर आपत्ति है। यह ऐसा विषय है जिसकी कोई नीति अथवा सिद्धान्त नहीं है। तब उन्हें ऐसी मामूली सी बात की आपत्ति नहीं करनी चाहिये? उन्हें आपत्ति करने के लिये कोई बड़ी बात नहीं मिली अत: वह इस छोटी सी बात पर आपत्ति कर रहे हैं। मेरे विचार से विपक्ष के पास आपत्ति अथवा विरोध करने के लिये और कोई बात नहीं हैं जब वर्तमान परिस्थितियों में देश प्रगति कर रहा है और देश का विकास हो रहा है। इस बारे में कोई शक नहीं है। समस्त विश्व हमारी ओर ईर्ष्या और प्रशंसा की दृष्टि से देख रहा है।

इस बजट में अनेक रियायतें दी गई हैं ये रियायतें प्रत्यक्ष करों, आम उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क में कमी कर दी गई है। अभी श्री सयैद शाहाबुद्दीन कह रहे थे कि इसे पुर्णतया समाप्त किया जाना चाहिये। लेकिन उन्होंने केवल इसमें कमी की है। वर्तमान बजट के अनुसार सिर्फ सिगरेट और सीमेन्ट को छोड़कर अनेक वस्तुओं के दाम कम हो जायेंगे।

मुद्रा स्फीति की दर 1991 में 17 प्रतिशत थी वह अब घट कर एक अंक पर आ गई है। कुछ सदस्यों को इसकी गणना पर आपत्ति थी। इसकी गणना थोक मूल्यों के आधार पर की जाती है अथवा फुटकर मूल्यों के आधार पर और इसी प्रकार की अन्य बातें। तथ्य यह है कि कुछ समय के लिये हमारी मुद्रा स्फीति दो अंकों तक पहुंच गई थी लेकिन अब यह फिर एक अंक पर आ गई है अर्थात् 4.9 प्रतिशत।

वित्त मंत्री के पास गांव के गरीबों और आम गरीबों के कल्याण के लिये प्रेरणा देने वाली अनेक नई योजनाएं हैं। इनमें राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना, गरीबों के लिये न्यूनतम 75 रु मासिक की पेंशन योजना गांव गरीबों के लिये एक मिलियन राज सहायता प्राप्त घरों की योजना और ग्रामीण समाज बीमा योजना शामिल है। वे इसे केवल अमीरों का बजट कहते हैं। इस बात की आलोचना हमारी पार्टी के एक सदस्य ने भी एक अनौपचारिक बैठक में केन्द्रीय कक्ष में की थी। लेकिन मैं यह कहता हूँ कि इससे केवल गरीबों को लाभ होगा जब हम कोई उद्योग आरम्भ करते हैं तो उसे जमने में लगभग दो वर्ष लग जाते हैं और दो वर्ष और उसके और विस्तार में लग जाते हैं। फिर उसके परिणाम मिलने आरम्भ होते हैं। इसी प्रकार वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत आश्चर्यजनक योजनाओं और कार्यक्रमों से गरीबों को लाभ पहुंचने में कुछ समय लगेगा।

वर्ष 1995-96 में उर्वरक पर राजसहायता देने के लिये मूल बजट प्रावधान 4000 रुपये के स्थान पर 5000 रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं इस समय उद्योग से सम्बधित दो बातों की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। चमड़ा उद्योग चमड़े के तैयार माल पर 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क समाप्त करने के लिये वित्त मंत्री की आभारी है। गत वर्ष के बजट के बाद भी मैंने इस बारे में उल्लेख किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है। लेकिन इस वर्ष उसे समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यह खुशी केवल कुछ समय के लिये सीमित रही क्योंकि निर्यात शुल्क समाप्त कर उन्होंने 5 प्रतिशत विकास शुल्क लागू कर दिया। अत: छोटे चमड़ा उद्यमियों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसमें कोई सुधार नहीं हुआ।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैंने कोई शुल्क नहीं लगाया है। मैने कोई विकास शुल्क नहीं लगाया है।

श्री बी. अकबर पाशा : यह हमारी एसोसिएशन में परिचालित किया गया था।

श्री मनमोहन सिंह : यह अलग बात है यह वित्त विधेयक का अंग नहीं है। मुझे इस बारे मे कुछ जानकारी नहीं है।

श्री. बी अकबर पाशा : इससे चमड़ा उद्यमियों को दुख हो रहा है। जिसे वह लाभ समझते थे उसे उन्होंने खो दिया है। मेरा यह सुझाव है कि छोटे उद्यमियों से वित्त विकास निधि के लिये तैयार चमड़े के निर्यात पर पांच प्रतिशत के बजाये एक या दो प्रतिशत शुल्क लिया जाना चाहिये। पांच प्रतिशत विकास शुल्क बहुत अधिक है।

मैं राज्य व्यापार निगम के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। पहले राज्य व्यापार निगम, ईस्ट इंडिया सेमी टेन्ड लेदर के निर्यात पर एक प्रतिशत शुल्क लेता था। इस धनराशि का उपभोग सेवा केन्द्रों में

उत्पादन के लिये किया जाता था। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि ये सब सेवा केन्द्र आज असफल रहे हैं।

अतः मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित पांच प्रतिशत शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत किया जाना चाहिये। मेरा अन्य सुझाव यह है कि इस प्रक्रिया से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग मलनिसा उपचार संयंत्रो के रखरखाव पर किया जाना चाहिये क्योकि पर्यावरण की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक हैं मुझे पता लगा है कि पंच प्रतिशत विकास निधि चर्म निर्यात परिषद् को दी जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि वह इस राशि का कैसे उपयोग करेगी। मेरा विचार है कि पर्यावरण को अवश्य शुद्ध बनाये रखा जाये और उक्त धनराशि का उपयोग मलनिसा उपचार संयत्र के रखरखाव पर किया जाये।

मैं एक और सुझाव वित्त मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं। चर्म उद्यमियों की ओर से मेरा अनुरोध है कि मांस तन्तु सार, क्रेबाचो सार, शाहबलूत सार जैसे संकाट सार पर पुनः लगाया गया शुल्क वापिस लिया जाना चाहिये। 1994-95 के बजट में घरेलू मांस तन्तु सार पर भी उत्पादन शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था। चमड़ा निर्यात परिषद् मद्रास ने 1995-96 के केन्द्रीय बजट के लिये बजट पूर्व ज्ञापन सरकार को दिया था जिसमें छूट को पुनः तुरन्त दिये जाने का अनुरोध किया गया था। वित्त मंत्री ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। चर्मसार का उपयोग लघु उद्योग द्वारा किया जाना है। केवल छोटे चर्मकार इसका उपयोग करते हैं। 1993-94 के केन्द्रीय बजट में भी आयात शुल्क 65 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था जिससे छोटे चर्मकारी को राहत मिल सके। इसको करते समय, सरकार ने इस तथ्य को अनुमति किया कि देश में चर्म उद्योग के लिये आवश्यक कुल मांस तन्तु सार में से देश में केवल 25 प्रतिशत मांस तन्तु सार है। उपलब्ध है मांस तन्तु तार के घरेलू निर्माताओं को संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है क्योकि- देश में मांस तन्तु सार (बांटल एक्स्ट्रैक्ट) के केवल दो ही उत्पादक-टान इंडिया लिमिटेड और अन्बू बांटल एक्स्ट्रेक्ट प्राइवेट लि० मद्रास ही हैं। वे कुल आवश्यकता का 25 प्रतिशत ही उत्पादन करते है। घटाये गये शुल्क को पुनः इसलिये लागू किया गया क्योंकि इन दोनों कम्पनियों ने वित्त मंत्री पर जोर डाला। मेरा अनुरोध है कि छोटे चर्मकारों के हित में इसे घटाकर 1993-94 के स्तर तक ले आया जाना चहियें अर्थात् 20 प्रतिशत।

उद्योग की ओर से इन सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ। मैं टैनर एसोसिएशन, मद्रास का प्रेजीडेन्ट रहा हूँ। इस मामले को उठाने और चर्मकारों के विचारों को वित्त मंत्री तक पहुंचाने के लिये मुझे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। यह सौभाग्य की बात है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री दोनों ही सभा में उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध है कि मेरे सुझावों पर ध्यान दें और छोटे चर्मकारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे आपके विषय का महत्व सिद्ध होता है।

श्री बी. अकबर पाशा : इसके साथ मैं चर्चा में भाग लेने की अनुमति के लिये धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, इतनी देर में बारी आयी है इसलिये अब बोलने की तबीयत नहीं हो रही है फिर भी जंहा हमारे मित्र शाहाबुद्दीन साहब ने अपनी बात का अंत किया, मैं वही से शुरु कर रहा हूं। मैं दैनिक स्टेट्समैन के कल के अंक के सम्पादकीय में जो हस्ताक्षरित लेख आया है, उससे उद्धृत करना चाहता हूं। क्योकि उससे हमारी संस्कृति पर असर पड़ रहा है। उस लेख में कुछ बातें ऐसी कही गयी है, मै उसकी एक-दो पंक्तिया पढ़ देता हूं और वित्त मंत्री जी की सहूलियत के लिये उस अखबार को दे भी देता हूं। इस लेख के लेखक रविन्द्र कुमार ने लिखा है कि स्टेट्समैन के लिये, संवाददाता की नियुक्ति के लिये साक्षात्कार लेने वे बम्बई गये थे।

[अनुवाद]

उन्होने कहा है कि "उनमें से कम से कम एक अभ्यार्थी की स्टेट्समैंन के प्रसताव में रुचि नहीं थी। इसके विपरीत वह हमें वित्तीय संवाददाता होने के नाते प्रतिमाह धनराशि देने को तैयार था। यह आश्चर्य की बात थी और इसने हमें स्पष्ट प्रश्न पूछने पर मजबूर किया। इसका शीर्षक उन्होने दिया है - 'आफ टू दा मार्किट टू बाई ए फ्यू जर्नेलिस्ट'।

[हिन्दी]

अगले वाक्य में उन्होंने लिखा है कि जब अखबार की तरफ से संवादाताओं की बुलाहट की गई - एक हजार - और वे खुद जा रहे थे, वैसे व्यत्तिगत अनुभव से जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, उसके अनुसार जो वहां कन्सलटैंट था, हमारे यहां उदरीकरण की नीति के कारण जो आजकल पैदा हो रहे हैं उसने कहा कि हमारे यहाँ आज हजार दे रहे हैं - बम्बई के ताज होटल में ये बातें हो रही हैं। भोजन भात इससे अलग होगा मगर संवाददाता ने कहा कि एक हजार रुपया दे रहे है।। मैं कहूंगा कि यह कोई प्रिय चीज नहीं है। यूं तो अखबारों के संवाददाताओं को हम कुछ अपने जीवन के अनुभव से जानते हैं, थोड़ा बहुत किया जाता रहा है लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, फिर स्टेट्समैंन देश के प्रमुख अखबारों में से एक है। शायद वे इसके सम्पादक मण्डल के आदमी लगते हैं क्योकि नियुक्ति के लिये साक्षात्कार करने के लिये वे स्वयं गये थे। उनके पूरे लेख से मैने दो बातें आपको सुना दी हैं। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन दर्द से उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह मेरी समझ में नही आ रहा है।

प्रसिद्ध ताज महल होटल की लांबी सोनागछी और जी.बी रोड झलक दे रही थी"

श्री भोगेन्द्र झा : हमारे मित्र चित्त बसु साहब ज्यादा जानते होंगे कि कलकत्ता में सोनागाछी नाम की जगह है जो वैश्याओं के मौहल्ले के रूप में जानी जाती है। पत्रकार ने बड़े ही दर्द के साथ इस लेख में लिखा है और संयोग से कल की ही बात है......(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उनकी मेरे बारे में गलत राय हैं मुझे यह पता है कि कलकत्ता में सोनागाची नामक एक स्थान हैं। लेकिन मुझे इससे आगे जानने की आवश्यकता नहीं।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : मै वही कह रहा हूं, जो उन्हीं के है। उसके विस्तार में मैं नही जाऊंगा।

आज ही मैं कलकत्ता से आया हूं। एक नई कम्पनी विमान की शुरु हुई हैं, यद्यपि मेरा टिकट यहां से ओ, के, था, कम्फर्म्ड था, और उधर जाने पर सबसे पहले मैं वहां पहुंचा। पहले कहा गया कि इकोनोमी में जाइये , फिर कहा कि एक्जीक्यूटिव में जाईये ,टिकट एक्जीक्यूटिव की ही थी, मैं अपने पैसों से कभी जाऊंगा, ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। उसके बाद मालूम हुआ कि आज जो विमान जा रहा है, उसमें जगह कम है, इसलिये 44 लोगों के लिये मोदी लुफ्त से जाने की व्यवस्था कर दी गयी है। मेरे टिकट का पैसा तो नही दिया गया मगर उसे रद्द करके, नकद देकर , चैक से, मै यहां आज ही आया हूं। वह इंडियन एयरलाइन्स की रैगुलर फ्लाइट थी, उसकी उड़ान को आज रद्द कर दिया गया और 44 यात्रियों को मोदी लुफ में तबदील कर दिया गया।

7 मई को भी ऐसी ही बात मेरे साथ हुई , जब जम्मू जाने के लिये कलकत्ता होकर मुझे जाना पड़ा था। इंडियन एयरलाइंस ने कहा कि आज उड़ान रद्द हो गयी है इसलिये सहारा इंडिया के जरिये फिर से टिकट लेकर मुझे जम्मू आना पड़ा। एक दिन पटना में भी ऐसा ही हुआ जब मुझे कहा गया कि आज की नियमित उड़ान रद्द है और सहारा इंडिया से टिकट लेकर पटना से जाईये।

उपाध्यक्ष जी, तीन दिन इस मई महीने में गुजरे हैं। मैं चिन्तित हूं। विमान का अनुभव नहीं था। मुझे तो बस का अनुभव था। जब एक सड़क पर राजकीय निगम की और प्राईवेट बस चलती है, तो निगम की बस वाला जानबूझकर बस को लेट चलाता है और आगे प्राईवेट बस जाती है। कंडक्टर टिकिट देने में किसी तरह से देर कर देगा, या सवारियों ने जब ज्यादा कहा या झगड़ा किया , तो वह बस में सो जाएगा। इस प्रकार से हमेशा प्राईवेट बस मुनाफे में रहेगी। आज देश की विमान के मामले में भी यही स्थिति है। आज प्राईवेट विमानों ने राजकीय विमानों के निगम को खतरा पैदा कर दिया है। आज स्थिति यह हो गई है कि हर माल मिलेगा छः आने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। पत्रकारिता से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में भयंकर खतरा पैदा हो गया है। मै समझता हूं कि इस चीज पर वित्त मंत्री जी गम्भीरता से सोचेंगे। बहुत बढिया चीज को गंवाने जा रहे हैं। पहले से भी गंवाते आये हैं और अब फिर गंवा ने जा रहे हैं और ऐसी चीज की आशा में गंवाने जा रहे है जो खुद टिकाऊ नहीं है और बहुत खतरनाक है।

उपाध्यक्ष जी, कुल नीति का सारांश कहां पर आता है, हम छूट दे रहे हैं चुंगी पर ताकि जो माल बाहर से हमारे देश में आए वह सस्ता पड़े और करों में वृद्धि कर रहे है कहां पर आबकारी पर। जो हम हम यहां पैदा करते है उस पर कर लगा रहे है, कुछ में छूट दी है, लेकिन आबकारी की चीजों पर कर लगा कर दामों में वृद्धि कर दी, ताकि हमारा माल महंगा पड़े और चुंगी में टूट दे रहे है ताकि बाहर का माल सस्ता पड़े। इसीलिए मैंने ईस्ट इंडिया कम्पना का जिक्र किया था और कहा था कि इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जब उनके उद्योग और व्यापार को संकट उत्पन्न हो गया था, तब उनकी सुरक्षा की थी। आज तो हम खुले आम देख रहे है अमरीका ने जापान के माल पर चुंगी बढ़ा दी। चूंकि अमरीका में जापानी कारें लोकप्रिय है, इसलिए अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन के नाम पर ऐसा किया। हमे कहा गया था कि हम संसार के इस संगठन में शामिल हो रहे हैं और हम एक परिवार में रहेंगे, जो डंकल का मसौदा था, जो गैट था, अब उसने विश्व व्यापार संगठन का रूप ले लिया है। उस पर हमने भी हस्ताक्षर कर दिए है। इस संगठन के नाम पर अमरीका ने जापानी कारों पर अपने देश में बिना किसी को पूछे, एक तानशाह की हैसियत से चुंगी बढ़ा दी, जापान को दंडित करने के लिए ज्यादा चुंगी अपने यहां लाद दी जिससे अमरीकी बाजार में जापानी कारे महंगी हो जाएंगी और उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। अब स्वयं सोच लीजिए कि उस संगठन का क्या हस्त्र होगा। भारत अभी तक वित्त के मामलें में तो अधिक शक्तिशाली देश नही बन पाया है, लेकिन भारत ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए है। इसलिए मैं चाहूंगा कि विश्व व्यापार संगठम के एक सदस्य देश के नाते जब कल वित्त मंत्री अपना जबाब यहां दे, तो कम से कम और कुछ नहीं, तो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि भारत अमरीका के इस कार्य को जापान के प्रति अन्यायपूर्ण मानता है। हालाकि जापान के पूंजीपति मुझे कोई बड़े प्रिय नहीं हैं, ये भी उसी लुटेके तबके के है। मै चाहूंगा कि वित्त मंत्री यहां से कहें कि भारत अमरीका के इस कार्य को अन्याय समझ रहा है।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : इसका वित्त विधेयक से कोई सम्बन्ध नही हैं।

[हिन्दी]

श्री भोगन्द्र झा : यह मौलिक सवाल है। यूरोपीय यूनियन भी इस पर विरोध प्रकट कर रही है। हमारा देश भी विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है। जब जापान का यह हाल है, तो हमारा क्या हाल होगा। हमें तो वे मामूली रेडमेड गारमेंट पर तंग करते रहते हैं। बहुत बड़ी चीज तो हम अभी नहीं कर सकेंगे। ऐसी हालात में जो एक नया खतरा पैदा हो गया है कि आयात के लिए निर्यात और निर्यात के लिए आयात हो और कच्चे माल का भी निर्यात हो। यह ठीक नहीं है।

अभी हमारे मित्र अकबर पाशा ने कहा था कि कच्चे चमड़े का निर्यात करने के लिए अभ्रक का निर्यात होता है। बिहार में ही दोनों चीजे ज्यादा पैदा होती हैं कच्चा लोहा हम गोवा के रास्ते जापान को

निर्यात करते हैं। क्या हम यह नहीं कर सकते कि हम सिर्फ तैयार माल ही निर्यात करेंगे। कच्चा माल बिलकुल निर्यात नहीं करेंगे। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए हम तैयार माल का निर्यात कर सकते हैं, लेकिन कच्चे माल का निर्यात क्यों करें? हम दुनिया के बाजार में तैयार माल भेजेंगे। इस प्रकार से जो मने मिसालें दी है, मैं चाहता हूं कि उन पर आप सोचेंगे और कड़ाई से रोक लगाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मै अब विदेशी मुद्रा के मामले में कहना चाहता हूं कि तीन-चार साल पहले हमारे देश में इस मामले में बदइंतजामी हुई थी। इस बात को इंकार कर के गलत बात में नही कहूंगा। न मेरी ऐसी आदत है।

लेकिन केवल विदेशी मुद्रा जमा कर ली तो बाकी सदस्य जानते हों या न हो लेकिन वित्त मंत्री जानते होंगे कि जब हम गुलाम थे और हमें आजादी मिलने वाली थी, उस समय भी विदेशी मुद्रा के मामले मे इंग्लैड हमारा कर्जदार था। मालिक देश इंग्लैंड गुलाम देश भारत का कर्जखोर था। स्टर्लिंग बैलेंस.........

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : ऐसा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्योंकि उस समय असमान्य स्थिति विद्यमान थी।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : मैं दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं। अगर पौंड पर हो तो विदेशी मुद्रा का कर्ज पाप के रूप में होना चाहिए क्योंकि उस समय डालर की बड़ी हैसियत नहीं थी। हम महाजन थे और इंग्लैड हमारा कर्जखोर था। वही हमारे विकास का सबसे बड़ा आधार नहीं है और न ही मापदण्ड हो सकता है। इसलिए मैंने उसकी मिसाल दी है।

उपाध्यक्ष जी, एक बड़ी चीज जिस पर ज्यादा सदस्य बोलते हैं। मिथला विश्वविद्यालय की परिचर्चा मे मैं था। वहां पर शिक्षक भी बोले और प्रोफेसर भी बोले कि महंगाई में कमी हो रही है लेकिन बाजार में कीमतो में कमी नहीं आ रही है। यह बहुत मामूली सी बात है। आज भी हमारे कुछ मित्रों ने कहा है कि महंगाई बढोत्तरी हो रही है लेकिन रफ्तार ज्यादा है या कम? बाजार मे सन्तुलन कहां से आयेगा? आमतौर से बाजार तो हमेशा महंगा होता ही जा रहा है। आप इस बात को कहेंगे कि मुद्रा पर हम कितना वजन देंगे। 100 मन देंगे या 40 मन देंगे। गणित के हिसाब से वह रफ्तार म रहेगा लेकिन उपभोक्ताओं के लिए वह फर्क नही लाता है। इस सरकार का आखिरी साल बीत रहा है। चुनाव मे शासक दल ने वायदा किया था कि 100 दिनो के बाद हम बाजार को पीछे ले आयेंगे, महंगाई को पीछे हटायेंगे। क्या वह कभी पीछे हटी? वह जहा थी वही रही है। इन पांच साल में क्या वृद्धि हुई है? मैं चाहूंगा कि कल वित्त मंत्री जी अपने सीधेपन और खरापन का सबूत देकर यह कहे कि शासक दल ने वह वचन भंग किया है। जो वायदा चुनाव के समय किया गया था, वह भंग हुआ है और आज तक वह संभव नहीं हुआ है। क्या आज इस वित्तीय नीति को लेकर, इस बजट और वित्त विधेयक को लेकर वित्त मंत्री जी हमे कहेंगे कि कम से कम आज मूल्य जहां है, वे वही रहेंगे। मैं उन्हें घटाने की बात नहीं करता हूं और न ही आशा करता हूं लेकिन कम से कम जो उपभोक्ता सामान है, आज उनकी कीमत इस मई महीने में जहां है, वही रहे या इस साल वित्तीय वर्ष के अंत तक वही रहें।

श्री मनमोहन सिंह : दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जहां महंगाई नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : दुनिया में है और थी। आज क्या हो गया? ...(व्यवधान) हमें आजाद देश से गुलाम बना दिया गया। इसलिए तो मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप उस रास्ते पर मत जाईये। आप मीर जाफर और एडीसन के रास्ते पर मत जाईये। आज यह एडीसन रोग पूरी दुनिया में हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्वाभिमान भी कोई चीज है, देश भक्ति भी कोई चीज है। आप बुरों की मिसाल मत लीजिये। एडीसन ने हमारे साथ क्रायोजनिक इंजन का करार रद्द कर दिया था। वहां के लोग अभी तक इसके लिए उनकी निन्दा करते हैं। इसलिए आप बुरों की मिसाल मत लीजिये। आज इन 46 सालों में एक चीज की कीमत एक प्रतिशत तक नहीं बढ़ी। आप तो ज्यादा जानते है कि संसार मे यह बात थी इसलिए जहां तक कीमत का मामला है, मैं चाहूंगा कि इस महीने में वित्त मंत्री जी को कोई दिक्कत नहीं होगी जबकि मुझे समझाने में दिक्कत हो सकती है। किसानों के लिए हम मूल्य को लाभकर कहते हैं कि उसको सस्ता दो। तब कहीं से कोई आता है और कहता है कि दो रुपये किलो देने हैं, आप अपने खजाने से पैसा दो। कोई दूसरा निकलेगा तो वह एक रुपये कह देगा। अगर आप नोट छापेंगे तो मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। इसलिए मेरी राय है कि एक समय की मूल्य नीति आप रखें जिससे वास्तविक उपभोक्ता को, प्राईमरी प्रोडयूसर को-मैं बीच के मुनाफाखोर की बात नहीं कर रहा हूं वास्तविक कृषि उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिलें। जो हमारे वास्तविक उत्पादक हो और जो मूल्य वास्तविक उपभोक्ता को देना पड़े, उन दोनों में कोई समय नीति तय कर दीजिये। आप 20 प्रतिशत 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत कर दीजिये लेकिन वह इससे ज्यादा न होने पाये ताकि उपभोक्ताओं के हित की रक्षा हो।

कृषि के लिए बिजली, पानी, बीज उरवर्क, जो भी औजार है, उपदान है, उनको आम निश्चित मूल्य पर दें ताकि मुद्रा स्फीति को बढ़ाने में कृषि क्षेत्र आपके लिए और भी मुसीबत न बन जाए। एक समेकित मूल नीति को रखकर सहायक सामान को जन वितरण प्रणाली के जरिए देकर मूल्य पर नियंत्रण करने में आप सफल हो सकते है। उस प्रणाली का ढांचा आपके यहां मौजूद है, लोगों की मनोवृत्ति अभी मौजूद है। इसलिए विश्व व्यापार संगठन के हुकुम को लागू करने में आपको कठिनाई हो रही है। मै चाहूंगा कि एक समेकित मूल्य नीति को रखें और बैंकों पर नियंत्रण करें। बैंक मुनाफाखोरों को आसानी से ऋण दे देता है, छोटे उत्पादकों को नहीं देता। सामान ज्यादा होगा, पैसा उतना ही रहेगा तो महंगाई में कमी आएगी लेकिन बैंक के पैसें से देश के मुनाफाखोर, बड़े थोक व्यापारी माल खरीदकर गोदाम में बन्द कर देते है। उपभोक्ता तो गोदाम में बन्द नहीं होता, बाहर रह जाता

है। तब एडम स्मिथ, मार्शल और कीन्स का अर्थशास्त्र चालू हो जाता है कि बाजार में माल कम है उपभोक्ता ज्यादा है इसलिए कीमत बढ़ती है और बढ़ी कीमतों पर वे दुगने, तिगुने दाम पर लूट लेते है। वास्तविक उत्पादन करने वाला किसान खुशहाल नहीं होता, वास्तविक उपभोक्ता खुशहाल नही हो पाता लेकिन जो कुछ नही करता, वह सारे पैसे को लेकर मालामाल हो जाता है। मुद्रा स्फीति बढ़ती है हमारा बजट घाटे में रहता है, देश के करोड़ो लोगों के परिवार का बजट घाटे में रहता है। हमारे घर में हमारी ही दियासिलाई में आग लग रही है। इस पर आप रोक लगाइए। बैंकों का पैसा उत्पादन बढ़ाने के लिए दिया जाए। उत्पाद कारखाने में बढ़े, हमे एतराज नही है, मझलें, छोटे उद्योगों को दिया जाए, गृह उद्योगों को दिया जाए, गृह उद्योगों को बढ़ाने के लिए दें। यदि आप बैंको को नही रोकेंगे तो वे आपके उद्देश्य को जिस उद्देश्य के लिए हमने राष्ट्रीयकरण करवाया था विफल कर देंगे। यदि मुझसे पूछा जाए कि चौथी लोक सभा में सबसे बड़ा काम कौन सा हुआ तो मैं कहूंगा कि बैंक राष्ट्रीयकरण का हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस से निकाली गई थी। अब वह विफल होता लग रहा है। उत्पादन के काम में बैकों को बीमारी लग जाती है, वे रूपया दे नही पाते, देना नही चाहते। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, जहां तक देश के उतपादन को बढ़ाने का मामला है, मैंने पहले भी कहा और आज भी जोर दूंगा वह 90 करोड़ का देश है, हमारे पास 180 करोड़ हाथ है जो सबसे बड़ी शक्ति है। विद्युत पर ज्यादा लगाइए, छोटे औजार बनाइए। अपने बजट में, वित्त विधेयक में आपने आंख और कान के लिए औजारों को मंगाने पर छूट दी है। लेकिन हम उन औजारों को बनाने वाले यंत्रों को क्यों नही मंगाते? हृदय का वाल्व अमरीका से मंगाना पड़ता है, कुछ उत्पादन यहां शुरु हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि आप मूल चीज को, जो हमारे पास नही है, मंगाएं। यह नही हो कि इन्हे मंगाकर केवल आयात-निर्यात और निर्यात-आयात में फंसे रह जाएं।

इसी प्रसंग में इंडियन पेटैन्ट एक्ट को आप खत्म करने में लगे हुए है। यह ठीक है कि वह विश्व व्यापार संगठन से टकराता है लेकिन हमारे इंडियन पेटैन्ट एक्ट 1973 में पारित हुआ था। उस समय भी मैं लोक सभा में था। मेरा आग्रह होगा कि आप पेटैन्टिंग पर रोक लगाकर विज्ञान की वृद्धि पर रोक लगा रहे है, विकासशील देशों पर विशेष रोक लगा रहे है। कृपा करके यह आवाज उठाएं कि हम अभी लड़ेंगे। यह नही है कि इमान के नाम पर कोई अंतिम शब्द आ गया है कि इसमें कोई परिवर्तन नही होगा। इस लड़ाई को और आगे बढ़ाए और औजारों के बदले मूल यंत्र को मंगाने में सहायक हों।

वित्त मंत्री जी ने कुछ सुझाव दिए हैं राष्ट्रीय उद्योग खत्म हो रहा है। कुछ लोगों ने हटिया का जिक्र किया है जिसमें प्रति वर्ष एक बोकारों पैदा करने की क्षमता है। उसमें काम करने वाले अफसर, मजदूरों से भी आप त्याग करने को कहिए। कम से कम मैं कह रहा हूं। मैं इस पक्ष में नही हूं कि कारखाना खत्म हो जाय, वह सारा हमे खजाने से दीजिए और कारखाना बन्द रहे, क्योंकि मैं मजदूर के लिए सारी जिंदगी जान देता रहा हूं तो मुझे यह कहने में शर्म लगती है। लेकिन वह कारखाना लाभप्रद बने। उसको बहुत साल तक देश में आर्डर नही मिल रहा था और विदेश से माल आता था। वह कारखाना बीमार पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसपर वित्त वस्तु भी बोलने वाले हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : एक तो अपने रात में समय दिया है, बीच में नही दिया है, इसलिए हमको थोड़ा सा समय दीजिए। इसलिए मेरा जोर नही था, आप कल भी दे देते तो कोई बात नही थी।

इसलिए मेरा कथन है, मैं भीख की बात नही कह रहा हूं, बेकार आदमी को काम दीजिए, यह भी मैं नही कह रहा हूं लेकिन जिन लोगों की जवानी बेकार जा रही है और देश को फायदा नही हो रहा है, उनका हुनर, उनकी जवानी, उनकी योग्यता का इस्तेमाल देश के लिए कीजिए और उनको माकूल तकनीकी दीजिए, जो घर में इस्तेमाल हो। विद्युत जरूरी है, अब पुराने फावड़े और हल से नये बच्चे काम करना नही चाहेंगे, चाहे आप उन्हे खेत मजदूर कहे, चाहे वह जो भी हो। इसीलिए मेरा आग्रह है कि जो भी सीमांत किसान है, जो भी खेत मजदूर है, हमारी सरकारी परिभाषा में एक एकड़ जमीन से कम वाले सभी खेत मजदूर है, जो भी युवक स्वनियोजित उत्पादक कामों के लिए इच्छुक है, बहुत से किस्मों के काम, निर्यात के लिए भी और अपने यहां के लिए भी, उसमें आप जरा हिम्मत कीजिए, उसमे थोड़ा पैसा लगेगा, जो पैसा सामान पैदा करेगा, उससे मुद्रास्फीति नही बढ़ेगी, वह एक के बदले में तीन ले आयेगा। मैं चाहूंगा, वित्त मंत्री जी उत्पादन के रूप में अपनी पूरी अर्थशास्त्रीय समझ को देश की वित्तीय नीति में लगाकर चले और उसमे बैक को ऐ बहुत की मददगार साधन के रूप मे लें। बैक का यह उद्देश्य भी है।

जो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, वह संकट में पड़े हुए है। एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैक संगठन का सुझाव था, इसपर आप क्या कर रहे है, मै चाहूंगा कि इस चीज को भी कल आप स्पष्ट करें कि आपकी इसपर क्या नीति है। मै नहीं चाहता हूं कि वह बैक भी देश पर बोझ बन जाय। जो कर्मचारी मेरे पास आये, मैंने कहा कि आप इसको लाभकारी बनाइये, वसूलने में जाइये, लेकिन पता नही कल हममें से कौन कह देंगे कि 20 हजार तक हम अगली बार माफ कर देंगे। (व्यवधान) मैं नही बोलूंगा, मैं केवल बिन्दुओं को छूता जा रहा हूं मैं तर्क में ज्यादा नहीं जा रहा हूं।

उसी में मेरा आग्रह होगा कि जिसको लोग ऋण देते हैं, उसमें बैंकर, की जिम्मेवारी होनी चाहिए, बैंक प्रबन्धक की, शाखा प्रबन्धक की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हमने गरीबी की रेखा के लिए, चाहे प्रधान मंत्री की एक लाख रूपये योजना के लिए दिया, वह स्कीम कायम है या नही। मैं आग्रह करूंगा कि तीन साल के बाद, दस साल के बाद हम हस्तक्षेप करें। आप दो जिलों, मधुबनी और दरभंगा में कर दें कि पिछले चार, पांच या छह साल का पैसा गया कहां। उसमें बैंक ने भी खाया, ब्लाक ने भी खाया और जिसको मिला है, वह भी खा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बीज खा लेगा, वह किसान नही है और हमारी जनतंत्र की कायरता के चलते हम लोग ज्यादा कहने से डरते है कि एक किसान भी खाता है, गरीब भी खाता है, मजदूर भी खाता है, इसलिए कम से कम यह नही करेंगे तो क्या होगा, आप कितना भी पैसा दीजिएगा, वह उत्पादन में नही जायेगा।

इसीलिए मेरा आग्रह है, तीन साल पहले एक बार मैंने सदन में कागजात रखे थे, यहां से वित्त मंत्री जी ने जांच करवाई थी, रिजर्व

बैंक की जांच में भी वह सही पाया। 18,000 हरिजन 16 आना भूमिहीन थे, उनको एक भी पैसा दिये बगैर निशान लेकर बिहार के पूरे बैंक वाले खा गये। मधुबनी जिले के खजौली में स्टेट बैंक छहर गांव के हरिजन अड़े रहे और मुकदमा अब चला है। आज वह थाली बेचकर गवाही दे रहे है और उधर से वसूली का नोटिस आ रहा है। वह मेरे पास आते है कि क्या करेंगे, मैंने कहा कि इसमें बैंक की गलती है, वह खर्चा दे। वहां तब जो मैनेजर था, उसकी प्रोन्नति हुई है और एक बूढ़ी जो गवाही देने आई थी, उसको उसने पांच हजार रूपया दिया। उस बुढ़िया ने अपनी भाषा में अदालत में कह दिया कि हुजूर, हमको पांच हजार रूपया दिया है, कोर्ट ने उसको रिकार्ड करना शुरू किया है, थोड़ा रिकार्ड भी किया है, मैंने पढ़ा है। वह बुढ़िया कोर्ट से निकली तो वह पांच हजारा रूपया छीन भी लिया कि तुमने बता कह क्यों दिया। वह बैंक का अफसर अभी भी रहेगा? मैं जानता नहीं हूं, मैंने उसका चेहरा नही देखा है, न उसने मुझसे कहने की हिम्मत की है, मैं चाहूंगा कि उसपर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई तो हो, चूंकि वह हाकिम बना हुआ है, लड़ रहा है, भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगल-बगल लोगों को कह रहा है और जिनका पैसा खा गया, वह अब गवाही के नाम पर कचहरी में अपना खर्चा करके दौड़ रहे हैं। यह कुछ अपवाद का मामला है। आप अपवादी को पकड़े। मेरा आग्रह है कि आप वित्तीय मामलों में उदार बने।

राजस्थान नहर का काम अभी भी थोड़ा बाकी है। उसे क्यों नही जल्दी पूरा किया जाता है। यहां नर्मदा की भी बात हुई। उसमे आप पूरी शक्ति लगा दे। पैसे के नाम पर देरी नहीं होनी चाहिये। अगर 10 वर्ष का काम दो साल में पूरा कर लेंगे तो वह पूरे देश के लिये लाभकारक होगा। टिहरी का भी मामला है। हिमालय से बहने वाली नदियां है, करनाली नदी है, कोसी प्रोजेक्ट का मामला है, इससे विपुल और पनबिजली के मामले में हमारा देश धनी हो जाएगा, देश की काया पलट हो जाएगी। जिनको पिछड़ापन अच्छा लगता है, जनतंत्र को चलते वे चिल्लाते रहेंगे लेकिन मैं चाहूंगा कि पैसे के मामले में देरी न की जाए, क्योंकि खर्चा बढ़ता जाता है।

पश्चिमी कोसी नहर 30 वर्ष पहले शुरू हुई थी। भारत-नेपाल नहर है। नेपाल का काम पूरा हो गया है। तीन साल पहले 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन एक करोड़ भी खर्चा नही हुआ है। हमारे मित्र शाहाबुद्दीन जी यहां नही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर केन्द्र सपौंसर नहीं करेगा तो क्या होगा? बिहार के मुख्य मंत्री जी ने लिख कर दे दिया है कि जब तक केन्द्र सपौंसर नही करेगा तब तक हमसे कुछ नही होगा। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। केन्द्र में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

आज हर शहर और गांव में गैर कानूनी सूदखोरी चल रही है अभी मनी लैंडिंग ऐक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली हो, कलकत्ता हो, जयपुर हो, सारे भारत के गांवों में महाजारी सूदखोरी चल रही है, वह सालाना नही, हफ्तावारी और रोजाना सूदखोरी है। आप इसको रोकने का कोई उपाय ढूढिये। जो मेहनत करने वाले है, उन्हे पूरा हक मिलना चाहिये। लाखों बिहार के लोग पंजाब और हरियाणा मजदूरी करने आते है। उनकी तीन चौथाई कमाई सूदखोरी में चली जाती है। या तो आप कानून ही खत्म कर दीजिये, जिस की जो मर्जी आये वह सूद ले, या फिर सूदखोरी को पूरी तरह खत्म करवा दीजिये। बहुत साल पहले जब जुल्म बढ़े तो एक पैगम्बर को पैदा होना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक पैसा भी सूद खाकर पांच बार नमाज पढ़ता है तो मुसलमान नही हो सकता। आप वित्त का पैगाम दें। आज कानून का खुले आम उल्लंघन हो रहा है। सूदखोर बिना मेहनत किये लोगों को लूट रहे है। आज इस समय देश में संकट है। एक राम प्रीत पंडित है, किताब के पंडित नही, चक्की वाले पंडित है..(व्यवधान).. आप एक ऐसा पम्पिंग सेट निकाले जो बिना बिजली और डीजल के चले जिससे किसानों को फायदा हो। राज्य सरकार से ऐसे पम्पिंग सेट की मैं आशा नही रखता हूं क्योंकि उनका पैसा दूसरे कामों में चला जाता हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि वित्त मंत्री जी इसमें कुछ साहस दिखाएं। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक राजनीतिक दल को चर्चा के लिये समय आबंटित कर दिया गया है। अतः आप यह बात ध्यान में रखें।

मेरा विचार है कि हम कुछ और समय बैंठे। कुछ और मान्य सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते है। हम आधा घंटा और बैठें क्योंकि कल समय कम होगा और यह बहुत कठिन होगा। अतः श्री चित्र बसु अपना भाषण अब आरम्भ करेंगे।

7.00 म० प०

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक का विरोध करता हूँ। मुझे आशा है वह मेरे विरोध का कारण भी समझते है। सरकार को स्थिति की वास्तविकता से अब सबक लेना चाहिये और स्थिति की समीक्षा करनी चाहिये और निश्चित निष्कर्ष निकालना चाहिये। वित्त मंत्री ने यह दावा किया है कि अर्थव्यवस्था में सुधार उनकी नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप हुए हैं। यह काल्पनिक हैं और इसकी जांच आवश्यक है।

मैं विधेयक का मुख्यतया इस लिये विरोध करता हूं क्योंकि विधेयक में निहित प्रस्ताव नई आर्थिक नीति के सिद्धान्तों पर आधारित है। अतः जब तक हम वास्तव में नई आर्थिक नीतियों के नकारात्मक और सकारात्मक परिणामों का मूल्यांकन नही कर लेते तब तक यह राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि की हमारी आर्थिक नीति का मुख्य आधार नहीं बन सकता।

भारतीय दरिद्रता की तस्वीर बहुत ही दिल दहलाने वाली और हृदय विदारक है। व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् के अनुसार मुश्किल से दो से तीन प्रतिशत लोगों की वार्षिक आय 78,000 रूप्ये है। और एन. ई. पी ने भारतीय जीवन की इस गम्भीर गरीबी की समस्या की ओर ध्यान नही दिया हैं आप यह दावा करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है लेकिन कोई भी यह बात स्वीकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यू एन. डी. पी के मानवीय विकास प्रतिवेदन, 1994 से उद्धृत करने की अनुमति दी जाये। इसमें कहा गया है कि "भारतीय जनसंख्या की एक तिहाई से अधिक ग्रामीण गरीब जनता इसके लिये कीमत अदा कर रही है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है"

उनका कथन है कि देश की जनसंख्या के 30 प्रतिशत लोग सुधार के लिये कीमत अदा कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। मैं बाजार से कोई चीज खरीदता हूं। मैं उसकी कीमत अदा करता हूं लेकिन मुझे उससे वापिस कुछ नहीं मिलता। यही नई आर्थिक नीति का जादू है। नेशनल सैम्पल सर्वे, 1992 में कहा गया है कि: वर्ष। 1990-92 के दौरान निम्नतम 30 प्रतिशत ग्रामीण जन संख्या की खपत का हिस्सा 16 प्रतिशत से 15.6 प्रतिशत था और निम्नतम शहरी गरीब जनसंख्या की खपत का हिस्सा 13.4 प्रतिशत से से घटकर 13.17 हो गया था। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में मध्यवर्गीय जन संख्या की खपत में कमी आई। केवल उच्चतम 30 प्रति जनसंख्या को ही लाभ हुआ" ...(व्यवधान)

श्री मनमोहन सिंह : यह स्थिति 1990-92 की है। संकट के इन वर्षों में आप क्या अपेक्षित करते थे?...**(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : अतः आप मेरी बात स्वीकार कर रहे है कि आम जनता के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया ...**(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह : आप आंकड़ो का दुरूपयोग कर रहे हैं। यह 1991-92 के हैं। इससे अधिक क्या हो सकता है?

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : वित्त मंत्री कहते हैं आप आंकड़ों का दुरूपयोग कर रहे है।

श्री चित्त बसु : जी, नही। मैं यह कह रहा हूं कि एन. ई. पी. के अनुसार अधिकांश लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। यही मेरे कहने का अभिप्राय है ..**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

यह तो 1992 का है, 1991 का जो पोजीशन था उससे बेहतर तो नहीं हुआ।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : हमने सब कुछ आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में दिया है। आप अध्ययन नहीं करते।

श्री चित्त बसु : आपकी पहले नीति कुछ भी हो, अब क्या है?

श्री मनमोहन सिंह : हमने सब कुछ आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन मे दे दिया है।

श्री चित्त बसु : क्या आप इस बात का दावा करते हैं कि अधिकांश आम आदमी की स्थिति में सुधार हुआ है? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मनमोहन सिंह : क्या आप उन आंकड़ो को चुनौती देते है?

श्री इन्द्रजीत : उन्होंने कहा कि आप आंकड़ो को अपने तरीके से..**(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : जी, नहीं। उन्हीं आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है और यह बात को न्यायोचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सेष है तो एक समिति का गठन किया जाना चाहिये। एक ऐसी संस्था का गठन किया जाये जो मेरी चुनौती की जांच करे कि क्या एन. ई. पी. की अवधि के दौरान देश के निम्नतम वर्ग की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है। इस बारे में विशेष अध्ययन किया जाना चाहिये। और अध्ययन के परिणाम के आधार पर यह बताया जाना चाहिये कि ऐसी हुआ है। जब तक ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया जाता, मेरे विचार से सभा सरकार के इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकती।

श्री इन्द्रजीत : मैं आशा करता हूं कि आप अन्य संसदीय समिति की मांग नहीं कर रहें हैं।

श्री चित्त बसु : मेरे विचार से आपका प्रस्ताव है क्योंकि आपको संयुक्त संसदीय समिति के परिणाम की जानकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर आयें।

श्री चित्त बसु : मेरे कहने का मुख्य अभिप्राय यह है कि नई आर्थिक नीति के लागू किये जाने से अधिकांश आम आदमी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। समाज के गरीब वर्ग की स्थिति में इससे कोई परिवर्तन नहीं आया है।

मेरे पास इस बारे में अन्य तथ्य भी है। 1991-92 मे प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता 510.1 ग्राम थी जो 1994-95 मे घटकर 465.6 ग्राम रह गई। यह भी आपके ही आंकड़े हैं। लगातार अच्छी वर्षा के परिणामस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में प्रशंसनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 में प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धता 24.1 मीटर थी जो 1992-93 मे घटकर 23.7 मीटर रह गई है। जहां तक समाज के निम्नतम व्यक्तियों की खपत का सम्बन्ध है। उन में सुधार के क्या संकेत हैं? मैं वित्त मंत्री के इस सुझाव को स्वीकार करता हूं कि इस बारे में औपचारिक अध्ययन किया जाना चाहिये। मैं ऐसे अध्ययन की मांग करता हूं।

मुझे कुछ और आंकड़े प्रस्तुत करने है। वर्ष 1990-91 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या 35 प्रतिशत थी जो 1992-93 में बढ़कर 40.69 प्रतिशत हो गई। इससे यह बोध होता है कि ग्रामीण भारत में गरीबों की संख्या में 50 मिलियन की वृद्धि हुई। शहरी जनसंख्या 37 प्रतिशत से बढ़कर 37.74 प्रतिशत हो गई। यू एन. डी. पी. (1991) में अनुमान लगाया था कि भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 410 मिलियन है..**(व्यवधान)** अतः आज उनकी वास्तविक संख्या कितनी है। इस सम्बन्ध में तनिक भी उन्नति नहीं हुई है। सरकार का यह दावा कि नई आर्थिक नीति से भारतीय अर्थ व्यवस्था में सुधार हुआ है, यह भारतीय जीवन की सच्चाई का प्रतिबिम्ब नहीं है। विशेषकर जहां तक समाज के निम्नतम वर्ग का सम्बन्ध है, चाहे सरकार के इस बारे में दावे कुछ भी क्यों न हों।

सरकार का यह भी दावा है कि उसने कुछ क्षेत्रों में बजट में आबंटन में कुछ वृद्धि की है। जहां तक ग्रामीण विकास का सम्बन्ध है। औसत 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। लेकिन मुद्रा स्फीति की दर में कितनी वृद्धि हुई है? कुछ समय पहले यह स्वीकार किया गया था कि मुद्रा स्फीति की दर 11 प्रतिशत थी और अब आप दावा करते है कि इसमें कुछ कमी आई है। यदि मैं यह भी स्वीकार कर लूं कि मुद्रा स्फीति की दर 8.5 प्रतिशत अथवा 8.6 प्रतिशत है तब भी आबंटन नगण्य है। कुल निवेश के अनुसार यह 10 प्रतिशत नहीं है। यह इससे कम है। यदि बजट आबंटन में कुछ वृद्धि हुई है तो वह बहुत मामूली है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मामले में भी यह दी गई है। वृद्धि केवल 3.05 प्रतिशत है। चूंकि मुद्रा स्फीति की दर 8.6 प्रतिशत हैं, यह भी नकरात्मक वृद्धि है। जहां तक महिलाओं और बच्चों का सम्बन्ध है, मुद्रा स्फीति में भारी वृद्धि के बावजूद इन क्षेत्रों में वास्तविक निवेश में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के मामले में सरकार हमेशा घड़ियाली आंसू बहाती रही है। वर्ष 1994-95 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति में सुधार के लिये 275 करोड़ रुपये दिये गये थे लेकिन उस वर्ष उक्त राशि घटाकर 273 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसका क्या मतलब हुआ? समाज कल्याण क्षेत्र के लिये बजट में किये गये आबंटन में वृद्धि की स्थिति की वास्तविकता को देखते हुए भी बनाये नहीं रखा गया।

अब मैं सरकार का ध्यान ऋण सम्बन्धी स्थिति के बारे में आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने उनके द्वारा दिये गये आंकड़े भी एकत्र किये हैं। 14 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार हमारे ऊपर 5,41,800 करोड़ रुपये का ऋण था। मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट देखी है उसमें कहा गया है विदेशी ऋण की दर में 9 करोड़ रुपये प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही है। अब क्या होगा ब्याज के भुगतान का क्या होगा? गत वर्ष यह लगभग 44,000 करोड़ रुपये था इस वर्ष इसमें और वृद्धि होगी और आगामी वर्ष में इसमें और अधिक वृद्धि होगी। हमें ऋण पर ब्याज का भुगतान करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा बाहर से और अधिक धनराशि लेनी होगी। यदि यह ऋण जाल नहीं है तो और क्या है? यदि सरकार ऋण लेती है और उसके एक भाग को ब्याज के रूप में चुका देती है, इसका यह अर्थ है कि हम पहले ही कर्जदार हैं। क्या माननीय मंत्री बतायें कि इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है? क्या हम पहले ही कर्ज के जाल में हैं? क्या हम ऋण जाल से कितनी दूर है? क्या हम वास्तव में ऋण जाल को दूर कर सकते है?

मैंने पहले सदन् में एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था जिसमें यह व्यवस्था थी कि ऋण की सीमा होनी चाहिये। क्या सरकार को अपनी इच्छा अथवा अपने मूल्यांकन के आधार पर जितनी भी धनराशि का ऋण लेना चाहे ऋण लेने की अनुमति दी जा सकती है?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, अभी एक अथवा दो सदस्यों ने बोलना है। कृपया संक्षिप्त में बोलें।

श्री चित्त बसु : जी, हां। मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। अन्ततः मैं अनुरोध करूंगा कि चूंकि संविधान में विदेशी ऋणों की सीमा बांधने का प्रावधान किया गया है, सरकार को इस बारे में एक विधान लाना चाहिये अथवा मेरे विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये जिसमें कहा गया है कि देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ऊपर संसद का पूर्ण नियंत्रण है। मैं चाहता हूं कि मेरे और सहयोगी भी बोलें। अतः मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री चित्त बसु : यह मेरा कर्तव्य भी है। हमारे सहयोगी भी अपने विचार व्यक्त करें। मैं एक भारतीय नागरिक हूं और मैं एक देश भक्त हूं। और मुझे उनका अवश्य बचाव करना चाहिये। मैं विधेयक को स्वीकार कर देश को बरबादी के रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, जैसा कि इस विधेयक से पता लगता है। अतः मैं विधेयक का एक बार फिर विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम टहल चौधरी।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : हम चार बजे से बैठे हुए हैं, हमारा नाम नहीं आया है। कालकादास जी ने व्हिप के नाते लिख कर भेजा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपको नामों की सूची भेजूं ताकि आप अपने नाम की जांच सूची में कर सके?

प्रो० रासा सिंह रावत : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि नाम केवल व्हिप के माध्यम से आने चाहिये। यदि पीठाध्यक्ष आपको सहयोग दे रहे है, तो आप उन्हें जब चाहे नाम नहीं भेज सकते।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : खंडूरी जी ने भी मेरा नाम दिया था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं नामों की सूची आपको भेज रहा हूं। आप इस बारे में अपने व्हिप की सहायता से जांच कर सकते है।

श्री राम टहल चौधरी (रांची) : मैं वित्त विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब मनमोहन सिंहजी वित्त मंत्री बने तो देश के लोगों को इनसे बड़ी आशाएं थी और उन्होंने इन पर विश्वास व्यक्त किया था। अगर उसको आधार मानकर आप देखे तो पायेंगे कि गांव में रहने वाले लोगों और गरीब लोगों को कोई फायदा इनके बजट से नहीं पहुंचा है। किसानों की बात कही जाती है, लेकिन किसान के काम आने वाली खाद, दवा आदि चीजें जो उसे काम कीमत पर मिलनी चाहिए, महंगे दामों पर मिलती है। जबकि हम उसमें सब्सिडी देने की बात करते है। किसान के काम-आने वाली हर चीज के दामों में वृद्धि

हुई है और किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। गरीबों को वृद्धा पेंशन देने की बात कही जाती है। लेकिन बिहार में एक साल से वृद्धाओं को पेंशन नहीं मिल पाई है। यह सब कुछ देखने पर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि गरीबों के लिए कुछ काम हो रहा है।

जहां तक गांव के विकास की बात है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आप किसी भी क्षेत्र में देखें इन चार वर्षों में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मैं अपने क्षेत्र में स्थापित एच. ई. सी. की बात कहना चाहता हूं। नेहरूजी ने इसको मदर इंडस्ट्री कहा था। इसके अंदर हजारों इंडस्ट्री चलती है और लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है। वहां पर करोड़ों रूपयों का घोटाला होता है। लेकिन थोड़ी सी रकम के लिए, 300-400 करोड़ रूपये के लिए, जैसा कि आपकी समिति ने सिफारिश भी की है, वह नहीं दी जा रही है। इससे वहां की हालत बड़ी दयनीय हो गई है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्रीजी से कहूंगा कि वह इस फैक्टरी को देखें, देश को इस पर नाज है, इसे बचाने के लिए वे हर सम्भव सहयोग दे तो उसका फायदा होगा। आप जो भी थोड़ी सी रकम देते है, वह बैंक में ही सूद के रूप में कट जाता है, इंडस्ट्री को नहीं मिलता है।

यह जो कुव्यवस्था है, इसको आप ठीक करें और उस फैक्टरी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें।

पहले तो कहीं-कहीं गांवों में बिजली लगती थी, लेकिन पिछले चार वर्षों में किसी गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ। इससे लोगों का विश्वास सरकार से हटा है। जब हम लोग बिजली कार्यालय जाते हैं तो वे कहते है कि फण्ड्ज नहीं है। रोजगार योजना में आपने जो पैसा दिया है, उसमे हमे अपने क्षेत्र में घूमने से पता लगा है कि कुछ काम हुआ है, मगर भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि जो पैसा आप देते है उसका सही उपयोग नही हो पाता है। जो पैसा आप देते है उसे लिए साल में एक बार समीक्षा करवाएं और जहां गड़बड़ी होती है उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो, तभी पैसा देने का फायदा होगा। बिहार में आप जो पैसा देते है, उस पैसे का दूसरी मद में उपयोग किया जाता है और जिस काम के लिए पैसा दिया जाता है उसमें उपयोग नहीं होता है। हरिजन और आदिवासी छात्रों के लिए जो छात्रवृति दी जाती है, वह भी छात्रों को नहीं मिलती है।

आजादी के 45 साल बाद भी लोगों को पीने का पानी उलबध्ध नही है, बिजली नही है, गांवों मे आवागमन की सुविधा नही है। हमारे क्षेत्र में छोटा नागपुर और संथाल्परगना क्षेत्र को लोग अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे है। आप वहां से बहुत रॉयल्टी ले रहे है, क्योंकि वहां बहुत कारखाने है और बहुत सी खाने हैं मगर उस क्षेत्र के लोगों को अभी भी बरसात में टापू मे रहना पड़ता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि एक सड़क सिली से चाण्डील वाया वारेन्द्र के लिए 30 वर्ष से बन रही है। उसके बन जाने से लोगों को सौ किलोमीटर का सफर कम तय करना पड़ेगा और ईन्धन की भी बचत होगी, उस गाव के लोग जो छह महिने टापू में रहते हैं उन की आवागमन की सुविधा होगी। मगर वह सड़क अभी तक नही बन पायी है। आप कहते है कि सबको साक्षर करना पड़ेगा।

हमारे बिहार में कहीं स्कूल में छात्र है, तो भवन नही है, भवन है तो 40-50 शिक्षको के स्थान रिक्त पड़े हुए है। ऐसी कुव्यवस्था है। कम से कम अपने जो पुरानी व्यवस्था बनायी है, उसको तो ठीक करे, मगर वह भी दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। आगे क्या होगा उसका तो भगवान मालिक है। दिन में दस-बारह घण्टे वहां बिजली नहीं रहती है। कल-कारखाने वहां से दूसरी जगह पलायन कर रहे है। इसलिए यह पानी, बिजली उपलब्ध कराने और गांव में विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी होगी...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप एकाध मिनट का समय और देते तो अच्छा होता।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैने आपकी बात मानी थी। आपको भी मेरी बात माननी चाहिये। आपको पता है कि मेरी आलोचना की गई थी

..(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : ठीक है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : मैं विधेयक का समर्थन करती हूं। मैं वित्त मंत्री का विकास प्रधान बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं। इससे बजट के श्रेष्ठ होने और गरीबी को ध्यान मे रखते हुए सामाजिक न्याय सम्बन्धी उद्देश्य सिद्ध हुए है। इससे सरकार के ये मूल विचार प्रतिबिम्बित होते है कि वर्ष 1991 की तुलना में अर्थव्यवस्था की स्थिति अब बहुत अच्छी है।

बजट में ग्रामीण विकास के लिये ठोस उपाय करने और गरीबों को सीधे राहत पहुंचाने का प्रस्ताव है।

देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और कृषि पर निर्भर करती है। पहले हम शहरी क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्रों को ही महत्व देते रहे हैं।

हमारा प्रगति और आधुनिकीकरण का मापदण्ड औद्योगिकीकरण था। देश के ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा होती रही। हमारी ग्रामीण जनसंख्या रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाने लगी है। हमने अपने किसानों के लिये समिति सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था की है। हमारे किसान वर्षा पर निर्भर करते हैं। जब वर्षा नही होती तो समस्त क्षेत्र में भारी अकाल पड़ जाता है।

यह हमेशा की बात हो गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र सुन्दरगढ़ उड़ीसा में 80 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के लिये कृषि सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। समस्त जिले को पेय जल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे जिले के लोगो को युद्ध स्तर पर पेय जल सप्लाई किये जाने की व्यवस्था की जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित बड़गांव में एक कृषि अनुसंधान क्षेत्र स्थापित करने की व्यवस्था की जाये।

उड़ीसा में अरबा-झोराबहल सामुदायिक सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के नौ करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा है। केन्द्र ने वर्ष 1994-95 में 3.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी थी। मैं कल्याण मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि 5.42 करोड़ रुपये की शेष राशि को शीघ्र स्वीकृति दी जाये जिससे परियोजना पूरी हो सके क्योंकि इससे 7000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी और सैकड़ो आदिवासी परिवारों को इसका लाभ प्राप्त हो सकेगा।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिये राष्ट्री बैंक के अन्तर्गत 2000 करोड़ की राशि से नई ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि की स्थापना की जानी चाहिये जिससे चल रही सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भूमि सुधार का दूरगामी प्रभाव पड़े।

वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि आधारभूत संरचना क्षेत्र हमारी एक और भारी कमजोरी है। उड़ीसा राज्य और विशेषकर मेरी निर्वाचन क्षेत्र में खनिज संसाधन भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन राज्य में बिजली, सड़क पतन, सिंचाई, रेलवे विमान सेवा और संचार सेवा जैसी आधारभूत सुविधाओं का भारी आभाव है।

हमारी आर्थिक उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थपित करने पर पांच वर्ष तक कर न लगाने की छूट की व्यवस्था है। लेकिन उपरोकृत आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण एक भी औद्योगिक गृह ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग लगाने की पेशकश नहीं की है ज़बकि लोह-अयस्क जैसे खनिज का वहां भारी भंडार है।

राष्ट्रीय राजपथों की हालत बहुत खराब है। बरमित्रपुर से बानरपाल जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की शीघ्र मरम्मत की आवश्यकता है। भारी यातायात के कारण रूरकेला-लाठीकटा राष्ट्रीय राजमार्ग को दोहरा करने की आवश्यकता है।

यद्यपि मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रसिद्ध रूरकेला इस्पात संयंत्र होने का गर्व है लेकिन इसे अभी तक विमान सेवा से नहीं जोड़ा गया है मैं इस मामले को बार-बार उठा चुका हूं लेकिन मुझे इस मामले में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। जब तक रूरकेला के लिये विमान सेवा आरम्भ नहीं की जाती, औद्योगिक गृह यहां उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षित नहीं होंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि दिल्ली से बरास्ता कलकत्ता, रूरकेला तक विमान सेवा आरम्भ की जाये।

मेरे क्षेत्र में दूरसंचार प्रणाली की ओर शीघ्र ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। 60 प्रतिशत से अधिक टेलीफोन खराब रहते हैं। ई/10 बी मशीनों को स्थपित करने में जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है।, यद्यपि एक वर्ष पूर्व ये मशीनें आ गई थी। सभी पंचायत मख्यालयों को टेलीफोन सेवा से नहीं जोड़ा गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस ओर शीघ्र ध्यान दें।

मेरे जिले के अनेक भाग अभी भी दूरदर्शन सुविधा से वंचित है। किर्मागर और बड़गांव में कम शक्ति का ट्रांसमिशन केन्द्र स्थपित किया जाना चाहिये। बोनाई एल. पी. टी. केन्द्र शीघ्र चालू किया जाना चाहिये। आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए रूरकेला में एक दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित किया जाना चाहिये।

सामाजिक समानता और गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी बजट में प्रस्ताव प्रशंसनीय हैं। ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, प्राइमरी शिक्षा और प्राइमरी स्वास्थ्य सम्बन्धी कायक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। हमारी प्राइमरी शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये। हमारे गांवों में स्कूल भवन नहीं है। इसके कारण छात्रों की संख्या बढ़ने की बजाये बहुत घट रही है। प्राइमरी स्तर पर ही शिक्षा छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत बढ़ी है।

मध्याह्न भोजन सम्बन्धी योजना को लगू करने से ग्रामीण बच्चों की संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। लेकिन स्कूल भवन न होने के कारण शिक्षक भी पढ़ाने के प्रति अधिक ईमानदार नहीं है। अत: इस बारे में किये जाने वाले सब प्रयास व्यर्थ जायेंगे। मेरा सरकार और सम्मानीय सभा से अनुरोध है कि इस मामले को राष्ट्रीय चिन्ता का मामला समझा जाना चाहिये। आदिवासी क्षेत्रों में और अधिक आवासीम सेन्ट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय खोले जाने चाहिये। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में बिरमित्रपुर में एक केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना चाहिये।

गांवों में प्राइमरी चिकित्सा के बारे में काफी काम किया जाना है। देश में और उड़ीसा में मेरे सुन्दरगढ़ जिले में शिशु मृत्यु दर और महिलाओं में प्रसवपूर्व ओर प्रसव के बाद मृत्यु दर सबसे अधिक है। बच्चों और महिलाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सुन्दरगढ़ में जच्चा-बच्चा देखभाल केन्द्र खोला जाना चाहिये।

राष्ट्रीय समाज सहायता योजना, जिसमे 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को 75 रूपये देने की व्यवस्था है, राज्य सरकार द्वारा ईमानदारी से लागू किये जाने से हमारे ग्रामीण लोगों को जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, काफी लाभ होगा। आवास समस्या आज देश की प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या है।

आज सैकड़ो लोगों के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, रहने के लिये आवास नहीं है और खाने के लिये भोजन नहीं है। इंदिरा आवास योजना गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिये एक बहुत उपयोगी योजना है। लेकिन हमारा पूर्व अनुभव यह रहा है कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास सुनसान क्षेत्रों में है जैसे उनका निर्माण अछूतों के लिये किया गया हो। इन कालोनियों के लिए पेय जल, बिजली आदि की व्यवस्था नहीं की गई है। इस कारण अधिकांश कालोनियो अनेक वर्षों बाद खाली पड़ी है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इन लोगों को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत बसाने से पूर्व अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाये जिससे लोग अपना नया जीवन आरम्भ कर सकें।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग आज समाज के सबसे गरीब लोगों में से है। आदिवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना से युवक शिक्षित बेरोजगार अपने पैरो पर खड़े हो सकेंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि रूरकेला के पूर्वी क्षेत्र में इस प्रकार के क्षेत्रीय बैंक खोले जाने चाहिये। अनुसूचित-जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त

निगम की भूमिका बड़ी निराशाजनक रही है। 'नाबार्ड' और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त निगम के कार्यकारण का मूल्यांकन समय समय पर किया जाना चाहिये और इन समुदायों को सहायता देने के लिये इन्हे प्रभावकारी संस्थाएं बनाया जाना चाहिये। मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विधेयक का विरोध करते हुये कुछ बातों की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहां की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार कृषि है। परन्तु आज हालत ऐसी है कि फर्टिलाईजर्स पर सबसिडी कम हो जाने के कारण जहां उनके रेट्स बेतहाशा बढ़ गये है वहीं किसानों की उत्पादन लागत भी बढ़ती जा रही है और किसान का उत्पादन उसके लिये काफी घाटे का सौदा होता जा रहा है। यदि इस देश का किसान घाटे में रहेगा तो निश्चित रूप से आप भले ही अर्थ व्यवस्था के उदारीकरण के नारे लगाते रहे, ग्लोबलाईजेशन की बाते करते है, आर्थिक सुधारों की चर्चा करते रहे या कुछ और बड़े नारे लगाये और लोगों के बीच जोरो से उनका प्रचार-प्रसार करते रहें लेकिन वास्तव में धरातल पर लोगों की हालत खुशहाल नही बन सकती। गरीबी बढ़ी है और बढ़ती चली जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो चित्र आम उपभोक्ता का, आम नागरिक का आता है वह यह आता है कि जिसके ऊपर महंगाई का बोझ है, भुखमरी का बोझ है, भ्रष्टाचार का बोझ है, इनसे दबा हुआ है। यह जो छूट दी गई है यह ऐसी ही है जैसे भिखारी आदमी को माननीय वित्त मंत्री रोटी का एक टुकड़ा देकर अपनी ओर आकर्षित कर रहें है। यह हालत आज हमारे आम नागरिक की है और हम सुधरे हालात की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे अन्य लोग भी बोल रहे थे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे जो स्वदेशी उद्योग है उनमें लाखों लोग बेरोजगार हो रहे है। लगभग 22 लाख इकाइयों मे से 5 लाख इकाइयां बन्द होने के कगार पर है और श्रमिको को उनमें से निकाला जा रहा है। उद्योग बीमार है। एक्साइज ड्यूटी उन पर लगाई जा रही है। इससे हमारे घरेलू उद्योग बहुत नुकसान उठा रहे है, लेकिन बाहर के लोगों (बहुराष्ट्रीय कम्पनियों) को छूट देकर के यहां बसाने के लिए, इकाइयां खुलवाने के लिए मदद दी जा रही है। इस प्रकार से यदि हम अपने उद्योग के मूल ढांचे पर आघात करेंगे, अपनी मूल संस्कृति पर आघात करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा और जो अभी तक हम आत्मनिर्भर है, हमारी वह आत्मनिर्भर खत्म हो जाएगी।

इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कहा गया है "दारिद सम नहीं कोई दुख दूजा", यह रामायण में कहा गया है और राम-राज्य की जो कल्पना की गई है, उसमें भी तुलसीदास जी ने राम-राज्य का वर्णन करते हुए कहा है-

"नहीं कोई दुखी ना दारद दीना नही कोई अबोध न बिद्या हीना
दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहु व्यापा।"

यह परिभाषा है। इस तरह से यदि हम लोगों को कल्याणकारी राज्य की संज्ञा देते है, तो निश्चितरूप से हमें इन सिद्धान्तो के आधार पर चलना पड़ेगा, लेकिन जहां दरिद्रता का सवाल है, जहां गरीबी का सवाल है, यह बढ़ती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे लोग चर्चा कर रहे थे कि पीने के पानी की एक-एक बून्द के लिए लोग तरस रहे है। मेरे यहां, दमोह जिले में, दमोह-पन्ना विधान सभा क्षेत्र है, वहां पर चार दिन में एक दिन पानी मिलता है। आम नागरिक की सुविधाओं का यह हाल है। कांडा क्षेत्र एक आदिवासी क्षेत्र है। वहां आज भी 47 वर्ष की आजादी के बाद यह हालत है कि वर्षा के मौसम में चार महीने के लिए आदमी कैद हो जाते है। वहां से बाहर आने के लिए कोई साधन नही है। यदि कोई बीमार हो जाए, तो वही उसको मरना पड़ता है। आज यह हालत हमारे देश की ये भौतिक उपलब्धियां है कि अभाव इस हालत के सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए है। हमारे यहां नदियां बहुत है। सुनार, व्यारना, कोपरा में हसिन केन आदि, लेकिन इनके पानी का सदुपयोग नही हो रहा है। योजनाएं बनी है। तालाबों में 80 प्रतिशत काम हो गया है। नाबाक्लोसर का काम बाकी रह गया है लेकिन उसको पूरा नही किया जा रहा है और बीसाल से योजना अधूरी पड़ी है। उसका रेट बढ़ता जा रहा है। अब आमदनी कहां से होगी। उसमें जो मटीरियल लगने वाला है वह कीमती होता जा रहा है। जो काम पहले दो पैसे में होने वाला था उसमें अब दस गुनी लागत लग रही है। इस तरह से हम घाटे पर घाटा उठाते जा रहे है और हम आर्थिक सुधार की बात कर रहे है।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो किसान है, उनको अपनी फसलों के रेट प्राप्त नही हो रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि इसमें किसानों को प्रतिनिधित्व देकर जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन है उनमे उनको बैठाकर उनको लाभकारी मूल्य दिलाने की व्यवस्था करें। पिछले साल जुलाई में कांग्रेस की एक रैली हुई थी। उसमें लालकिले से माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि यह जो महंगाई बढ़ रही है वह इसलिए बढ़ रही है कि हमने किसानों को उनकी फसल का ज्यादा मूल्य दिया है।

उपाध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान जो कि वर्षो से खेती कर रहा है, उसे आज तक लाभकारी मूल्य नहीं मिला। उल्टे उसकी फसल ओला, बाढ़, बरसात व सूखा आदि के कारण नष्ट होती जाती है। उनको उसका न तो कोई मुआवजा मिलता है और न ही उनकी फसल के बीमा आदि देने का कोई प्रावधान है। यह हालत होते हुए भी प्रधानमंत्री जी यह कहे कि हमने उनको लाभकारी मूल्य दिया है, हमने किसानों को उनकी फसल की ज्यादा कीमत दी हैं, इसलिए वे रेट्स बढ़ रहे है। रेट्स बढ़ने के कारण दूसरे है। आज घोटले पर घोटाले हो रहे है, भ्रष्टाचार हो रहे है इसलिये ये रेट्स बढ रहे है। काला धन और कई प्रकार की समस्यायें आज आपके सामने है जिसके कारण यह महंगाई बढ़ती चली जा रही है। किसान के ऊपर

यह आरोप लगाये जा रहे हैं कि हमने उनको ज्यादा मूल्य दिये हैं, इस कारण आज उपभोक्ताओं और किसानों के बीच एक अविश्वास पैदा हो गया है। किसान को लोग अन्नदाता मानते हैं। वह श्रद्धा का पात्र है, वह खुद घाटे में रहकर खेती करता है लेकिन इस बयान के बाद उपभोक्ता के मन में यह शंका पैदा हो गयी है कि किसान को ज्यादा मूल्य मिल रहा है

इसके बावजूद भी किसान रो रहा है। वह अन्नदाता जो श्रद्धा का पात्र था, आज अविश्वास का पात्र बन गया है।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : मैं वित्त विधेयक 1995-96 का समर्थन करता हूं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर जिसमें स्त्रोत पर कर में 50 प्रतिशत छूट, व्यवसायियों और तननीकी सेवाओं में टी. डी. एस. पर बजट में लगाये कर को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना विज्ञापन ठेकों के लिए भुगतान आधारभूत योजनाओं के लिये कर न देने की छूट को और बढ़ाया जाना और जीवन रक्षक दवाइयों पर आयात शुल्क में छूट शामिल है के लिये वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

मैं वित्त मंत्री के मट्टी तेल के लिए 'माडवेट' के ऋण की अनुमति देने, ग्लास पार्ट्स सैल, ब्लैक एण्ड व्हाइट पिक्चर ट्यूब, कागज कागज बोर्ड पर आयात शुल्क में भारी कमी करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मुझे विश्वास है कि इन उपायों से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि उक्त रियायतें उद्योग और संसद सदस्यों से प्राप्त अभ्यावेदनों की कड़ी जांच के बाद दी गई है। वित्त मंत्री द्वारा घोषित विभिन्न रियायतों से अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।

'माडवेट' का विस्तार स्वागत योग्य है और इससे विकास को बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि शुल्क दरो में कमी का राजस्व पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि इससे कर ढांचे के सरलीकरण और युक्ति युक्तकरण में मदद मिलेगी। गत वर्ष के अनुभव से हमें आशा झलकती है।

आधारभूत क्षेत्र में निवेश करने वाली कम्पनियों अब अपना व्यवसाय आरम्भ करने के 12 वर्ष के भीतर कभी भी पांच वर्ष कर अवकाश की अवधि का चयन कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप सड़कों राज पथ, एक्सप्रेसवेज, नये पुल, हवाई अड्डे पत्तन और तीव्र परिवहन प्रणाली जैसे आधारभूत क्षेत्रों में निवेश करने वाली कम्पनियों को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

वर्ष 1995-96 के बजट प्रस्तावों की मुख्य सकारात्मक बातें निम्नलिखित हैं :

(एक) घाटा 5000 करोड़ रुपये के स्तर पर रखा गया है। वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जी डी पी का 5.5 प्रतिशत रखा गया है।

(दो) सीमा शुल्क में भारी कमी और बड़ी संख्या में निर्मित उत्पादों के लिये उत्पाद शुल्क में कमी। सीमा शुल्क में सबसे अधिक 50 प्रतिशत तक छूट दी गई है।

(तीन) आयकर छूट की सीमा 40,000 रुपये तक बढ़ाना। इसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति जिसकी प्रतिवर्ष आय 55,000 रुपये तक होगी, को कोई कर नहीं देना होगा नौकरी करने वाली महिलाओं के लिये यह सीमा 58,000 रुपये है।

(चार) केन्द्रीय परिव्यय 70141 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 78,849 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(पांच) रक्षा परिव्यय बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

(छः) विभिन्न मदों पर उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क मे की गई कमी से राजस्व में 2400 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है जिसकी भरपाई अधिक वसूली से होनी सम्भव है।

(सात) उर्वरक उद्योग के लिये खाद्य और अन्य कृषि उत्पादन पर राजसहायता में वृद्धि, खाद्य और अन्य राजसहायता 12,400 करोड़ रुपये तक चालू वर्ष में वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जी. डी. पी का 6.7 प्रतिशत हुआ है जबकि अनुमान 6.00 प्रतिशत का था। वर्ष 1995-96 में 5.5 प्रतिशत का घाटा होने का अनुमान था, यदि विकास दर बनी रहती तो ऐसा सम्भव था।

बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से धारा 80(एल) के अन्तर्गत आय छूट का स्तर 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है और टी. डी. एस. को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है।

शिक्षा स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिये बजट प्रावधान में भारी वृद्धि की गई है। और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया है। केन्द्र सरकार को विभिन्न राहतों के कारण लगभग 1582 करोड़ रुपये की हानि होगी।

उत्पाद शुल्क का लाभ प्राप्त करने वाले लघु उद्योगों के लिये छूट स्तर 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपया कर दिया गया है।

'नाबार्ड' के अन्तर्गत एक नई आधारभूत संरचना विकास निधि की स्थापना 2,000 करोड़ की राशि से करने का प्रस्ताव है जिससे ग्रामीण आधारभूत संरचना में परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये प्रोत्साहन मिल सके।

'नाबार्ड' भी सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा ऋण देने के लिये 100 आदिवासी जिलों में शाखाएं खोलेगी जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की स्थिति में सुधार लाया जा सके।

खादी और ग्रामोद्योग उद्योग, जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिये बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है को ग्रामीण क्षेत्रों मे आर्थिक रूप से समर्थ उद्योगो को वित्तीय सहायता देने के लिये 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं एस. आई. डी बी. आई. के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण निधि की स्थापना के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जिससे लघु उद्योगों की निर्यात क्षमता को मजबूत कर गुणवत्ता परियोजनाओं को सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गांव के गरीब लोगों को आवास के लिये राज सहायता का लक्ष्य दुगना कर 10 लाख आवास प्रति वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय सामाजिक योजना के अन्तर्गत वृद्धों और कमजोरों के लिये प्रतिमाह 75 रुपये पैंशन की व्यवस्था की गई है। लेकिन यह प्रावधान गरीबी से नीचे रह रहे 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियो के लिये किया गया है। उनके लिये पंचायतो द्वारा एक नई समूह जीवन बीमा योजना भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है। स्कूल बच्चो के लिये मध्याहन भोजन की योजना भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि 75 रुपये की राशि को बढ़ाकर कम से कम 125 रुपये कर दिया जाये क्योंकि यह मामूली राशि पर्याप्त नही है।

सीमित संसाधनों को ध्यान मे रखते हुए वित्त मंत्री ने 1995-96 के लिये बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आश्चर्यजनक कार्य किया है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावशाली क्रियान्विति, निगरानी और निधि समवर्ती मूल्यांकन किये जाने पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और विश्वसनीय उपलब्धियां प्राप्त और अधिक सुदृढ़ होंगे। तथापि मैं वित्त मंत्री से कुछ मामलो में भिन्नता प्रकट करता हूँ और कुछ मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा और सरकार से अनुरोध करुंगा कि उन पर अनेक गुण-दोष के अनुसार विचार करें।

निगमित क्षेत्र में निराशा व्याप्त है क्योंकि अधिभार में कमी नहीं की गई है। वेतनभोगी वर्ग को बचत और निवेश पर प्रोत्साहन के रूप में राहत दी जानी चाहिये।

सामाजिक कल्याण योजनाओं और ग्रामीण और शहर के गरीबों को प्रोत्साहन देने के लिये आरम्भ की जाने वाली योजनाओं के लिये आबंटित राशि में भारी वृद्धि किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। यदि योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाता है तो समाज के निर्धन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक जीवन स्तर मे भारी परिवर्तन आ सकता है। हमारा पिछला अनुभव यह रहा है कि निर्धन वर्गों के लिये आबंटित धनराशि उन तक नहीं पहुंचती है जिससे इनका मुख्य उद्देश्य ही असफल हो जाता है। त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिये निगरानी और समवर्ती मूल्यांकन अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि की जिम्मेवारी निर्धारित की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये, पढ़ने की अनुमति नहीं है।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मुझे पता है। मैं केवल दो या तीन मिनट लूंगा। यद्यपि सामाजिक असमानता और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया है, तथापि विलासित की वस्तुओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में भारी छूट दी गई है जिससे मुख्यतया अमीरों को ही लाभ होगा। ऐरिएटिड वाटर, एयर कंडिशनिंग मशीनरी, सौन्दर्य प्रसाधन आदि पर शुल्क में कमी से उन लोगो को कोई लाभ नही होगा जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। वास्तव में इन वस्तुओं और अन्य वस्तुएं जैसे शराब आदि पर शुल्क में वृद्धि की जानी चाहिये थी जबकि उनको छुआ तक नहीं गया है। इन वस्तुओं पर शुल्क लगाकर बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त किया जा सकता था और गरीबों के लिये सामाजिक कार्यों के हेतु और धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती थी।

इसके विपरीत सीमेन्ट पर शुल्क बढ़ाने से गरीबों की आवास योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय नीतियों में राजनीतिक वचनबद्धता को उचित महत्व दिये जाने की आवश्यकता है। कर्मचारी वर्ग मे यह मजबूत धारणा है कि गत चार वर्षों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के पैकेज के माध्यम से रुग्ण सरकारी उपक्रमों को पुन: चालू करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये हैं। रुग्ण सरकारी उपक्रमों को पुन: चालू करने और आधुनिकीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त है और कार्यक्रमों की क्रियान्विति त्रुटिपूर्ण हैं। अत: रुग्ण इकाइयों विशेषकर कपड़ा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लिये धनराशि का आबंटन प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में हो रहे विनिवेश को केवल इन इकाइयों के विस्तार आधुनिकीकरण आदि के लिये खर्च करना चाहिये। यद्यपि निजीकरण के कुछ विशेष लाभ हैं, परन्तु सब बुराईयों के लिये यह उपचार नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं भेल का उल्लेख करुंगा। इसकी तकनीकी दक्षता और वित्तीय स्थिति का अपना रिकार्ड है, फिर भी इसे आर्डर नहीं मिल रहे हैं। इसका कार्यनिष्पादन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना में बहुत अच्छा रहा है। जब कभी भी विश्वव्यापी टेंडर जारी किये जाते हैं सबसे कम बोली लगाने वाले को टेंडर दिया जाता है। आज हमारी अनेक विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। फिर भी भेल के लिये धनराशि और आडर की कमी है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वह इस बारे में ध्यान दें।

आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। देश के गरीब और कमजोर वर्गों तक इसका लाभ नहीं पहुंच रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त विभिन्न त्रुटियो और कमियों को प्रभावशाली ढंग से दूर किया जाना चाहिये और दोषी अधिकारियों और व्यापारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। मेरी यह राय है कि सामाजिक वितरण प्रणाली के बारे में अनेक बार चर्चा किये जाने के बावजूद इसका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिचय पत्र जारी किये जाने चाहियें। इस प्रकार जाली राशन कार्ड समाप्त हो जायेंगे। वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को लक्षित स्तर से भी ऊपर उठाने के लिये वास्तव में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रासा सिंह रावत अपना भाषण आरम्भ करें। आपका नाम पहली सूची में नही था।

...(व्यवधान)...

प्रो0 रासा सिंह रावत : मेरा नाम पहली सूची में था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुने। पहली सूची पर श्री खडूरी के हस्ताक्षर हैं।

[हिन्दी]

प्रो0 रासा सिंह रावत : मैं आसन के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए कहना चाहता हूं कि आसन का निर्णय सर्वोपरि है। आसन के प्रति पूर्ण......

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे एक और अन्य पत्र है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : एक व्यक्ति बोल गया और उसके बाद मेरा नाम था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुने। आपकी खराब धारणा नहीं होनी चाहिये। पीठासन ने कोई गलती नहीं की है। एक अन्य सूची भी है जिस पर किसी व्यक्ति ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

[हिन्दी]

प्रो0 रासा सिंह रावत : मैं आसन के प्रति सम्मान रखते हुए केवल एक व्यवस्था चाहूंगा कि जिस सूची के अन्दर दो मित्रों का नाम लिखा हुआ था, उस में एक मित्र पार्टीवार जी बोल गये, उनके बाद में मेरा नाम था, मैं भी मेरी पार्टी का सचेतक हूं लेकिन...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कोई पता नही भेजा है। अतः आप पूर्णतया गलती पर हैं। आप अपना धैर्य अनावश्यक ही खो रहे हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप पांच मिनट बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो0 रासा सिंह रावत : कालकावास जी के हस्ताक्षर हैं, सचेतक लिखा हुआ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर उचित रूप से हस्ताक्षर नहीं हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है?

प्रो0 रासा सिंह रावत : इस पर हस्ताक्षर हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : उसके ऊपर आप सब हस्ताक्षर कर सकते है।

[अनुवाद]

यह जरूरी नही है कि इस पर हस्ताक्षर हों?

[हिन्दी]

प्रो0 रासा सिंह रावत : मैं स्वयं सचेतक हूं। मैं भी चाहता तो लिखकर भेज देता। मेरे मित्रों ने स्वयं अपना नाम लिखकर भेज दिया, उनका नाम ले लिया, जो किसी व्हिप की तरफ से लिखा हुआ नहीं था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बहस न करें। आप अपना भाषण समाप्त करें। आप पूर्णतया गलती पर हैं। आप अपने कार्यालय में जो रिकार्ड रखते हैं उससे जांच कर सकते हैं। आप कृपया अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करें।

[हिन्दी]

प्रो0 रासा सिंह रावत : मैंने अपने सामने हाथ से लिखकर भेजा है। पर बोलना नहीं चाहता।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप बोलना नहीं चाहते? श्री थामस अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक बजट में प्रस्तुत उन प्रस्तावों के आधार पर लाया गया हैं जिनकी जनता बजट के रूप में प्रशंसा की गई है। अतः मुझे बजट की सामान्यता तथा नये वित्त विधेयक में लगाये गये कराधान के तरीके तथा वित्त विधेयक के माध्यम से लाये गये नये संशोधनो के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा सुझाव है कि इसमे विशेष रूप से लघु औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, एक अथवा दो संशोधन अथवा परिवर्तन किये जायें। मेरा एक संशोधन रबड का धागा बनाने वाले लघु उद्योगों के बारे में है। यह लघु उद्योग मुख्यतया केवल लघु उद्योग क्षेत्र में है जहां भारत अच्छी किस्म का लचीला (इलैस्टिक) धागा बना रहा है। लेकिन इस उद्योग पर भारी कर लगाने से लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रबड़ का धागा बनाने वाले उद्योग पर 20 प्रतिशत कर लगया जा रहा है जबकि आयात शुल्क में सामान्यतया कमी की गई है। आयात शुल्क में कमी किये जाने से लघु उद्योग क्षेत्र के निर्माताओं को कठिनाइयों का

सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जिन उद्योगों को इस कच्ची सामग्री के रूप में आवश्यकता होती थी वे अब अच्छी शर्तों पर इसे बाहर से प्राप्त कर रहे है। अतः मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि उत्पाद शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर कम से कम 15 प्रतिशत किया जाये।

दूसरे, मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन गत वर्ष हुआ था और इस प्रकार का एक और सम्मेलन जुलाई में होने वाला है। मुझे पता लगा है कि इस सम्मेलन में अनेक सुझाव दिये गये थे और अनेक सुझावों को क्रियान्वित करने पर सहमति थी। हम उच्च न्यायलय और उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीशों से यह अपेक्षा नहीं करते कि वे अपने वेतन सम्बन्धी मामलों पर बोलें।

मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायलय के न्यायाधीशों को 15,000 रुपये वेतन देने का निर्णय लिया गया था। विधि मंत्री भी इस बात से सहमत है। मेरे विचार से इस बारे में अन्तिम स्वीकृति ली जानी है। वित्त मंत्रालय को भी उस बारे में आवश्यक स्वीकृति देनी चाहिये ताकि इसकी क्रियान्विति में अगले सम्मेलन होने तक विलम्ब न हो।

मेरे विचार से राजनीतिज्ञों पर भी किसी प्रकार का कर लगाया जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सब राजनीतिज्ञों पर कर लगाया जाना चाहिये। लेकिन इस सम्बन्ध में हमें अनेक बातें सुनने को मिली है। हम वास्तव में दुखी है। जब कभी किसी राजनीतिज्ञ को फिल्म में दिखाया जाता है पाठ्य पुस्तकों में बताया जाता है, यहां तक कि बच्चों को उन के प्रारम्भिक पाठ मे यहाँ तक प्रत्येक पत्रिका मे राजनीतिज्ञों की छवि बड़ी धूमिल प्रस्तुत की जाती हे। उनकी छवि इतनी खराब प्रस्तुत की जाती है कि आज राजनीतिज्ञ अपने को राजनीतिज्ञ कहने में कठिनाई अनुभव करते हैं।

8.00 म० प०

जब तक आप राजनीतिज्ञ नहीं होंगे आप सक्रिय राजनीति में नही आ सकते। मेरे विचार से कर लगाने वाले तंत्र को ऐसे राजनीतिज्ञों को पकड़ना चाहिये जो अनेक तरीको से धन कमा रहे है। मेरा विचार है कि वित्त मंत्रालय तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों को इस सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। कानून के हाथ बड़े लम्बे और मजबूत होते हैं। वह ऐसे लोगों को पकड़ सकता है जो भारी मात्रा में धन कमा रहे है और उस पर कर नही दे रहे हैं। काले धन से हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हो रहा है।

लघु क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में उत्पादित उत्पादों पर करों में कुछ और छूट दी जानी चाहिये। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री इस बात पर विशेष ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मै सबसे पहले आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से कि उत्पाद कार्यों के अन्दर जो भी छूट या लाभ सरकार ने दिया है, वह उपभोक्ता तक नही पहुंच रहा है। 1993-94 के बजट में भी और उसके बाद प्रतिवर्ष प्रस्तुत किए जाने वाले बजट मे भी उत्पादन शुल्क के अन्दर सरकार भारी छूट देने की घोषणा करती रही है। इसका लाभ जहां उद्योगपतियों ने उठाया है, वही उसका लाभ उद्योगों के द्वारा जिस तरह से जनता तक उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए था, वह लाभ नही पहुंच पा रहा है। यद्यपि कई उद्योगों का कहना है कि छूट का लाभ उपभोक्ताओं को मिले. लेकिन उपभोक्ता संगठनों और कीमत ब्यूरो की अध्ययन रिपोर्ट्स ने उद्योगों के इस कथन को गलत करार दिया है। इस संबध में जब वित्त मंत्रालय के सामने यह प्रश्न उठाया गया कि उपभोक्ताओं को उत्पाद कर में दी हुई छूट और लाभ उपभोक्तओं तक पहुंचना चाहिए, वह क्यों नही पहुंच रहा है, तो वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों का कहना है कि इस बारे में जो उचित कानून होना चाहिए, वह कानून प्रभावी नही है और इस के बारे में सरकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने में कुछ विवशता प्रकट की है। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने फाइनेंस बिल के माध्यम से और अपने बजट का भाषण प्रस्तुत करते हुए उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के अन्दर अनेक जो राहत प्रदान की है, अनेक छूटें जो प्रदान की है, उन छूटों का लाभ उपभोक्ताओं तक अवश्य पहुंचे।

दूसरे मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसे हमारे कई मित्रों ने कहा है - मर्ज बढ़ता गया, ज्यो-ज्यो दवा की यद्यपि पहले से देश की अर्थ व्यवस्था और कांग्रेस के कुप्रशासन के कारण बिगड़ी हुई थी और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को अपना बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो सब से उन्होंने अच्छी दवा देने का प्रयास किया, परन्तु उस दवा का कोई असर नहीं पड़ा। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से घोषणा की थी कि हमें शासन सौंपा, हम सौ दिनों के अन्दर महंगाई कम कर देंगे और लगभग एक वर्ष के अन्दर लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन्होने जो घोषणा और आश्वासन दिए थे, उन आश्वासनों का क्या हुआ। आज देश में आतंकवादी प्रवृति बढ़ रही है और सैकड़ो-हजारों बेरोजगारी के शिकार होकर निराश और हताश आतंकवाद की राह पर बढ़ रहे हैं। इसका एक मात्र कारण देश में बेरोजगारी का बढ़ना है।

आपने इस बजट के अंदर भी कहा है कि हम जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार के लिए इतने अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन यह केवल एक छलावा है, क्योंकि आज वस्तुस्थिति यह है कि "एक अनार, सौ बीमार।" आपने पहले तो जितनी नौकरियां है उन पर पाबंदी लगा रखी है, जो खाली स्थान हे वे भी नहीं भरे जा रहे हैं, जो अत्यंत आवश्यक स्थान है वे भी नही भरे जा रहे हे और जो नयी नियुक्तियां होनी चाहिए वे भी नहीं हो रही है, परिणामस्वरूप बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो आय कर के अंदर की छूट की बात है इसको सारा देश अनुभव कर रहा है। मध्यम वर्ग मांग कर रहा है, हमारा कर्मचारी वर्ग भी इस

बात की मांग कर रहा है कि आय कर की सीमा को 60 हजार तक बढ़ाया जाए, लेकिन जो अभी बढ़ाई गई है वह ऊंट के मुंह में दाना और ऊंट के मुह में जीरा की तरह सार्थक हो रही हैं क्योंकि आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भी इतना वेतन प्राप्त हो जाता है कि उसको भी आय कर देना पड़ता है। उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नही कि वह बांडो में पैसा लगा सके, अपना बीमा करा सके या जो अन्यान्य उन्मुक्तियां प्रदान की है उनसे लाभान्वित हो सके। इसी प्रकार से अभी जो महंगाई भत्ता बढ़ाया है, अंतरिम राहत बढ़ाई है या अब जो पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट आएगी उसके बाद कर्मचारी लाभान्वित होगे। उनकी आय का बहुत बड़ा हिस्सा, महंगाई भत्ते का भी 25 परसैंट आय कर विभाग काट लेता है, परिणाम यह होता है कि जहां एक तरफ हमें खुशी होती है वहां दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है उस महगाई के अनुपात में पैसे की कीमत नही रही। परिणामस्वरूप हम कुछ भी बढ़ाते चले जाएं और उधर आय कर विभाग सब कुछ लेता रहे तो वे महगाई से त्रस्त रहते है।

मान्यवर, यही कारण है कि महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमते बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस सदन के अंदर जो आश्वासन दिया था कि हम इकोनोमिक ड्राइव चलाएंगे और हम सरकारी खर्चे के अंदर कटोती करने का प्रयास करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्षो में आपने जो इकोनोमिक ड्राइव चलाने का संकल्प किया था, घोषणा की थी उसके अनुसार कितना इकोनामिक ड्राइव चलाया गया और उसका क्या परिणाम सामने खर्चो के अंदर या अन्यान्य खर्चो के अंदर किसी प्रकार की कमी नही आई है।

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समय कम है इसलिए मैं थोड़े में ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरा यह कहना है कि आज देश कर्ज से इतना ग्रसित हो चुका है कि हमारी अधिकांश राशि केवल ब्याज चुकाने में चली जाती है और प्रतिवर्ष कर्ज की मात्रा भी बढ़ती चली जा रही है। विश्व बैंक, मलटीनेशनल्स और आईएमएफ का दबाव हमारे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इन सब दबावों से मुक्ति पाने के लिए देश किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने, लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों को किस प्रकार से प्रोत्साहन मिले, गरीबी किस प्रकार से हटाई जा सके और गरीबी रेखा के नीचे जो लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है उनको किस प्रकार से कम किया जा सके, बेराजगारों को किस प्रकार से रोजगार प्रदान किया जा सके और भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जा सके, अगर इसकी व्यवस्था आप सही रूप से कर सकेंगे तो निश्चित रूप से इस बजट का कुछ लाभ जनता को मिलेगा, अन्यथा केवल आने वाले लोक सभा के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आपने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है। अभी तो स्वयं आपके घर विभाजित हैं आप के घर के अंदर ही महाभारत छिड़ी हुई है जिसका घर स्वयं कमजोर होगा वह सारे देश को सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से प्रदान कर सकेगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मैं इस फाइनेंस बिल का विरोध करता हूं। हालांकि इसमें दिखाने के लिए बहुत छूटें दी है लेकिन उसका लाभ गरीबों को नही मिलेगा। यह अमीरों को और अमीर बनाने वाला है और गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाने वाला है।

मान्यवर, इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे जो समय दिया है इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सहयोग देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

अब सभा कल 11 बजे म. पू तक के लिये स्थगित होती है।

8.09 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 मई, 1995/2 ज्येष्ठ, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।